ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA 2005) का अनुसूचित जातियों पर हुआ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम (संदर्भ महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाना जिले के संदर्भ में)

Social and Economical Impact – Effect of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA 2005) On Schedule Cast (Reference – Washim and Buldhana District of Vidharbha in Maharashtra)

शोध निर्देशक

प्रो. मनोज कुमार

निर्देशक, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र

म.गां.अं.हिं.वि. वर्धा

शोधार्थी

डॉ. भालचंद्र देविदास जमधाडे

No.F/PDFSS-2015-17-MAH-11767(2016-17)

विषय : सोशल वर्क

महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र म.गां.अं.हिं.वि. वर्धा

मानविकी एवं समाज विज्ञान विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

पोस्ट-हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442005 (महाराष्ट्र)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर एससी/एसटी वर्ष 2016-17 हेतू प्रस्तुत शोध-प्रबंध)

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र

Mahatma Gandhi Fuji Guruji Centre for Social Work

प्रो.मनोज कुमार/ Prof. Manoj Kumar

प्रोफेसरएवं निदेशक / Professor& Director

अधिष्ठाता,विधि/ शिक्षा/ प्रबंधन विद्यापीठ Dean, School of Law, Education/ Management

पत्रांक : 011/MGFGSW/ /2021

दिनांक :

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ***डॉ. भालचंद्र देविदास जमधाड़े*** *ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर एससी/एसटी वर्ष 2016-17 के अंतर्गत* ***'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA 2005) का अनुसूचित जातियों पर हुआ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम (संदर्भ महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाना जिले के संदर्भ में'Social and Economical Impact- Effect of Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA 2005) On Schedule Cast (Reference-Washim and Buldhana District of Vidharbha In Maharashtra)*** *विषय पर प्रस्तुत शोध कार्य मेरे निर्देशन में समाज कार्य* ***पी. डी. एफ.*** *की उपाधि* ***(सत्र: 2016-2017)*** *हेतु पूर्ण किया है तथा मेरी अधिकत्तम जानकारी के अनुसार इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय ने इस विषय पर शोध कार्य नहीं हुआ है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।*

प्रो. मनोज कुमार

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय,गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र) भारत

Post Hindi Vishvavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India

Email : mgfgcps@gmail.comवेब साईट :www.hindivishwa.org

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र

Mahatma Gandhi Fuji Guruji Centre for Social Work

प्रो.मनोज कुमार/ Prof. Manoj Kumar

प्रोफेसरएवं निदेशक / Professor& Director

अधिष्ठाता,विधि/ शिक्षा/ प्रबंधन विद्यापीठ Dean, School of Law, Education/ Management

पत्रांक : 011/MGFGSW/ /2021

दिनांक :

अनुशंसा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ***महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा,*** *मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत* ***महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र के शोधार्थी डॉ. भालचंद्र देविदास जमधाड़े*** *ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर एससी/एसटी वर्ष 2016-17 के अंतर्गत* ***'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA 2005) का अनुसूचित जातियों पर हुआ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम (संदर्भ महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाना जिले के संदर्भ में' Social and Economical Impact- Effect of Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA 2005) On Schedule Cast (Reference- Washim and Buldhana District of Vidharbha In Maharashtra)*** *विषय पर पी. डी. एफ. उपाधि हेतु विभाग के प्रो. मनोज कुमार के शोध-निर्देशन में शोध कार्य पूर किया है। यह इनके निजी उद्यम और मौलिक प्रयत्न का परीणाम है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।*

प्रो. मनोज कुमार

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय,गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र) भारत

Post Hindi Vishvavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India

Email : mgfgcps@gmail.comवेब साईट :www.hindivishwa.org

घोषणा-पत्र

मैं, डॉ. भालचंद्र देविदास जमधाड़े घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर एससी/एसटी वर्ष 2016-17 के लिए महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में सत्र 2016-17 के अंतर्गत पी.डी.एफ. उपाधि हेतू शोध प्रबंध 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA 2005) का अनुसूचित जातियों पर हुआ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम (संदर्भ महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाना जिले के संदर्भ में'Social and Economical Impact- Effect of Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA 2005) On Schedule Cast (Reference- Washim and Buldhana District of Vidharbha In Maharashtra) प्रो. मनोज कुमार के नियमित शोध-निर्देशन में पूरा किया गया है।

यह मेरा मौलिक शोधकार्य है। यह शोध-प्रबंध किसी संस्था/विश्वविद्यालय की उपाधि हेतू प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

शोधार्थी

डॉ. भालचंद्र देविदास जमधाड़े
No.F/PDFSS-2015-17-MAH-11767 (2016-17)
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, युजिसी, नई दिल्ली
महात्मा गांधी फूजी गुरूजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

आभार

सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी फूजी गुरूजी सामाजिक कार्य केंद्र के निर्देशक एवं मेरे शोध निर्देशक प्रो. मनोज कुमार का अत्यंत आभारी हुँ जिन्होंने शोध कार्य को लेकर मुझे न केवल मार्गदर्शन प्रदान किया बल्कि, समय-सयम पर महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए सहयोग भी प्रदान किया। उनकी प्रेरणा, निर्देशन, सहयोग और शोध की प्रगती पर रखी गई पैनी नजर के कारण ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर पाया हुँ। अतः उनके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हुँ।

मैं, विभाग में कार्यरत सहायक प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, डॉ. आमोद गुर्जर, डॉ. शिव सिंह बघेल के प्रति आभार प्रकट करता हुँ जिन्होंने मुझे महत्वपूर्ण सुझाव दिये और हौसला बढ़ाया। विभाग के कर्मचारी श्री दीलीप वाकड़े तथा श्री सचिन नाखले और सहयोगी शोधार्थीयों के सहयोग के लिए आभारी हुँ जो हमेशा मेरी सहायता में तत्पर रहें। मैं, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के प्रति भी आभार प्रकट करता हुँ जहाँ मुझे अपनी सोच-विचार की नयी दृष्टि प्राप्त हुई। अंत में, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के प्रति आभार प्रकट करना चाहुँगा जिनकी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर एससी/एसटी वर्ष 2016-17 के कारण मैं अपना पीडीएफ का शोध पूर्ण कर पाया।

स्थान :

दिनांक :

डॉ. भालचंद्र देविदास जमधाड़े

No.F/PDFSS-2015-17-MAH-11767 (2016-17)
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, युजिसी, नई दिल्ली
महात्मा गांधी फूजी गुरूजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

अनुक्रमणिका

	पृ. संख्या
प्रमाण-पत्र	ii
अनुशंसा-पत्र	iii
आभार	iv
प्रस्तावना	v
अध्याय एक: भूमिका एवं सैद्धांतिक पृष्टभूमि 1.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: रोजगार सृजन की पृष्ठभूमि 1.2 वेतन आधारित रोजगार सृजन की योजनाएँ 1.3 मनरेगा की आवश्यकता 1.4 मनरेगा अधिनियम की प्रकृती एवं ध्येय 1.5 मनरेगा का प्रभाव 1.6 शोध का उद्देश्य	6 – 31
अध्याय दो: साहित्यावलोकन 2.1 मनरेगा की महत्ता एवं प्रभाव से संबंधित साहित्यावलोकन 2.2 मनरेगा की आलोचना से संबंधित साहित्य का अवलोकन	33– 54
अध्याय तीन: अनुसंधान प्रविधि 3.1 प्रस्तावना 3.2 अनुसंधान का तर्क एवं योजना निर्माण में योगदान 3.3 अनुसंधान का शिर्षक 3.4 मूल अनुसंधान प्रश्न 3.5 उद्देश्य 3.6 संक्षिप्त अवधारणा 3.6.1 मनरेगा 3.6.2 अनुसूचित जाति 3.6.3 मनरेगा का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव-परिणाम 3.6.4 उत्तरदाता 3.6.5 अनुसंधान का भौगोलिक क्षेत्र 3.7 अनुसंधान प्रारचना 3.7.1 विश्लेषण इकाई 3.7.2 समग्र 3.7.3 इकाई चयन 3.7.3.1 प्रथम चरण 3.7.3.2 द्वितीय स्तर 3.7.3.3 तृतीय स्तर 3.7.3.4 चतुर्थ चरण 3.8 तथ्य संकलन पद्धति एवं उपकरण 3.8.1 प्राथमिक स्त्रोत 3.8.2 द्वितीय स्त्रोत 3.8.3 तथ्य प्रसंस्करण 3.8.4 सांख्यिकी विश्लेषण 3.9 अध्यायीकरण	56 – 65

3.10 अनुसंधान की सीमा 3.11सारांश	
अध्याय चार: अनुसंधान क्षेत्र का संक्षिप्त सामाजिक एवं आर्थिक वर्णन 4.1 वाशिम जिला 4.2 बुलड़ाणा जिला	66 – 92
अध्याय पाँच: मनरेगा लाभार्थियों की स्थिति एवं विविध प्रभाव 5.1 प्रस्तावना 5.2 खंड़ अ: मनरेगा लाभार्थियों की समाजार्थिक स्थित 5.2.1 सामाजिक जानकारी 5.2.2 उम्र 5.2.3 राशन कार्ड़ का प्रकार 5.2.4 वैवाहिक स्थिति 5.2.5 परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति	94 –180
खंड़ ब: मनरेगा लाभार्थियों पर विविध प्रभाव (पूर्व-पश्च्यात) 5.2.6 निवास का प्रकार, स्वामित्व एवं सुधार 5.2.7 घर में उपलब्ध सुविधा, उपकरण एवं जानकारी के माध्यम 5.2.8 कृषियोग्य जमीन की उपलब्धता एवं क्रय-विक्रय 5.2.9 घर में उपलब्ध पशूधन और उसके विक्रय का कारण 5.2.10 व्यक्तिगत जमीन पर लाभ के कार्य 5.2.11 अन्य उद्योग संबंधी जानकारी 5.2.12 आर्थिक स्थिति एवं बदलाव 5.2.13 परिवार का पोशण घटक 5.2.14 परिवार की स्वास्थ एवं उपचार संबंधी जानकारी 5.2.15 स्वास्थ बीमा की उपलब्धता 5.2.16 बच्चों की शैक्षणिक जानकारी 5.2.17.1 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक 5.2.17.2 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक 5.2.17.3 उच्च शिक्षा 5.2.17.4 व्यावसायिक शिक्षा 5.2.18 नौकरी की स्थिति 5.2.19 मौसमी प्रवसन 5.2.20 गाँव स्तर पर सामाजिक सहभागिता 5.2.21 गाँव स्तर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता 5.2.22 गाँव स्तर पर राजनीतिक सहभागिता 5.2.23 अध्ययन से प्राप्त संक्षिप्त प्रभाव-परिणाम 5.2.23.1 खंड़ अ: मनरेगा लाभार्थियों की समाजार्थिक स्थिति 5.2.23.2 खंड़ ब: मनरेगा लाभार्थियों पर विविध प्रभाव (पूर्व-पश्च्यात)	
अध्याय छ: निष्कर्ष 6.1 उत्तरदाताओं की वर्तमान रूपरेखा का अवलोकन 6.2 मनरेगा के सामाजिक प्रभाव की तुलना (पूर्व-पश्च्यात) 6.3 मनरेगा के आर्थिक प्रभाव की तुलना (पूर्व-पश्च्यात)	182– 196
संदर्भग्रंथसूची	198 - 204

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद देश को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ आरंभ हुई। इन पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास एवं घरैलू उत्पादन बढ़ाने के साथ, यह भी निश्चित किया गया कि, देश के ग्रामीण इलाकों में बसी हुई आबादी को गरीबी से मुक्त कराने लिए गरीबी उन्मुलन जैसे कार्यक्रमों की रचना करना अत्यंत आवश्यक है। समयानुसार इसके लिए कई योजनाओं का निर्माण किया गया। इन योजनाओं में, विषेशतः हजारों सालों से दरिद्रता और गरीबी के कुचक्र में फसी हुई अनुसूचित जाति और जनजातीयों को भी जगह दी गई। केवल उन्हीं को केंद्र में रखने वाली विषेश योजनाएँ भी सामने आयी। भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारों ने अपनी नीतियों में समय-समय पर उनके विकास एवं उन्नती के लिए पंचवर्षीय योजना के साथ कुछ उप-योजनाओं का भी निर्माण किया। विषेशतः अनुसूचित जातीयों के लिए जो योजनाएँ बनायी गई उनका उद्देश्य इन जातीयों को कुछ साधन प्रदान कर उनकी आमदनी में वृद्धि करना रहा है। इसलिए इन योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँभी कहाँ जाता है। इन योजनाओं में कृषि का न्याय वितरण करना, ग्रामीण तथा शहरों में रहने वाले युवाओं को तकनिकी शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्वयंरोजगार को प्रोत्साहित कर पुंजि के माध्यम से संपत्ति का निर्माण करने के लिए कर्ज देने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अर्थात, इन योजनाओं का ध्येय ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों के लिए उपजीविका के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन की गारंटी, निवास एवं स्वास्थ सेवाओं जैसी सुविधाएँ, स्वतंत्र रोजगार का सृजन करने के लिए जमीन की उपलब्धता के साथ आर्थिक सहायता प्रदान कराना है, जिसके आधार पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली अनुसूचित जातियों के साथ हो रहे भेदभाव को रोका जा सकें और उनकी गरीबी दूर करते हुए उन्हें अन्य जातीयों के समकक्ष लाया जा सकें।

उपरोक्त कथन से यह तो स्पष्ट होता है कि, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गई इन योजनाओं का ध्येय अथवा उद्देश्य अनुसूचित जातियों में व्याप्त गरीबी को नष्ट करने का है। लेकिन अत्यन्त कम जमीन और उत्पादन साधनों का अभाव अनुसूचित जातियों का भाग्य होने से अनुसूचित जातियों के बहुत कम परिवार ही स्वयं की जमीन को जोतकर अपनी आजीविका चला पाते हैं। आजीविका को न्यूनतम स्तर पर ही पूरा करना उनकी नियती बन गई है। दूसरी ओर, स्थानिक सामाजिक भेदभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदी ऐसे कारण है जो उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए दिक्कतों का पहाड़ खडा़ करते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई गई

किसी भी योजनाओं में हिस्सा लेकर अपने परिवार की आमदनी को सुनिश्चित करना उनके लिए दूर की कौड़ी साबीत होता है। इस संदर्भ में, कई विद्वानों के शोध यह संकेत देते है कि, सरकार की जमीन सुधार की योजना हो या कर्ज उपलब्ध कराने वाली कोई योजना हो, इन सभी योजनाओं से न तो छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है और न ही उनकी उत्पादन क्षमता वृद्धित हुई हैं। दूसरी ओर, अनुसूचित जातियों के जिन लोगों के पास स्वयं का व्यावसाय है उनका प्रमाण अत्यंत कम है और खेतीहर मजदूर के तौर पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यह दोनों स्थितियाँ एक दूसरें के विपरित होने से, उन्हें स्थानिक स्तर पर मिलने वाली कम मजदूरी पर गुजारा करना पड़ता है या अधिक मजदूरी को प्राप्त करने के लिए प्रवसन करना पड़ता है। वहीं, स्थानिक मजदूरी से संबंधित प्रतिस्पर्धा, जमीन की अनुपलब्धता, व्यापक श्रमिक संख्या, कम मजदूरी और रोजगार सृजन से संबंधित स्थानिक भेदभाव जैसे अनेक कारण उन्हें बेरोजगार रहने के लिए मजबूर कर देते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनओं का ध्येय पूरा नहीं हो पाता। दूसरी ओर, उत्तर-भूमंडलीकरण के बाद की बदलती हुई आर्थिक नीतियाँ और सिकुड़ती हुई कल्याणकारी राज्य की भूमिका उनकी आर्थिक स्थितियों को कितना ऊँपर उठा पाई है यह एक शोध का विषय हो सकता है। ऐसे में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए तथा सभी जाति-वर्ग के लोगों को न्यूनतम वेतन प्रदान कराने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऍक्ट 2005 (MGNREGA-2005) एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा और 'काम का अधिकार' प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल, जमीन रहीत और उत्पादन साधनों से कोसो दूर रहने वाला यदि कोई समूह है, तो वह अनुसूचित जातियों का समूह है। अतः इस समुदाय पर किसी सरकारी योजना या नीति-कार्यक्रम का कितना असर हुआ है इस आधार पर ही हम किसी योजना की सफलता या असफलता को नाप सकते है। इसलिए, प्रस्तुत अनुसंधान के लिए भी महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों को चुना गया है और यह जानने का प्रयास किया गया है कि, उक्त क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के व्यक्ति और उनके परिवार पर मनरेगा जैसी योजना का क्या सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव-परिणाम हुआ है।

दरअसल, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन के संबंध में प्रगतिशील राज्य के रूप में पहचाना जाता है और राज्य का पश्चिम क्षेत्र कृषि तथा औद्योगिकरण के मामले में देश के साथ-साथ राज्य के अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमेशा आगे रहा है। लेकिन, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मामले में अभी

भी पिछड़ा हुआ है। खासकर पश्चिम विदर्भ का क्षेत्र जिसमें अमरावती विभाग में शामिल वाशिम और बुलड़ाणा जिले हैं, वहाँ अभी कोई औद्योगिक बेल्ट, उत्पादन से संबंधित बुनियादी संरचना का निर्माण नहीं हुआ है। यह जिले आज भी औद्योगिकीकरण के इंतजार में हैं। इस स्थिति में इन दोनों जिलों की जनता केवल कृषि आधारित उत्पादन से संलग्न है। वाशिम और बुलड़ाणा जिले की लगभग 80.00 प्रतिशत जनता गाँव में रहती है। यहाँ 90 प्रतिशत लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। खेतीबाड़ी और उससे संलग्न मजदूरी ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और दोनों जिलों की केवल 01.00 प्रतिशत जनता औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है। विशेष बात यह है कि, इन दोनों जिलों में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 25.00 प्रतिशत है और चयनित अनुसंधान क्षेत्र में वह घणी आबादी के साथ निवास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि, औद्योगिकरण के अभाव में दोनों जिलों की अनुसूचित जातियाँ सिर्फ और सिर्फ कृषि और कृषि से संबंधित अन्य रोजगार पर निर्भर होने से उनमें गरीबी का प्रमाण ज्यादा दिखायी देता जो उन्हें गरीबी के कुचक्र में धकेल देता है। ऐसे में, रोजगार की गारंटी और काम के अधिकार से सुसज्जित मनरेगा योजना उनके लिए कहाँ तक राहत प्रदान करती है यह देखना आवश्यक हो जाता है जो इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

जो हो, मनरेगा से संबंधित जितने भी शोध हुए है उनसे यह ध्वनित होता है कि, देश के जिन इलाकों में औद्योगिकरण नहीं हुआ है वहाँ यह योजना आवश्यक है और यही बात प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र के लिए भी लागू होती है। लेकिन, स्थिति यह है कि, पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ मनरेगा जैसी योजना प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र में क्रियान्वित होने के बाद भी इन दोनों जिलों की अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है यह अभी तक ठिक से सामने नहीं आया है। खास बात यह है कि, इस क्षेत्र में अत्यंत कम अनुसंधान हुए हैं। मनरेगा के कारण इन दोनों जिलों में बसने वाली अनुसूचित जातियों के लोगों को कितना रोजगार प्राप्त हुआ है, कितने लोगों ने जॉब कार्ड बनवाया है, कितनों को रोजगार भत्ता मिला है और इस क्षेत्र के मजदूरों को मनरेगा में काम करते हुए किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आदी कारणों को विशेष तौर पर समझना आवश्यक है और उसके लिए एक अलग शोध-सर्वेक्षण की आवश्यकता बढ़ जाती है। फिलहाल, प्रस्तुत अनुसंधान का लक्ष्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA2005) का अनुसूचित जाति पर किस प्रकार का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम हुआ है और उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है यह जाँचना है। इसके लिए मनरेगा जैसी योजना के कारण उन पर हुए प्रभावों का पूर्व एवं पश्चात स्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं की

आयु, लिंग, जाति, धर्म, आवासी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन आदी कारकों को मनरेगा के पूर्व तथा पश्चात प्रभावों के संबंध में रेखांकित करना है। मनरेगा के कारण उन पर जो सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव हुए हैं उनकी ओर इशारा करते हुए प्राप्त तथ्यों के आधार पर मनरेगा अर्थात 'काम के अधिकार' की वास्तविक स्थिति को उजागर करना इस शोध का ध्येय है। यह अनुसंधान महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम और बुलड़ाणा जिले के छः चयनीत तहसील और इन तहसीलों से चयनित तीस गाँवों में किया गया है। इसमें जिन उत्तरदाताओं का पंजीकरण वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक का है ऐसे तीन सौ उत्तरदाता इसमें शामिल हैं। इसके लिए जो अनुसंधान प्रविधि अपनाई गई है, वह आनुभविक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लोगों पर हुए सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अनुभवजन्य अध्ययन कर पूर्व तथा पश्चात स्थितियों को जाँचा गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूचि उपयोग में लाई गई है और तथ्यों का प्रसंस्करण करने के लिए कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम एस.पी.एस.एस. का प्रयोग किया गया है। द्वितीय स्त्रोंतों के लिए पुस्तकालय पद्धति का उपयोग करते हुए विभिन्न पुस्तक, शोध-आलेख, सरकारी रिपोर्ट, समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचनाएं शामिल हैं।

अंत में, यह स्पष्ट है कि, कोई भी शोध अंतिम नहीं होता और ऐसा कोई दावा यहाँ नहीं किया गया है। लेकिन, इस शोध की विशेषता यह रहेगी कि, पहलीबार उपरोक्त दोनों जिलों के चयनीत तहसीलों और गाँवों में मनरेगा की वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं, उसका प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक परिणाम क्या हो रहा है यह सामने आ सकता है और यह बात भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरी बात यह है कि, मनरेगा से संबंधित जिन उपायों को यहाँ सुझाने का प्रयास किया गया है वह विभिन्न शोधकर्ताओं के निष्कर्षों को अपने में समाविष्ट तो करता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ प्रत्यक्ष अनुसंधान के परिणाम और अनुसंधान में शामिल उत्तरदाताओं के जीवंत अनुभवों को अधिक उजागर करने का प्रयास यहाँ प्रस्तुत होता है।

अध्याय एक

भूमिका एवं सैद्धांतिक पृष्टभूमि

अध्याय एक

भूमिका एवं सैद्धांतिक पृष्टभूमि

सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भारतीय इतिहास में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (NREGA2005) अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है जिसे व्यापक पैमाने पर 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MGNREGA) के नाम से पहचाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बने इस कानून की यह विषेशता है कि, इसमें अभूतपूर्व पैमाने पर मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी दि गई है। यद्यपि, इस कानून का लागू होना कड़े संघर्ष का परिणाम है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार मजदूरों के लिए 'न्यूनतम वेतन' को कानूनी रूप प्रदान करने की मांग और सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन पर दिया गया विशेष जोर शामिल है। यह कई अर्थों में 'लोक कार्य' से संबंधित कानून (People's Act) भी हैं जो 'आवश्यकता' के बदले 'अधिकार' और अधिकार पर आधारित 'काम' (Right to Work) की बात करता है। इस कानून के अंतर्गत लोगों को केवल 'लाभार्थी' के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि, लोग स्वयं अपने विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और एक 'नागरिक' के तौर पर अपने अधिकारों को महसूस करते हैं। इस कानून में सार्वजनिक कल्याण से संबंधित प्रावधानों को निर्माण करने की जिम्मेदारी राज्य पर सौपी गई है। इस अर्थ में, राज्य यहां सेवा प्रदाता के बदले अपने कर्तव्य का वाहक बन जाता है। साथ ही, यह कानून एक ऐसा मौलिक मापदंड़ भी प्रदान करता है जिसके आधार पर हम आर्थिक विकास के प्रतिमान को आंक भी सकते हैं। बुनियादी अधिकारों के लिए किये गये लोगों के संघर्ष को राजनीतिक पहल में बदलना और लोकतांत्रिक ढ़ाचे को मजबूत करना इस कानून की विषेशता है। यद्यपि, यह विशेषता केवल रोजगार की गारंटी देने तक सीमित नहीं है। इस योजना में, एक ऐसी प्रभावी प्रक्रिया शामिल है जो ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले लोगों को स्थानिय स्तर पर अपनी ही जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए आवश्यक सामाजिक संपत्ति का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध भी करती है और उन्हें सक्रिय रूप से भागिदार भी बनाती है। इस दृष्टि से यह योजना विकास के व्याकरण को विकास के अधिकार की भाषा में तब्दिल करती है। यह बताना आवश्यक है कि, 'मनरेगा' में 'काम के अधिकार' को अधिकार पर आधारित विकास के साथ जोड़ा गया है जो इस योजना को विशिष्ट और विशाल बनाता है। अर्थात 'काम का अधिकार' इस कानून की सर्वोत्तम उपलब्धी है जो व्यक्ति को अपनी उत्तरजीविता को स्थायी करने का मौका देती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं समाज वैज्ञानिक रीतिका खेड़ा के शब्दों में कहां जाय तो, 'यह अधिनियम भारत के सभी घरों में न्याय-योग्य

(जस्टिसिएबल) 'काम का अधिकार' निर्मित करता है।'[1] इस अधिनियम में मुख्य रूप से अकुशल श्रमिकों के लिए वेतन रोजगार बढ़ाने पर जोर देने के साथ-साथ अन्य लक्ष्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

यह आवश्यक भी है क्योंकि, भारत जैसे देश के लिए पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी तथा भूखमरी मिटाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव और शहर के अन्तराल को पाटने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधांए उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ़ करना जरूरी है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि, गाँव से शहरों की ओर होनेवाला पलायन रोका जाए,गाँव में ही महिला और पुरूष को समान दर्जे के साथ अकुशल मजदूर मानते हुए घर बैठे सम्मान के साथ समान मजदूरी मुहैया करायी जाय और कार्यस्थल पर मजदूरों की आधारभूत जरूरतों का ध्यान रखा जाय। दुसरी ओर, यह कानून सार्वजनिक कल्याण की जिम्मेदारी सरकार पर सौपता है जिसमें सरकार सेवा प्रदान करनेवाली संस्था के बजाय अपने कर्तव्य के रूप में देश के नागरिकों को उपजीविका एवं रोजगार का अवसर प्रदान करती है। प्रशासनिक स्तर पर पंचायती राज के तीन स्तरीय प्रतिमान के तहत इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जमीनी स्तर पर ग्राम-पंचायतों को विशेष अधिकार दिये गये है। यह अधिकार केवल ग्रामीण स्तर पर सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करते है बल्कि, पंचायती राज को भी सशक्त बनाते है। इस अधिनियम की अनिवार्य विशेषता इस बात में छुपी है कि, यह अधिनियम लोक सेवा प्रावधान के तहत निर्मित अन्य सभी योजनाओं के मुकाबले भारत की संसद द्वारा अधिनियमित हुआ है और 'सूचना का अधिकार' इसके साथ जुड़ा हुआ है। 'मनरेगा' योजना वस्तुतः महात्मा गांधी के सपने को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करती है। जिसमें स्थानिक ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर वास्तविक स्वराज स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। संक्षेप में कहें, तो वर्ष2009 के बाद 'मनरेगा' नामक यह कानून दुनिया का सबसे बड़ा कानून है जो सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान प्रदान करता है। इसमें, जो ग्रामीण परिवार के सदस्य अपनी इच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन की गारंटी वाला रोजगार प्रदान करना, सामाजिक परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की पारदर्शताएं, जवाबदेही और प्रावधान तथा उपाय प्रदान करना, राज्य की भूमिका को आजीविका प्रदाता के रूप में सामने लाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जिम्मेदार बनाकर आजीविका से संबंधित आवश्यकताओं को प्रतिभागियों या लाभार्थियों के पहुंच के भीतर सीमित करते हुए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। अतः नागरिक अधिकारों की पैरोकारी तथा वेतन आधारित रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाला यह कानून किसी भी विकासशील देश के लिए अधिकार पर

स्थापित पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने की मन्शा और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों में होनेवाले शोषण को रोकने की प्रेरणा प्रदान करता है, जो एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों मे घटित होनेवाली मूक क्रांती है। यदि यह सच है और 'सामाजिक सुरक्षा' के संदर्भ में यह एक ऐतिहासिक कानून है, तब हमें 'सामाजिक सुरक्षा' और 'मनरेगा' के बीच जो आंतरिक संबंध है, दोनों के पीछे की जो परिकल्पना एवं पृष्ठभूमि है उसे समझना अत्यन्त आवश्यक है जिसके आधार पर हम, देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के वैकल्पिक प्रतिमान को समझ सकते है और स्वतंत्रता के बाद भी करोड़ों की आबादी में आखिरकार जनता गरीबी के कुचक्र में क्यो फसी हुई है इसके कारणों की जांच कर सकते है।

1.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: रोजगार सृजन की पृष्ठभूमि

मनरेगा के संबंध में यह तर्क दिया जा सकता है कि, आर्थिक मंदी के दौरान मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर सकती है। लेकिन इस प्रकार का कथन विशिष्ट संकट को दूर करने की प्रतिक्रिया नहीं हो सकता। क्योकि, मनरेगा गरीबी उन्मूलन की दिशा में लंबे समय से चली आ रही सरकारी नीति है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को कम करने में राज्य की सक्रिय भूमिका रही है। भारत आज भी गरीबी से त्रस्त देश है और उसमें गरीबी से घिरे हुए करोड़ो लोगों का बसेरा है। इसमें रोजगार से संबंधित अवसरों का कम होना और गरीबों की बाजार तक की सीमित पहुंच आदि कारण देश की गरीबी को दशकों से उजागर करते रहें हैं। लेकिन यह भी सच है कि, वर्ष 1973-74 की 54.09 प्रतिशत गरीबी 2004-05 तक 27.5 और 2011-12 में 21.9 प्रतिशत घटी है।[2] फिर भी, तात्कालिक समय में, 26.93 करोड़ लोग दिर्घकालीक गरीबी के चपेट में थे और एक दिन में एक ड़ालर से भी कम कमाते थें। इसलिए यह कहां जा सकता है कि, गरीबों की संख्या निरंतर ऊंची बनी रहीं और ग्रामीण इलकों में यह संख्या अत्याधिक तिव्र थी। सूखा, बाढ़ और अर्ध-अकाल जैसी स्थितियाँ प्रति वर्ष इन ग्रामीण हिस्सों को ही तंग करती हैं, जिसमें लगभग सौ जिलों का समावेश होता है। दूसरी ओर, इन इलाकों में रहनेवाले 25 प्रतिशत भूमिहीन तथा बंधुआ मजदूर परिवारों के पास कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं हैं, जिसके आधार पर वह आय का निर्माण कर सकें। 75 प्रतिशत से अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों के पास अल्प अथवा कोई भी ऐसी सिंचाई की सुविधाएं नहीं है जो पर्याप्त और ठिक ठाक हो। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर एवं घातक रूप से मौजूद रहनेवाली गरीबी उन ग्रामीण परिवारों के बेरोजगारी में निहित है जो वर्ष के आधे हिस्से तक बेरोजगार ही रहते हैं। इस प्रकार की दिर्घकालीक बेरोजगारी को हम अनुसूचित जनजाति, रेगीस्तान और सूखाग्रस्त

क्षेत्रों में रहनेवालें लोगों में भी देख सकते है, और यह स्थिति तब अधिक खराब होती है जब मान्सून विफल हो जाता है।

इस स्थिति से निपटने के लिए, देश के योजना आयोग ने हमेशा ग्रामीण विकास पर केंद्रित होकर स्थानिय उत्पादक श्रमशक्ति को उपयोगी संपत्ति निर्माण की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से ही ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करने पर जोर दिया है जो सार्वजनिक कार्यों में न्यूनतम मजदूरी के आधार पर वेतन आधारित रोजगार को प्रश्रय दे सकें। अत: स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत में समाजवादी दृष्टिकोण से योजनाबद्ध आर्थिक विकास का आरंभ हुआ, जिसका ध्येय राज्य के नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करना और सामाजिक-आर्थिक विकास के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान करना था। लेकिन, यह इतना आसान भी नहीं था। 'भारत अपने गावों में रहता है'। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन तात्कालीन सरकार के लिए नयी चुनौतियां लेकर आया। क्योकि, इस कथन में भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वह नक्शा था जिसमें सबसे उपेक्षित रहें ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान देने की बात कही गई थी। इसमें स्पष्ट तौर पर कहां गया था कि, यदि जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करना है और सामाजिक-आर्थिक विकास के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान करना है तो हमें गांवों की ओर लौटना होगा जहाँ सबसे अधिक लोग रहते हैं और श्रम की सबसे अधिक पूंजी वहीं पड़ी हुई है। इस श्रम की पूँजीको जबतक उत्पादक कार्यों में अर्थात ससत विकास के लक्ष्यों में नियुक्त नहीं किया जाता तबतक असली भारत कभी विकसित नहीं हो सकता। ग्रामीण भारत के विकास की ओर इस प्रकार आकर्षित करने का यह विचार स्वतंत्र भारत के लिए प्रखर सत्य के सामन था जिसे तत्कालीन भारत सरकार ने अपना लक्ष्य मानकर योजनाबद्ध आर्थिक विकास की रूपरेखा निर्माण की और देश में पंचवर्षिय योजनाओं का आरंभ किया। इन योजनाओं में अधिकाधिक रोजगार के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पुरा करने के लिए शहरी स्तर पर औद्योगिकीकरण की गति को बढ़ाया गया तो ग्रामिण इलाकों में कृषि संबंधित गतिविधियों को महत्व दिया गया। इस प्रकार,दोनों स्तरों पर तेजी से बुनियादी ढ़ांचागत सुविधाएं प्रदान कर सक्षम अर्थव्यवस्था का निर्माण करना इन पंचवर्षिय योजनाओं का मनसुभा रहा है। ग्रामिण इलाकों में रोजगार को किस प्रकार बढ़ाया जाय यह चिंता इनमें दिखायी देती है। इस चिंता के आधार पर ही देश के ग्रामिण हिस्सों में स्वयं-रोजगार और वेतन आधारित रोजगार योजनाओं का आरंभ हुआ जिनमें राज्य के हस्तक्षेप के साथ

देश की जनता को गरीबी से मुक्त कराने के लिए विकास के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करने की दृष्टी शामिल थी।

लक्ष्य जितना व्यापक होता है उसे प्राप्त करने में भी हजारों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगभग ऐसी ही कुछ स्थिति भारत के संदर्भ में भी देखी जा सकती है। देश में बसी करोड़ो की आबादी को वितरणात्मक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य नियोजित विकास अथवा पंचवर्षिय योजनाओं के माध्यम से रखा तो गया, लेकिन उसे प्राप्त करने में आंतरिक और बाहरी दिक्कतें प्रतिक्षण प्रकट होती रही। इसी वजह से, स्वतंत्रता के उपरान्त देश के ग्रामीण इलाकों में स्वयं रोजगार और वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रमों का आरंभ होने के लिए लगभग बिस से बाईस साल का समय लगा। इसका कारण भी स्पष्ट था। स्वतंत्रता के समय (1951-52 में) भारत की जनसंख्या 36 करोड़ दस लाख थी। दुसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र में फंसी होने के कारण राष्ट्रीय आय 204,924/. करोड रूपए (2006 की किमतों के अनुसार), प्रति व्यक्ति आय 255/- रूपऐ एवं घरेलू बचत का दर 8.6 प्रतिशत होने से पूंजी निर्माण एवं बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन अत्यंत निम्न स्तर पर था। भारतीय बाजार का आकार सीमित होने के कारण निवेशकों को निवेश करने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत विभाजन, खाद्य की कमी और बढ़ती हुई मुद्रास्फीती ने देश की गतिविधिको जैसे रोक ही दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होने से उसका सारा बोझ गांवों में रहनेवाले किसानों पर था जो कृषि से ही अपनी आजीविका प्राप्त करते थे। देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था। वहीं, भोजन की औसत उपलब्धता न के बराबर थी बल्कि, अनिश्चित भी थी। क्योकि, देश को नियमित रूप से अकाल का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति से निपटने के लिए एक समय खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर आयात की गई।[3] इसी वजह से पहली पंचवर्षिय योजना में मूल्य स्थिरता, ऊर्जा के साथ-साथ अतिरिक्त खाद्यन्न उत्पादन के लिए कृषि पर अधिक जोर दिया गया।[4] यदि हम 1951 से लेकर 1980 तक की पंचवर्षिय योजनाओं की ओर सरसरी नजर से देखेंगे तो यह स्पष्ट दिखायी देता है कि, प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित योजनाओं में कृषि विपणन हेतु मण्डियों का विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गादामों का निर्माण करना (1960), सघन कृषि जिला कार्यक्रम (1960-61) और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (1964-65) के माध्यम से वैज्ञानिक एवं प्रगतिशली तरीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन तथा खाद्यान्न को बढ़ाना, कुओं का निर्माण कर भूजल सिंचाई को बढ़ाना (1966), गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का आरंभ करना (1966-67), छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विकास एजेन्सी (1968-69), ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए पायलट इंटेंसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स

(1972), गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (1972-73), पर्यावरण संतुलन प्राप्त करते हुए भूजल बढ़ाकर सुखे से सुरक्षा के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (1973), ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश स्किम (1972-73), सीमांत और छोटे किसानों के साथ खेतिहर मजदूरों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देने के लिए किसान और कृषि श्रम विकास एजेंसी (1973), वंचित आबादी के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1974), सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रमक के अंतर्गत प्राकृतिक स्त्रोतों का विस्तार एवं जगल ग्रहण क्षेत्र का उपयोग (1973-74), मध्यम और बड़ी परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का बेहतर एवं तेजी से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कमांड़ एरिया ड़ेवलपमेंट प्रोग्राम (1974-75), गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम (1975), मजदूरों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम (1977-78), गांव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए अंत्योदय योजना (1977-78) और इसी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जीवन का स्तर सुधारने के लिए ग्रामीण इलाकों में लघु एवं कुटीर उद्योंगों की स्थापना एवं विस्तार करना (1977), चयनित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए व्यापक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1978) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम आदि सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचिलित किये गये। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कृषि सें संबंधित सिंचाई और ऊर्जा, परिवहन और संचार, सामाजिक सेवाएं, भूमिहीन किसानों का पुनर्वास, तिव्र औद्योगिकरण, रक्षा, बांधों का निर्माण, उर्वरक संयंत्रों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का खुलना, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए पंचायत चुनाव का आरंभ करना, राज्यों को विकास की अधिकाधिक जिम्मेदारी सौपना, कृषि संबंद्ध गतिविधियों को प्राथमिकता देना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और हरित क्रांति को प्रोत्साहित करने का रहा हैं।

यहां हमें उन कार्यक्रमों की ओर भी देखना चाहिए जो प्रशासन से अलग जमीनी स्तर पर सामाजिक आंदोलनों का रूप ले रहें थे। इन कार्यक्रमों में, जनता की सहभागिता के साथ आर्थिक दूरीयों को मिटाने और गांवों में रहनेवाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतू उनकी प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए संगठित प्रयास करने की दृष्टि शामिल थी। इस दृष्टिकोण के आधार पर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इसमें, लोगों के सामूहिक एवं बहुद्देशीय प्रयास को शामिल करते हुए उनके भौतिक एवं मानव संसाधनों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाया गया जिसमें प्रशासन को न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि, लोगों के साथ मिलकर किये जानेवाले प्रशासन के रूप में परिवर्तित करने की बात की गई। ग्रामीण विसंगतियों में सुधार हेतू विविध समूहों - भूमिहीन

मजदूरों, ग्रामीण महिलाओं, शिशुओं, छोटे किसानों, जनजातियों, आदि को लक्ष्य बनाकर तदनुरूप विकास कार्यक्रमों की रचना करने पर जोर दिया गया। इसके लिए आवश्यक स्त्रोतों के आवंटन एवं वितरण में ग्रामीण समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार के माध्यम से भूमिहीनों को भू-स्वामित्व दिलाने के प्रयास किये गये और भूमि से संबंधित सहयोगी कार्यक्रमों के जरिये रोजगार के अवसर विकसित किये गये। पर्वतीय, मैदानी, रेगिस्तानी और जनजाति बहुल क्षेत्र की समस्याओं को पहचानकर उनके लिए अलग-अलग विकास योजनाओं का निर्माण किया गया। लेकिन, स्थिति इतनी आसान भी नहीं थी। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य और वास्तविकता में उतना ही अंतर था जितना दिन और रात में होता हैं। 1951 से लेकर 1970 तक चली आ रहीं पंचवर्षीय योजनाओं की परिणती यह थी कि, भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3.6 प्रतिशत, दुसरी में 4.2 प्रतिशत, तीसरी में 2.8 प्रतिशत और चौथी योजना में 3.3 प्रतिशत रहां जो अनुमानीत वृद्धि से कम ही था।[5] क्योकि, देश अधिक समय तक संसाधनों की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं था। यद्यपि, इसके कई कारण थें। इनमें, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण विकास से संबंधित नीतियों को रक्षा एवं विकास की ओर मोड़ा गया। 1966-67 के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर होने से कृषि संकट पैदा हुआ। इससे एक तरफ खाद्यान्न उत्पादन में कमी आयी तो दुसरी तरफ घरैलू उत्पादन निम्न स्तर पर चला गया। मुद्रास्फीति की दरें लगातार ऊपर चढ़ती रहीं जिसकी वजह से विदेश से खाद्यान्न की आयात करने और निंरतर विदेशी सहायता लेने की आवश्यकता महसूस हुई और अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से कमजोर होती चली गई। इस सब का परिणाम शहरी और ग्रामीण जीवन हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि, इन बिस सालों के दरम्यान ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी में तेजी से वृद्धि हुई। इन दो दशकों में ग्रामीण गरीबी का दर 47.4 प्रतिशत से लेकर 54.8 प्रतिशत और शहरी गरीबी का प्रमाण 35.4 प्रतिशत से 45.0 प्रतिशत बढ़ा। कुल मिलाकर इन बीस सालों में गरीबी 45.3 प्रतिशत से बढ़कर 52.9 प्रतिशत पर चली गई। इसी समय, रोजगार की मात्रा 2 प्रतिशत और श्रम बल की मात्रा केवल 2.5 प्रतिशत थी जो किसी भी विकासशील देश के लिए अत्यंत कम थी।[6]

इसकी दो वजह थी। पहली वजह प्राकृतिक एवं बाहरी आपदा से संबंधित थी, तो दुसरी वजह सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) केंद्रित विकास रणनीति की विफलात से संबंधित थी। हुआ यह कि, साठ के दशक के मध्य (1965-67) में अर्थव्यवस्था का मामूली वृद्धि दर अचानक समाप्त हो गया। पाकिस्तान के साथ किये गये युद्ध के तुरंत बाद देश ने लगातार दो सबसे भीषण अकालों का सामना किया। इन अकालों की वजह से कृषि उत्पादन चरमरा गया, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि ऋणात्मक हो गई। 1971में पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध

लड़ना पड़ा और फिर एक बार 1971-73 में भीषण अकाल पड़ा। कुल मिलाकर 1965 से 1971 का दशक भारत के लिए आपदा ही लेकर आया था, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर हो गया और प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन भी घट गया। दुसरी ओर, सकल राष्ट्रीय उत्पादन केंद्रित विकास की रणनीति का मानना था कि, अर्थव्यवस्था के स्थिर गति से बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होगी और उसका लाभ स्वचालित रूप से गरीबों को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई विकास उन्मुख कार्यक्रम शुरू किये जिनमें सामुदायिक विकास (CDP1951), सघन कृषि जिला कार्यक्रम (LADP 1960-61), सघण कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम (IAAP1964), उच्च उपज विविधता कार्यक्रम (HYVP1966-67) शामिल हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों का कोई भी लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिला। एक तो यह कार्यक्रम इस आधार पर बनाये गये थे कि, धनी किसानों को कृषि संबंधित उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक साधन एवं धन की सहायता प्रदान की जाय तो वह उत्पादन वृद्धि में अपना योगदान प्रदान कर सकतें हैं। लेकिन इसके विपरित इन धनी किसानों ने सरकारी सहायता के आधार पर स्वयं को अधिकाधित संपन्न करने पर जोर दिया और उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धि के लाभों को गरीब ग्रामीण जनता तक पहुंचने नहीं दिया। जिसकी वजह से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई अधिक गहरी हो गई और समाज में आय की असमानताएं बढ़ती गई। परिणामतः सत्तर के दशक में ग्रामीण गरीबी का स्तर चालीस प्रतिशत तक चला गया।[7] जिसकी वजह से सरकार को वैकल्पिक रणनीति पर विचार करणे की आवश्यकता महसूस हुई। आखिरकार यह तय किया गया कि, ग्रामीण स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण किया जाय जो गरीब, अकुशल खेतीहर मजदूर तथा कारागीरों को उनकी आय बढ़ाने में मदद कर सकें। इसके लिए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों के निर्माण पर जोर दिया[8] और बेरोजगारी से संबंधित अनुमान एवं उपयों को सुझाने के लिए प्रोफेसर एम.एल. दांतवाला (1968) तथा आगे न्यायाधिश पी.एन. भगवती (1970) समिती का गठन किया। पी.एन. भगवती समितीने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रोजगार से संबंधित उपयोगों को सरकार के सामने रखा। इस समिती का मानना था कि, 'उत्पादन के निर्दिष्ट लक्ष्य और सेवाओं के विस्तार को प्राप्त करने के लिए बनाये गये सामान्य योजना कार्यक्रमों के सहायक के रूप में, विशेष रोजगार कार्यक्रमों का प्रावधान होना चाहिए।[9] तत्कालिन सरकार ने इन सुझावों का स्वीकार कर ग्रामीण क्षेत्र में नये तरीकें से रोजगार का सृजन करने के लिए स्वयं रोजगार तथा वेतन आधारित रोजगार की योजनाओं का निर्माण किया जो गरीबी उन्मुलन के लिए मजबूत आधार साबित हुई।

1.2 वेतन आधारित रोजगार सृजन की योजनाएं

जीवन को बनाएं रखने के लिए बुनियादी जरूरतों की आवश्यकताएं पूर्ण होना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन जरूरतों की पूर्ति के लिए आजीविका के लिए आवश्यक साधनों का होना अत्यंत मायने रखता है। सामान्यतः भूमि, न्यूनतम उपज और उत्पादन से संबंधित अन्य भौतिक साधन न केवल बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करते हैं, बल्कि, जीवन स्तर को भी ऊँचा भी उठाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणि होने की वजह से वह समूह के भीतर रहकर ही अपनी इन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। उसके व्यक्तिगत प्रयासों के बाद भी राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप न केवल उसकी बुनियादी जरूरतों को पूर्ण करता है बल्कि उसकी पूरी क्षमताओं को विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है। सामान्य शब्दों में कहां जाय, तो सकारात्मक हस्तक्षेप की यह पहल उन नतिजों को सामने लाती है जहाँ जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अवसरों का निर्माण स्वयं राज्य द्वारा किया जाता है। यह अवसर और कुछ नहीं बल्कि, व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए वह उत्पादक कार्य है जिन्हें सामान्यतः सृजनात्मक रोजगार के नाम से जानते है। जहाँ तक भारत का संदर्भ है, 1970 के बाद विकासशील भारत के ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए इसी प्रकार की पहल ग्रामीण विकास की रणनीति में अपनाई गई और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वरोजगार (self employment) तथा मजदूरी आधारित रोजगार (wage employment) कार्यक्रम का निर्माण किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले गरीबों की आय में बढ़ोतरी करना है ताकि वह गरीबी रेखा को पार कर सकें।

यह स्पष्ट है कि, संगठित क्षेत्र सभी प्रकार की श्रमशक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता। दूसरी ओर, जो श्रमशक्ति संगठित रोजगार में शामिल नहीं होती वह छिपी बेरोजगारी के कारण अनुत्पादकता का ढ़ेर बनकर नष्ट हो जाती है। वहीं, नियमित रूप से मिलनेवाली मजदूरी भी मजदूर को नियोक्ता के ऊँपर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से स्वतंत्र रूप से कोई उद्यमिता स्थापित नहीं हो सकती।[10] इन सब का असर सूदर ग्रामीण इलाकों में रहनेवालें लोगों पर होता है जो सार्वजनिक और निजि दोनों उपक्रमों से बाहर ही होते हैं। कृषि, कृषि से संलग्न उत्पादन और पर्यावरण उनके जीवन का आधार होने से अत्यंत सीमित साधानों पर उन्हें जिना पड़ता है जो आगे उनके गरीबी का कारण बनता है। इस खाई को पाटने के लिए सरकार ने स्वरोजगार एवं मजदूरी आधारित रोजगार की योजनाएं शुरू की थी। स्वरोजगार की योजनाओं का मकसद गांव के छोटे किसान और खेतीहर मजदूरों को संपत्ति एवं कौशल प्रदान करना था। जिससे वह स्वरोजगार को खड़ा कर सकें। इन योजनाओं

में कृषि संबंधित अनुदान, कर्ज, रोजगार सें संबंधित कौशल और बुनियादी संरचनाएं प्रदान की जाती है जिससे छोटे किसान और खेतीहर मजदूर अपने लिए आय के नये स्त्रोत खोज सकें। पहले, छोटे किसानों के लिए विकास एजेन्सी (SFDA), सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP), कमांड़एरिया ड़ेवलपमेंट एजेंसी (SFDA) और हिल एरिया ड़ेवलपमेंट एजेंसी (HADA) जैसे कार्यक्रमों को इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1978 में इन सब कार्यक्रमों को एक साथ लाकर एक नया कार्यक्रम बनाया गया जिसे 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' (IRDP) कहां गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए स्वरोजगार का दृष्टिकोण अपनाकर उसे अधिक व्यावहारिक आकार प्रदान करता है। रेशम उत्पादन, पशुपालन, बुनाई, हस्तशिल्प समान उत्पादन के भूमि आधारित प्राथमिक क्षेत्र से लेकर द्वितीयक क्षेत्र के निर्माण एवं सेवा और व्यावसाय जैसे सभी क्षेत्रों में यह कार्यक्रम स्वरोजगार प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का लक्षित समूह गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले छोटे एवं सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर शामिल हैं। लक्ष्य समूह के भीतर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के लिए 50 प्रतिशत, स्त्रीयों के लिए 40 प्रतिशत, और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि, उत्पादक परिसंपत्तियों और उपयुक्त कौशल के अधिग्रहण से ग्रामीण गरीबों को स्थायी आधार पर अतिरिक्त आय कमाने में मदद मिलती है जो उन्हें गरीबी रेखा को पार करने में सक्षम बनाती है। इसी कड़ी में, स्वरोजगार में अधिक विश्वास जगाने के लिए और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण योजना' (TRYSEM) महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस योजना का लक्ष्य विभिन्न पारंपरिक एवं आधुनिक सेवा, विनिर्माण के व्यावसाय में ग्रामीण बेरोजगार युवा, गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों को स्वरोजगार एवं उससे संबंधित कौशल प्रदान करना है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में से युवाओं और परिवारों को चुना जाता हैं जो अपनी पसंद, योग्यता और अपने क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के अनुसार स्वरोजगार का चुनाव करते हैं। इसके लिए उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प प्रशिक्षण-उत्पादन केंद्र तथा सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रशिक्षु, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण संस्थान को दि जाती है।

स्वरोजगार की महत्वपूर्ण योजना 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' (SGSY) हैं। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि, यह योजना व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देती। बल्कि, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करती हैं जो विशिष्ट कौशल में प्रशिक्षित होते हैं। इस प्रकार के सहायता समूह

सूक्ष्म उद्यम को सूत्रित करते हैं या उनका प्रस्ताव तैयार करते हैं। इस तरह की परियोजनायें उन गतिविधियों पर आधारित होते हैं जो प्रत्येक ब्लॉक के लिए स्थानिक स्त्रोत, कौशल एवं बाजार की पहचान करती हैं और उन्हें बैंक के द्वारा ऋण और सरकारी अनुदान मिलता हैं। यह योजना जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (DRDA) द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए उन्हें बैंक ऋण तथा सरकारी अनुदान प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि, सहायता प्राप्त परिवार की मासिक शुद्ध आय 2000/- रूपये हो। 1999 में, IRDP के घटक के रूप में कार्यरत महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजना (DWCRA) जैसे कई स्वरोजगार कार्यक्रमों को इस योजना में एकीकृत किया गया। 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया और अंत में आज इसे दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969) के दौरान प्रयोग के आधार पर मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों की शुरूआत हुई थी। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कमजोर कृषि मौसम के साथ-साथ सूखे और बाढ़ के दौरान ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले अकुशल मजदूरों को सम्मान जनक रोजगार एवं आजीविका प्रदान करना था। इसलिए इन योजनाओं के तहत ग्रामीण बुनियादी संरचनाओं को बेहतर बनाने के लिए गांव की श्रमिक शक्ति को उत्पादक कार्यों की ओर मोड़ा गया। इसके लिए ग्रामीण श्रमिकों द्वारा तालाबों को गहरा करना, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलसंपदा, सड़क बनाना, गांव के स्कूल का निर्माण करने जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस प्रकार यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करनेवाला थे बल्कि, गांव की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने और सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करने पर जोर देने वाले थे। इन कार्यक्रमों की सकारात्मक बात यह थी कि, इसने ग्राम श्रम की उच्च मांग को पैदा किया और ग्रामीण स्तर पर मिलनेवाली मजदूरी में वृद्धि की। प्रथमतः चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो और कार्यक्रमों की शुरूआत की गई जिन्हें सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (CREP) और प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (PIREP) के नाम से जाना जाता हैं। प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में करीब 200 ब्लॉकों को कवर करने की बात की गई। क्योंकि, इन ब्लॉकों में कृषि श्रम का अधिक केंद्रिकरण होने से बेरोजगारी बढ़ती है और मजदूरों के कौशल का उपयोग भी नहीं हो पाता। इसलिए यहां रोजगार की तीव्र समस्या पैदा होती हैं।

यद्यपि, साठ और सत्तर के दशक में मजदूरी पर आधारित कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया था। 1960-61 के अंत में, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम (RMP) को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया जिसका उद्देश्य कम से कम पच्चीस लाख लोगों को 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करना था जहाँ, मौसमी बेरोजगारी के साथ-साथ कौशल का उपयोग न होने से अल्प बेरोजगारी ज्यादा थी। दूसरी ओर, चौथी पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट हो गया था कि, विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए, अप्रैल 1971 को सघन ग्रामीण रोजगार योजना (CSRE) आरंभ की गई। आगे प्रायोगिक स्तर पर सघण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (PIREMP) को तीन साल के लिए 15 चयनित सीड़ी ब्लॉक में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के कई लक्ष्य थें। इनमें अतिरिक्त अकुशल रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, प्रत्यक्ष परियोजना पर काम करते समय संपत्ति का सृजन करते हुए नये कौशल का गुणात्मक प्रभाव बढ़ाना और अंत में, जनशक्ति का ऐसा निर्माण करना था जो मजदूरी पर आधारित रोजगार की मांग करें और उसके आधार पर देश के बाकी हिस्सों में व्यापक कार्यक्रम बनाने में सहायक हो। 1970-71 के दौरान तेरा राज्यों के चौवन चयनित जिलों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके लिए जिन चौवन जिलों का चयन किया गया था उन्हें सिंचित क्षेत्र, वर्षा का वितरण, सूखे की तीव्र उच्च आवृत्ति आदि के आधार पर सूखा प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन चयनित क्षेत्रों की इन सभी समस्याओं को कम करने की योजना इस कार्यक्रम थी।

यह स्पष्ट था कि, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी रोजगार और बेरोजगारी के साथ श्रमिकों के कौशल को उचित प्रकार से उपयोग में न लाने के कारण बेरोजगारी पैदा होती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मजदूरी आधारित रोजगार कें तहत 'काम के बदले अनाज' (Food For Work 1977) कार्यक्रम शुरू किया गया। जब कृषि में कोई काम न हो तब ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले मजदूरों को गांव के लिए सड़कें, टैंक आदि के रूप में टिकाऊ बुनियादी ढ़ाँचे की संपत्ति का निर्माण करने जैसे काम प्रदान करना और खाद्यान्न के रूप में मजदूरी का भुगतान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसलिए इस योजना का नाम 'काम के बदले अनाज' रखा गया। इसमें राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार धान प्रदान किया जाता था। छठी पंचवर्षीय योजना दौरान 1980 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) शुरू हुआ जिसने तत्कालीन 'काम के बदले अनाज' योजना को स्थानांतरित कर दिया। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी केंद्र और राज्य सरकारें पचास प्रतिशत की भागिदारी करती थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले बेरोजगार स्त्री एवं पुरूषों को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान कराना, टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण कर ग्रामीण बुनियादी ढ़ाँचे को

मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना और ग्रामीण गरीबों की आय के स्तर में लगातार वृद्धि करते हुए उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना था। ग्रामीण गरीबी को प्रत्यक्ष्य और विशिष्ट तरीकें से निपटने की दृष्टि से और भूमिहीनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 1980 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) की शुरूआत हुई। इस योजना के उद्देश्यों में, प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में सौ दिन के रोजगार की गारंटी देना, टिकाऊ संपत्ति का निर्माण कर बुनियादी ढ़ाँचे को मजबूती प्रदान कराना जिससे बढ़ती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने की बातें शामिल थी। यद्यपि, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित था और कार्यान्वयन राज्यों को सौंपा गया था। इस कार्यक्रम की यह विशेषता था कि, इसमें पिछड़े इलाकों में बेरोजगारी की भारी समस्या को देखते हुए वहां के भूमिहीन और कम वेतन प्राप्त करनेवाले मजदूरों को प्राथमिकता दि गई। इसलिए यह कार्यक्रम कमोबेश महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी योजना के तर्ज पर आधारित रहां है।

जो हो, रोजगार परक कार्यक्रमों की शुरूआत तो हो चुकि थी। लेकिन जिन ग्रामीण लोगों के लिए यह कार्यक्रम चलाये जा रहें थे उनकी सहभागिता अभी भी कम ही थी। इसलिए वेतन अथवा मजदूरी पर आधारित रोजगार योजनाओं के लाभों को अधिक समझने के लिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि, गांव के लोगों को ग्राम पंचायत के माध्यम से शामिल करना चाहिए। क्योकि, ग्राम पंचायत ही वह इकाई हो सकती थी जो पूरे गांव को इन योजनाओं में सक्रिय कर सकती थी। इसके लिए सरकार ने जवाहर रोजगार योजना (JRY) नामक योजना को नये दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया जिसमें मजदूरी पर आधारित रोजगारों के अवसरों को व्यापक विस्तार देना था। इस योजना का दृष्टिकोण था कि, वेतन आधारित रोजगार के अवसर को सभी गांवों तक ले जाया जाय। ताकि, मजदूरी की मांग करनेवाले सभी मजदूरों को उनके गांव के करीब ही काम दिया जा सकें। इसलिए इस नये दृष्टिकोण को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी स्थानिक ग्राम पंचायत को सौपी गई जो अपने आप में एक नयी बात थी। मजदूरी पर आधारित रोजगारों के अवसरों को व्यापक विस्तार देने के लिए इसमें पूर्व में कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP-RLEGP) का विलय किया गया। इस योजना के प्राथमिक एवं द्वितीय उद्देश्यों की ओर देखे तो, ग्रामीण इलाकों में व्याप्त बेरोजगारों को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार उत्पन्न कराना, ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष और निरंतर लाभ के लिए उत्पादक सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करना जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक बुनियादी ढ़ाँचा मजबूत होने का दृष्टिकोण शामिल था। क्योकि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होने से गरीबों की आय का स्तर न केवल

सुधरता है बल्कि, उनके जीवन स्तर में गुणात्मक रूप से वृद्धि भी होती है यह इस योजना की दृष्टि थी। यद्यपि, इस योजना की खासियत यह है कि, इस योजना में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के मजदूरों को वरीयता देते हुए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को लक्षित किया गया था और किसी भी हालात में, स्त्रीयों को कम से कम तीस प्रतिशत रोजगार प्रदान कराने तथा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सदस्य को साल में पचास से लेकर सौ दिन का रोजगार, निवास स्थान के करीब प्रदान करने की बात इसमें की गई थी। सड़क निर्माण, सिंचाई और अन्य आधारभूत संरचना का विकास करने जैसे कार्य इस योजना में आज भी किये जाते हैं। कृषि एवं खेती से जुडें हुए कामों की अनुपस्थिति में काम की आवश्यकता होने पर वर्ष के किसी भी महिने के दौरान इसमें काम किया जा सकता है और इन कामों को बाद में भी जारी रखने की सहुलियत इस योजना में है। प्रवसन को रोकना, स्त्रीयों के रोजगार को बढ़ाना और सूखा प्रभावित इलाकों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना इस योजना की विशेष परियोजनाएं हैं। रोजगार आश्वासन योजना (EAS) भी सभी वयस्क ग्रामीणों के लिए वेतन की आवश्यकता पर जोर देती हैं जो आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नया रूप लेकर सामने आयी थी। लेकिन, जवाहर रोजगार योजना का मूल्यांकन करने के बाद यह महसूस किया गया कि, गांव के बुनियादी ढ़ाँचे को स्थानिक आवश्यकता के आधार पर ही विकसित किया जा सकता है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्थानिक जरूरतों को पहचान सकती हैं। क्योकि, वही एक संस्था है जो जमीनी हकीकत के सबसे नजदिक है। इसलिए सरकार ने जवाहर रोजगार योजना को सुव्यस्थित और पुणर्गठित करने का निर्णय लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढ़ाँचे का विकास करने का निर्णय लिया और इस योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) के नाम से आगे बढ़ाया। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढ़ाँचे का विकास और खद्य सुरक्षा के साथ अतिरिक्त वेतन आधारित रोजगार पर जोर देने के लिए केंद्र सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में तब्दिल किया। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य भी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के समान था जिसमें, ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त मजदूरी पर आधारित रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण प्रदान कराना था। जो मजदूर अपने गांव और निवास स्थान के आसा-पास अपने हाथों से अकुशल काम करने के लिए तैयार हैं ऐसे सभी ग्रामीण गरीबों को इस योजना में लक्ष्य बनाया गया। इस कड़ी में, केंद्र सरकार द्वारा 2005 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (NREGA 2005) बनाया गया जो आगे जाकर 07 सितंबर 2009 में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MGNREGA) के नाम जाना गया।

मनरेगा सहित उपरोक्त सभी मजदूरी पर आधारित कार्यक्रम केंद्र सरकार की सहायता के साथ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये गये हैं जिनका उद्देश्य शारीरिक श्रम पर निर्भर रहनेवालें मजदूरों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान कराना और उसे बढ़ाना है। मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से एक के बाद एक लागू की गई योजनाओं की यह श्रृंखला राज्य एवं केंद्रिय स्तर पर सुनियोजित विकास को प्राप्त करने का आश्वासन भी देती हैं। लेकिन 'मनरेगा' समान विशेष योजना ग्रामीण रोजगार से संबंधित कानून का रूप लेकर स्थायी एवं सतत विकास का आश्वासन देती है और इन सभी योजनाओं के बरक्स विशेष स्थान प्राप्त करती है।

1.3 मनरेगा की आवश्यकता

सामान्यतः रोजगार के सीमित अवसर, असमान एवं कम मजदूरी अकुशल मजदूरों को अधिक प्रभावित करती है। जिसकी वजह से ग्रामीण श्रमशक्ति का स्थानांतर शहरों की ओर होता है। दूसरी ओर, गंभीर सूखे की स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी मजदूरी और रोजगार से संबंधित अवसरों को नष्ट करती है। इन सारी स्थितियों से न केवल बड़े बल्कि, छोटे एवं सीमांत किसान भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं जो मान्सून पर आधारित कृषि पर अपनी आजीविका चलाते हैं। क्योकि, वह भी गैर-कृषि मौसम के दरम्यान शारीरिक श्रम पर आधारित कार्यों से जुड़ें होते हैं और कुछ समय के लिए वहीं उनके आजीविका का साधन होता है। इसके अलावा, अकुशल मजदूर और सीमांत किसानों की आजीविका को प्रभावित करनेवाली कृषि से संबंधित आधुनिकीकरण और मशीनीकरण की प्रक्रिया है जो ग्रामीण कृषि से मानवी श्रम को बेदखल कर देती है। जिन बड़े किसानों के पास जोतने के लिए बड़े खेत है वह अब अपने खेतों में मशीन पर चलनेवालें साधनों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से अकुशल मजदूर को वहां कोई काम भी नहीं मिलता। इसके परिणाम से ग्रामीण भूमिहीन गरीबों की मजदूरी अर्जन करने की क्षमता तेजी से कम होती है। खासकर देश के पिछड़े जिलों में इस से संबंधित स्थिति अत्यंत गंभीर रही है। दूसरी ओर, आर्थिक सुधारों से संबंधित नीतियों का लाभ गरीबों के बजाय उन शहरी अमीरों को और बड़े किसानों को मिलता है जिनके ऊंपर ग्रामीण मजदूर की आजीविका निर्भर है। देश के शहरों की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी और न है। वहां भी मनरेगा के कार्यों को भिन्न दृष्टिकोण के साथ शुरू किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर अत्याधिक निर्भर तो करता ही है बल्कि, गरीबी को कम करने की संभावनाएं भी वहीं है। यद्यपि, ग्रामीण श्रम बाजार अल्पविकसित हैं, लेकिन इस अल्पविकसित श्रमबाजार को विकसित श्रम बाजार में परिवर्तित करने की क्षमता रोजगार की गारंटी देनेवाली योजना में हो सकती है। इस आधार पर वह स्थानीय

नियोक्ताओं के एकाधिकार को भी नष्ट कर सकती है। इस प्रकार, स्थानीय श्रम बाजारों में प्रतिस्पर्धा लाने से, रोजगार गारंटी की योजनाएं उन बाजारों के विकास में सहायता कर सकती हैं, जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वह रोजगार की मात्रा की परवाह किये बिना श्रम बाजारों में प्रतियोगिता की मात्रा को बढ़ा सकती हैं और नौकरी पाने की सरल संभावनाओं को प्रतिस्पर्धा में बदल सकती हैं। इस प्रकार, भुगतान की गई श्रम गतिविधियों में भाग लेने की लागत को कम करना, गरीब परिवारों के लिए वेतन को सुनिश्चित करने के साथ श्रम बाजारों की क्षमता को बढ़ाना किसी सुनिश्चित योजना का सकारात्मक योजना का पहलू हो सकता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर रोजगार की निरंतर एवं दीर्घकालिक गारंटी प्रदान करनेवाली योजना की आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर पर महसूस की गई। इसमें, ग्रामीण बेरोजगारी के मुद्दें को संबोधित करने के लिए किसी तदर्थ दृष्टिकोण के बजाय अधिक प्रामाणिक दृष्टिकोण को अपनाने का विचार सामने आया और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दें को व्यापक रूप में संबोधित कर सकें ऐसी कोई नयी योजना होनी चाहिए इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मंथन आरंभ हुआ। अंततः इस कमी को महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना ने पूर्ण किया। इसमें वि.एस. पागे और अन्य समाज सेवी संगठनों का मानना था कि, अकाल और सूखे के समय एक ऐसी योजना की आवश्यकता है जो ग्रामिण क्षेत्र में श्रम-उत्पादक संबंधित कार्यक्रम को गंभिरता से लेते हुए अतरिक्त रोजगार का अवसर प्रदान करें। महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा ने इस मांग को सर्वानुमति से स्वीकार करते हुए रोजगार गारंटी कानून पारित किया और जनवरी 1979 में उसे लागू किया। इसी अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की गारंटी देनेवाला कार्यक्रम बनना चाहिए इसके लिए कई संगठनों ने आवाज उठाई और यह मांग की कि, इस प्रकार के कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में आंरभ कर उनमें काम के अधिकार को शामिल किया जाय और उससे संबंधित कानून भी बनाया जाय। उनका यह मानना था कि, इस प्रकार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक रोजगार गरीबों को प्रदान होगा बल्कि, उससे ग्रामिण क्षेत्र की आर्थिक परिस्थिति में भी परिवर्तन होगा जिसके अंतर्गत ग्रामिण गरीब जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और आवश्यक माल के लिए बाजार में मांग का निर्माण होगा। ऐसे कार्यक्रमों से ग्रामिण क्षेत्र में व्यापक संपत्ति का निर्माण होगा जिसमें सड़क, तालाब, पानी की नहर (खासकर पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में लेकर बनने वाली संपत्ति) इत्यादि निर्मित होने से ग्रामिण क्षेत्र की उत्पादकता दिर्घ समय के लिए काम में आयेगी जिसमें सिधे तौर पर ग्रमिण जनता का हस्तक्षेप होगा और वह अपने निर्णय एवं हस्तक्षेप से विकास कार्य में शामिल होगी। इस मांग के पीछे राजस्थान में सूखा राहत उपायों का समृद्ध अनुभव और महाराष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया मनरेगा से संबंधित मूलभूत विचार था। अंततः तत्कालिन केंद्र सरकार ने इन दोनों विचारों का अनुसरण करते

हुए 'राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी ऐक्ट (NREGA)'नामक विधेयक 2004 में संसद में पेश किया और 05 सितंबर 2005 से वह देश में लागू हुआ। इस अधिनियम अर्थात 'मनरेगा' को लागू करने के पीछे दो वजह थी। पहली वजह का संबंध रोजगार को सामाजिक सुरक्षा के तहत सुनिश्चित करना था, तो दूसरी का संबंध रोजगार की योजना को अधिकार के ढ़ाँचे में संरक्षित रखना था। रोजगार को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का व्यापक कारण यह था कि, भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती असमानताओं के साथ तेजी से विकसित हो रहीं हैं, इसलिए मनरेगा द्वारा संसाधनों के पुर्नवितरण का ठिक से खयाल रखा जाय। इस प्रकार मनरेगा मजदूरी या वेतन आधारित रोजगार को प्रदान करनेवाली सुरक्षा योजना के साथ-साथ उत्पादक संपत्ति, महिला सशक्तिकरण, स्थानिय अर्थव्यवस्था को पुर्नजींवित करना, जमीनी संस्थाओं को मजबूत करना, स्थानांतरण को रोकना और पर्यावरण की रक्षा करते हुए काम के अधिकार को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण उपाय बनकर सामने आती है।

1.4 मनरेगा अधिनियम की प्रकृति एवं ध्येय

यह स्पष्ट है कि, ग्रामिण भारत की वृद्धि के बजाय देश अपने सपनों पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए यदि वृद्धि अथवा विकास में सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ उसका विस्तार करना है तो ग्रामिण क्षेत्र और गरीब ग्रामिण जनता के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा। वैसे भी किसी भी शहर के लिए उसकी संपत्ति का अकेला स्त्रोत गांव ही होता है। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि, उसी गांव के लोगों के पास न तो भोजन के लिए अन्न है और न ही कपड़ा और रहने के लिए घर है। इस कमी को पूरा करने के लिए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) को पहले चरण में, देश के 200 ग्रामीण जिलों में लागू किया गया (2 फरवरी 2006) और फिर 2007-2008 में अतिरिक्त 130 जिलों में विस्तारित किया गया। इसके बाद शेष जिलों को 01 अप्रैल 2008 से मनरेगा के तहत अधिसूचित किया गया। इस प्रकार, मनरेगा अब सौ प्रतिशत शहरी आबादी को छोड़कर पूरे देश को ढ़क देती है।

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) के तहत, सर्वप्रथम ग्रामीण परिवार के जो सदस्य अपनी स्वैच्छा के अनुसार शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है, ऐसे व्यक्तियों को इसमें एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन की मजदूरी प्रदान की जाती है। प्रकार का कानूनी अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों की न केवल आजीविका सुरक्षित करता है बल्कि, उन्हें सौ दिन का रोजगार प्रदान करने का न्यायिक दायित्व राज्य सरकार पर सौपता है। आवेदन करने के उपरांत भी, लाभार्थी को यदि 15 दिनों के भीतर श्रम आधारित कार्य प्रदान

नहीं किया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। योजना के अंतर्गत यह प्रावधान है कि, किसी भी स्थिति में, किसी भी मजदूर को, 181/- से कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। काम करने के बाद एक सप्ताह के भीतर अथवा ज्यादा से ज्यादा पंधरा दिनों के भीतर प्रत्येक श्रमिक को, समान रूप से, 192/- रूपये मजदूरी (न्यूनतम वेतन कानून 1948) को आवंटित करना अनिवार्य है जो दिहाड़ी के बजाय काम के स्वरूप के आधार पर दि जाती है। इसमें साठ प्रतिशत कार्य अकुशल तरीके से और चालिस प्रतिशत कार्य कुशल तरीकें से किये जाते है। जिला परिषद, ग्राम पंचायत और स्वयंसेवी संस्था के देखरेख में मनरेगा के कार्यों को पूर्ण किया जाता है और यही संस्थाएं कार्यों का नियोजन भी करती हैं। यद्यपि, कार्य के नियोजन में ग्रामसभा और ग्राम पंचायत की भागीदारी अनिवार्य है। मनरेगा के अंतर्गत गांव में कौनसे कार्य किये जाने चाहिए यह तय करने का अधिकार ग्रामसभा को है और कार्य करने के लिए इच्छुक परिवारों का नामांकण करना, उन्हें जॉब कार्ड (पांच वर्ष तक) प्रदान करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के ऊपर सौपी गई है। योजना में कार्यरत श्रमिकों एवं परिवारों को गांव से पांच किलोमिटर के भीतर काम देना अनिवार्य है और यदि उससे ज्यादा दूरी पर काम दिया गया हो, तो श्रमिकों को प्रतिदिन की मजदूरी से दस प्रतिशत ज्यादा मजदूरी देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। कार्य स्थल पर पीने के लिए पानी, प्राथमिक उपचार के साधन, महिलाओं और बच्चों के लिए धूप से बचने के लिए कनात इत्यादि साधनों का होना आवश्यक है। काम से संबंधित मजदूरों की हाजरी और सामाजिक ऑड़िट को समय-समय पर ग्रामपंचायत कार्यालय एवं अधिकारीयों द्वारा सरकार द्वारा तय किये गये माध्यमों में प्रकाशित करना आवश्यक है। इसमें पचास प्रतिशत काम पूर्ण करने की जिम्मेवारी भी ग्राम पंचायत पर सौपी गई है।

इस दृष्टि से, अकुशल श्रमिकों को समुचित और सम्माननीय जीवन शैली मूहैया कराना मनरेगा का मुख्य कार्यक्रम है। मनरेगा के उद्देश्यों में, उदेश टिकाऊ संपत्ति निर्माण करना और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों की आजीविका से जुड़े स्त्रोतों को मजबूत करना शामिल है। अर्थात, ग्रामीण इलाकों में स्थायी गरीबी को जन्म देनेवाले कारणों में सूखा, वन विनाश, मृदाक्षरण आदि समस्याओं को नष्ट करने के लिए स्वैच्छिक रूप से कार्य करने का विकल्प प्रदान करना, इस श्रम के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को मजबूत करते हुए ग्रामीण संपदाओं का संरक्षण करना तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना इस अधिनियम का ध्येय है। साथ ही, श्रम उन्मुख कार्य जैसे वर्षा जल संचयन, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, पारंपरिक जल-निकायों का नवीकरण, मिट्टी संरक्षण और भूमि पुनर्ग्रहण आदि कामों को मनरेगा के अंतर्गत गतिमान किया जाता है। स्त्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से दुर्बल घटकों का सशक्तिकरण करना मनरेगा के उद्देश्यों में शामिल है। योजना में,

किसी भी तरह से ठेकेदारों को कार्य निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी जाती। कार्यों से संबंधित खर्चों को क्रमश: 90:10 कें अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। मनरेगा की विशेषता यह है कि, इसमें कार्यरत कुल श्रमिकों में से, एक तिहाई महिलाओं को काम प्रदान करना अनिवार्य है। मनरेगा में, भागीदारी पर आधारित योजना निर्माण और विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन मूल विशिष्टताएं हैं और इसमें 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित किये जाते हैं। यद्यपि, मनरेगा एक माँग आधारित कार्यक्रम होने से कार्य के कार्यान्वयन के लिए धन की सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन दूसरी ओर, इस योजना कें अंतर्गत कुछ सुरक्षा उपाय भी दिये गये हैं जिनमें, मजदूरों के लिए बैंक खाते खोलना, जल संरक्षण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रूफिंग इत्यादि श्रम से संबंधित गहन परियोजना बनाना शामिल है। इसमें, ठेकेदारों की गैर मौजूदगी में साठ प्रतिशत धन राशी का भुगतान मजदूरों करना आवश्यक है ताकि व्यवस्था में वैधानिकता बनी रहे। जो हो, इस कानून में, देश के अत्याधिक वंचित क्षेत्रों में रोजगार के उच्च अवसरों का निर्माण कर बुनियादी मजदूरी को सुरक्षित करने की बात की गई है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्भरण करते हुए लोकतंत्र की परिवर्तनकारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। योजना के लाभों की आरे देखा जाय, तो अधिक महिलाओं को काम करने का अवसर दिये जाने पर अप्रत्यक्ष लाभ भी हो सकता है। इसमें, महिला श्रम शक्ति के उच्च स्तर की भागीदारी, कम मृत्यु दर और उच्च प्राथमिक स्कूल नामांकन बढ़ सकता है। ग्रामीण रोजगार के अवसरों को पूनः निर्माण करने से शहरों की ओर होने वाला पलायन कम हो सकता है। वहीं, रोजगार का अधिकार पारंपरिक रूप से वंचित समूहों को अधिक से अधिक सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकतें है कि, इस योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार प्रदान किया जाता है, उसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी के चक्र को तोड़ा जा सकता है और भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के अन्य निर्धारकों अधिकाधिक मजबूत किया जा सकता है।

1.5 मनरेगा का प्रभाव

गरीबी को समाप्त करने की बहस अब किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। यह बहस अब वैश्विक मुद्दा बन गई है। इस बहस की सबसे बड़ी बात यह है कि, इसमें, गरीबी को दैवि योजना के बजाय सामाजिक-आर्थिक घटना माना गया है। लोग यह समझने लगे हैं कि, गरीबी मनुष्य के स्वास्थ्य, उसकी क्षमता और उसके द्वारा निर्मित उपज पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ालती है और उसके व्यक्तिगत आय को प्रभावित करती है। गरीबी की वजह से ही, समाजका वंचित वर्ग जीवन के लिए आवश्यक भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अत्यल्प आवश्यकताओं

को पूर्ण नहीं कर पाता। यदि कोई परिवार या व्यक्ति अपने निर्वाह स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। बिलकुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में गरीबी को समाप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण किया गया। जिन लोगों की गरीबी मिटानी है उन्हें ही इन कार्यक्रमों में भागिदार बनाते हुए कभी प्रशिक्षण, अनुदान, काम के बदले अनाज और कभी काम के बदले नगद रूपया प्रदान कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया। इसमें, स्वयं-रोजगार और मजदूरी पर आधारित योजनाओं का योगदान महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं ने ग्रामीण इलाकों में व्याप्त उपयोगी श्रमशक्ति को संकिर्ण संगठित क्षेत्र और प्रतियोगिता पर आधारित असंगठित क्षेत्रों के बरक्स उत्पादक कार्यों की ओर मोड़ा और यह साबित किया कि, अकुशल श्रम भी इन दोनों क्षेत्रों के लिए पूरक भूमिका अदा कर सकता है। इस दृष्टिकोण की वजह से ही देश की गरीबी में भारी गीरावट हो सकी। आंकड़ों की ओर देखा जाय तो 1993-94 में जो ग्रामीण गरीबी 50.1 प्रतिशत थी वह 2011-12 में 25.7 प्रतिशत तक नीचे आयी और शहरों में 31.8 प्रतिशतसे घटकर 13.7 प्रतिशततक फिसली। सुरेश तेंदूलकर समिती के अनुसार भारत की गरीबी में 1993 से लेकर 2004 तक 17.89 प्रतिशत की गिरावट को दर्ज किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2011 में देश की 21.92 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी।[11] देश के राज्यों की बता की जाय, तो महराष्ट्र में 1993-94 के दरम्यान गरीबी का प्रमाण 49.0 प्रतिशत था जो 2011-12 में 17 प्रतिशत तक नीचे आया। इसमें ग्रामीण गरीबी का प्रमाण लगभग 25 प्रतिशत था। इन सब आंकड़ो से यह स्पष्ट होता है कि, 1973-74 में की गई रोजगार सृजन की पहल ने तत्कालीन गरीबी के प्रमाण (54.09 प्रतिशत) को 2004-05 में (27.5 प्रतिशत तक) और 2011-12 में 21.9 प्रतिशत तक नीचे लाया। गरीबी का इस प्रकार कम होना गरीबी को समाप्त करने की मन्शा को प्रतिदिन प्रोत्साहित करने वाला है और इसमें रोजगार से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं का हाथ है। जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास को लेकर मनरेगा में बजट एवं फंड़ की रकम बड़े पैमाने पर खर्च की गई है। वर्ष 2006-07 में 11300 करोड़, वर्ष 2011-12 में 40,100 करोड़, वर्ष 2015-16 में 34,699 करोड़, वर्ष 2018-19 में 61,084 करोड़ रूपये मनरेगा से संबंधित विभिन्न कार्यों में खर्च किये गये हैं। जहाँ तक बात महाराष्ट्र की है, वर्तमान समय में (वर्ष 2020-21) मनरेगा योजना राज्य के 34 जिलों में कार्यान्ति हैं और इस योजना कें अंतर्गत अब तक 94.94 लाख जॉब कार्ड़ जारी किये जा चुकें हैं। जिन लोगों को इसमें जॉब कार्ड़ के साथ काम दिया गया है ऐसे लोगों की संख्या 94.94 लाख हैं, जिसमें से, 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। मनरेगा को राज्य में 'रोजगार हमी योजना 'रोहयो'' के नाम से जाता है। 2006 के बाद की स्थितियों की ओर देखा जाय,

तो राज्य में मनरेगा पर वित्त वर्ष 2016-17 में 850 लाख, वित्त वर्ष 2017-18 में 800 लाख, वित्त वर्ष 2018-19 में 900 लाख और वित्त वर्ष 2019-20 में 1000 लाख रूपये खर्च किये गये। मनरेगा की स्थापना होने के बाद से ही जारी किये गये जॉब कार्ड़ की संख्या लगातार बढी है। 2006-07 में राष्ट्रीय स्तर जारी किये गये जॉब कार्ड़ की संख्या 3.78 करोड़ थी जो 2011-12 में 12.50 करोड़ तक पहुंची। उसी समय (वर्ष 2011-12) महाराष्ट्र में जिनकी उम्र अठराह साल से अधिक है ऐसे वर्ष 72 प्रतिशत स्त्री-पुरूषों के पास जॉब कार्ड़ थे और इनमें सबसे अधिक जॉब कार्ड़ अनुसूचित जाति के लोगों के पास थे। राज्य में वित्त वर्ष 2016-17 में 5.47 करोड़ व्यक्तिदिन का रोजगार निर्माण किया गया। 2014-15 यही संख्या 5.47 करोड़ व्यक्तिदिन थी। इसी वर्ष प्रत्येक परिवार को 53 दिन का औसत रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि, 2015-16 में 60 दिन और 2016-17 में 44 दिन का औसत रोजगार प्राप्त हुआ था। जहाँ तक राज्य की 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के रोजगार का सवाल है, वर्ष 2014-15 में 10 प्रतिशत, 2015-16 में 9.2 प्रतिशत और 2016-17 में 9 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हुआ। अनुसूचित जातियों के जिल लोगों को सौ दिन का रोजगार प्राप्त हुआ उनकी संख्या 9 प्रतिशत रहीं।[12] वर्तमान वित्त वर्ष (वर्ष 2019-20) में अनुसूचित जातियों के लगभग 10 प्रतिशतलोग मनरेगा में सक्रिय रूप से कार्यरत है। महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित बुलड़ाणा और वाशिम जिलों की मनरेगा के संबंध में तुलना की जाय तो, बुलड़ाणा जिले में, वर्ष 2018-19 में 30919 परिवारों को जॉब कार्ड़, 7873 परिवारों को रोजगार, 273383 लोगों को व्यक्तिदिन का रोजगार प्रदान किया गया। इसमें 467 परिवार ऐसे रहें है जिन्होंने सौ दिन का रोजगार भी पूर्ण किया है। वाशिम जिलें की बात करें तो, 2018-19 में ही, 22411 परिवारों को जॉब कार्ड़, 5266 परिवारों को रोजगार, 266421 लोगों को व्यक्तिदिन का रोजगार प्रदान किया गया। इसमें 672 परिवार ऐसे रहें है जिन्होंने सौ दिन का रोजगार पूर्ण किया है।[13]

जो हो, सार्वजनिक कार्यों के अंतर्गत रोजगार की गारंटी देनेवाली योजना की रूपरेखा बनाना और उसे लागू करना जटिलता से भरा हुआ कार्य रहा है। मनरेगा ऐसा ही एक सार्वजनिक कार्य है जो अपनी पूरी जटिलताओं के साथ इस कमी को पूरा करता है। कुछ ही वर्षों के भीतर इस योजना ने देश के पांच करोड़ से भी अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान किया है।[14] अर्थात कम से कम लागत में अल्पकालिक गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से यह योजना फायदेमंद साबित हुई है। दूसरी ओर, काम के बदले नगद रूपये में मिलने वाली मजदूरी ग्रामीण मजदूरों को इसकी ओर अधिकाधिक आकर्षित कर सकती है। इस जमीनी सच्चाई को जानने के लिए ही महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम (मालेगांव, मंगरूलपीर, रिसोड़) एवं बुलड़ाना जिलें में (मेहकर,

सिंदखेड राजा, लोणार) इस योजना का क्या प्रभाव रहा है यह जान लेना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध इसी प्रयोजन को लेकर किया गया एक प्रयास है जो अपने लक्ष्य को निम्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न करता है।

1.6 शोध का उद्देश्य

भारत स्वतंत्र होने के बाद समाजवादी दृष्टिकोण के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं में देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विकास और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके लिए देश तथा देश के ग्रामीण इलाकों में व्याप्त गरीबी को मिटाने के लिए ग्रामीण रोजगार से संबंधित स्वरोजगार तथा मजदूरी आधारित रोजगार की योजनाएं कार्यान्वित की गई। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले गरीबों की आय में वृद्धि करते हुए उनकी गरीबी को दूर करना रहा हैं। इसमें अनुसूचित जातियों की वह संख्या भी शामिल थी जो गरीबी की वजह से अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में फसी हुई थी। इसलिए इन जातियों को कुछ साधन प्रदान कर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इन योजनाओं का लक्ष्य रहा है। इसमें स्वतंत्र रोजगार खड़ा करने के लिए कर्ज, जमीन, अनुदान और पूंजि से संबंधित सहुलियत देना, तकनिकी शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल हासिल करने के लिए प्रशिक्षण देना, घर बंधवाना, स्वास्थ्य आदि सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करना, जहाँ बारंबार सूखा पड़ता है और जो प्रदेश खेतीबाड़ी की दृष्टि से बहुत कम विकसित है, वहां की अनुसूचित जातियों के परिवारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देनेवाला रोजगार उपलब्ध करना आदि योजनाएं शामिल हैं। इसलिए हम कह सकते है कि, इन सभी योजनाओं को उद्देश्य कृषि का न्याय वितरण करते हुए अनुसूचित जातियों के लोगों को संपत्ति निर्माण में सक्षम बनाना है। लेकिन इसमें यह बात भी सामने आती है कि, इन सभी योजनाओं से अनुसूचित जातियों के छोटे किसानों को कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ है।[15] इसलिए यह कहां जा सकता है कि, केंद्र हो या राज्य सरकार इनकी योजनाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए गये हैं, उनसें अनुसूचित जातियों के किसानों की उत्पादन क्षमता में कोई बेहतर सुधार नहीं हुआ है।

दूसरी बात यह है कि, अनुसूचित जातियों में जिन लोगों के पास स्वयं का व्यवसाय है उनका प्रमाण बहुत कम रहा है। इसलिए उनमें स्थानिक तौर पर खेतीबाड़ी में अथवा किसी जगह स्थानांतरण कर मजदूरी करनी पड़ती है। इसके परिणाम से उन्हें मिलनेवाला वेतन/मजदूरी अन्य जातियों की तुलना में कम होता है और वह बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार रहते हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह कहां जा सकता है कि, केंद्र अथवा राज्य की

सरकार की विभिन्न योजनाएं अनुसूचित जातियों के लोगों को दरिद्रता के कुचक्र से बाहर नहीं निकाल पायी हैं। नयी आर्थिक व्यवस्था के लागू होने के बाद और बाद की निरंतर बदलती हुई स्थितियों बावजूद इन जातियों के मजदूर, किसान, युवा, पढ़े-लिखे लोग और स्त्रीयों को इन योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है जो इन सभी को मध्यवर्ग में तब्दिल कर सकें। जहाँ तक ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले तमाम लोग और खासकर अनुसूचित जातियों के लोगों का सवाल है, उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और आजीविका का आधिकारिक मार्ग प्रदान करने के लिए मनरेगा समाज महात्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य ही ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को सौ दिन का रोजगार बहाल कर सामाजिक सुरक्षा एवं काम का अधिकार प्रदान करना है। इसमें यह स्पष्ट है कि, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग सबसे अधिक अकुशल है और जिनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं है ऐसे लोग केवल अनुसूचित जातियों के हैं। इसलिए जब से यह योजना क्रियान्वित हुई है तब से इस योजना का लाभ अनुसूचित जातियों के व्यक्ति एवं परिवार को कितना हुआ है यह देखना आवश्यक हो जाता है।

जहाँ तक बात महाराष्ट्र की है, यह राज्य औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में हमेशा ही आगे रहा है, और खासकर पश्चिम महाराष्ट्र का प्रदेश कृषि तथा औद्योगिकिकरण के मामले में राज्य के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सदैव प्रगतिशील रहा है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा तो रहा ही है बल्कि, औद्योगिकिकरण के मामले में भी वहां कोई बेल्ट निर्माण नहीं हो पाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र में गरीबी का प्रमाण सबसे कम अर्थात 09 प्रतिशत, मराठवाड़ा में 22 प्रतिशत और खांदेश तथा विदर्भ में सबसे अधिक 29 प्रतिशत है। पश्चिम महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबी का प्रमाण 10 प्रतिशत और कोकण, खांदेश तथा विदर्भ में यही प्रमाण 31-35 प्रतिशत दिखायी देता है। महाराष्ट्र की कुल आबादी में से, 20 प्रतिशत जनसंख्या विदर्भ में रहती हैं। इसमें से, करीब 29 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। विदर्भ के प्रत्येक व्यक्ति की आय लगभग 1673/- रूपये हैं। रोजगार और नौकरियों का प्रमाण मात्र 30-40 प्रतिशत है। निजि उद्योग का प्रमाण सिर्फ 12 प्रतिशत है। हालात यह है कि, विदर्भ के वाशिम एवं बुलड़ाना जिलें आज भी बेहतर कृषि उत्पादन और औद्योगिकिकरण के इंतजार में हैं। इन दोनों जिलों की बहुतांश जनता का उत्पादन का साधन मुख्यतः कृषि पर आधारित रहा है। अल्पसंख्यांक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के जिन 90 जिलों को अल्पसंख्यक के रूप में दर्ज किया है उनमें इन दो जिलों का समावेश होता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार और इंड़ियन कौन्सिल ऑफ सोशल रिसर्च द्वारा जो सर्वे (A Baseline Survey of Minority Concentration Districts of

India) किया गया है, उसमें वाशिम और बुलड़ाना जिले के संदर्भ में यह बताया गया है कि, वाशिम जिले की 85.05 प्रतिशत जनता गांव में रहती है तथा उसमें 90 प्रतिशत जनता खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है और वही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। इसमें अनुसूचित जातियों की संख्या 24.06 प्रतिशत है और इन दोनों जिलों की सिर्फ 01.00 प्रतिशतजनता ही औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसलिए वह सबसे अधिक वंचित, बेरोजगार और गरीबी के कूचक्र से घिरी हुई हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए, इन दोनों जिलों में, रोजगार की गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसके लिए जमीनी स्तर पर 'मनरेगा' को इन दोनों जिलों में तिव्र गति से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।[16] यह कथन स्पष्ट करता है कि, वर्तमान समय में, इन दोनों जिलों में अनुसूचित जातियों को जो रोजगार मिल रहा है उसमें अधिक रोजगार निर्माण करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि, वाशिम जिलें के मालेगांव, मंगरूल पीर, रिसोड़ और बुलड़ाना जिले के मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार यह ऐसे तहसिल है जिसमें अनुसूचित जातियों के सबसे अधिक लोग रहते हैं और वहीं सबसे गरीब भी हैं। अतः यह स्पष्ट है कि, 'मनरेगा' इन दोनों जिलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को ऊँपर उठाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। लेकिन इस प्रकार की योजना क्रियान्वित होने के बाद भी अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में किस प्रकार का बदलाव हुआ है यह अभी तक अस्पष्ट है। इसी वजह से इन दोनों जिलों में शोध की संभावना बढ़ जाती है। मनरेगा जैसी योजना क्रियान्वित होने के बाद इन दोनों जिलों के अनुसूचित जातियों पर इसका क्या प्रभाव-परिणाम हुआ यह इस शोध के द्वारा सामने आ सकता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि, इस शोध का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को समझना है। इसमें मनरेगा योजना के कारण उत्तरदाताओं को कितना रोजगार मिला, पारिवारिक और व्यक्तिगत तौर पर प्रति माह कितनी आमदनी प्राप्त की, निवास, घरैलू सुख-सुविधा, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, व्यावसाय, स्थानांतरण, सामाजिक एवं राजनीतिक समावेश, जमीनी मिलकीयत अथवा भौतिक सुख-सुविधा आदि में किस प्रकार का गुणात्मक बदलाव आया है यह इस शोध के माध्यम से स्पष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर वर्ष 2011-12 के बाद मनरेगा योजना का उत्तरदाताओं के जीवन पर क्या प्रभाव हुआ यह जांचने की कोशिस इस अध्ययन में की जायेगी और अंत में क्षेत्र के उत्तरदाताओं के जीवन स्तर को अधिक बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है इसका वाजिब जवाब प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा। शोध का स्वरूप वर्णनात्मक एवं मूल्यांकन पर आधारित होगा। इस शोध की विशेषता यह रहेगी कि, उपरोक्त दोनों जिलों में इस योजना को क्रियान्वित करते समय प्रत्यक्ष तथा व्यावहारिक तथ्य सामने आयेंगे और उसमें से कौण

से लाभदायक परिणाम इस योजना को गतिमान करने के लिए उपयोगि साबित हुए हैं, हो सकते है इसे सूझावओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा।

संदर्भ -

1. रीतिका खेड़ा -नंदिनी नायक - महिला मजदूर और राष्ट्रय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में धारणाएँ, भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष, सम्पादक: ज्यां द्रेज, सह-सम्पादक: कमलनयन चौबे, वाणी प्रकाशन और इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, 2017, पृष्ठ क्रमांक 211
2. http://mospi.in/sites/default/files/publication-reports/India-in-figures-2018-rev.pdf-Date - 30/08/2019
3. http://new.resurgentindia.org/indian-economy-at-the-time-0f-the-first-five-year-plan-1951/Date - 15/07/2018
4. http://mospi.nic.in/sites/default/files/Statistical-year-book-indiachapters/Five%20Year%20Plan%20writeup-O.Pdf, Date-04/09/2018 -
5. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/planrel/fiveyr/9th/voll/vlc2-1.htmDate-23/04/2018
6. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/aboutus/committee/wrkgrp12/wg-emp-planing.pdf Date-15/07/2018
7. भारतीय ग्राम श्रृंखल - 2, संपादक सुरिन्दर एस. जोधका, सह-संपादक कमल नयन चौबे, वाणी प्रकाशन, 1 जनवरी, 2019, पृष्ठ संख्या 118
8. Planning Commission: IV Five Year Plan,1969-74 Government of India, Delhi, 1970, p. 149, 432-433.
9. Government of India, Report of the Committee on Unemployment DHE and T, Ministry of Labour and Rehabilitation Vol I, New Delhi, 1973, pp 61-62
10. Dantawala, M.L. "Garibi Hatao-Strategy and Options" Economic and political Weekly, Vol. XX, No. 1 I, March (I 985), p. 43.

11. India In Figures 2018 http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication-reports/India-in-figures-2018-rev.pdfDate-19/11/2019 -

12. http://nregasp2.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state-code=18&state-name=MAHARASHTRADate-16/11/2018

13. http://nregasp2.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state-code=18&state-name=MAHARASHTRA Date-04/09/2018 -

14. Trivedi B.R.-Encyclopedia of NREGA and PanchayatiRaj-Neha Publishers &Distributors, Jaipur, 2011

15. सुखदेव थोरात - दलित निरंतर विषमता आणि दरिद्रता, सुगावा प्रकाशन, पुणे, मार्च 2012, पृष्ठ 53

16. 16.A Baseline Survey of Minority Concentration Districts of India-Washi, & Buldana (Maharashtra) Sponsored by Ministry of Minority Affairs Government of India &Indian Council of Social Science Researh, Institute for Human Development, NewDelhi, Date-05/03/2015

अध्याय दो

साहित्यावलोकन

अध्याय दो

साहित्यावलोकन

सभी शोध कार्यों में साहित्य का अवलोकन करना एक महत्वपूर्ण चरण है। साहित्य का अवलोकन करने से संबंधित विषय में, अतीत में किये गये शोध कार्यों की न केवल जानकारी मिलती है बल्कि, पहले किये गये कार्यों के दोहराव से भी बचा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि, विशिष्ट विषय पर विभिन्न विद्वानों ने जो शोध किये हैं, उनके बीच के अंतर को साहित्य का अवलोकन करने से पहचाना जा सकता है, और इन शोधकार्यों में कौनसी कमी रह गई है, इसे पहचानने की क्षमता शोधार्थी में विकसित होती है।

प्रस्तुत अध्याय में, ग्रामीण रोजगार सृजन से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005)' को लेकर विभिन्न शोधकर्ताओं और अध्ययनों द्वारा किये गये शोधकार्यो, दृष्टिकोण एवं निष्कर्षो को प्रस्तुत किया गया हैं, जो ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर मनरेगा के कारण होने वाले सामाजिक-आर्थिक विकास को स्पष्ट करते हैं। इन निष्कर्षो में, मनरेगा से संबंधित प्रत्येक विषय को स्पष्ट किया गया है, जिनमें योजनाओं को आरंभ करने की स्थिति, लागत, चुनौतियाँ, सफलता, मजदूरों का प्रवसन, घरैलू आय तथा रोजगार, अनुसूचित जाति, जनजाति और स्त्रीयों द्वारा मनरेगा में की जानेवाली भागीदारी और योजना का उनके ऊपर होने वाला प्रभाव आदि विषय शामिल हैं। अर्थात इन निष्कर्षो में, मनरेगा के कारण प्रभावित हुई कुल ग्रामीण आबादी का जिस प्रकार से विश्लेषण मिलता है, उसी प्रकार से अनुसूचित जातियों पर हुए प्रभाव का वर्णन भी दिखायी देता है, जो अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। यद्यपि, कुछ ऐसे अध्ययन और निष्कर्ष भी है जो केवल अनुसूचित जातियों को लेकर किये गये हैं और वह साहित्य का अवलोकन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए, यहाँ प्रस्तुत शोध के लिए आवश्यक दोनों प्रकार के शोध अध्ययनों, निष्कर्षो को शोध-सामग्री एवं तथ्यों के रूप में ग्रहण किया गया है जो अनुसूचित जातियों पर हुए मनरेगा के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को समझने में सहायता करते हैं। अतः मनरेगा से संबंधित जो साहित्य पुस्तक, जिल्द या खंड़, शोध प्रबंध, लेख, शोध पत्र, सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्रों में प्रकाशित विशेष लेखों में प्रकाशित हुआ है उनका उपयोग यहाँ मनरेगा की महत्ता, प्रभाव को जाँचने के लिए किया गया है और उसे साहित्यावलोकन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2.1 मनरेगा की महत्ता एवं प्रभाव से संबंधित साहित्य का अवलोकन

संकट चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय, सार्वजनिक कार्यक्रमों के द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लंबा इतिहास भारत में रहा है। सर्वप्रथम मोर्य सम्राट अशोक ने अपने विशाल क्षेत्र में फैले हुए साम्राज्य में समाज के लिए उपयोगी नगर, भवन, गोदाम, मनुष्य एवं प्राणियों के लिए अस्पताल, यात्रा तथा व्यापार के लिए आवश्यक जल एवं स्थल मार्ग, कृषि एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए कुएँ, पानी के तालाब, सिंचाई के लिए बांध, औषधीय पौधों का रोपण, संघाराम, विहार, इमारतों आदि का निर्माण कर लोगों की श्रमशक्ति को उत्पादक कार्यों में तब्दिल किया और उन्हें समाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। इसे हम आरंभिक मौर्य साम्राज्य की आर्थिक नीतियों में भी देख सकते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत वाणिज्यिक-व्यावसायिक संगठन, कृषि तथा कौषल आधारित उद्योगों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने की परंपरा को स्थापित किया था।[1] अतः भारत में स्थापित मौर्य साम्राज्य में, सभी धर्मों और वर्गों की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नती को प्राप्त करने के लिए राज्य को न केवल उदारता के आधार पर संचालित किया बल्कि, समाज के उपेक्षित लोगों के लिए दान-धर्म करने का आदेश देकर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई।

इसी प्रकार की योजनाओं को हम मध्यकाल के मुगल शासन और देशी रियासतों की प्रशासनिक भुमिकाओं में भी देख सकते हैं, जिसमें सार्वजनिक भलाई को महत्व दिया गया। आगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने 1793 के 'स्थायी बंदोबस्त' (Permanent Settlement) को लागू करके भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव लाया। ब्रिटिश प्रशासन, रेल, कारखाने, फौज, शिक्षा संस्था, संचार-व्यवस्था आदि क्षेत्रों को आधुनिकता के आधार पर खड़ा किया और समाज के निचले वर्ग तक को इन सब में प्रवेश प्रदान किया। साथ ही, भारत की शहरी गरीबी पर पहली बार विचार करते हुए ग्रामीण गरीबों की समस्या के लिए पिछड़ापन, छुवा-छूत के साथ 'भारतीयता' को जिम्मेदार ठहराया। अपने देश में गरीबों के लिए 'पूवर लॉ' बनाने वाले अंग्रेजों ने भारत में ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया, लेकिन वह अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम श्रमिकों के छोटे समूह के लिए 'सामाजिक सुरक्षा' की शुरूआत की। घातक दुर्घटना अधिनियम 1885 और श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 इसका उदाहरण है जो किसी भी समय होनेवाली दुर्घटना के बाद श्रमिकों को राहत पहुँचाने का काम करते थें। इन कानूनों की स्थापना के बाद भारत में, राज्य की कल्याणकारी यंत्रणा का संस्थानिकरण हुआ।

सार्वजनिक विकास की तिसरी कड़ी को हम स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों से समझ सकते हैं। इसमें, स्वतंत्रता के तुरंत बाद, सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण सार्वजनिक कल्याण की नीति को अधिक तिव्र गति प्रदान की गई। विकास के लक्ष्यों को संविधान के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों में शामिल किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान ने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक राजनीति के निर्माण का लक्ष्य सामने रखकर सार्वजनिक कल्याण का संस्थानिकरण किया। यही कारण है कि, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ-साथ संघीय राजनीति का जन्म हुआ, जिसमें भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ और ग्रामीण बुनियादी ढ़ाँचे को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा समवर्ती विषय के तहत संचालित किया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र की विकास योजनाओं को रेखांकित करने के लिए श्रीमति जयंती घोष द्वारा लिखे गये आलेख 'Social Policy in Indian Development' में वह बताती है कि, भारतीय संविधान में समाविष्ट नीति निर्देश सिद्धांत (अनुच्छेद 58) राज्य को यह निर्देश देते है कि, वह लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्था का निर्माण एवं सुरक्षा करें। इसमें, आजीविका से संबंधित पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य एवं शक्ति को सुरक्षित रखने, नाजूक उम्र के बच्चों के साथ होने वाले दुरूपयोग को रोकने, शोषण के विरूद्ध रक्षा करने, काम के अधिकार के साथ शिक्षा, बेरोजगारी के समय सार्वजनिक सहायता करने, कार्य स्थल एवं कार्यस्थल पर कार्यरत मातृत्व के लिए न्याय एवं मानवीय स्थिति निर्माण करने, 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के साथ कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल तथा पदोन्नती के अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ी गई है।[2] राज्य द्वारा इन सिद्धांतों के अनुसरण करने की पहल को हम राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप की भावना से समझ सकते है, जिसमें देश की जनता को गरीबी से मुक्त कराने के लिए विकास के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करने की दृष्टी शामिल है।

मनरेगा केवल एक योजना नहीं है। वह काम का अधिकार भी है, जिसे कानूनी रूप प्राप्त हुआ है। इसलिए यह योजना गरीबी उन्मुलन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो राज्य के सिधे हस्तक्षेप से सामाजिक न्याय प्रदान करने की मंशा को प्रकट करता है। इसके कई प्रमाण हमें मनरेगा से संबंधित प्रकाशित साहित्य से मिलते हैं। इस प्रकार के साहित्य में, मनरेगा की विशेषता, रचना, महत्व को रेखांकित करने के साथ-साथ मनरेगा के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव को मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्तर पर स्पष्ट किया गया है। इसमें कई ऐसे अध्ययन हैं जो किसी एक राज्य अथवा कई राज्यों को मिलकार राष्ट्रीय स्तर पर अपने अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इन अध्ययनों में, ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए आरंभ की गई मनरेगा योजना की विशेषताओं के साथ-साथ उससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ,

ग्रामीण रोजगार, मजदूरी, आय, कल्याण, पारिवारिक सुविधाएं, प्रवासन, कृषि, बच्चों की शिक्षा, अनुसूचित जाति और जनजातियों की भागीदारी और स्त्री सशक्तिकरण जैसे मुद्दें शामिल हैं। यद्यपि, इन मुद्दों को विस्तार से समझने से पहले, ग्रामीण गरीबी को मिटाने के लिए जिन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है, उसे समझना आवश्यक है और इस कमी को शिवकांत सिंह द्वारा लिखित[3] इस पुस्तक में, पहली से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की व्यापक चर्चा दिखायी देती है। लक्षित समूहों की पहचान और उनकी जरूरतों को रेखांकित करने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अस्थायी आयाम, अपनाएं गये उद्देश्य, और समय के साथ इन उद्देश्यों में किये गये परिवर्तन-सुधारों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में, गांव में रहने वाले परिवारों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रश्नावली से प्राप्त होती है, जो न केवल विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकण करती है बल्कि, लाभार्थियों की भागीदारी और योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली ऐजेंसियों का भी मूल्यांकण करने में सहायता करती हैं। इसी प्रकार जी. सत्यनारायन द्वारा लिखित पुस्तक में, ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किये गये प्रमुख सुधारों का वर्णन मिलता है।[4] इसमें ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधानों से लेकर ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत स्थापना, भूमि विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण ऋण और सहकारी समितियाँ, किसान क्रेड़िट कार्ड़, ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, परिवहन, ग्रामीण शिक्षा और प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय और ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले वंचित समूहों का सशक्तिकरण आदि विषयों का विश्लेषण मिलता है। कुलमिलाकर, उपरोक्त दोनों पुस्तकें ग्रामीण भारत को परिवर्तित करने के लिए जिन कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है उसका विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं।

ग्रामीण इलाकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी और दरिद्रता को कमजोर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने '15 सूत्रीय कार्यक्रम' के अंतर्गत राज्य में वर्ष1972 में 'रोजगार हमी योजना' का आरंभ किया था। इस योजना को शुरू करने के पीछे गांधीवादी कार्यकर्ता वि.एस. पागे की प्रेरणा थी, जो तत्कालिन समय में, महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहें थे। अतः सरकार द्वारा यह तय किया गया कि, इस योजना को सांगली जिले के तासगांव तहसिल में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, एकीकृत क्षेत्र विकास योजना के तौर पर कार्यान्वित किया जाय। इस योजना के महत्व को ध्यान में लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सन 1977 में एक अधिनियम पारित किया और उसके अगले ही वर्ष (1978) इसे कानूनी रूप प्रदान किया। योजना शुरू होने के दो साल बाद, योजना का विश्लेषण करते हुए वि.एस. पागे ने कहा था कि, इस योजना के कारण ग्रामीण मजदूरों के रोजगार में वृद्धि हुई हैं और कुछ हद तक

दरिद्रता में भी गिरावट आयी है। इसका अर्थ यह है कि, रोजगार सृजन और दारिद्रता का उन्मूलन करने के लिए यह योजना एक बेहतर स्थिति का निर्माण करती है।[5]इस बात को रेनॉल्ड़ और सुंदर द्वारा भी दोहराया गया। उनका कहना था कि, ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत सभी योजनाओं में रोजगार हमी योजना अधिक सक्रिय होने के साथ-साथ वह सभी छोटे और बड़े किसानों के बीच संपत्ति का वितरण करती है और इस योजना में दिया जाने वाला प्रतिदिन का वेतन कारगर सिद्ध हुआ है।[6] लगभग तिन दशकों बाद, नरेगा और रोजगार एवं उत्तरदायित्व की बहस पर विचार करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यांद्रेज़ मानते है कि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लोगों की अपेक्षाओं को जगाती है और लोग भी अब इस योजना से अधिक अपेक्षाएँ करने लगे हैं। लोगों की माने, तो इस योजना से लोगों की न केवल गरीबी दूर होगी बल्कि, भुखमरी भी खत्म होगी। शहरों की ओर होनेवाला पलायन रूकेगा और ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के अवसरों में वृद्धि होकर उपयोगी संपत्ति का निर्माण होगा। योजने के सकारात्मक परिणामों की ओर देखा जाय, तो इससे ग्रामीण शक्ति संरचना में समानता और पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण होगा।[7] एस. महेंद्र देव के अनुसार, ग्रामीण रोजगार से संबंधित कार्यक्रम गरीबी और भूख को कम करने के साधन हैं और यह योजना इसे पूरा करती है। इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों द्वारा कृषि श्रम बाजारों में प्रचलित भेदभावों को टाला जा सकता हैं। इसलिए, आरंभ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रवर्तित और बाद में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा जैसी योजना गरीबी उन्मूलन का एक दिलचस्प उदाहरण बनके सामने आती है।[8] एस.आर. सिंह मनरेगा से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करते हुए कहते है कि, मनरेगा का कानून रोजगार सृजन और काम के अधिकार को प्रभावी तरीकें से लागू करने का सबसे प्रभावी प्रयास है। इससे ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन होकर गरीबों के जीवन में क्रांति आ सकती है।[9]

सार्वजनिक कल्याण से संबंधित कोई भी कार्यक्रम क्यो न हो, वह सिधे तौर पर जरूरतमंद लोगों तक कम ही पहुँच पाता है। मनरेगा भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। सामान्यतः देश के सभी गांवों में, जिन जातियों के पास अधिकांश जमीन का हिस्सा होता है, जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से ताकतवर होती हैं, वह जातियाँ अपने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हितों को बरकरार रखने के लिए सामाजिक दृष्टि से निम्न तथा दुसरों पर निर्भर रहने वाली जातियों को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं। इसके लिए स्थानिक ग्रामपंचायतों का भरपूर उपयोग किया जाता है। इस संबंध में, रघवैंद्र झा का शोध बताता है कि, गरीबी उन्मूलन के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों पर किस प्रकार उच्च जातियों ने कब्जा कर लिया हैं।[10] लेकिन किसी भी योजना या कार्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी लक्षित व्यक्ति अथवा समूहों में जागरूकता पैदा करने के साथ पहुँचाई जाय, तो उक्त

योजना/कार्यक्रम की व्यवहारिक उपयोगिता बढ़ जाती है और संबंधित हितधारकों को उसका लाभ मिलता है। इसका उदाहरण हम के. हनुमंथा राव और भूषण अंबेड़कर के अध्ययन से मिलता है।[11] यह अध्ययन महाराष्ट्र के अहमद नगर, भंड़ारा, धुलियाँ, गड़चिरोली, नांदेड़ और यवतमाल जिलों के संदर्भ में किया गया हैं, जिसमें, मनरेगा के लिए आवश्यक पंजिकरण, जॉब कार्ड़, रोजगार सृजन के साथ-साथ मनरेगा की जानकारी संबंधित लाभधारकों तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई इसकी खोज की गई हैं। साथ ही, ग्रामीण स्तर पर मनरेगा में की जानेवाली भागिदारी, सामाजिक अंकेक्षण, अंतर-संस्थागत समन्वय और लाभाधारकों को ग्रामीण रोजगार की योजनाओं द्वारा मिलने वाला प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ इसका विश्लेषण भी इस अध्ययन में किया गया है। इस प्रकार, मनरेगा से संबंधित जानकारी उचित लाभधारकों के पास पहुँचाने का परिणाम हमें जे. घोष,[12] आर. एम. सुदर्शन,[13] ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय[14] द्वारा जारी किये गये रिपोर्ट एवं शोध कार्यों से मिलता है जिसमें, यह कहा गया है कि, मनरेगा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के मजदूरों की भागीदारी बढ़ी है और बढ़ती हुई मजदूरी के कारण इन जातियों की महिलाएँ भी मनरेगा के कार्यों में हिस्सा ले रही हैं। इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा हैं। इस संबंध में, ऐसे कई अध्ययन हैं जिन्होंने गरीबों के कल्याण में मनरेगा के प्रभाव की जाँच की हैं। कलाराणी रेंगास्वामी और बी. ससी कुमार के अनुसार ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक रूप से वंचित और सिर्फ खेती आधारित श्रम पर निर्भर रहने वाली आबादी मनरेगा के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई है।[15] अर्थात यह शोधदर्शाता है कि, ग्रामीण वंचित तबकों की मजदूरी को वृद्धित करने में, मनरेगा का बहुत बड़ा हाथ है। यद्यपि, मनरेगा के संदर्भ में, जे. घोष[16] जॉ द्रेज-रितिका खेरा[17] और आर. एम. सुदर्शन[18] इससे कुछ अधिक आशावादी निष्कर्षों प्रतिपादित करते हैं। उनके निष्कर्षों में यह कहा गया है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के अधिकांश गरीब रहते हैं और गरीबों में सबसे अधिक खेतीहर मजदूर शामिल हैं। भारत में, मनरेगा जैसे ग्रामीण सार्वजनिक कार्यक्रम प्रत्यक्ष रोजगार और रोजगार के सभी साधनों के साथ ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरीबी-विरोधी उपकरण के तौर पर सामने आते हैं और उनका प्रभाव मजदूरों की मजदूरी पर होता है। अतः मनरेगा के कारण मिलने वाली अतिरिक्त आय मजदूरों द्वारा किस प्रकार खाद्य सुरक्षा, आश्रितों की शिक्षा, स्वास्थ की देखभाल, घरों की सुविधाएं और टिकाऊ संपत्ति निर्माण करने में उपयोग में लाई जाती है। इसे प्रमाण सहित के. करीमुल्ला, पी. रामसुंदरम, कुमार शालंदर और सी. ए. रामा राव[19] द्वारा किये गये शोध में प्रस्तुत किया गया है। कीट्सत्क्रोन प्रिटोरिया एवं अन्य सहकर्मीयों द्वारा किया गया शोध भी इस बात की पुष्टि करता है। इस शोध में कहा गया है कि, मनरेगा में मिलने वाली अतिरिक्त आय मनरेगा में निहित श्रमदिन की संख्या और तुरंत उपलब्ध होने

वाले रोजगार का परिणाम है। यही ऐसी योजना है जो अपने से पूर्व आरंभ किये गये गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों से कही अधिक श्रमदिन और रोजगार का निर्माण करती है।[20] इसलिए जेकब नोमी ने वर्ष 2007-08 को मनरेगा का 'काम की अधिक माँग' करने वाला वर्ष कहा है।[21] बी.के. पटनाईक के अनुसार 'सौ दिन' का रोजगार प्रदान करने में मनरेगा सफल दिखायी देती है। उनके अनुसार ग्रामीण युवा वर्ग ने मनरेगा के कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया हैं और इसका उन्हें फायदा भी हुआ हैं।[22] एस.पी. सिंह और डी.के. नौरियाल ने इस सफलता को अधिक स्पष्ट करते हुए कहते है कि, ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा आय के मुख्य साधन के रूप में सामने आती है। मनरेगा में उन्हें किसी भी समय रोजगार का अवसर उपलब्ध होता है। इसलिए ग्रामीण मजदूरों को लगभग 80 प्रतिशत रोजगार मनरेगा के कारण मिलता है, और उसी के कारण ग्रामीण मजदूरों की आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[23] पी. साईनाथ के शब्दों में कहें, तो ग्रामीण गरीबी को मिटाने में और ग्रामीण उपेक्षितों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मनरेगा किसी जीवन-रेखा के समान कार्य करती है।[24] उसमें न केवल अकुशल मजदूर बल्कि, ग्रामीण स्तर छोटे-मोटे व्यवसाय करने वाला आम समूदाय मजदूरी करता है। इसलिए यह योजना आजीविका की समस्या को प्राथमिक रूप में पूरा करने का साधन बन जाती है।[25] यद्यपि, परिवारों का बड़ा आकार, स्थानिक रूप से काम की अनुलब्धता, श्रम अथवा कार्य दिनों की कम संख्या आदि कारणों से 'अभी मनरेगा द्वारा आशावादी चित्र निर्माण करना बाकी है' इसका संकेत बी.जी. हरीश एवं सहयोगी शोधकर्ताओं से मिलता है जिसमें उन्होंने मनरेगा की सफल स्थिति को कायम रखने के लिए और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए अतिरिक्त श्रमदिनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है।[26]

ग्रामीण स्त्रीयों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण मनरेगा योजना को प्रोत्साहित करना आवश्यक हो जाता है। रितिका खेरा कहती है कि, मनरेगा में काम करने वालें स्त्री एवं पुरूष सबसे वंचित समूहों से आते हैं। यह योजना उनके श्रम को भुगतान में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए इस योजना के प्रति ग्रामीण स्त्रीयों की स्वीकार्यता बढ़ी है। इस योजना में ग्रामीण महिलाओं को स्थानिक स्तर पर रोजगार उपलब्ध होता है, काम के घंटे नियमित और अनुमानित होते हैं। काम की स्थितियों में शोषण होने की संभावना कम है और वर्तमान स्थिति यह है कि, मनरेगा के काम को अब सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है और उसे प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। मनरेगा के कार्य अन्य काम की तुलना में बेहतर होने से और स्त्रीयों को पुरूषों के समान वेतन मिलने से ग्रामीण मजदूर स्त्रीयों का आकर्षण मनरेगा के प्रति बढ़ा है।[27] वेल हावोरेई तथा आनंदराज कुमार का मानना है कि, मनरेगा के कारण समाज में स्त्रीयों की आवाज को अधिक जोर से उठाया जा रहा है। जो महिलायें इस योजना में

काम करती हैं, उनकी आय का स्तर बढ़ा है। पैसों की बचत करना, घर की बुनियादी जरूरत और उपभोग संबंधी खर्च को तय करने जैसे पारिवारिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। दूसरी ओर, वह योजना के तहत काम करने के लिए ग्रामसभा की बैठक बूला रही हैं, तो कही योजना के कार्यों का निर्धारण भी कर रही हैं। इसलिए कुछ हद तक ही सहीं, लेकिन ग्रामीण विकास के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में मनरेगा कायोगदान स्वीकार योग्य है।[28] सी. पी. चंद्रशेखर और जयंति घोष तो यहाँ तक मानते है कि, मनरेगा में महिलाओं को मिलनेवाला वेतन पुरूषोंद्वारा प्राप्त औसत वेतन से थोड़ा अधिक है।[29] मनरेगा में महिला सहभागीता को लेकर किये गये यह सारे कथन इस योजना की सफलता को स्पष्ट करते हैं। क्योकि, आरंभ में, महिला सशक्तिरण जैसा मुद्दा योजना के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं था। बाद में इसे उचित प्रावधानों के जरीएं जोड़ा गया। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों के एक तिहाई महिला मजदूरों को कार्य प्रदान करना, उन्हें समान वेतन देना, कार्य स्थल पर महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए पालना-घर बनवाने जैसे प्रावधान अधिनियम में दिखायी देने लगें है। इसमें ग्रामीण महिलाओं को एक निश्चित तरीके से योजना का लाभ प्रदान करने की दृष्टि शामिल है। हम यह भी देखते हैं कि, घर से दूर केवल पांच किलोमिटर के भीतर रहते हुए काम करना, मनरेगा के कार्यस्थलों पर पर्यवेक्षक और ठेकेदार की अनुपस्थित होना, रोजगार और समय चुनने के मामले में मजदूरों द्वारा अपनाया गया लचीलापन महिलाओं से संबंधितन न होने के बावजूद भी इन प्रावधानों का लाभ उन्हें मिल रहा हैं और महिलाओं की बड़ी संख्या ने इसका लाभ भी उठाया है। राष्ट्रीय स्तर पर देखे, तो 2008-09 में 47.88 प्रतिशत, 2009-10 में 48.1 प्रतिशत और 2010-11 में 47.73 प्रतिशत महिलाओं ने मनरेगा के कार्यों में हिस्सा लिया है। इस आधार पर बलदेव सिंह नेगी का निष्कर्ष है कि, मनरेगा एक ऐसा हस्तक्षेप है जिसमें ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक संबंधों को सूक्ष्म-व्यक्ति के साथ-साथ व्यापक सामाजिक संबंधों तक को बदलने की क्षमता है।[30]

जो हो, अन्ततः यह स्पष्ट है कि, मनरेगा एक लोकप्रिय योजना के रूप में सामने आती है। इसके आरंभ होने के बाद से हर साल इसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ रहीं हैं। सामान्यतः मजदूरों की आय के स्त्रोत विभिन्न स्त्रोतों से आते हैं, जैसे कि, कृषि उपज, अकुशल मजदूरी, खेतीहर मजदूरी, किसी प्रकार का छोटा व्यवसाय आदि। शोध यह बाताते है कि, 52.3 प्रतिशत परिवारों में ऐसे अकुशल श्रमिक हैं जो अकुशल नौकरियों के लिए अपनी आजीविका का जोखिम उठा रहे हैं। मनरेगा के कारण कई परिवारों की घरेलू क्षमता जैसे साइकिल, रेडियो, सिलाई मशीन, बिजली का फिटिंग, पंखें आदि की खरीदारी करना या इन सुविधाओं का लाभ उठाने के अवसर अत्यंत कम समय में वह प्राप्त कर रहे हैं।[31] जी. रामचंद्रुडु और अप्पाराव का अध्ययन बताता है कि,

मनरेगा का आवास की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव दिखायी देता है। इसमें कच्चे घर पक्के घरों में बदल रहे हैं, प्रवसन में कमी आयी है, कृषि परिसंपत्तियों और घरेलू टिकाऊ वस्तूओं को लोगों द्वारा खरीदा जा रहा हैं। शोध अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं ने बैंकों से लिया ऋण चुकाया हैं। मनरेगा में मिलने वाले वेतन के कारण शिक्षा और स्वास्थ पर होने वाला खर्च बढ़ा है। पोषण के लिए आवश्यक अनाज, सब्जियाँ, तेल आदि को लोग खरीद रहें हैं।[32] रोजगार की स्थिति, आय, घरैलू पोषण की सुरक्षा, परिवार में प्रवासियों की संख्या, पशुधन संबंधित स्वामित्व, कृषि में कार्यरत व्यक्ति-दिनों की संख्या और मनरेगा में काम करने वालें सहभागीयों की श्रम आपूर्ति से संबंधित निर्णय का पता लगाने से संबंधित टी. सिवसक्थी देवी और उनके साथीयों के अध्ययन में मनरेगा में काम करने वाले और काम न करने वालें श्रम मजदूरों की तुलना की गई हैं। यह शोध बताता है कि, मनरेगा में काम करने वालें परिवार घरेलू आय को वृद्धित करने में सफल रहें हैं। इन परिवारों ने भोजन/पोषण के मामले में स्वयं को सुरक्षित किया हैं और वह दूध, चिकन, मछली जैसे अधिक मूल्य की उपभोग वस्तूओं पर खर्च कर पा रहें हैं। शहरों की ओर होने वाला प्रवसन भी मनरेगा के कारण कम हुआ है।[33] वही, अन्य अध्ययन में दर्शाया गया है कि, मनरेगा में, 2006 से लेकर 2014 तक लगभग 90 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड़ प्रदान किये गये हैं और इन परिवारों में से लगभग 35 प्रतिशत परिवारों ने रोजगार की माँग की हैं और उनमें से 98 प्रतिशत परिवारों को काम मिला हैं।[32] साथ ही, वर्ष2006-07 से 2014-15 तक लगभग 40 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और प्रतिवर्ष उन्हें काम भी मिल रहा है, जो देश में ग्रामीण घरेलू आबादी के 30 प्रतिशत के पास है।[34] जहाँ तक अनुसूचित जातियों का प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जातियों के लोगों को 3.78 करोड़ जॉब कार्ड़ प्रदान किये गये थे। वहीं, वर्ष 2013-14 में यह आंकड़ा बढ़कर 12.81 करोड़ तक पहुँच गया था। जहाँ तक रोजगार प्रदान करने की बात है, इन्हीं वर्षों में, 22.95 करोड़ (2006-07) से लेकर 50.27 करोड़ (2013-14) लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।[35] रोजगार सृजन और सामाजिक समावेशन की यह घटनाएं कस्बों और शहरों की ओर होने वाले प्रवसन को किस प्रकार प्रभावित करती है इसे देखना चाहिए। यह सभी जानते है कि, सामाजिक समावेशन स्थानिक प्राकृतिक संपत्ति को उत्पादकता में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अर्थात, प्रत्येक व्यक्ति में बसी श्रम शक्ति को यदि स्थानिक तौर पर ही उपयोग में लाया जाय, तो स्थानिक स्त्रोंतों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में, वह न केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है बल्कि, व्यक्तिगत संपत्ति निर्माण करते हुए कुशल श्रमिक में भी परिवर्तित हो सकता है। शहरों की ओर होने वालें प्रवसन को रोक कर मनरेगा ने इसे संभव बनाया है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार

का निर्माण कर स्वयं को सामाजिक सुरक्षा की योजना में तब्दिल किया है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि, स्थानिक ग्रामीण जीवन में अनियमित रोजगार, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण मजदूरों को नियमित वेतन नहीं मिल पाता। ऐसे में, पूरी तरह से कृषि मजदूरी पर निर्भर रहने वाले मजदूर आजीविका के साथ-साथ अपनी खाद्य सुरक्षा को भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन, पी. करीमुल्ला और उनके साथीयों का मानना है कि, मनरेगा में प्रदान किये गये रोजगार के असवरों के कारण ग्रामीण श्रमिकों के मौसमी प्रवासन में काफी कमी आई है।[36] अतः विभिन्न शोध-अध्ययनों में यह दिखायी देता है कि, मनरेगा जैसी योजना ने ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है और सामाजिक रूप से वंचितों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को काम के अधिकार के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सशक्त बनाया है। इन सब का यह परिणाम है कि, इस योजना में काम करने वाले अधिकांश मजदूरों की आय बढ़ी है और उसका उपयोग उन्होंने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने किया है जिसमें, भोजन, निवास, सस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल हैं। अधिक आंकड़ों की बात करें, तो देश के 89 प्रतिशत घरों में बिजली के कनेक्शन, 45 प्रतिशत लोगों के पास टेलिविजन और 40 प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फोन की सुविधाएं हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि, मनरेगा में प्राप्त होने वाली मजदूरी को लोगों ने अपने जीवन और उसकी गुणवत्ता (मूलभूत सुविधाएं) में सुधार के लिए उपयोग में लाया है जोकि, सामाजिक समावेशन और विकास का मुद्दा है।[37]जो हो, जमीनी स्तर पर विकास की योजना बनाना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने का कार्य मनरेगा द्वारा हो रहा है। इसमें 'सूचना का अधिकार' जैसा उपयुक्त औजार जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और सभी स्तरों पर पारदर्शिता का माहोल बनाकर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में सहायक सिद्ध होता है। मनरेगा के कारण ग्रामीन लोगों को न केवल रोजगार मिला है बल्कि, मनरेगा के कारण वह व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्तर पर उपयोगी संपत्ति का निर्माण भी कर रहें हैं। अंत में, हम यह कह सकते है कि, देश के सबसे गरीब दौ सौ जिलों में मनरेगा को लागू करना, प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार को सौ दिन का रोजगार बहाल करना, बेरोजगारों को भत्ता प्रदान करना और मनरेगा के कुल कामों में एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित करने जैसे प्रावधान 'काम के अधिकार' को यथार्थ में लाने में मनरेगा जैसी योजना का बहुत बडा़ हाथ है। इससे स्पष्ट है कि, मनरेगा जैसे कार्यक्रम की वजह से देश के ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है जिसे कोई नकार नहीं सकता।

2.2 मनरेगा की आलोचना से संबंधित साहित्य का अवलोकन

मनरेगा अन्य रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से एक अलग कार्यक्रम है। इसकी विशेषता का कारण इसका कानूनी ढ़ाँचा है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को आजीविका के लिए काम का अधिकार प्रदान करता है। इसमें, कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपने लिए काम की माँग कर सकता है और काम न मिलने पर बेरोजगारी का भत्ता भी प्राप्त कर सकता है। अतः मनरेगा काम की माँग करने से संबंधित संरचना है जिसमें सामाजिक अंकक्षेण प्राकृतिक रूप में ही सन्निहित है। गरीबी उन्मूलन से संबंधित पहले की योजनाओं के साथ मनरेगा की तुलना की जाय, तो यह बात सामने आती है कि, मनरेगा से पहले की योजनाओं में भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और पारदर्शिता का अभाव रहा हैं। खासकर ग्रामीण महिला सहभागीयों के रोजगार के संदर्भ में यह योजनाएँ उदास ही दिखायी देती हैं। परिणामतः गरीबी उन्मूलन की दिशा में वह कोई वांछित परिणाम नहीं दे सकीं। लेकिन मनरेगा ने सभी स्तरों के लोगों के लिए रोजगार का अधिकार प्रदान किया है। लोग इसमें अपने मन से किसी भी कार्य का चुनाव कर सकते हैं और काम के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थिति तथा बेरोजगारी के विरोध में सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस अर्थ में, मनरेगा में प्राप्त होने वाला रोजगार श्रमिकों के श्रम को मूल्य में परिवर्तित कर उसकी नगद अदायगी करता है और रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी देता है।[38] लेकिन यह आज की बात है। वर्ष 2005 से पहले या काम के अधिकार जैसा कानून लागू होने से पहले नरेगा पर कई सवाल उठाएँ गये हैं, उसकी कई तरह से आलोचना की गई है जिसे देखना आवश्यक है।

यह स्पष्ट है कि, गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में आवश्यक रोजगार सृजन और उत्पादन की वृद्धि करने के लिए किसी भी योजना का उद्देश्य प्रथमतः गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। एस. बागची का सवाल था कि, क्या ऐसी कोई बात नरेगा में शामिल है? क्या यह योजना उत्पादकता के लक्ष्यों को प्रभावित करते हुए प्रबंधन की समस्याओं को ठिक कर सकती है?[39] यदि नहीं करती है, तो उसे गरीब का उन्मूलन करने के लिए रोजगार सृजन और उत्पादन की वृद्धि की ओर ही ध्यान देना होगा। इस उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसका हल प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था कि, रोजगार सृजन और उत्पादन वृद्धि के लिए नरेगा में, योजना बनाने की उपयुक्त प्रक्रिया, निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है जो इसे संचालित करते समय पैदा होने वाली व्यवहारिक समस्याओं को हल कर सकती है। आलेख में उठाये गये यह सवाल लाजमी थे। क्योकि, प्रथमतः यह योजना महाराष्ट्र में लागू की गई थी, महाराष्ट्र के अधिनियम (रोजगार हमी योजना अधिनियम 1977) में ऐसा कोई

प्रावधान नहीं था जिसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई हो। इसकी आलोचना करते हुए यह कहा गया कि, प्रतिकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण ग्रामीण स्तर पर पैदा होने वाली गरीबी से छुटकारा पाने के लिए यह योजना कोई राहत कार्यक्रम नहीं दे सकती। इसलिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम गरीबी के मूल कारणों को नष्ट करने में असफल रहा है।[40] योजना की कड़ी निंदा करते हुए शोधकर्ताओं ने कहा है कि, जब तक अकुशल प्रतिभागियों को औपचारिक श्रम बाजार में अपनी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, तब तक रोजगार गारंटी योजना केवल सुखा राहत कार्यक्रम ही बनकर रहेगी।[41] अत:मनरेगा अवास्तविक धारणा और लघु दृष्टि पर आधारित है। इसलिए गरीबी कम करते हुए उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण और मुख्यधारा के रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रावधानों को मजबूत करने की सलाह दि गई।[42] 2005 में, जब मनरेगा से संबंधित अधिनियम की तैयारी चल रही थी, तब जॉ द्रेज़ ने अपनी तीन आशंकाओं के लेकर कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे। प्रास्तावित अधिनिय के फायदे और नुकसान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि, भविष्य में, मनरेगा तीन कारणों से संकट का समाना कर सकती है। इनमें, भ्रष्टाचार के कारण धन की बर्बादी होना, रोजगार गारंटी अधिनियम के कारण वित्तीय संकट पैदा होना और सरकार का अंतहीन मुकदमेंबाजी में फँसना शामिल है। क्योकि, पीड़ित मजदूरों के धारक अधिकारियों को अदालत में ले जायेंगे। इन बातों से निजात पाने के लिए प्रास्तावित अधिनियम का उद्देश्य वंचितों को सशक्त बनाना होना चाहिए और इसमें, संबंधित अधिकारियों से कर्तव्य की रक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों को शामिल करना आवश्यक है।[43] प्रकाश चंद्र देवघरिया ने इसी बात को उठाते हुए कहा था कि, यदि गरीबों तक प्रभावी तरीके से पहुँचना है, तो योजना के कार्यान्वयन में सुधार करना आवश्यक है।[44] इसके लिए प्रथमतः हमें उन जरूरतमंदों तक पहुँचना आवश्यक है जो ग्रामीण इलाकों में अपनी आजीविका के लिए काम की तलाश में रहते हैं। इसमें वह युवा श्रमिक शामिल हैं, जो कृषि क्षेत्र में काम करने के इच्छुक नहीं हैं। उनकी अनिच्छा कारण कृषि कार्यों में मिलने वाली कम मजदूरी है। दूसरी बात यह है कि, कृषि कार्य और मनरेगा के कार्य एक ही समय में चालू रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि, खेती में काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं मिलता। इसलिए उचित कार्यानुसूचि बनाना आवश्यक है जिससे कृषि में मजदूरों की कमी की समस्या कम हो।[45]

ग्रामीण मजदूर अपनी आय को खेतीहर मजदूरी, बेलदारी, माल ढुलाई आदि स्थानिक कार्यों के माध्यम से प्राप्त करता है। जहाँ तक मनरेगा में मिलने वाले वेतन-मजदूरी की बात है, आर.एस. बिरादर और उनके सहयोगियों द्वारा ठाणे और अकोला जिले में मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी के संबंध में अध्ययन किया गया था।

इस अध्ययन अनुसार वर्ष 2009 में न्यूनतम मजदूरी 68/- रूपये प्रतिदिन थी। मस्टर रोल में उपलब्ध प्रविष्टीयों के अनुसार, अध्ययनरत जिलों में दैनिक औसत वेतन 39/-रूपये से लेकर 199/-रूपए था। यह भिन्नता श्रमिकों द्वारा किये गये माप के मूल्यांकन के कारण थी। यह देख गया कि, औसत मजदूरी दर 2007-08 में 61/-रूपये से बढ़कर 2007-09 में 83/-रूपये हो गई। अधिकांश मामलों में, मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था और विलंबित भुगतान के लिए कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया था। मजदूरी के भुगतान में 15 दिन से एक महिने तक का समय लगा। कुछ मामलों में, यह एक महिने के बाद भुगतान किया गया। इन सब का कारण पुँछने पर यह बताया गया कि, मजदूरों ने समय पर पोष्ट ऑफिस में खाता न खोलने के कारण भुगतान में देरी हुई है। वर्ष 2008-09 में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, मनरेगा के वेतन में होने वाली देरी को रोकने के लिए वेतन का भुगतान बैंक या ड़ाकघर के माध्यम से किया जायेगा। इसमें पुरूष और महिलाओं के लिए कार्य की दरें समान थी। लेकिन फिर भी, अधिकांश गांवों में 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। कुछ लोगों को 15 दिन से लेकर दो महीने तक अपनी मजदूरी/वेतन की राह देखनी पड़ी। दूसरी ओर, अधूरें कामों का मूल्यांकन तो किया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। कुछ ऐसे भी मामले थे जिनमें काम की माँग करने पर न तो काम मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता मिला।[46] एक दशक बाद (2017) भी मनरेगा की दरों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इस वर्ष की संशोधित मजदूरी की दरों की ओर देखा जाय, तो मनरेगा की मजदूरी में मामूली रूप से वृद्धि हुई हैं जोकि, 201/-रूपये है। कई अन्य राज्यों की तुलना में यह नई दरें अभी भी कम है। हरयाणा में 259/- रूपये से लेकर 277/- रूपये तक संशोधित की गई हैं और ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।[47] जो हो, मजदूरी पर आधारित रोजगार आय का मुख्य स्त्रोत होता है और यदि वही ठिक से उपलब्ध न हो सकें, तो श्रमिक की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में, घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं के विरोध में सामाजिक मूल्यों का उपयोग करना, मनरेगा के बारे में महिलाओं को जानकारी न देना, कार्यस्थल पर बालकों के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान न करना, अवैध ठेकेदारों द्वारा मनरेगा पर कब्जा करना, उत्पादक मानदंड़ के सहारे भुगतान में देरी करना और कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं ने महिलाओं को भी मनरेगा में काम करने से रोका है जिससे परिवारों की आय पर असर पडा़ हैं।[48] दूसरी ओर, रोजगार और वेतन का स्त्रोत होकर भी मनरेगा प्रवसन को रोकने में नाकाम साबीत हुई है। लोग अधिक वेतन के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहें हैं।[49] वैसे भी, जिन लोगों के पास बड़े आकार के खेत हैं, जिनके पास अधिक पशुधन हैं वह मनरेगा में काम करने के अनुच्छुक हैं। दूसरी ओर, आय सृजन के मामले में, आधे से अधिक

महिलओं पर मनरेगा का कम प्रभाव हुआ है।[50] और यह बात मनरेगा के प्रति अनास्था जगाती है। विशेषज्ञों के अनुसार मनरेगा का शिक्षा और बाल-श्रम पर प्रतिकुल प्रभाव होने का संदेह भी है।[51] अतः कहा जा सकता है कि, गरीब, विशेष रूप से महिलाएँ, आज भी, अपने अस्तित्व के तीन दशकों बाद भी रोजगार और आय के लिए रोजगार गारंटी योजना पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं और बेहतर स्थितियों की राह देख रही हैं।

मनरेगा का कार्यान्वय भी मनरेगा के प्रति अनास्था का कारण बनता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसमें, कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी, घायल होने वाले श्रमिकों के लिए चिकित्साओं की कमी, जिला प्रशासन और स्थानिक पंचायतों के पास की धन की कमी, जमीनी सच्चाई की अज्ञानता, धन का उपयोग करने में पंचायतों का अपर्याप्त लचीलापन आदि ऐसे कारण है जो मनरेगा को ठिक से संचालित करने में दिक्कत पैदा करते हैं और इसमें महाराष्ट्र राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है।[52] श्री. दातार के अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में मनरेगा को कार्यान्वित करने वाली मशीनरी पंगु है। वह लोगों को मनरेगा के संबंध में शिक्षित करने, धन का प्रबंधन करने और आजीविका के साथ-साथ स्वयं की संपत्ति निर्माण करने के लिए लोगों को जागरूक नहीं करती।[53] 2006 से पहले जिस प्रकार का रोजगार इस योजना में सृजित होता था, उस स्तर का रोजगार आज निर्मित नहीं हो रहा है।[54] प्रोफेसर दिपक शाह के अनुसार भ्रष्टाचार और योजना खर्च के कारण मनरेगा आलोचना का शिकार बनती है, जो इस योजना को सफल होने नहीं देतें। महाराष्ट्र का अनुभव यह बताता है कि, यह आरोप अथवा आलोचनाएँ सत्य हैं। यद्यपि, संपत्ति निर्माण, जल-संभर, सूखे की रोकथाम, बड़े पैमाने पर होनेवाले स्थलांतर, कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग का समावेशन और व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों को संचालित करने में यह योजना कामयाब हुई है, लेकिन इस योजना की मुख्य समस्या रोजगार सृजन से संबंधित है। क्योकि, महाराष्ट्र के सभी जिलों में यह योजना पर्याप्त रोजगार प्रदान करने में असफल रहीं है। अधिकांश जिलों में व्यक्ति एवं परिवारों ने रोजगार के सौ दिन भी पूरें नहीं किये हैं। अबतक केवल 34 प्रतिशत लोगों के पास ही जॉबकार्ड हैं, और यह संख्या अत्यंत कम है। राज्य में उत्पादन के मापन का तरीका अनुचित होने के कारण कई जिलों में, मनरेगा के अंतर्गत दिया जानेवाला वेतन भी कम है। मजदूरों को भी अपनी मजदूरी-वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं दि गई है और स्वयं उन्हें भी इस बारे में पता नहीं है। विभिन्न प्रकार के कामों के लिए अलग-अलग इलाकों में भिन्न-भिन्न प्रकार का वेतन दिया जाता है। इसकी वजह से मजदूरों की सौदा करने की शक्ति कमजोर हुई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि, महाराष्ट्र में, व्यक्तिदिन के साथ-साथ परिवारों को आजीविका की पूर्ति करने के लिए आवश्यक रोजगार प्रदान करने में यह योजना अभी पूरी तरह कामयाब नहीं हुई है। समाज के सबसे नीचले

स्तर पर रहते हुए जिन जातियों के पास पर्याप्त आजीविका के साधन नहीं हैं, ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मनरेगा सफल नहीं है। जिस राज्य में यह आरंभ हुई उसी राज्य में इसकी सफलता का प्रतिशत अत्यंत कम है, यह बात इस अध्ययन से सामने आती है। इन सब दिक्कतों के बावजूद, अध्ययनकर्ता का यह मानना है कि, अन्य रोजगार कार्यक्रमों की तुलना में, मनरेगा एक बेहतर योजना है। यह श्रमिकों के बीच कौशल को सुधारने में सहायता कर सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को लेकर समन्वय स्थापित कर सकती है।[55] अतः राज्य हो या राष्ट्रीय स्तर, कार्य से संबंधित अपर्याप्त योजनाएँ, जॉब कार्ड का गलत इस्तेमाल, जॉब कार्ड पर प्रविष्टियों के लिए अपर्याप्त स्थान होना, 15 दिनों के निर्धारित समय में काम न मिलना, वेतन भुगतान में देरी, बेरोजगारी भत्ते का न मिलना, बुनियादी कार्य सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त स्टाफ, त्रुटिपूर्ण रिकार्ड, शिकायत निवारण तंत्र की कमी, ठेकेदारों की उपस्थिति, सूचना की अज्ञानता,[56] पहुँच और योजना के वितरण की कड़ी सही नहीं होना,[57] स्थानिक सवर्णों द्वारा मनरेगा पर कब्जा करना और उसका गलत उपयोग करना, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार,[58] ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के पास शिकायतों को दूर करने का कोई तरीका न होना यह सब ऐसे कारण हैं जो मनरेगा में निहित सामाजिक सुरक्षा के उपाय को कम करते हैं और उसे एक निष्क्रिय योजना बनाते हैं।[59] यहाँ जॉ द्रेज़ की सलाह यथार्थ बनकर उपस्थित होगी ऐसी आशा हम कर सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि, इन सब कारणों की वजह से, वंचित तबकें के लोगों में मनरेगा के प्रति उदासी का भाव जगता है और वह मनरेगा से संबंधित सूचना, जॉब कार्ड अथवा काम के अधिकार के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखातें। उनमें इतनी जागरूकता भी दिखायी नहीं देती कि, मनरेगा अधिनियम के तहत वह स्थानिक ग्राम पंचायत से काम की माँग कर सकते हैं जो उनका अधिकार हैं।

जो हो, शोध की दृष्टि से हमें यह बात ध्यान में लेनी होगी कि, आखिरकार महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों पर मनरेगा का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव रहा है और मनरेगा के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य क्या कहता है। इसमें आर.आर. गर्जे का कहना है कि, योजना का लाभ सामान्य वर्ग की महिलाओं को अधिक मिला है और सामान्य वर्ग की तुलना में, अनुसूचित जाति और जनजातियों के मजदूरों का काम करने का प्रतिशत बहुत कम है।[60] ऐसी स्थिति में मनरेगा और अनुसूचित जातियों के सबंध को लेकर तत्काल सवाल खड़ा होता है। प्रो. सुखदेव थोराट यह सवाल पुँछते है कि, क्या दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के परिवारों को भूक से आजादी दिलवाने का मनरेगा का उद्देश्य सफल हुआ हैं? यदि नहीं, तो हमें इसके कारणों की जाँच करनी चाहिए। सन 2011-12 से लेकर 2016-17 तक के आंकड़े दर्शाते है कि, महाराष्ट्र में, वर्ष 2012 में गरीब परिवारों

की संख्या लगभग 40 प्रतिशत थी। इसी वर्ष अनुसूचित जाति और जनजातियों के 75 प्रतिशत व्यक्तियों के पास जॉब कार्ड होने के बाद भी, उनमें से केवल 24 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिला। बाकी बचे 45 प्रतिशत लोगों (स्त्री एवं पुरूष) को काम मिला ही नहीं। जॉब कार्ड के साथ काम माँगने पर भी जिन लोगों को काम नहीं मिलता उनमें अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक 56 प्रतिशत हैं। इसी जाति के लोग रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा वंचित रहते हैं। प्रत्येक परिवार को सन 2014-15 में 53 दिन, 2015-16 में 60 दिन और 2016-17 में 44 दिन का औसतन रोजगार मिला।[61] ऐसे मजदूर थे जिन्हें सौ दिन का रोजगार मिला और बाकी बचे 88 प्रतिशत कार्ड धारकों को सौ दिन से कम का रोजगार मिला जिनमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति होन पर हम यह समझ सकते हैं कि, अनुसूचित जातियों के लोगों की आय क्या होगी। क्योकि, उनके हिस्सें में सन 2014-15 में 10 प्रतिशत, 2015-16 में 9.2 प्रतिशत और 2016-17 में केवल 9 प्रतिशत ही रोजगार आया। वहीं, महाराष्ट्र की जनसंख्या में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों में सर्वाधिक 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का ही प्रमाण है और उनके हिस्सें में केवल 10 प्रतिशत और उससे भी कम का रोजगार आता है। 2016-17 में अनुसूचित जातियों के जिन मजदूरों को सौ दिन का काम मिला उसका प्रमाण केवल 9 प्रतिशत था। अर्थात 90 प्रतिशत कार्ड धारकों को काम की जरूरत होने पर भी काम नहीं मिला। इसलिए प्रो. थोराट यह निष्कर्ष देते है कि, मनरेगा में अनुसूचित जातियों के मजदूरों को सौ दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी पूरी नहीं हुई है। अर्थात, अधिकांश मजदूर अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और बेरोजबार भी हैं।[62] लोकहित की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य में रोजगार गारंटी योजना का आरंभ हुआ था। यदि इस योजना का कार्यान्वयन/संचालन ठिक से होता, तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर आधे पेट और फांकें में नहीं जितें। ऐसे में सवाल यह उठता है कि, क्या इस प्रकार की स्थितियों को हम महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा जिलें में भी देख सकते हैं या वहाँ की स्थितियाँ कुछ अलग हैं। अर्थात,वाशिम और बुलड़ाणा जिले पर मनरेगा का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव रहा है। यद्यपि, इन सब सवालों के जवाब हमें आगे के विश्लेषण से ही पता चल सकते हैं। लेकिन साहित्य का अवलोकन हमें वह दिशा प्रदान करता है जो यह बताता है कि, प्रस्तुत विषय को लेकर अब तक क्या स्थितियाँ रहीं है, उनमें कौन सी कमी है और आगे शोध को किस दिशा में ले जाना चाहिए।

संदर्भ :

1. Majumder, R. C, The History & Culture of the Indian People, PP-671-683, Bharatiya Vidya Bhavan, 1974, Bombay
2. Social Policy in india Development Jayati Ghosh (Prepared for the UNRISD Project on Social Policy In a Development Context, November 2002. https;//www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/7EE225555155DC1256C77003CFAED/$file/ghoslong.pdf) I
3. Shiva Kant Singh (2002) – Rural Development And Programmes- Northern Book Centre, New Delhi, p. xxii
4. G. Satyanarayana (2005) – Rural Development and Poverty Alleviation in India: Policies And Programmes – Gaurav Book Centre, Delhi.
5. पागे, वि.एस. - रोजगार हमी योजने मागील भुमिका, लोकराज्य, माहिती व जनसंपर्क संचलनालय, मुंबई, दिसंबर,1975
6. Reynolds And Sunder-Maharashtra Employment Gurantee- A Programme to Emulate? Economic and Political Weekly, Vo. XII, July 16, 1977
7. Employment as a Social Responsibility- Jean Dreze, 22 November 2004, The Hindu
8. S. Mahendra Dev- (2005) India's (Maharashtra) Employment Guarantee Scheme:Lessons From Long – http://citeseerx.ist.psu.edu. Date : 20.07.2019
9. S. R. Singh- National Rural Employment Guarantee Act NREGA : Issues And Challenges, APH Publishing Corporation, New Delhi, 2013
10. Capture of anti-poverty programs: An analysis of the National Rural Employment Guarantee Program in India- Raghbendra Jha, Sambit Bhattacharyya Raghav Gaiha and Shylashri Shankar, Journal of Asian Economics, 2009, Vol. 20, Issue 4, 456-464
11. K. Hanumantha Rao & Bhushan Ambadkar – Planning And Implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme in Maharashtra : A Process Study-National Institute of Rural Development Rajaendranagar, Hyderabad. (2010)
12. Ghosh, J. 2009. Equity And Inclusion Through Public Expenditure: The Potential Of the NREGA. Progoti)
13. Sudarshan, R. M. 2011. India's National Rural Employment Guarantee Act : Women's Participation and Impacts in Himachal Pradesh, Kerala and Rajasthan. Sussex, Uk : Institute Of Development Studies (IDS)

14. NSSO (National Sample Survey Organisation), 2011. Employment and Unemployment Situation in India, 2009-10
15. Kalarani Rengasamy and B. Sasi Kumar (2011) – State Level Performance of MGNREGA in India : A Comparative Study – International Multidisciplinary Research Journal 2011, (10). PP. 36-40
16. Ghosh. J. 2009. Equity and Inclusion through Public Expenditure: the Potential of the NREGA. Progoti
17. Dreze. J. and R. Khera, 2011. The Battle for Employment Guarantee. In R. Khera a (Ed.), the Battle for Employment Guarantee New Delhi: Oxford University Press. Pp. 43-81
18. Sudarshan R. M. 2011. India's National Rural Employment Guarantee Act: Women's Participation and Impacts in Himachal Pradesh, Kerala and Rajasthan. Sussex, UK: Institute of Development Studies (IDS)
19. K. Kareemulla. P. Ramasundaram, Kumar Shalander, C. A. Rama Rao – Impact of National Rural Employment Guarantee Scheme in India on Rural Poverty And Food Security – (17/05/2013). Current Agriculture Research. 1 (1), pp. 13-28. https://hdl.handle.net/20.500.11766/5240
20. Kievetskroon Pretoria, Amelita king and Lourdes Kathleen Santos – Reducing Unemployment and Poverty – International Experiences and Proposals for the Expanded Public Works Programme". Conference Report, September, International Labour organization South Africa 2008, http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication_1113789. Pdf, Date-20 August 2020
21. Jacob Noomi, 2008). "The Impact of NREGA on Rural – Urban Migrative : Field Survey of Villupuram District, Tamilnadu." CSS Working Paper, pp 202, http://www.shram.org/uploadfile/20130227111510. pdf. Date-24 August 2020
22. Pattnaik. B. K. (2009), "National Rural Employment Guarantee Scheme : Some preliminary finding from hoshiarpur District". Kurushetra, April. pp. 35-40
23. Singh. S. P., Nauriyal D. K. (2009), "System and Process Review and Impact Assessment of NREGS in the State of Uttrakhand". Indian institute of Technology, Roorkee, Uttarakhand.
24. Sainath, P- "Thirty –Four Months with no income", The Hindu, 1/09/2009P.9

25. Garg Nidhi and H. R. Yadav (2010), "Socio-Economic Conditions of MGNREGA Workes in District Rewari-The MGNREGA', Research, Analysis and Evaluation, Vol.-Issue-May, 8, pp 58-59
26. Harisha. B. G,, Nagaraj. N. Chandrakantha, M.G. Shrikantha Murthya. P. S., Chengappac. P. G. and Basavaraj. G. (2011), "Impacts and Implications of MGNREGA on Labour Supply and Income Generation For Agriculture in Central Dry Zone of Karnataka" Agricultural Economics Research, Review Vol. 24 (Conference Number) pp 485-495
27. Khara Reetika and Nandini Nayak, (2009), "Economic and Political" Weekly, 24 October, Vol. XLIV, No. 43
28. Haorei Well and Anandaraj Kumar. P., (2010) "Impact of MGNRGEA scheme of rural women empowerment", Journal of extension and Research, Vol-X11, no.2, GRI, Jap. Pp 124-130
29. Chandrasekhar. C. P. and Jayati Ghosh, (2011), "Public Works and wages in Rural India", http://www.macroscan.org. Date- 15/07/2020
30. Negi Baldev Singh (2012), "An Assessment of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Implementation In Himachal Pradesh with Special Reference to Chamba District", Journal of Asian Research Consortium, Vol-2. Issue 2, pp 2223-228
31. Prasad. M. R.- "All- India Report on Evaluation of NREGA: A Survey of Twenty Districts"- Institute of Applied Manpower Research, Plot No. 25, Sector A-7, Narela Delhi-110040, December, 2008
32. Ramachandrudu, G. And Apparao – "A Study on the impact of Mahatma Gandhi national Rural Employment Guarantee Scheme of Rural livelihoods in Vizianagaram district', Department of Economisc, Andhra University, Visakhaptnam, Government of Andhra Pradesh, January 2011
33. T. Sivasakthi Devi, R. Balasubramanian And B. Ganesh Kumar- "Employment, Income And Lobour Supply Decision of Rural Hourseholds: An Economic Analysis of MGNREGS in Tamil Nadur", Agricultural Economisc Research Revies Vol.24, 2011
34. Rudra N. Mishra et al, Impact of National Rural Employment Guarantee Scheme in India on Rural Poverty and Food Security, Scheme in India on Rural Poverty and Food Security, 2014, Undertaken among beneficiaries of 20 Villages of Dungarpur District of Rajasthan, 5(1), INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND RESEARCH PUBLICATIONS, 2015

35. Usha Rani Ahuja et al, Impact of MGNREGA on Rural Employment and Migration: A Study in Agriculturally Backword and Agriculturally-advanced Districts of Haryana, 24, AGRICULTURE ECONOMICS RESARCH REVIEW, 2011
36. http:nrega.nic.in/netnrega/home.aspx and Ministry of rural development, government of India, Date 05 July 2020
37. K. Kareemulla, P. Ramasundaram, Shalander Kumar and C. A. Rama Rao (2014) – Impact of National of National Rural Employment Guarantee Scheme in India of Rural Poverty And Food Security- Current Agricultural Research Jouranal. http://www.agriculturejournal.org/volume1number1, Date- 12/01/2020
38. Dheeraj R. P. –A CRITICAL ANALYSIS OF THE MAHATAMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT (MGNREGA) Global Journal of Interdisciplinary Social Science (published by Global institute for Research and Education), Nov-Dec, 2017, https://www.longdom,org, Date – 07 November 2019
39. Kumar, Jitendra & Singh Atvir. "Role of Panchayati Raj Institution in the Implementatioan of MNREGA In Haryana", the Horizon-Journal of Social Science, Vol 3, No. 2, July, 2012
40. Bagchees S. (1984), "Employment Guarantee Scheme in Maharashtra" Economic and Political Weekly, Vol. 19 No. 37, Sept. 15, pp 1633-1638.
41. Aruna Kanchi, Divya Pandey, Maithreyi Krishnaraj – "Does EGS Require Restructuring For Poverty Alleviation And Gender Equality? I Concept, Design and Delivery System", (Special Articles) Economic and Political Weekly, Vol. 39, Issue No. 16, 17 April, 2004
42. Aruna Kanchi, Divya Pandey, Maithreyi Krishnaraj- "Does EGS Require Restructuring For Poverty Alleviation and Gender Equality? I Concept, Design and Delivery System" (Special Articles) Economic and Political Weekly, Vol. 39. Issue No. 16, 17 April, 2004
43. Indira Hirway-Providing Employment Guarantee in India: Some Critical Issues, Economic and Political Weekly, Vol. 39, No. 48m 27 Nov, 2004
44. Jean Dreze- "Employment Guarantee Act; Promise and Demise", Kurukshetra, Vol. 45, No. 5, May, 2005
45. Deogharia Prakash Chandra- "Right to Work and the Indian Experience" The India Society of Labour Economics, 51st Annual Conference, 11-13 Dec, 2009 pp. 148-149

46. Singh S. P., Nauriyal D. K. – "System and Process Review and Impact Assessment of NREGS in the state of Uttarakhand, 2009
47. Biradar. R. S., Arpita Sharma Pandey, Pandey. S. K., Rama Sharma., Tandel. R. D., Satish S. Kamat, Gajbhiye S. S. (2009), "A Study Report on appraisal of NREGA Programme in Thane and Akola districts of Maharashtra", Central Institute of Fisheries Education, Deemed University, ICAR, Fisheries University Road, Versova, Mumbai, pp 1-102
48. MGNREGA: Revised wage rates in Maharashtra still lower than other states-indianexpress, 21 March 2017, https://indianexpress.com/article/, Date- 05/04/2017
49. Khera Reetika – "The Battle for Employment Guarantee", Oxford University Press, pp 278. 2011
50. Usha Rani Ahuja, Dushayant Tyagi, Sonia Chauhan and Khyali Ram Chaudhari- "Impact of MGNREGA on Rural Employment and Migration: A Study in Agriculturally backward and Agriculturally –advanced Districts of Haryana" Agricultural Economics Research Review Vol. 24, 2011
51. Impact of MGNREGS on Income Generation : A Study of Women Workers in Chengannur, Kerala, December 2013, International Journal of Scientific Research 2(12): 118-122, https://www.researchgate.net/publication/259451490
52. https://www.livemint.com/news/india/indian-experts, Date- 25/11/2020
53. Poorest aria civil society, First Monitoring report- "Status of NREGA Implementation 2005-06", Development Alternatives, New Delhi, 2006
54. Datar, C. – Failure of National Rural Employment Guarantee Scheme in Maharashtra. Economic and Political Weekly, 3454-3457. 2007
55. Kajale Jayanti, Shraff Sangita- "Empolyment and Asset Creation Under MNREGA in Maharashtra: Reality & Lessons", Indian Journal of Agricultural Economics, Jully, 2011
56. Deepak Shah- Implementation of NREGA in Maharashtra : Experiences, Challenges and Ways Forward, Gokhale Institute of Politics and Economics, 05 January 2012, https://mpra.ub.unimuenchen.de/39270/1/MPRA_paper_39270. pdf
57. Shylashri Shankar, Raghav Gaiha and Rachbendra Jha- "Information and Corruption: The National Rural Employment Guarantee Scheme in India", ASARC Working Paper from Austialian National University, Australia South Asia Research Centre. 2010

58. Shylashri Shankar, Raghav Gaiha and Rachbendra Jha- "Information, Access and Targeting: The National Rural Employment Guarantee Scheme in India", Oxford Development Studies Vol. 39 issue 1, 2011
59. Patidar Bhurelal & Gupta Dinesh- "MNREGA Issues & Challenges", Golden Research Thoughts, Vol 2, Issue 3, September, 2012
60. Jean Dreze- "Employment Gurantee or Slave Labour", The Hindu Madurai-19 September 2019
61. Garje, R. R. –Indian Economic Reforms: Evaluation of NREGS in Nanded and Hingoli Districts of Marathwada Region in maharastra State. Variorum, Multi Disciplinary E-Research Journal, 1 (4), 1-17. 2011
62. प्रो. सुखदेव थोराट - रोजगार हमी – वचनपूर्तीपासून दूरच, लोकसत्ता, दिनांक - 16 नवंबर 2018

अध्याय तीन

अनुसंधान प्रविधि

अध्याय तीन

अनुसंधान प्रविधि

3.1 प्रस्तावना

किसी भी अनुसंधान को संचालित करने के लिए शोध-प्रविधि की आवश्यकता होती है। अत: शोध-प्रविधि के माध्यम से शोधकर्ता अपनी समस्या और उद्देश्य को तैयार कर अध्ययन अवधि के दौरान प्राप्त आंकड़ों से अपना परिणाम प्रस्तुत करते हैं। 'अनुसंधान अभिकल्प और कार्य प्रणाली' के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि, अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करने के अनुरूप अंत में अनुसंधान के परिणाम कैसे प्राप्त किए गए हैं। इसलिए अनुसंधान अभिकल्प और कार्यप्रणाली उन शोध विधियों की चर्चा करती है, जिनका उपयोग अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसमें अनुसंधान रणनीति से परिणाम प्रसार तक अध्ययन की अनुसंधान पद्धति शामिल है। अत: इसमें, अनुसंधान रणनीति, अनुसंधान अभिकल्प, अनुसंधान पद्धति, अध्ययन क्षेत्र, तथ्य या आकड़ो के स्रोत (प्राथमिक एवं द्वितीय तथ्य स्त्रोत) जनसंख्या विचार एवं नमूना आकार निर्धारण तथा कार्यस्थल की रूपरेखा तयार की जाती है। प्रस्तुत अनुसंधान मे इसी आधार पर प्रदर्शन माप नमूना निर्धारण, कार्यस्थल अवलोकन, प्रश्नावली के माध्यम से तथ्य संग्रह, विशेषज्ञों की राय, ड़ेटा संग्रह उपकरण पूर्व जाँच, माध्यमिक ड़ेटा संग्रह से प्राप्त तथ्य, प्राथमिक तथ्य संग्रह, नमूना निर्धारण तथ्य,विश्लेषण के तरीके, मात्रात्मक तथ्य विश्लेषण, तथ्य विश्लेषण सॉफ्टवेयर, तथ्य गुणवत्ता प्रबंधन, समावेश मानदंड़, नैतिक विचार आदि को अनुसंधान में प्रयुक्त अनुसंधान प्रविधियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

3.2 अनुसंधान का तर्क एवं योजना निर्मान में योगदान

मनरेगा पर किये गये अकादमिक अनुसंधानों का सुझाव यह है कि,इसने गरीबी, संकट से पलायन को कम करने और ग्रामीण मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा दिया है, इसमें विशेष रूप से निम्न जातियों और महिलाओं की संख्या बड़ी हैं, जो कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। वर्तमान अध्ययन मनरेगा की कार्यान्वयन प्रक्रियाओं और अनुसूचित जातियों की आजीविका एवं जिवन-यापन पर इसके प्रभाव को समझने का प्रयास करता है, जिसे महाराष्ट्र के वाशिम (मालेगांव, रिसोड़, मंगरूलपीर) और बुलड़ाणा (मेहकर, लोणार, सिंदखेड़ राजा) जिले में पूर्ण किया गया है। मनरेगा समान योजना रोजगार के पर्याप्त अवसर, पंजीकरण की प्रक्रियाँ, जॉब

कार्ड जारी करने और रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका को रेखांकीत करती है और यह भी स्पष्ट करती है कि, मनरेगा के कारण अनुसूचित जाति के परिवारों पर आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है। अत: मनरेगा के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पर किया गया यह शोध हमें संस्थागत तंत्र को समझने और उसे जाँचने में सक्षम करेगा। इस आधार पर,मनरेगा की समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर ढ़ंग से समझा जा सकता है और निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपायों को तैयार भी किया जा सकता है। इससे, न केवल परियोजना के कार्यान्वयन की समस्या को समझने में मदद मिलेगी बल्कि, भविष्य के लिए बेहतर नीति और रणनीति तैयार करने में सहायता भी होगी।

3.3 अनुसंधान शीर्षक

"महात्मा गांधी राष्ट्रीयग्रामिण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005(**MGNREGA 2005**) का अनुसूचित जातियों पर हुआ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम, संदर्भ महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम और बुलड़ाना जिले के संदर्भ में"

3.4 मूल अनुसंधान प्रश्न

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीयग्रामिण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005(**MGNREGA 2005**) का महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम और बुलड़ाणा जिले की अनुसूचित जातियों पर किस प्रकार का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव-परिणाम है?
2. अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जातियों के उत्तरदाताओं पर मनरेगा के कारण कौन से नकारात्मक एवं सकारात्मक लाभ हुए हैं ?

3.5 उद्देश्य

गरीबी और बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएँ हैं। कई अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि, भारत में अन्य गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों की तुलना में मनरेगा का 'रोजगार' के संबंध में जबरदस्त प्रभाव रहा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम (मालेगांव, रिसोड़, मंगरूल पीर) और बुलड़ाणा (मेहकर, लोणार, सिंदखेड़ राजा) जिलें के अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों पर मनरेगा का क्या

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव प्रभाव रहा है अथवा मनरेगा के कारण उनके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है इसका अध्ययन करना है। इस आधार पर अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (**MGNREGA 2005**) का महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम और बुलड़ाणा जिले की अनुसूचित जातियों पर हुए सामाजिक-आर्थिक प्रभाव-परिणाम का अध्ययन एवं जाँच करना।
2. संबंधित उत्तरदाताओं की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए मनरेगा के कारण उन पर हुए प्रभावों का पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति के रूप में तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. आयु, लिंग, जाति, धर्म, आवासी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ, उपलब्ध कृषि, व्यावसाय, प्रवसन, राजनीतिक सहभाग आदी कारकों को मनरेगा के प्रभाव के संबंध में (पूर्व एवं पश्च्यात स्थितियों के रूप में) तुलनात्मक रूप से रेखांकित करना।
4. मनरेगा के कारण हुए सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की ओर इशारा करना।
5. प्राप्त तथ्यों के आधार पर संबंधित अनुसंधान क्षेत्र में मनरेगा अर्थात 'काम के अधिकार' की वास्तविक स्थिति की चर्चा करना और मनरेगा से संबंधित सकारात्मक सुझावों को प्रस्तुत करना।

3.6 संक्षिप्त अवधारणा

3.6.1 मनरेगा: प्रस्तुत अनुसंधान में मनरेगा का तात्पर्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से है।

3.6.2 अनुसूचित जाति: प्रस्तुत अनुसंधान में अनुसूचित जाति केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों को ही सदर्भित करती है।

3.6.3 मनरेगा का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव-परिणाम

प्रस्तुत अनुसंधान में मनरेगा के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव-परिणाम का अर्थ अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित परिवारों की घरेलू सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ, पोषण, आय, व्यावसाय, प्रवसन, उपलब्ध जमीन आदी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से है।

3.6.4 उत्तरदाता: प्रस्तुत अनुसंधान में शामिल उत्तरदाता महाराष्ट्र राज्य के वाशिम एवं बुलड़ाणा जिले के निवासी हैं जो अनुसूचित जाति के हैं और मनरेगा के संबंध में उन्हीं को यहाँ संदर्भित किया गया है।

3.6.5 अनुसंधान का भौगोलिक क्षेत्र

प्रस्तुत अनुसंधान महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा जिले से संबंधित है। इसलिए अनुसंधान का क्षेत्र केवल इन दोनों जिलों से चयन किये गये तहसील और गावों तक ही सीमित है। अत: वाशिम जिले कुल छ: तहसीलों में से तीन (मालेगाँव, मगरूल पीर, रिसोड़) और बुलड़ाणा जिले के कुल तेरह तहसीलों में से तीन (मेहकर, सिंदखेड़ राजा, लोणार) ऐसे कुल छ: तहसीलों का चयन अनुसंधान के लिए किया गया है। इसके बाद प्रत्येक तहसील के पाँच गाँवों को अनुसंधान से संबंधित प्राथमिक स्त्रोत के रूप चुना गया है जिनकी संख्या कुल तीस (30) है। अत: जिला, तहसील और चयनित गाँवों की सूची निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है।

वाशिम जिला			**बुलड़ाणा जिला**		
तहसील			**तहसील**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
मालेगाँव	मंगरूल पीर	रिसोड़	मेहकर	सिदखेड़ राजा	लोणार
1. एरंड़ा	1. चिखली	1. गोहगाँव	1. अंजली बुद्रुक	1. गोरेगाँव	1. कोयाली
2. कलंबेश्वर	2. दस्तापूर	2. मसला पेण	2. उमरा देशमुख	2. मोहाड़ी	2. चोर पांगरा
3. नागरतास	3. धोत्रा	3. मोठेगाँव	3. कळपविहीर	3. सायाला	3. गुंजखेड़
4. मैरालड़ोह	4. बेलखेड़	4. मोप	4. जानेफळ	4. राजेगाँव	4. सुलतानपूर
5. वसारी	5. फलेगाँव	5. वाकद	5. लोणी गवली	5. शेंदूरजन	5. शारा

3.7 अनुसंधान प्रारचना

प्रस्तुत अध्ययन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 का महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा जिले की अनुसूचित जातियों पर हुए सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव-परिणाम पर केंद्रित है। यह अध्ययन सर्वेक्षण द्वारा पूर्ण किया गया हैऔर इसमें अनुसूचित जातियों पर हुएँ सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अनुभवजन्य अध्ययन तथा पूर्व एवं पश्चात स्थितियों की जाँच-पड़ताल शामिल है। यह अध्ययन तुलनात्मक,

वर्णनात्मक, अंशत: निदानात्मक होने की वजह से इसमें अनुसंधान की पूर्ती के लिए मात्रात्मक तथ्यों का उपयोग किया गया है जो इसे तुलनात्मक एवं मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करता है।

3.7.1 विश्लेषण इकाई

महात्मा गांधी राष्ट्रीयग्रामिण रोजगार गारंटी ऐक्ट **2005** के लाभार्थी जो अनुसूचित जातियों से आते हैं ऐसे लाभार्थी प्रस्तुत अनुसंधान की विश्लेषण इकाई हैं।

3.7.2 समग्र

इस अनुसंधान में, वाशिम और बुलड़ाणा जिले के चयनित तहसील और इन तहसीलों से चुने गये तीस गाँवों में रहने वाले अनुसूचित जाति के मनरेगा लाभार्थी शामिल है और इन्हीं लाभार्थीयों को मिलाकर प्रस्तुत अनुसंधान का विश्व बना है। अत: इस अध्ययन में केवल उन्हीं लाभार्थीयों को लिया गया है जिनका मनरेगा के अंतर्गत का पंजीकरण (जॉबकार्ड) वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक का है।

3.7.3 इकाई चयन

प्रस्तुत अनुसंधान की प्रकृति एवं स्वरूप विस्तृत एवं बिखरा हुआ होने से, प्राप्त स्थितियों में इकाई चयन के लिए जनगणना पद्धति के उपयोग के साथ, समय एवं संसाधनों की कमी को समझना मुश्किल रहा है। अत: प्रस्तुत अनुसंधान में इकाई चयन प्रतिदर्श पद्धति से किया गया हैं। जिसमें, जिले से गाँव तक के चयन में संभाव्यता प्रतिदर्श चयन के बहु चरणीय प्रतिदर्श चयन पद्धति का इस्तमाल हुआ हैं। साथ ही, इसमें साक्षात् प्रत्येक गाँव से प्रतिदर्श चयन हेतु गैर संभाव्यता प्रतिदर्श चयन पद्धति के उपलब्धता प्रतिदर्श चयन का उपयोग किया गया हैं। इसका कारण यह है कि, तथ्य संकलन के समय चयनयित प्रतिदर्श की उपलब्धता एक भिन्न समस्या बनकर उभरी है। अत: प्रतिदर्श चयन के चरण निम्न नुसार है-

3.7.3.1 प्रथम चरण : प्रथम चरण में महाराष्ट्र राज्य से दो जिलों का चयन किया गया है। यहाँ सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन का उपयोग करते हुए दो जिलों के चयन के लिए लोटरी पद्धति का उपयोग किया गया हैं जिसमें महाराष्ट्र के वाशिम आणि बुलड़ाणा जिलें शामिल है।

3.7.3.2 द्वितीय स्तर: द्वितीय चरण में चयनित प्रत्येक जिलों से तिन तहसील अर्थात दो जिलों के छ: तहसीलों का चयन किया गया हैं। यहाँ तहसीलों को अप्रमाणबद्ध स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन करने के लिए लोटरी पद्धति का उपयोग किया गया हैं। इसमें वाशिम जिले के मालेगाँव, मंगरूल पीर, रिसोड़ और बुलड़ाणा जिले के मेहकर, लोणार और सिंदखेड़ राजा यह तहसील शामिल है।

3.7.3.3 तृतीय स्तर : तृतीय चरण में प्रत्येक चयनित तहसील में से पाँच गावों का चयन अप्रमाणबद्ध स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन के रूप में किया गया है। अर्थात यहाँ कुल तिस गावों के चयन के लिए लोटरी पद्धति का उपयोग यहाँ किया गया है।

3.7.3.4 चतुर्थ चरण : चतुर्थ चरण में कुल चयनयित तिस गावों में से प्रत्येक गाँव से 10 उत्तरदाताओं का, अर्थात कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। यह चयन गैर-संभाव्यता प्रतिदर्श चयन पद्धति के उपलब्धता प्रतिदर्श चयन का उपयोग कर किया गया है।

3.8 तथ्य संकलन पद्धति एवं उपकरण

कोई भी अनुसंधान,विशेषत: जब वह भौगोलिक क्षेत्र से सम्बंधित हों, तब अनुसंधान की पूर्ति के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय ऐसे दोनों स्त्रोतों से संकलित तथ्य अनिवार्य होते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीय स्त्रोतों से संकलित तथ्यों पर निर्भर अनुसंधान से निष्कर्ष भी संतुलित ही पाए जाते हैं। प्रस्तुत अनुसंधान इससे अलग नहीं है। अत: इस अनुसंधान में, तथ्यों को प्राथमिक एवं द्वितीय ऐसे दोनों स्त्रोतों से संकलित किया गया है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है-

3.8.1 प्राथमिक स्त्रोत: तथ्यों का प्राथमिक स्रोत स्वयं शोधकर्ता द्वारा संकलित तथ्य है। प्रस्तुत अनुसंधान अनुभवजन्य अनुसंधान होने की वजह से इसमें प्राथमिक स्रोतों से तथ्यों का संकलन करना अनिवार्य रहा है और इसमें मनरेगा में कार्यरत अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों का अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया है। तथ्यों का संकलन करने के लिए अपनाई गई संरचित साक्षात्कार अनुसूची में 'मुक्त' और 'बंद' ऐसे दोनों प्रश्न शामिल है। साथ ही, मनरेगा में कार्यरत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर मनरेगा का

आर्थिक, सामाजिक, प्रवसन, शैक्षणिक, स्वास्थ, खानपान एवं राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव रहा है यह जाँचने के लिए यथा योग्य अनुमापन तंत्र विकसित किये गए हैं। निर्माण की गई संरचित साक्षात्कार अनुसूची का 10 प्रतिशत प्रतिदर्श पर पूर्व अध्ययन करते हुए उसे अंतिम रूप दिया गया है एवं अंत में वास्तविक तथ्य संकलन किया गया है। तथ्य संकलन की अवधी 01/07/2019 से 20/03/2020 तक की है।

3.8.2 द्वितीय स्त्रोत: द्वितीय स्रोत से प्राप्त होने वाले तथ्यों के बिना कोई भी शोध/अनुसंधान पूर्ण नहीं किया जा सकता और प्रस्तुत अनुसंधान इसमें कोई अपवाद नहीं है। अत: प्रस्तुत अनुसंधान में द्वितीय स्रोतों से प्राप्त होनेवाले तथ्य संकलन के लिए पुस्तकालय पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, सरकारी रिपोर्टों प्रकाशित होनेवाले तथ्यों को शामिल किया गया है।

3.8.3 तथ्य प्रसंस्करण

तथ्य प्रसंस्करण तथ्यों का एक सेट है जिसका उपयोग तथ्यों को इनपुट करने, पुनः प्राप्त करने, सत्यापित करने, स्टोर करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण या व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इसमें तथ्यों को संकलित करने और प्रयोग करने योग्य अथवा सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इसे तथ्य प्रसंस्करण कहाँ जाता है। यहाँ तथ्यों को ठीक से संसाधित करना महत्वपूर्ण है,जो निष्कर्षों पर होनेवाले नकारात्मक प्रभाव को रोकता है। तथ्य प्रसंस्करण अपने कच्चे रूप में तथ्यों के साथ शुरू होता है और इसे अधिक पठनीय प्रारूप (ग्राफ़, टेबल आदि) में परिवर्तित करता है, जिससे व्याख्या करना आसान हो जाता है। चूंकि, प्रस्तुत अनुसंधान में तथ्य पूरी तरह से संख्यात्मक हैं, इसलिए उनकी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम एस. पी. एस. एस.(S.P.S.S.) द्वारा की गई है। यहाँ तथ्यों को एक तथ्य पुस्तिका के आधार पर दर्ज करते हुए मुख्य तथ्यों को रेखांकन के माध्यम से समझाया गया है और संबंधित तथ्यों को एकल, द्वि, त्रि और बहु चर तालिकाओं में प्रदर्शित किया गया है। मनरेगा पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति को संदर्भित करने के लिए यहाँ द्वि चर एवं बहुचर तुलनात्मक सारणी का प्रयोग हुआ है और प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण न्यूनतम और अधिकतम के आधार पर किया गया है।

3.8.4 सांख्यिकी विश्लेषण

अनुसंधान में सांख्यिकी पद्धति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खासकर जब अनुसंधान संख्यात्मक रूप में हो तो सांख्यिकी पद्धति की भूमिका अधिक महत्वपूर्णहो जाती है। सांख्यिकी विधि अनुसंधान के ढ़ांचे के रूप में कार्य करती है। इसमें तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह स्पष्ट है कि, कई शोध अध्ययनों के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अपरिष्कृत तथ्य बनते हैं जिन्हें सही हद तक कम करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने से तथ्यों को आसानी से पढ़ा जा सकता है और विश्लेषण के लिए उपयोग में भी लाया जा सकता है। अत: तथ्यों को समझने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए संख्यांकीय तरीके आवश्यक हैं।

प्रस्तुत अनुसंधान में तथ्यों को संख्या में स्पष्ट किया गया है। अर्थात यहाँ उम्र, मासिक आय, भूमि की उपलब्धता, कुल वर्ष, कुल राशी के स्कोर और अन्य संबंधित तथ्यों को संख्या के रूप में संकलित किया गया है और उनका उपयोग केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए आवश्यक साधन के रूप में किया गया है। साथ ही, विचलन को जानने के लिए मानक विचलन की गणना भी की गई है। प्रस्तुत अनुसंधान का प्रतिदर्श गैर संभाव्यता प्रतिदर्श चयन द्वारा चयनयित किया गया है इसलिए अन्य सांख्यंकीय विधियों का उपयोग इसमें शामिल नहीं है।

3.9 अध्यायीकरण

अध्याय एक : भूमिका एवं सैद्धांतिक पृष्टभूमि

अध्याय दो : साहित्यावलोकन

अध्याय तीन : अनुसंधान प्राविधि

अध्याय चार : अनुसंधान क्षेत्र का संक्षिप्त सामाजिक एवं आर्थिक वर्णन

अध्याय पाँच: मनरेगा लाभार्थियों की स्थिति एवं विविध प्रभाव (पूर्व - पश्च्यात)

अध्याय छ: निष्कर्ष

3.10 अनुसंधान की सीमाएँ

प्रस्तुत अनुसंधान महाराष्ट्र के दो जिलोंके छ: तहसिल एवं तीस गाँवों में किया गया है। अत: प्रस्तुत अनुसंधान से प्राप्त होनेवाले तथ्य इन दो जिलों तक ही सिमित हैं। यद्यपी, अनुसंधान से प्राप्त होनेवाले तथ्य महाराष्ट्र स्तर पर सामान्यीकृत किये जासकते है, लेकिन अन्य राज्यों पर इसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। अत: यह कहाँ जा सकता है कि, अनुसंधान से प्राप्त तथ्य महाराष्ट्र तक ही सिमित है।

- प्रस्तुत अनुसंधान में केवल ३०० प्रतिदर्श लिए गए है। अत: प्राप्त तथ्यों को सैद्धांतिक विश्व पर सामान्यीकृत करने में बाधाए निर्माण हो सकती है।
- प्रस्तुत अनुसंधान केवल और केवल अनुसूचित जातियों तक ही सीमित है। इसलिए मनरेगा का प्रभाव केवल अनुसूचित जातियों पर ही जाँचा गया है। अत: इसका सामान्यीकरण अन्य जाति प्रवर्गो पर नहीं हो सकता।

3.11 सारांश

अनुसंधान सारांश अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रतिवेदन का अंश है जो कुछ संभावित दर्शकों के लिए अनुसंधान का वर्णन करता है। अनुसंधान सारांश की मुख्य प्राथमिकता पाठक को संपूर्ण अध्ययन का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान कराना है। अत: सारांश हो या निष्कर्ष इन दोनों का उद्देश्य पाठक के सामने अनुसंधान के महत्व को प्रस्तुत करना है। इस आधार पर सारांश केवल अनुसंधान में दर्शाए गये बिंदूओं का सारांश अथवा शोध समस्या का पुन:विवरण नहीं है बल्कि, अनुसंधान के प्रमुख बिंदूओं का संश्लेषण है। अत: प्रस्तुत अध्याय में अनुसंधान प्रविधि का सारांश प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है।

प्रस्तुत अनुसंधान का शिर्षक 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA 2005) का अनुसूचित जातियों पर हुआ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम, संदर्भ – महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा जिले के संदर्भ में है। यह अनुसंधान सर्वेक्षण द्वारा पूर्ण किया गया है। इसमें, मनरेगा के कारण उक्त क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के लोगों पर हुए सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अनुभवजन्य अध्ययन कर पूर्व एवं पश्चात स्थिति जाँची गई है। अत: प्रस्तुत अनुसंधान का स्वरूप तुलनात्मक है और प्राप्त

तथ्यों का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। प्राप्त स्थितियों को समझते हुए इसमें समाज कार्य हस्तक्षेप की संभावनाओं को शामिल किया गया है। इस आधार पर यह कहाँ जा सकता है कि, यह अनुसंधान मुख्यत: वर्णनात्मक एवं अंशत: निदानात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आता है। यद्यपि, अनुसंधान की पूर्ति के लिए इसमें केवल मात्रात्मक तथ्यों का ही प्रयोग किया गया है। इसलिए यह अनुसंधान केवल मात्रात्मक स्वरूप का है। स्पष्ट है कि, प्रस्तुत अनुसंधान सर्वेक्षण पद्धति पर निर्भर होने से पूर्णत: मात्रात्मक और तुलनात्मक होने के साथ मुख्यत: वर्णनात्मक तथा अंशत: निदानात्मक अनुसंधान अभिकल्प है।

इस अनुसंधान में, वाशिम और बुलड़ाणा जिले के चयनित तहसील और इन तहसीलों से चुने गये तीस गाँवों में रहने वाले अनुसूचित जाति के मनरेगा लाभार्थी शामिल है और इन्हीं लाभार्थीयों को मिलाकर प्रस्तुत अनुसंधान का विश्व बना है। अत: इस अध्ययन में केवल उन्हीं लाभार्थीयों को लिया गया है जिनका मनरेगा के अंतर्गत का पंजीकरण (जॉबकार्ड) वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक का है। प्रस्तुत अनुसंधान के विश्व को समझते हुए, इसमें जिले से गाँव तक के चयन में संभाव्यता प्रतिदर्श चयन के बहुत चरणीय प्रतिदर्श चयन पद्धति का उपयोग किया गया है। चुँकि, तथ्य संकलन के समय चयनित प्रतिदर्शकी उपलब्धता में समस्याएँ सम्मिलित होने से इसमें साक्षात् प्रत्येक गाँव से प्रतिदर्श चयन हेतू गैर-संभाव्यता प्रतिदर्श चयन पद्धति का उपयोग किया गया है। जो हो, प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए एक संरचित साक्षात्कार अनुसूचि उपयोग में लाई गयी है और संबंधित अनुसंधान क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद इस संरचित साक्षात्कार अनुसूचि के आधार पर 01 जून 2019 से 20 मार्च 2020 तक के समय में तथ्यों का संकलन किया गया है। इसके बाद, द्वितीय स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले तथ्यों का संकलन करने के लिए पुस्तकालय पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसमें विभिन्न पुस्तक, शोध-आलेख, सरकारी रिपोर्ट, समचार-पत्रों में प्रकाशित मनरेगा से संबंधित सूचनाएँ आदि का समावेश हैं। प्राथमिक स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों का प्रसंस्करण करने के लिए कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम एस. पी. एस. एस. (S. P. S. S.) का प्रयोग किया गया है और प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के स्वरूप एवं प्रकृति को समझते हुए, इसमें केंद्रित प्रवृत्ति का मानक विचलन का उपयोग भी किया गया है।

अध्याय चार

अनुसंधान क्षेत्र का संक्षिप्त सामाजिक एवं आर्थिक वर्णन

अध्याय चार

अनुसंधान क्षेत्र का संक्षिप्त सामाजिक एवं आर्थिक वर्णन

पूर्व में बेरार (वराड़) प्रांत के नाम से पहचाने जाने वाला इलाका आज 'विदर्भ' के नाम से जाना जाता है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है। इसमें, नागपुर और अमरावती यह दो विभाग शामिल हैं। अमरावती विभाग में अमरावती, अकोला, बुलड़ाणा, यवतमाल और वाशिम जिले का समावेश होता हैं जिनकें कुल छप्पन तहसिल हैं। अनुसंधान की दृष्टि से यहां केवल वाशिम और बुलड़ाणाजिले के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा अनिवार्य है। अतः यहां हम अनुसंधान में शामिल अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक मूल रूपरेखा की चर्चा करेंगे जो वाशिम और बुलड़ाणा जिले के तहसीलों में निवास करती हैं। इसमें, वाशिम जिले के मालेगाँव (एरंडा, कळंबेश्वर, नागरतास, मैराल डोह, वसारी), मंगरूळ पीर (चिखली, दस्तापूर, धोत्रा, बेलखेड़, फळेगाँव) एवं रिसोड़ (गोहगाँव, मसला पेण, मोठेगाँव, मोप, वाकद) और बुलड़ाणा जिले के मेहकर (अंजनी बुद्रुक, उमरा देशमुख, कळप विहीर, जानेफळ, लोणी गवळी), सिंदखेड़ राजा (गोरेगाँव, मोहाडी, सायाळा, राजेगाँव, शेंदूरजन) और लोणार (कोयाळी, चोर पांगरा, गुंजखेड़, सुलतानपूर, शारा) तहसीलों से चयनित किये गये पंधरा तहसीलों से चयनित पंधरा अर्थात ऐसे तीस गाँवों का समाज-आर्थिक वर्णन किया गया है। इस समाज-आर्थिक विश्लेषण में उपरोक्त दोनों जिलों, तहसीलों और तीस गाँवों की धार्मिक, जातिगत एवं उपजीविका से संबंधित विभिन्न कर्यों में कार्यरत जनसंख्या का विश्लेषण बुनियादी सुविधाओं की सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर किया गया है जो द्वितीयक सामग्री और विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर इकट्ठा किये गये हैं। यहाँ नक्शा संख्या एक (1) महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाना जिले को दर्शाती है।

4.1 वाशिम जिले का संक्षिप्त समाज-आर्थिक वर्णन

वाशिम जिला महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में पश्चिम दक्कन की पठारी पहाड़ी पर बसा है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र 5,150km^2 वर्ग किमी है। इस जिले की उत्तर दिशा में अकोला, पूर्व में अमरावती और यवतमाल, दक्षिण में हिंगोली और पश्चिम दिशा में बुलड़ाणा जिला है। जिले की मिट्टी ज्वालामुखी जाल की चट्टानों से बनी है, इसलिए जिले का मध्य भाग और मंगरूपीर तहसील का उत्तर भाग समृद्ध काली मिट्टी से घीरा हुआ है। जिले की मिट्टी को मध्यम (72.4 प्रतिशत), काली उपजाऊ (10.6 प्रतिशत) और उथले रूप से कम उपजाऊ वाली काली जमीन (17.0 प्रतिशत) के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः जिले के 73.3 प्रतिशत भौगोलिक

नक्शा संख्या : १

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा जिला

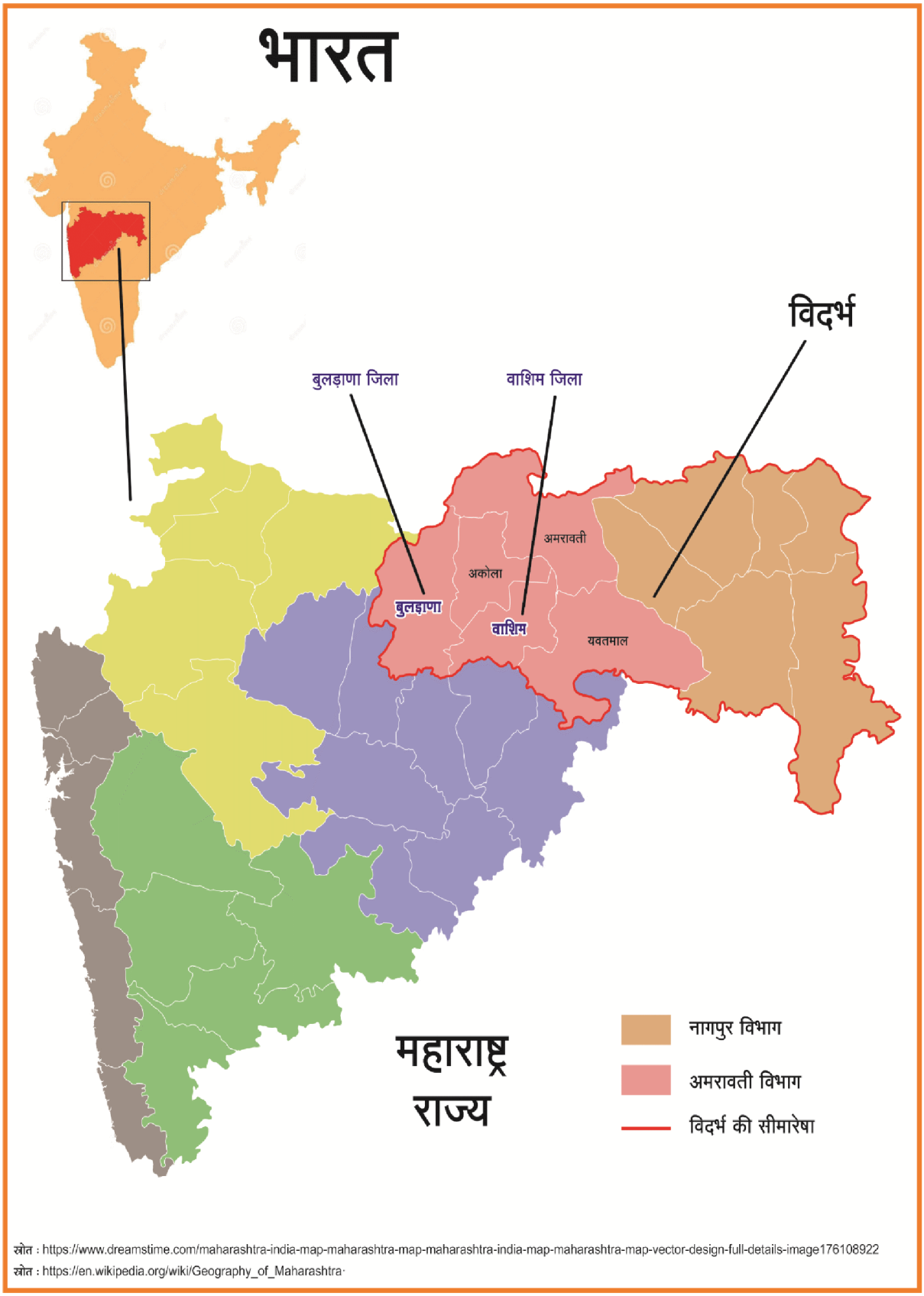

स्रोत : https://www.dreamstime.com/maharashtra-india-map-maharashtra-map-maharashtra-india-map-maharashtra-map-vector-design-full-details-image176108922

स्रोत : https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Maharashtra·

हिस्से पर बुआई की जाती है (महाराष्ट्र 56.8) और सकल सिंचित क्षेत्र के 5.0 प्रतिशत हिस्से पर फसल ली जाती है जो राज्य (महाराष्ट्र17.8) के प्रतिशत से अत्यंत कम है।[1] और शेषकृषि गतिविधियाँ बुलड़ाणा जिले के समान जून से सितंबर की अवधी के दौरान होने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर है।

भौगोलिक दृष्टि से वाशिम जिला तापी, पुर्णा घाटी, दक्कन पठार के हिस्सों को स्थापित करता है जिसे अजंता की पहाड़ी (मालेगाँव और मंगरूळपीर तहसील), पालड़ी घाटी (मानोरा तहसील), वाशिम पठार (वाशिम, रिसोड़, मालेगाँव, मंगरूलपीर और मानोरा तहसील) और उत्तर-पूर्वी भाग में पयांग घाट के मैदान में स्थित बेम्बला बेसीन (कारंजा तहसील) में विभाजित किया जा सकता है। जिले में पानी के प्रमुख स्त्रोतों में अरूणावती, पैन गंगा और मोरना यह तीन नदियाँ है और जल स्त्रोत के रूप में भूजल प्रमुख स्त्रोत है। वाशिम पठार खरीफ की फसलों और विशेष रूप से दलों को उगाता है। गेहूं, सोयाबीन तथा अन्य रबी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। पयांग घाट के मैदानों वाले बेम्बला बेसीन (कारंजा तहसील) में समृद्ध उपजाऊ मिट्टी होने से इसे काली कपास की मिट्टी के तौर पर पहचाना जाता है जहाँ कपास और ज्वार का अधीक उत्पादन होता है। यद्यपि, मालेगाँव का उत्तरी भाग और मंगरूलपीर के पहाड़ी इलाके में अधिकतर खराब और उथली मिट्टी है जिसमें खरीफ की फसलें ली जाती है। साथ ही, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल और अलसी इन तेल-बीजों को उत्पादित किया जाता है। जिले की कृषि अर्थ-व्यवस्था बैल, भेड़, बकरी, गाय और मुर्गा-मुर्गी आदी महत्वपूर्ण पशुधन है। दूसरी ओर यह दिखायी देता है कि, वाशिम जिला कपास का उत्पादक है और जिले की औद्योगिक गतिविधियाँ भी कपास संबंधित उत्पादनों पर आधारित है। इसमें हथकरघा, कपड़ा उद्योग अथवा खादी बनाने का कार्य जिले के मंगरूलपीर तहसील में होता है। जिले में एक चीनी कारखाना (रिसोड़ तहसील, मसला-पेन), वाशिम शहर के पास एक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निमग और वाशिम शहर में ही एक रासायनिक उर्वरक कारखाना है। यद्यपि जिले में जिनिंग-प्रेसिंग मील का जाल सभी तहसीलों में बिछा हुआ है जहाँ कपास पर प्रक्रिया की जाती है। चमड़े का सामान, लकड़ी से बने अन्य सामान, नायलॉन की रस्सी, दाल मील आदी औद्योगिक गतिविधियों को वाशिम, कारंजा, मंगरूपीर और कुछ पैमाने पर रिसोड़ शहर के आस-पास देखा जा सकता है। लेकिन जिले की मुख्य गतिविधि कृषि से ही संबंधित है। जिले का प्रशासनिक गठन तीन उप-विभागीय कार्यालयों (वाशिम, मंगरूलपीर, कारंजा) में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत छः तहसील, 06 कस्बें और 793 गाँव शामिल हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार वाशिम जिले की जनसंख्या 1,197,160 (11.97लाख) है, जिसमें शहरी आबादी 17.66 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी 82.34 प्रतिशत है। विशेष बात यह है कि, मालेगाँव

तहसील को सभी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया है। जो हो, वाशिम जिले की कुल आबादी महाराष्ट्र की कुल आबादी का 1.07 प्रतिशत हिस्सा अधिग्रहित करती है। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत राज्य के औसत के मुकाबले 61.00 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है। जिले में, 71.83 प्रतिशत हिंदू, 11.92 प्रतिशत मुस्लीम, 14.98 प्रतिशत बौद्ध और 0.9 प्रतिशत अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। महिला और पुरुषों में लिंग अनुपात का दर 930 (प्रति 1000पुरुष), बाल लिंग अनुपात (प्रति 0.6 आयु) 863, औसत साक्षरता 83.25 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता 82.17 प्रतिशत (जो सुधार की ओर इंगित करती है) और अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 19.01 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 229,462 (19.17 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 80,471 (6.72 प्रतिशत) है। वाशिम जिले में कुल अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत16.24 है। कारंजा, मंगरूपीर और, रिसोड़, मालेगाँव तहसील में एक तीहाई से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या निवास करती हैं। अल्पसंख्यकों में महार-बौद्ध समुदाय का समावेश होता है। यह तबका जिले की अनुसूचित जाति में शामिल हैं और उन्हें नव-बौद्ध के रूप में पहचाना जाता हैं। वाशिम, कारंजा, रिसोड़ और मंगरूलपीर तहसीलों में जिले की कुल आबादी में नव-बौद्धों की 35.29 प्रतिशत संख्या हैं। उपरोक्त सभी जानकारीयों को हम प्रतिशत के रूप में तालिका संख्या 8 में देख सकते हैं। यहाँ, अनुसूचित जाति में शामिल नव-बौद्धों की जनसंख्या के प्रतिशत को अनुसंधान क्षेत्र के अनुसार प्रदर्शित किया गया है तथा अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील की जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ नक्शा संख्या दो (2) अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित वाशिम जिले के तहसीलों को दर्शाती है।

वाशिम जिले की जनसंख्या संरचना (जनगणना वर्ष 2011)

तालिका संख्या 1

तहसील	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	हिंदू	मुस्लिम	बौद्ध	अन्य अल्पसंख्याक	साक्षरता
मालेगाँव	189,051	189,051	19.9 प्रतिशत	13.6 प्रतिशत	74.49 प्रतिशत	7.71 प्रतिशत	16.3 प्रतिशत	0.74 प्रतिशत	82.14 प्रतिशत
मंगरूल पीर	175,208	82.3 प्रतिशत	20.1 प्रतिशत	6.0 प्रतिशत	68.22 प्रतिशत	13.42 प्रतिशत	17.64 प्रतिशत	0.73 प्रतिशत	84.82 प्रतिशत
रिसोड़	207,545	83.6 प्रतिशत	21.9 प्रतिशत	4.4 प्रतिशत	75.54 प्रतिशत	8.8 प्रतिशत	14.39 प्रतिशत	0.81 प्रतिशत	81.47 प्रतिशत
वाशिम	1,197,160	83.34 प्रतिशत	19.17 प्रतिशत	6.72 प्रतिशत	71.83 प्रतिशत	11.92 प्रतिशत	14.98 प्रतिशत	16.24 प्रतिशत	83.25 प्रतिशत
महाराष्ट्र	11.24 करोड़	54.78 प्रतिशत	11.81 प्रतिशत	9.353 प्रतिशत	79.83 प्रतिशत	11.54 प्रतिशत	5.81 प्रतिशत	2.41 प्रतिशत	82.34 प्रतिशत

स्त्रोत–https://www.census2011.co.in/census/district/340-[2]

नक्शा संख्या : २

अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित वाशिम जिले के तहसील

स्रोत : https://www.mapsofindia.com/maps/maharashtra/tehsil/washim-tehsil-map.jpg

2001 की जनगणना के अनुसार वाशिम जिले की कार्य-सहभागिता दर 44.6 प्रतिशत है, जो राज्य की औसत कार्य सहभागिता (42.05) से ऊपर है। वही, 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में मुख्य श्रमिक 502,755 (43.80), कृषक154,583 (41.20), कृषि श्रमिक 265,060 (52.10), घरेलू उद्योग 5,697, अन्य श्रमिक 77,415, सीमांत श्रमिक 67,037 (5.31), गैर-श्रमिक 627,368 (54.10) हैं।[3]

इसमें कृषक और कृषि श्रमिक इन दोनों को मिला दे, तो लगभग 90 प्रतिशत लोग कृषि से संलग्ण है और रोजगार के लिए कृषि से संबंधित गतिविधियों पर अत्याधिक निर्भर करते हैं। यह स्थिति वाशिम जिले को मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला बनाती है। दूसरी ओर, यह जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जिले की औद्योगिक गतिविधि केवल कृषि प्रक्रियाओं तक ही सीमित है, जिसमें, कपास, तेल और दाल मिलें शामिल हैं। यहाँ एक चीनी कारखाने को छोड़कर कोई बड़ा उद्योग नहीं हैं और दुर्भाग्यपुर्ण बात यह है कि, यह मिल भी बंद पड़ी हुई है। यही कारण है कि, जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार 43.1 प्रतिशत (2001 की जनणनना के अनुसार), प्रतिव्यक्ती आय 36,087 (2009-10 की जनणनना के अनुसार) है जो जिले के प्रत्येक व्यक्ती को गरीबी में धकेलती है।[4]

जिले की कुल आबादी में 88.2 प्रतिशत श्रमिकों के पास छः महिनों से अधिक अवधी का रोजगार उपलब्ध है और 11.8 प्रतिशत श्रमिक सीमांत मजदूरी में शामिल हैं। तहसीलों के संबंध में, रिसोड़ तहसील में 89.7 प्रतिशत, मालेगाँव तहसील में 90.7 प्रतिशत और मंगरूल पीर तहसील में 82.9 प्रतिशत श्रमिकों के पास छः महिनों से अधिक अवधी का रोजगार है। वही, सीमांत मजदूरी के संबंध में आँकड़ें बताते है कि, रिसोड़ तहसील में 10.3 प्रतिशत, मालेगाँव तहसील में 9.3 प्रतिशत और मंगरूल पीर तहसील में 17.1 प्रतिशत श्रमिकों के पास छः महिनों से भी कम का रोजगार उपलब्ध होने से वह सीमांत मजदूर की श्रेणी में शामिल हैं। जिले के सभी तहसीलों में कृषक, कृषि मजदूर एवं गैर-श्रमिक अर्थात बेरोजगारों की संख्या विशाल समुदाय को परिभाषित करती है जो अत्यंत कम मजदूरी पर जीवन-यापन करते हैं। इसका कारण भी है। स्वयं वाशिम जिला कृषि उत्पादन से संबंधित जिला होने से इसमें ग्रामीण स्तर पर कृषि मजदूरों की संख्या अत्याधिक है और इसमें अनुसूचित जातियों की संख्या (मालेगाँव19.9 प्रतिशत, मंगरूल पीर 20.1 प्रतिशत, रिसोड़ 21.9 प्रतिशत) की भरमार है। इस प्रकार कृषि पर निर्भर रहने की स्थितियाँ बुलड़ाणा जिले में पाई जाती है। अतः उपरोक्त विश्लेषण को हम तालिका संख्या 2 में देख सकते है।

मालेगाँव, मंगरूल पीर और रिसोड़ तहसील में कार्यरत जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011)

तालिका संख्या 2

1 तहसील	2 ग्रामीण जनसंख्या	3 कुल श्रमिक	4 मुख्य श्रमिक	5 कृषक	6 कृषि मजदूर	7 सीमांत मजदूर	8 घरेलू उद्योग	9 अन्य श्रमिक	10 गैर-श्रमिक/बेरोजगार
मालेगाँव	100 प्रतिशत	94,767	85,918	29,872	46,952	8,849	1,238	7,856	94,284
मंगरूल पीर	82.03 प्रतिशत	82,925	68,707	19,935	37,641	14,218	894	10,237	92,283
रिसोड़	83.6 प्रतिशत	102,322	91,757	34,165	44,250	10,565	1,266	12,076	105,223
वाशिम	82.34 प्रतिशत	569,792	502,755	154,583	265,060	67,037	5,97	77,415	627,368
महाराष्ट्र	54.78 प्रतिशत	96,879	90,453	11,813 (42.43)	7,641 (37.85)	31,74	1,089 (2.27)	17,455 (17.45)	55,705

स्त्रोत–htt://www.censusindia.co.in/subdistrict/Malegaon-taluka-washim-maharashtra-3995[5]

बुनियादी ढ़ाँचे के संबंध में वाशिम जिले की बात की जाय, तो वाशिम जिले में शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति कुछ हद तक संतोष जनक है। जिले के 95 प्रतिशत गावों में प्राथमिक विद्यालय है। लेकिन माध्यमिक विद्यालयों के साथ गाँव के अनुपात को देखा जाय, तो यह अनुपात तुलनात्मक रूप से कम है। 44 प्रतिशत माध्यमिक स्तर के स्कुल, 157 माध्यमिक विद्यालय, 58 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ महाविद्यालय (इसमें सबसे अधिक संख्या कनिष्ठ महाविद्यालयों की है), 05 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 03 पोलीटेकनिक कॉलेज, लगभग 04 अभियांत्रिकी स्नातक कॉलेज, 02 कृषि महाविद्यालय (इनमें दोनों निजि संस्थाओं द्वारा स्थापित है) है। महत्वपूर्ण बात यह है कि, वाशिम जिले में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मालेगाँव, मंगरूलपीर और रिसोड़ तहसील में प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेंड़री स्कुलों की संख्या को छोड़ दिया जाय, तो कनिष्ठ एवं वरिष्ठ महाविद्यालयों की संख्या क्रमश:11, 14, 06 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या भी क्रमश: 09, 04, 08 हैं और सभी निजि संस्थाओं द्वारा स्थापित है। वाशिम शहर के अलावा मंगरूलपीर और रिसोड़ को छोड़कर केवल मालेगाँव शहर में एक पॉलिटक्नीक कॉलेज है। मंगरूलपीर के अलावा मालेगाँव और रिसोड़ में 01 कृषि महाविद्यालय और 01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। अर्थात शिक्षा के मामले में मंगरूलपीर तहसील की अत्यंत बुरी है। यद्यपि, तुलनात्मक दृष्टि से वाशिम जिले में तकनीकी एवं प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या अत्यंत कम है और वह मुख्य रूप से वाशिम ही शहर में केंद्रित है। जिले के सभी तहसीलों में कोई भी तकनीकी प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है। जिले छात्र एवं छात्राओं को माध्यमिक और कनिष्ठ महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के लिए पाँच किलोमिटर से अधिक दूरी तय करनी होती है या नजदिकी कस्बे में कोई किराये का महान लेना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र की उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए छात्रों को जिले के बाहर जाकर पढ़ना जरूरी हो गया है। सेकेंड़री या हार्यर सेकेंड़री के बाद

तत्काल कोई तकनीकी कौशल को सिखने के लिए पर्याप्त सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेकनिक कॉलेज, अभियांत्रिकी स्नातक कॉलेज, या कृषि महाविद्यालय नहीं है। जो है वह निजि शैक्षणिक संस्थान होने से भारी पैसा खर्च करना पड़ता है जिसे गरीब विद्यार्थी सह नहीं सकतें। इस वजह से उनमें निराशा पैदा होती है। अतः वाशिम जिले में सभी स्तर की शिक्षा में भारी बदलाव की आवश्यकता है और व्यावसायिक शिक्षा को प्रत्येक तहसील में पहुँचाने की जरूरत है। इसमें, विशेषत: श्रम बाजार के लिए आवश्यक तकनीकी शिक्षा, व्यक्तीगत कौशल को आकार देने वाले शिक्षा संस्थान, केंद्रिय कृषि संस्थान, विज्ञान और समाज-विज्ञान से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना अधिकाधिक तहसीलों में होना बहुत ही आवश्यक है।

अतः अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित वाशिम जिले के मालेगाँव, मंगरूलपीर और रिसोड़ तहसील की शिक्षा की स्थिति को तालिका संख्या 10 में प्रदर्शित किया गया है जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

मालेगाँव, मंगरूल पीर और रिसोड़ तहसील में शिक्षा की स्थिति (जनगणना वर्ष 2011)
तालिका संख्या 3

तहसील	गाँव में प्राथमिक स्कुलों की संख्या	गाँव में माध्यमिक स्कुलों की संख्या	तहसील में सेकेंड्री स्कुलों की संख्या	कनिष्ठ एवं वरिष्ठ महाविद्यालय	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	पॉलिटेक्नीक कॉलेज	बी.ई. इंजिनियरींग कॉलेज (अभियांत्रिकी)	कृषि महाविद्यालय	विश्वविद्यालय
मालेगाँव	96.6 प्रतिशत	34.2 प्रतिशत	23	09	01	01	01	01	00
मंगरूल पीर	94.1 प्रतिशत	41.2 प्रतिशत	21	04	00	00	00	00	00
रिसोड़	99.2 प्रतिशत	52.3 प्रतिशत	26	08	01	00	00	02	00
वाशिम	95.1 प्रतिशत	44.2 प्रतिशत	157	58	05	03	03	04	00

स्त्रोत –https://www.indcareer.com/find/all-colleges-in-washim[6]

बुलड़ाणा जिले के समान वाशिम जिले में भी प्राथमिक स्वास्थ केंद्र की स्थिति खराब है। जिले में पाँच किलोमिटर के दायरे में केवल 26.2 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। मालेगाँव, मंगरूलपीर और रिसोड़ तहसील में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंदों का प्रतिशत क्रमश: 22.2 प्रतिशत, 40.2 प्रतिशत, 24.7 प्रतिशत है। अर्थात केवल मंगरूलपीर तहसील में स्वास्थ सेवाओं की स्थिति बेहतर है। जिले में पक्के रस्ते की स्थिति 84.5 प्रतिशत है, जिसमें रिसोड़ तहसील की स्थिति अन्य तहसीलों से बेहतर है। यद्यपि, बिजली की उपलब्धता तीनों तहसीलों में बेहतर कहीं जा सकती है, जिसमें रिसोड़ तहसील में बेहतर तरीके से विद्युतीकरण हुआ है। लेकिन

जिले के साथ-साथ जिले के सभी तहसीलों में पाँच किलोमिटर के दायरे में उपलब्ध सहाकारी बैंक की स्थिति (34.7) अत्यंत खराब है। बुलड़ाणा जिले के समान यहां भी बैंकिंग सुविधाएँ मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र में उपलब्ध होने से वह केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए क्रेडिट प्रदान करती है। इसके परिणाम से ग्रामीण इलाकों में कृषि से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना मुश्किल हो जाता है और ग्रामीण कृषक के साथ-साथ खेतीहर मजदूरों को अपना रोजगार खोना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण बैंक की सुविधाओं को वाशिम जिले के सभी तहसीलों में बेहतर तरीके से लागू करना आवश्यक है जिससे कृषि तथा गैर-कृषि कार्यों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ सकें। दूसरी ओर, कृषि के अलावा अन्य कौशल आधारित कार्यों या तकनीकी रूप से बेहरत क्षमताओं के आधार पर रोजगार को प्राप्त करने की स्थिति भी बहुत खराब है। जिले में केवल 01 चिनी मिल (रिसोड़) है। मालेगाँव या मंगरूलपीर तहसील में कोई भी कारखाना या मिल नहीं है जिसके आधार पर अतिरिक्त रोजगार या आय कमाई जा सकें। सभी जानते हैं कि, परिवहन, यातायात अथवा किसी प्रकार की संचार सेवा जिले की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा देती है। लेकिन वाशिम जिले में कोई भी महामार्ग नहीं है और न ही, वाशिम शहर के अलावा कोई बड़ा रेल्वे स्टेशन है (वाशिम जिले में मुख्य अथवा नजदिकी रेल्वे स्टेशन सिर्फ चार है)। समृद्धि महामार्ग के नाम से नागपूर-मुंबई मार्ग पर काम चल रहा है, लेकिन उसका कोई संबंध वाशिम जिले से नहीं है। अतः स्पष्ट है कि, संपूर्ण जिले में और खासकर उपरोक्त तीनों तहसीलों में औद्योगिक विकास, उत्पादन और निर्माण से संबंधित औद्योगिक पट्टा निर्माण होने की आवश्यकता है जो मुख्यतः कृषि पर आधारित जीविका कमाने वाले निवासीयों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करें। जो हो, वाशिम जिले के मालेगाँव, मंगरूलपीर तथा रिसोड़ तहसील की स्वास्थ एवं अन्य सेवाओं की स्थिति क्या है इसे तालिका संख्या 11 में प्रदर्शित किया गया है।

मालेगाँव, मंगरूलपीर तथा रिसोड़ तहसील में स्वास्थ एवं अन्य सेवाओं की जानकारी, 2011
तालिका संख्या 4

तहसील	पाँच कि.मी. दायरे में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ सेवाएँ	पक्का रस्ता	बिजली की उपलब्धता	पाँच कि.मी. दायरे में उपलब्ध सहकारी बैंक	नजदिकी कारखानाजीनिंग और चिनी मिल	मुख्य/नजदिकी रेल्वे स्टेशन
मालेगाँव	22.02 प्रतिशत	82.9 प्रतिशत	97.4 प्रतिशत	31.6 प्रतिशत	00	00
मंगरूल पीर	40.2 प्रतिशत	84.6 प्रतिशत	97.3 प्रतिशत	43.6 प्रतिशत	00	00
रिसोड़	24.7 प्रतिशत	96.1 प्रतिशत	100.0 प्रतिशत	46.4 प्रतिशत	01	00
वाशिम	26.2 प्रतिशत	84.5 प्रतिशत	97.9 प्रतिशत	34.7 प्रतिशत	01	04

अनुसंधान की दृष्टि से वाशिम जिले से तीन तहसीलों का चयन किया गया है, जिसमें मालेगाँव, मंगरूलपीर और रिसोड़ तहसीलों के पंधरह गाँव (हर तहसील से पाँचगाँव) शामिल हैं। इन तीनों तहसीलों में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की संख्या और प्रतिशत लगभग 50 प्रतिशत की सीमा तक पहुँचता है। अर्थात वाशिम जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या बड़े पैमाने पर निवास करती है। खासकर, रिसोड़ तथा मंगरूलपीर तहसील के सभी चयनित पाँचगाँवों में अनुसूचित जातियों की संख्या मालेगाँव तहसील के बरक्स अधिक है, जिसे तालिका संख्या में स्पष्ट किया गया है।

मालेगाँव तहसील में शामिल गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
(वर्तमान स्थिति 2020 के आँकड़ों पर आधारित हैं।) तालिका संख्या 5

मालेगाँव तहसील में शामिल पाँच गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति					
गाँव का नाम	1 एरंड़ा	2 कळंबेश्वर	3 नागरतास	4 मैरालड़ोह	5 वसारी
जनसंख्या	1,794	1,896	1,457	2,180	2,889
साक्षरता	80.82	76.53	83.02	78.87	80.35
अनुसूचित जातियों की संख्या	68	717	281	389	773
अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	3.7 प्रतिशत	37.82 प्रतिशत	19.69 प्रतिशत	23.07 प्रतिशत	26.74 प्रतिशत
कुल श्रमिक	1,056	854	651	1,096	1,559
मुख्य श्रमिक	1,015	762	646	831	1,515
सीमांत मजदूर	41 (3.88 प्रतिशत)	92 (10.77 प्रतिशत)	05 (0.77 प्रतिशत)	265 (24.18 प्रतिशत)	44 (2.82 प्रतिशत)
खेतीहर मजदूर की संख्या	491	526	433	499	677
प्राथमिक स्कुल	01	01	01	01	01
माध्यमिक स्कुल	00	है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।
सरकारी दवाखाना	नहीं है।	नहीं है।	है।	नहीं है।	है।
बैंकिंग की सुविधा	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	है।	नहीं है।
पक्का रस्ता	है।	है।	है।	नहीं है।	है।
विद्युतीकरण	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।

स्रोत -www.censusindia.2011.com, www.onefivenine.com[7]

कार्य सहभागिता की दृष्टि से इन सभी तहसीलों की जनसंख्या और विशेषत: अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संलग्न विभिन्न कार्यों से जुड़ी है और यह लोग मुख्यतः खेतीहर मजूदर हैं जो उनकी आजीविका

का एकमात्र साधन है। कठोर शारीरिक श्रम, कम मजदूरी और रोजगार अथवा आय के सीमित साधन उनकी आर्थिक स्थिति को अधिक प्रभावित करते है। इसलिए तीनों तहसीलों की अनुसूचित जातियों की संख्या मनरेगा के कार्यों में संलग्न दिखायी देती है और खेतीहर मजदूरी के बाद मनरेगा में मिलने वाला रोजगार उनके कमाई का जरीया है। अनुसंधान से संबंधित तीनों तहसील और उसमें निवास करने वाली अनुसूचित जाति की साक्षरता दर अधिक होने के बाद भी वह कृषि एवं खेतीहर मजदूरी के आधार पर जीवनयापन करती हैं।

मंगरूलपीर तहसील में शामिल गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (वर्तमान स्थिति 2020 के आँकड़ों पर आधारित हैं।) तालिका संख्या 6

मंगरूलपीर तहसील में शामिल पाँच गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति					
गाँव का नाम	1 चिखली	2 दस्तापूर	3 धोत्रा	4 फलेगाँव	5 बेलखेड़
जनसंख्या	1,481	1,172	823	1,076	963
साक्षरता	87.00	80.06	91.06	85.45	87.38
अनुसूचित जातियों की संख्या	259	140	359	379	185
अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	17.49 प्रतिशत	11.95 प्रतिशत	43.62 प्रतिशत	35.22 प्रतिशत	19.21 प्रतिशत
कुल श्रमिक	524	629	468	664	454
मुख्य श्रमिक	503	618	460	630	422
सीमांत मजदूर	21 (4.01 प्रतिशत)	11 (1.75 प्रतिशत)	08 (1.71 प्रतिशत)	34 (5.12 प्रतिशत)	32 (7.05 प्रतिशत)
खेतीहर मजदूर की संख्या	384	429	179	153	120
प्राथमिक स्कुल	01	01	01	01	01
माध्यमिक स्कुल	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।
सरकारी दवाखाना	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।
बैंकिंग की सुविधा	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।
पक्का रस्ता	है।	है।	है।	है।	है।
विद्युतीकरण	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।

स्रोत -www.censusindia.2011.com, www.onefivenine.com[8]

दूसरी ओर, अकाल, सुखा या प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बरबाद होने पर बुलड़ाणा जिले के समान वाशिम जिले में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों अपने रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर प्रवसन करती हैं। वह यदि ऐसा न करें, तो उन्हें कई महिनों तक बेरोजगार रहना पड़ता है जो उनकी गरीबी का कारण है। आजीविका से संबंधित बेहतर घर, दवाखाना, बच्चों के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कुल, पक्का रस्ता, बैंकिंग की सुविधा

और ग्रामीण विद्युतीकरण यह सब आवश्यक कारक है जो ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन मालेगाँव तथा मंगरूलपीर तहसील के चयनित सभी गाँवों में अनुसूचित जातियों की व्यापक संख्या होने के बाद भी दवाखाना, बच्चों के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कुल, पक्का रस्ता, बैंकिंग की सुविधा से वंचित है। इस संबंध में केवल रिसोड़ तहसील की स्थिति ठिक दिखायी देती है।

रिसोड़ तहसील में शामिल गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
(वर्तमान स्थिति 2020 के आँकड़ों पर आधारित हैं।)
तालिका संख्या 7

रिसोड़ तहसील में शामिल पाँच गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति					
गाँव का नाम	1 गोहगाँव	2 मसला पेण	3 मोठेगाँव	4 मोप	5 वाकद
जनसंख्या	1,838	1,895	3,488	2,781	5,215
साक्षरता	82.24	84.08	83.53	84.65	78.60
अनुसूचित जातियों की संख्या	865	719	755	756	809
अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	47.06 प्रतिशत	37.94 प्रतिशत	21.65 प्रतिशत	27.18 प्रतिशत	15.51 प्रतिशत
कुल श्रमिक	903	1,036	1,559	1,412	2,695
मुख्य श्रमिक	770	725	1,438	1,365	1,987
सीमांत मजदूर	133 (14.73 प्रतिशत)	311 (30.02 प्रतिशत)	121 (7.76 प्रतिशत)	47 (3.33 प्रतिशत)	708 (26.27 प्रतिशत)
खेतीहर मजदूर की संख्या	355	304	757	654	1,499
प्राथमिक स्कुल	01	01	01	01	01
माध्यमिक स्कुल	है।	है।	01	है।	है।
सरकारी दवाखाना	है।	है।	है।	है।	है।
बैंकिंग की सुविधा	नहीं है।	है।	है।	है।	है।
पक्का रस्ता	है।	है।	है।	है।	है।
विद्युतीकरण	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।

स्रोत -www.censusindia.2011.com, www.onefivenine.com[9]

4.2 बुलड़ाणा जिले का संक्षिप्त समाज-आर्थिक वर्णन

बुलड़ाणा जिला महाराष्ट्र राज्य के मध्य में स्थित है। इस जिले की पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाएँ अकोला, जलगाँव, जालना और परभणी जिले से जुड़ी हुई है और उत्तर दिशा मध्य प्रदेश की सीमाओं से संलग्ण है। अमरावती विभाग में शामिल इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 9,640km² है जो महाराष्ट्र की तुलना में 3.7 प्रतिशत है।

बुलड़ाणा जिले का परिदृश्य समृद्ध एवं विविध है। जलगाँव जामोद, संग्रामपुर और शेगाँव तहसीलों के अलावा अन्य सभी तहसील दक्कन उद्वेदन अथवा दक्कन ट्रैप में शामिल होते हैं जो जिले का 80 प्रतिशत हिस्सा अधिग्रहित करता है और बाकी 20 प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़क से आच्छादित है। बुलड़ाणा जिले में, पूर्णा और पैनगंगा यह दो प्रमुख नदियाँ हैं और जल स्त्रोत के रूप में भूजल प्रमुख स्त्रोत है। यह जिला मोटे तौर पर दो कृषि क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिसमें पायंग घाट (मैदानी क्षेत्र) और बाला घाट शामिल हैं। पयांग घाट में, जलगाँव जामोद, मलकापुर, खामगाँव तहसील हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और मध्यम वर्षा और गर्म मौसम पाया जाता है। इसके परिणाम से, खाद्य के साथ-साथ गैर-खाद्य फसलों को भी यहाँ उगाया जाता है। यह क्षेत्र जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा है। दूसरा क्षेत्र बाला घाट है, जिसमें दक्षिण के दो तहसील चिखली और मेहकर शामिल हैं। इस क्षेत्र में कपास, ज्वार, दलहन, बाजरा और गेहूं का उत्पादन होता है। सामान्यतः जिले के 69.3 प्रतिशत भौगोलिक हिस्से पर बुआई की जाती है (महाराष्ट्र 56.8) और सकल सिंचित क्षेत्र के 5.7 प्रतिशत हिस्से पर फसल ली जाती है जो राज्य (महाराष्ट्र17.8) के प्रतिशत से कम है।

अर्थात जिले के 9,67,100 हेक्टयर भौगोलिक क्षेत्र में से 8,43,000 हेक्टेयर का क्षेत्र कृषि योग्य होने के बावजूद केवल 18 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य एवं सिंचित की गई है। जिले में खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाई जाती हैं। इनमें अनाज के तौर पर ज्वार और गेहूं, अरहर, चना, सोयाबीन मूंग और उडद जैसी दालें, मिर्च और अन्य सब्जियाँ उगाई जाती हैं। गैर-खाद्य फसलों में कपास का 80 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके साथ मूंगफली, सूरजमुखी, तिल और अलसी इन तेल-बीजों को उत्पादित किया जाता है। जिले की कृषि अर्थव्यवस्था में पशूधन का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें बैल, भेड़, बकरी, गाय और मुर्गा-मुर्गी मुख्य पशूधन हैं। यद्यपि, जिले में केवल एक ही 'महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निमग' है जो खामगाँव में स्थित है। मलकापुर 'MIDC' का काम पूरा होने के बावजूद बुलड़ाणा, चिखली और शेगाँव में औद्योगिक संपदा अभी आरंभ होना बाकी है। यह जिला मुख्य रूप से

कपास उगाने वाला जिला होने से यहाँ कताई के लिए तीन सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं। जिले का प्रशासनिक गठन छः उप-विभागीय कार्यालयों (बुलड़ाणा, मेहकर, खामगाँव, मलकापुर, जलगाँव जामोद, सिंदखेड़ राजा) में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत तेरह तहसील, 12 कस्बें और 1,444 गाँव शामिल हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार बुलड़ाणा जिले की जनसंख्या 2,586,258 (25,9 लाख) है, जिसमें शहरी आबादी 21.22 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी 78.78 प्रतिशत है। इस प्रकार बुलड़ाणा जिले की कुल आबादी महाराष्ट्र की कुल आबादी का 2.30 प्रतिशत हिस्सा अधिग्रहित करती है। यद्यपि, यहां इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि, ग्रामीण आबादी का प्रतिशत राज्य के औसत के बरक्स 57.00 प्रतिशत है। जिले में, 71.35 प्रतिशत हिंदू, 13.70 प्रतिशत मुस्लीम, 14.08 प्रतिशत बौद्ध और 0.8 प्रतिशत अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। महिला और पुरुषों में लिंग अनुपात का दर 934 (प्रति 1000 पुरुष), बाल लिंग अनुपात (प्रति 0.6 आयु) 855, औसत साक्षरता 83.40 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता 81.85 प्रतिशत (जो सुधार की ओर इंगित करती है) और अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 18.21 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 470,895 (18.21 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 124,837 (4.83 प्रतिशत) है। बुलड़ाणा जिले में कुल अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत 28.64 है। खामगाँव तहसील में एक तीहाई से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या निवास करती हैं और यदि मलकापुर तथा लोणार तहसीलों को छोड़ दिया जाय, तो जिले के अन्य तहसीलों में आबादी का पाँचवा हिस्सा अल्पसंख्यक समूदाय के रूप में निवास करता है। अल्पसंख्यकों में महार-बौद्ध समुदाय का समावेश होता है जो अनुसूचित जाति में शामिल हैं और उन्हें नव-बौद्ध के रूप में पहचाना जाता हैं। बुलड़ाणा जिले के सभी तहसीलों में नव-बौद्धों की संख्या लगभग 34.21 प्रतिशत हैं। उपरोक्त सभी जानकारीयों को हम प्रतिशत के रूप में तालिका संख्या 1 में देख सकते हैं। यहाँ, अनुसूचित जाति में शामिल नव-बौद्धों की जनसंख्या के प्रतिशत को अनुसंधान क्षेत्र के अनुसार प्रदर्शित किया गया है तथा अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील की जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित बुलड़ाणा जिले के तहसीलों को यहाँ नक्शा संख्या तीन (3) के माध्यम से देखा जा सकता है।

नक्शा संख्या : ३

अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित बुलड़ाणा जिले के तहसील

स्रोत : https://www.mapsofindia.com/maps/maharashtra/tehsil/buldana-tehsil-map.jpg

बुलड़ाणा जिले की जनसंख्या संरचना (जनगणना वर्ष 2011)

तालिका संख्या 8

तहसील	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	हिंदू	मुस्लिम	बौद्ध	अन्य अल्पसंख्याक	साक्षरता
मेहकर	268316	83.01 प्रतिशत	21.38 प्रतिशत	4.91 प्रतिशत	73.00 प्रतिशत	11.15 प्रतिशत	15.03 प्रतिशत	0.61 प्रतिशत	82.06 प्रतिशत
सिंदखेड़ राजा	176,303	90.7 प्रतिशत	13.3 प्रतिशत	0.7 प्रतिशत	74.65 प्रतिशत	7.95 प्रतिशत	16.76 प्रतिशत	0.4 प्रतिशत	79.8 प्रतिशत
लोणार	152351	84.63 प्रतिशत	17.92 प्रतिशत	3.91 प्रतिशत	77.7 प्रतिशत	9.58 प्रतिशत	11.64 प्रतिशत	0.81 प्रतिशत	86.00 प्रतिशत
बुलड़ाणा	2,586,258	78.78 प्रतिशत	18.21 प्रतिशत	4,83 प्रतिशत	71,35 प्रतिशत	13,70 प्रतिशत	14,08 प्रतिशत	0.8 प्रतिशत	83.40 प्रतिशत
महाराष्ट्र	11.24 करोड़	54.78 प्रतिशत	11.81 प्रतिशत	9.353 प्रतिशत	79.83 प्रतिशत	11.54 प्रतिशत	5.81 प्रतिशत	2.41 प्रतिशत	82.34 प्रतिशत

स्त्रोत– https://www.census2011.co.in/census/district/338-buldana.html, http://socialjustice.nic.in/UserView/index?mid=76663,https://trti.maharashtra.gov.in/index.php/en/divisionwise-total-population.[10]

2001 की जनगणना के अनुसार बुलड़ाणा जिले की कार्य-सहभागिता दर 45.51 प्रतिशत है, जो राज्य की औसत कार्य सहभागिता (42.05) से ऊपर है। वही, 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में मुख्य श्रमिक 1,107,542 (42.82), कृषक 363,983 (39.38), कृषि श्रमिक 537,970 (49.46), घरेलू उद्योग 11,125, अन्य श्रमिक 194,464, सीमांत श्रमिक 112,099 (4,33), गैर-श्रमिक 1,366,617 (52.84) हैं।[11] इसमें कृषक तथा कृषि श्रमिक इन दो इकाईयों कारण यह स्पष्ट दिखायी देता है कि, लगभग 90 प्रतिशत के आस-पास की कामकाजी आबादी कृषि में संलग्ण है और रोजगार के लिए कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों पर अत्याधिक निर्भर हैं। यह स्थिति बुलड़ाणा को मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला बनाती है। इसलिए यदि अतीत के आँकड़ों की ओर देखा जाय तो, जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार 44.5 प्रतिशत (2001 की जनणनना के अनुसार), प्रतिव्यक्ती आय 3,377.25 (2009.10 की जनणनना के अनुसार) है जो जिले के प्रत्येक व्यक्ती को गरीबी के कुचक्र में धकेलती हुई नजर आती है।[12] अनुसंधान की दृष्टि से यदि हम केवल जिले के चयनित तीन तहसीलों की कार्यशील जनसंख्या तक सीमित रहे, तो मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार इन तीनों तहसीलों की कार्य सहभागिता का दर क्रमश: 51,13, 49.69, 52.96 हैं। मेहकर तहसील की कुल जनसंख्या में से लगभग 90.2 प्रतिशत श्रमिकों के पास छः महिनों से अधिक अवधी का रोजगार और 9.8 प्रतिशत श्रमिकों के पास छः महिनों से कम अवधी का सीमांत रोजगार है। इसमें कृषि मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है जो तहसील के गाँवों में निवास करते है और स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों से संबंधित है। यहाँ, मेहकर तहसील के कृषक, कृषि मजदूर एवं गैर-श्रमिक अर्थात बेरोजगारों की संख्या को संज्ञान में लिया जाय तो यह तहसील पूरी तरह से कृषि पर निर्भर होने का चित्र उजागर होता है। यही स्थिति सिंदखेड़ राजा (91.2 प्रतिशत मुख्य श्रमिक तथा 8.8 प्रतिशत सीमांत श्रमिक) और लोणार (87.4 प्रतिशत मुख्य श्रमिक तथा 12.6 प्रतिशत सीमांत श्रमिक) तहसील की है और कुल

मिलकार तीनों तहसीलों में कृषि मजदूर तथा गैर-श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है जो गाँवों में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों के लोग हैं। ऐसा इसलिए है क्योकि, मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार इन तीनों तहसीलों में अनुसूचित जातियों की संख्या क्रमश: 21.38, 21.50, 17.90 प्रतिशत है। अतः उपरोक्त विश्लेषण को हम तालिका संख्या 2 में देख सकते है।

मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील में कार्यरत जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011)

तालिका संख्या 9

तहसील	ग्रामीण जनसंख्या	कुल श्रमिक	मुख्य श्रमिक	कृषक	कृषि मजदूर	सीमांत मजदूर	घरेलू उद्योग	अन्य श्रमिक	गैर-श्रमिक/बेरोजगार
मेहकर	83.01 प्रतिशत	135,221	121,978	39,793 (39.79)	63,633 (51.15)	13,245	1,557	16,995	133,095
सिंदखेड़ राजा	90.7 प्रतिशत	92,667	84,502	43,328 (48.14)	31.116 (40.16)	8,165	845	9,213	83,636
लोणार	84.63 प्रतिशत	78.501	68,596	26,310 (46.92)	33,104 (44.56)	9,905	755	8,427	73,850
बुलड़ाणा	83.01 प्रतिशत	47.16	42,82	39.32	49.46	4,33	1.21	9.48	52.54
महाराष्ट्र	54.78 प्रतिशत	96,879	90,453	11,813 (42.43)	7,641 (37.85)	31,74	1,089 (2.27)	17,455 (17.45)	55.705

स्त्रोत :https://www.censusindian.co.in/subdistrict/lonar-taluka-buldana-maharashtra-3987[13]

किसी भी क्षेत्र के संबंध में, बुनियादी ढ़ाँचे का विकास और मानव संसाधन का विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि यह दोनों कारक असफल हो जाय, तो संबंधित क्षेत्र का समग्र विकास करना मुश्किल हो जाता है। अतः गाँव स्तर पर बुनियादी ढ़ाँचेका विकास एक प्रकार का संकेतक है जो ग्रामीणों को विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होता है। अतः बुनियादी ढ़ाँचे की इस श्रृंखला में बुलड़ाणा और वाशिम जिले के चयनित तीस गाँवों में पायी जाने वाली शिक्षा, स्वास्थ सुविधा, संपर्क और यातायात के साधन, विद्युतीकरण, बैकिंग और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं जिन्हें द्वितीयक सामग्री और विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर इकट्ठा किया गया है।

बुलड़ाणा जिले में शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिले में लगभग 91 प्रतिशत प्राथमिक स्कुल, 47 प्रतिशत माध्यमिक स्तर के स्कुल, 216 माध्यमिक विद्यालय, 115 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ महाविद्यालय (इसमें सबसे अधिक संख्या कनिष्ठ महाविद्यालयों की है), 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 06

पोलीटेकनिक कॉलेज, लगभग 05 अभियांत्रिकी स्नातक कॉलेज, 04 कृषि महाविद्यालय (इनमें से अधिकांष निजि संस्थाओं द्वारा स्थापित है और सरकारी संस्थाओं की संख्या कम है) है। महत्वपूर्ण बात यह है कि, बुलड़ाणा जिले में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार जैसे तहसीलों में प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेंड़री स्कुलों की संख्या को छोड़ दिया जाय, तो कनिष्ठ एवं वरिष्ठ महाविद्यालयों की संख्या क्रमश: 11, 14, 06 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या भी क्रमश: 02, 02, 02 हैं, जिनमें तीन सरकारी और दो निजि संस्था द्वारा स्थापित है। मेहकर और लोणार तहसील में केवल 01 पोलीटेकनिक कॉलेज है। यद्यपि, मेहकर तहसील में 01कृषि महाविद्यालय (हिवरा आश्रम) है। तुलनात्मक दृष्टि से तकनीकी एवं प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या अत्यंत कम है और वह मुख्य रूप से शेगाँव, खामगाँव जैसे तहसील अथवा बुलड़ाणा शहर में केंद्रित है। कई तहसीलों में, विशेषत: मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार में कोई भी तकनीकी प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है। फिर भी, जिले में शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता में सुधार हो रहा है और यह सुधार प्राथमिक केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा में दिखाई देता है। कई तहसीलों में माध्यमिक और कनिष्ठ महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के लिए पाँच किलोमिटर से अधिक दूरी तय करनी होती है या नजदिकी कस्बे में कोई किराये का महान लेना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र की उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए छात्रों को जिले के बाहर जाकर पढ़ना होता है। सेकेंड़री या हार्यर सेकेंड़री के बाद तत्काल कोई तकनीकी कौशल को सिखने के लिए आवश्यक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेकनिक कॉलेज, अभियांत्रिकी स्नातक कॉलेज, या कृषि महाविद्यालयों की स्थिति अत्यंत खराब है जो छात्र-छात्राओं में निराशा पैदा करती हैं। जिले में व्यवसायिक अथवा कौशल आधारित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए निजि संस्थानों द्वारा संचालित महाविद्यालयों का सहारा लेना पड़ता है जो अत्यंत महंगी शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा कोई बेहतर सरकारी विकल्प यहाँ विद्यार्थीयों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर सकता है जिसकी प्रतिक्षा जिले में अभी भी हो रही है। इस प्रकार बुलड़ाणा जिले की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर बुनियादी रूप से सुधार करने की आवश्यकता है और सभी प्रकार की शिक्षा अथवा व्यावसायिक शिक्षा को प्रत्येक तहसील में पहुँचाने की जरूरत है। इसमें, विशेषतः श्रम बाजार के लिए आवश्यक तकनीकी शिक्षा, व्यक्तीगत कौशल को आकार देने वाले शिक्षा संस्थान, केंद्रिय कृषि संस्थान, विज्ञान और समाज-विज्ञान से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना अधिकाधिक तहसीलों में होना बहुत ही आवश्यक है।

अतः अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित बुलड़ाणा जिले के मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील की शिक्षा की स्थिति को तालिका संख्या 3 में प्रदर्शित किया गया है जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील में शिक्षा की स्थिति (जनगणना वर्ष 2011)

तालिका संख्या 10

तहसील	गाँव में प्राथमिक स्कुलों की संख्या	गाँव में माध्यमिक स्कुलों की संख्या	तहसील में सेकेंड्री स्कुलों की संख्या	कनिष्ठ एवं वरिष्ठ महाविद्यालय	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	पॉलिटेक्नीक कॉलेज	बी.ई. इंजिनियरींग कॉलेज (अभियांत्रिकी)	कृषि महाविद्यालय	विश्वविद्यालय
मेहकर	96.7 प्रतिशत	52.2	22	11	02	01	00	01	00
सिंदखेड़ राजा	95.2 प्रतिशत	47.6 प्रतिशत	21	14	02	00	00	00	00
लोणार	96.4 प्रतिशत	46.4 प्रतिशत	14	06	02	01	00	00	00
बुलड़ाणा	92.1 प्रतिशत	47.6 प्रतिशत	216	115	18	06	05	04	00

स्त्रोत –https://buldhana.nic.in/en/public-category/colleges/[14]

बुलड़ाणा जिले में प्राथमिक स्वास्थ केंद्र की स्थिति भी खराब है। जिले में पाँच किलोमिटर के दायरे में केवल 32 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। अतः हम मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के प्रतिशत की ओर देखे तो, वह क्रमश: 26.6 प्रतिशत, 25.7 प्रतिशत, 27.4 प्रतिशत है। जिले में पक्के रस्ते की स्थिति 78.00 प्रतिशत है, जिसमें मेहकर तहसील की स्थिति अन्य तहसीलों से बेहतर है। बिजली की उपलब्धता लोणार तहसील में बेहतर है, लेकिन जिले के साथ-साथ जिले के सभी तहसीलों में पाँच किलोमिटर के दायरे में उपलब्ध सहाकारी बैंक की स्थिति (48.3 प्रतिशत) अत्यंत खराब है और इसका परिणाम तहसीलों पर भी हुआ है। जिले में उपलब्ध बैंकिंग सुविधाएँ मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र में होने से वह केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए क्रेडिट प्रदान करती है। इसके परिणाम से ग्रामीण इलाकों में कृषि से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना मुश्किल हो जाता है और ग्रामीण कृषक के साथ-साथ खेतीहर मजदूरों को अपना रोजगार खोना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण बैंक की सुविधाओं को बुलड़ाणा जिले के सभी तहसीलों में बेहतर तरीके से लागू करना आवश्यक है जिससे कृषि तथा गैर-कृषि कार्यों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ सकें। दूसरी ओर, कृषि के अलावा अन्य कौशल आधारित कार्यों या तकनीकी रूप से बेहरत क्षमताओं के आधार पर रोजगार को प्राप्त करने की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। इस संबंध में, गाँव से नजदिक कोई कारखाना, जीनिंग मिल या चिनी मिल का न होना है। मेहकर में 01 चिनी मिल, सिंदखेड़ राजा में 02 जिनिंग मिल और लोणार

तहसील में कोई भी कारखाना या मिल नहीं है जिसके आधार पर अतिरिक्त रोजगार या आय कमाई जा सकें। इस संबंध में स्वयं जिले में केवल 14 कारखाने या मिले है जो मुख्यतः बुलढ़ाणा शहर, खामगाँव और मलकापूर जैसे औद्योगिक रूप विकसित शहरों में केंद्रित हैं। आश्चर्य की बात यह है कि, आज तक मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील में कोई भी मुख्य अथवा नजदिकी रेल्वे स्टेशन नहीं है (बुलड़ाणा जिले में मुख्य अथवा नजदिकी रेल्वे 05 स्टेशन है) और न ही कोई राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण हुआ है। यद्यपि, समृद्धि महामार्ग के नाम से नागपूर-मुंबई मार्ग पर काम चल रहा है जो संभवतः परिवहन के आधार पर व्यापार के मार्ग का रास्ता खोल सकता है। अतः स्पष्ट है कि, संपूर्ण जिले में और खासकर उपरोक्त तीनों तहसीलों में औद्योगिक विकास, उत्पादन और निर्माण से संबंधित औद्योगिक पट्टा निर्माण होने की आवश्यकता है जो मुख्यतः कृषि पर आधारित जीविका कमाने वाले निवासीयों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करें। अतः बुलड़ाणा जिले के मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील की स्वास्थ एवं अन्य सेवाओं की स्थिति क्या है इसे तालिका संख्या 4 में प्रदर्शित किया गया है।

मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसील में स्वास्थ एवं अन्य सेवाओं की जानकारी, 2011
तालिका संख्या 11

तहसील	पाँच कि.मी. दायरे में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ सेवाएँ	पक्का रस्ता	बिजली की उपलब्धता	पाँच कि.मी. दायरे में उपलब्ध सहकारी बैंक	नजदिकी कारखानाजीनिंग और चिनी मिल	मुख्य/नजदिकी रेल्वे स्टेशन
मेहकर	26.6 प्रतिशत	89.9 प्रतिशत	99.3	46.0	01	00
सिंदखेड़ राजा	25.7 प्रतिशत	83.8 प्रतिशत	99.0	41.9	02	00
लोणार	27.4 प्रतिशत	89.3 प्रतिशत	100.0	42.9	00	00
बुलड़ाणा	32.1 प्रतिशत	78.0 प्रतिशत	97.4	48.3	14	05

अनुसंधान की दृष्टि से बुलड़ाणा जिले से तीन तहसीलों का चयन किया गया है, जिसमें मेहकर, सिंदखेड़ राजा और लोणार तहसीलों के पंधरह गाँव (हर तहसील से पाँचगाँव) शामिल हैं। इनमें, यदि हम तीनों तहसीलों में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की संख्या और उनके प्रतिशत की ओर देखे, तो यह स्पष्ट होता है कि, सभी तहसीलों के गाँवों में अनुसूचित जातियों की संख्या एवं प्रतिशत लगभग 30.35 प्रतिशत की सीमा तक पहुँचता है। अर्थात यह एक प्रमाण है जो संकेत करता है कि, बुलड़ाणा जिले के गाँवों में अनुसूचित जातियों की संख्या बड़े

पैमाने पर निवास करती है। खासकर, सिंदखेड़ राजा तहसील के सभी चयनित पाँचगाँवों में अनुसूचित जातियों की संख्या मेहकर और लोणार तहसील के बरक्स अधिक है, जिसे तालिका संख्या में स्पष्ट किया गया है।

मेहकर तहसील में शामिल गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (वर्तमान स्थिति 2020 के आँकड़ों पर आधारित हैं।) तालिका संख्या 12

मेहकर तहसील में शामिल पाँच गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति					
गाँव का नाम	1 अंजनी बुद्रुक	2 उमरा (देशमुख)	3 कळप विहिर	4 जानेफळ	5 लोणी गवळी
जनसंख्या	5,543	1,079	1,525	8,470	4,497
साक्षरता	80.61	82.59	83.85	83.66	81.42
अनुसूचित जातियों की संख्या	1,019	568	34	1,469	1,296
अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	18.38 प्रतिशत	52.64 प्रतिशत	22.56 प्रतिशत	17.34 प्रतिशत	28.82 प्रतिशत
कुल श्रमिक	3,028	578	876	4,096	2,602
मुख्य श्रमिक	2,859	558	758	3,796	2,524
सीमांत मजदूर	169 (5.58 प्रतिशत)	20 (3.46 प्रतिशत)	118 (13.47 प्रतिशत)	300 (7.32 प्रतिशत)	78 (3.00 प्रतिशत)
खेतीहर मजदूर की संख्या	1461	339	452	2292	1785
प्राथमिक स्कुल	01	01	01	01	01
माध्यमिक स्कुल	01	नहीं है।	नहीं है।	02	01
सरकारी दवाखाना	है।	नहीं है।	नहीं है।	है।	है।
बैंकिंग की सुविधा	है।	नहीं है।	नहीं है।	है।	है।
पक्का रस्ता	है।	है।	है।	है।	है।
विद्युतीकरण	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।

स्रोत - www.censusindia.2011.com, www.onefivenine.com[15]

कार्य सहभागिता की दृष्टि से इन सभी तहसीलों की जनसंख्या और विशेषत: अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कार्य क्षेत्र कृषि और कृषि से संलग्न विभिन्न कार्यों से जुड़ा है। अर्थात सभी तहसीलों की अनुसूचित जातियों के लोग मुख्यतः खेतीहर मजूदरी से जुड़े है जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। उनकी इस आजीविका में कठोर शारीरिक श्रम, कम मजदूरी और रोजगार अथवा आय के सीमित साधन उनकी आर्थिक स्थिति को अधिक प्रभावित करते है। इसलिए तीनों तहसीलों की अनुसूचित जातियों की संख्या मनरेगा के कार्यों में संलग्न है और खेतीहर मजदूरी के बाद मनरेगा में मिलने वाला रोजगार उनके कमाई का जरीया है। यहाँ दिक्कत इस बात की है

कि, अनुसंधान से संबंधित दोनों जिलों के छः तहसील और उसमें निवास करने वाली अनुसूचित जाति की संख्या का साक्षरता दर अधिक होने के बाद भी इस क्षेत्र की बड़ी आबादी कृषि एवं खेतीहर मजदूरी में लिप्त है।

सिंदखेड़ राजा तहसील में शामिल गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (वर्तमान स्थिति 2020 के आँकड़ों पर आधारित हैं।) तालिका संख्या 13

सिंदखेड़ तहसील में शामिल पाँच गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति					
गाँव का नाम	1 गोरेगाँव	2 मोहाड़ी	3 राजेगाँव	4 सायाळा	5 शेंदूरजन
जनसंख्या	1,461	1,466	1,939	1,266	4,866
साक्षरता	83.48	81.65	79.92	83.00	80.15
अनुसूचित जातियों की संख्या	679	671	977	251	948
अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	46.48 प्रतिशत	45.77 प्रतिशत	50.39 प्रतिशत	19.83 प्रतिशत	19.48 प्रतिशत
कुल श्रमिक	783	843	1,197	718	2,671
मुख्य श्रमिक	770	790	1,087	589	2,597
सीमांत मजदूर	13 (1.66 प्रतिशत)	53 (6.29 प्रतिशत)	110 (9.19 प्रतिशत)	129 (17.97 प्रतिशत)	74 (2.77 प्रतिशत)
खेतीहर मजदूर की संख्या	488	318	615	105	1304
प्राथमिक स्कुल	01	01	01	01	02
माध्यमिक स्कुल	नहीं है।	नहीं है।	01	नहीं है।	01
सरकारी दवाखाना	है।	नहीं है।	है।	नहीं है।	है।
बैंकिंग की सुविधा	है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	है।
पक्का रस्ता	है।	है।	है।	है।	है।
विद्युतीकरण	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।

स्रोत - www.censusindia.2011.com, www.onefivenine.com[16]

अकाल, सुखा या प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बरबाद होने पर इन्हें अपने रोजगार के लिए प्रवसन करना पड़ता है और साल के कई महिनों तक बेरोजगार रहना पड़ता है। जिसकी वजह से वह गरीबी के कुचक्र से कभी बाहर निकल नहीं पाते। इस संबंध में, सीमांत अथवा खेतीहर मजदूरों की संख्या एवं प्रतिशत को हम तालिका संख्या 5, 6 और 7 में देखा जा सकता है। आजीविका से संबंधित बेहतर घर, दवाखाना, बच्चों के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कुल, पक्का रस्ता, बैंकिंग की सुविधा और ग्रामीण विद्युतीकरण यह सब आवश्यक कारक है जो ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन मेहकर तहसील के उमरा (देशमुख) और कळपविहीर, सिंदखेड़ राजा तहसील के मोहाड़ी और सायाला तथा लोणार तहसील के चोर पांगरा और शारा ऐसे गाँव है, जहाँ

अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक होने के बाद भी दवाखाना, बच्चों के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कुल, पक्का रस्ता, बैंकिंग की सुविधा से वंचित है।

लोणार तहसील में शामिल गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (वर्तमान स्थिति 2020 के आँकड़ों पर आधारित हैं।) तालिका संख्या 14

लोणार तहसील में शामिल पाँच गाँवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति					
गाँव का नाम	1 कोयाली	2 चोर पांगरा	3 गुंजखेड़	4 सुलतापुर	5 शारा
जनसंख्या	1,148	999	1,457	8,688	3,182
साक्षरता	82.90	87.07	78.46	82.27	76.97
अनुसूचित जातियों की संख्या	402	332	399	1,121	1,166
अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	35.02	33.23 प्रतिशत	57.39 प्रतिशत	12.90 प्रतिशत	36.64 प्रतिशत
कुल श्रमिक	739	615	766	3,668	1,738
मुख्य श्रमिक	735	577	744	3,038	1,695
सीमांत मजदूर	05 (0.54 प्रतिशत)	38 (6.18 प्रतिशत)	22 (2.87 प्रतिशत)	630 (17.18 प्रतिशत)	43 (2.47 प्रतिशत)
खेतीहर मजदूर की संख्या	646	350	418	1781	1055
प्राथमिक स्कुल	01	01	01	01	01
माध्यमिक स्कुल	है।	नहीं है।	01	05	नहीं है।
सरकारी दवाखाना	है।	नहीं है।	है।	है।	नहीं है।
बैंकिंग की सुविधा	है।	नहीं है।	नहीं है।	है।	नहीं है।
पक्का रस्ता	है।	है।	है।	है।	है।
विद्युतीकरण	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।	हुआ है।

स्रोत - www.censusindia.2011.com, www.onefivenine.com[17]

स्पष्ट है कि, इन सब बातों का असर उनकी आजीविका पर होता है और बेहतर तरीके से जीवन-यापन करने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मनरेगा में काम करते समय जॉब कार्ड का समय पर न बनना, सौ दिन काम करने के बाद भी बैंक से पैसा निकालने के लिए दस-बीस किलो मिटर की यात्रा करना। बैंक से पैसा निकालने में दिक्कत होना यह सब इस क्षेत्र की प्रतिदिन की समस्याएँ हैं।इन सब बातों का असर दोनों जिलों में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पर होता है। वह अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए भारी दिक्कतों का समाना करते हैं। साथ ही, समान रूप से, दोनों जिलों की अनुसूचित जातियों को मनरेगा में काम करते समय कई मुश्किले आती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि, अनुसंधान से संबंधित दोनों जिलों,

तहसीलों और चयनित गॉवों की अनुसूचित जातियों के संबंध में मनरेगा को लेकर जिसमें सुधार होने की अत्यंत आवश्यकता है, जो उक्त क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रमजिवी जनता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को उजागर करें और उनकी बेहतरी का मार्ग सुझाएँ। यहाँ अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित वाशिम एवं बुलड़ाणा जिले के तहसीलों को नक्शा संख्या चार (4) में दर्शाया गया है।

नक्शा संख्या : ४
वाशिम एवं बुलड़ाणा जिलों के तहसीलों से संबंधित अनुसंधान क्षेत्र

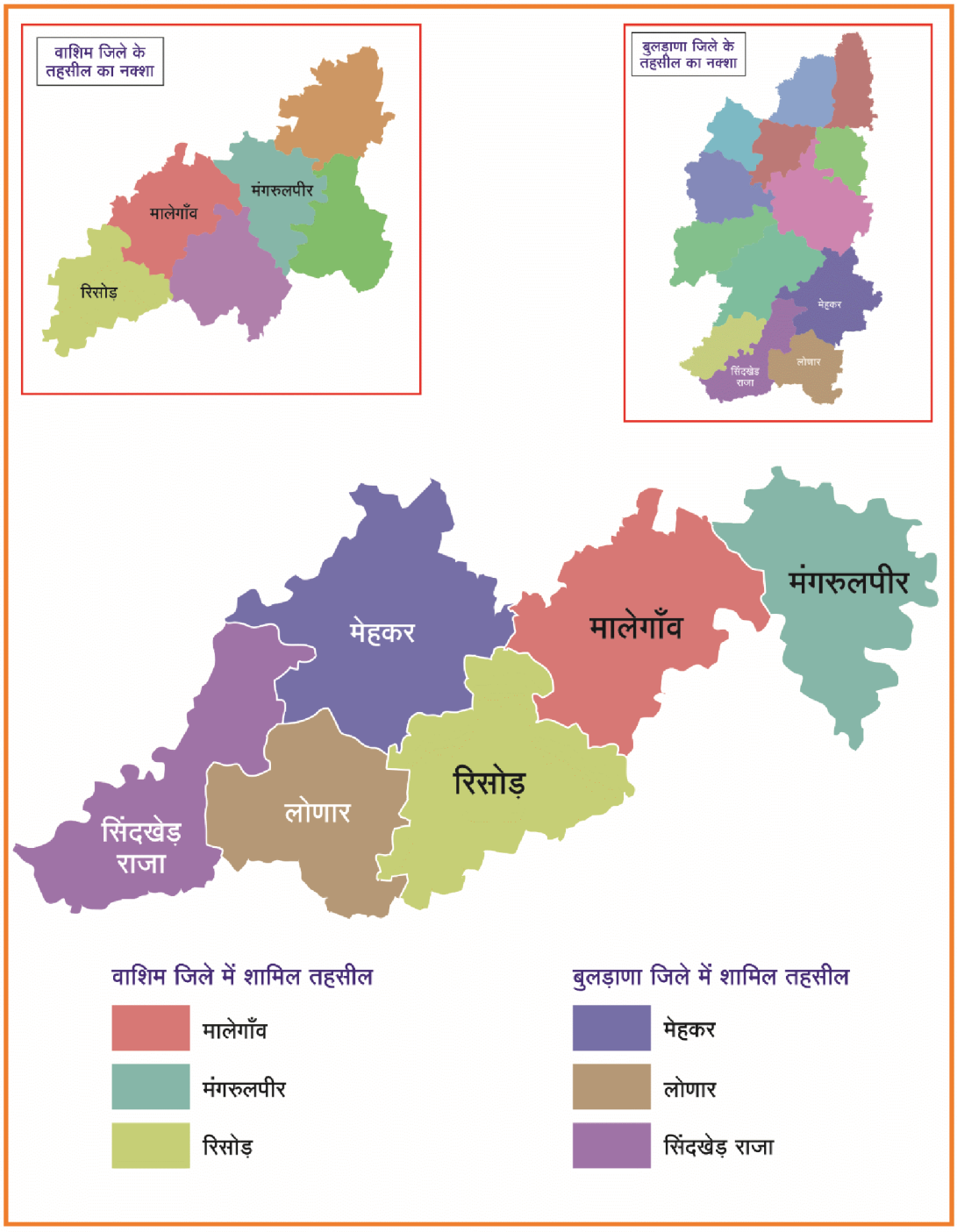

संदर्भ :

1. https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/unicef_rpt/DistrictLevelta bles.pdf Date : 22.8.2018
2. https://www.census2011.co.in/census/district/340-washim.html,

   http;//socialjustice.ni/UserView/index?mid=76663.and

   http://trti.maharashtra.gov.in/index.php/en/divisonwise-total-tribal-population

   Date : 29.09.2018
3. https://www.censusindia.co.in/district/washim-district-maharashtra-502 Date : 6.7.2018
4. https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/unicef_rpt/DistrictLevelta bles.pdf Date : 17.8.2018
5. https://www.censusindia.co.in/district/washim-district-maharastra-502https://www.censusindian.co.in/census/subdistrict/mangrulpirtaluka-washim-maharashtra-3996, https;//www.censusindia.co.in/subdistrict/risod-taluka-washim-maharashtra-4000 Date: 18.11.2019
6. https://www.indcareer.com/find/all-colleges-in-washimDate : 22.11.2019
7. www.censusindia.2011.com, www.onefivenine.comDate : 11.12.2019
8. वहीं Date : 11.12.2019
9. वहीं Date : 11.12.2019
10. https://www.census2011.co.in/census/district/338-buldana.html,http://socialjustice.nic.in/UserView/index?mid=76663,https://trti.maharashtra.gov.in/index.php/en/divisionwise-total-population. Date : 06.02.2019
11. https://www.census2011.co.in/census/district/338-buldana.html Date : 19.04.2019
12. https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/unicef_rpt/DistrictLevelta bles.PdfDate : 28.5.2019
13. https://www.censusindian.co.in/subdistrict/lonar-taluka-buldana-maharashtra-3987ECONOMIC SURVEY OF MAHARASHTRA 2011-12

https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/esm_2011-12_eng.pdf.Date : 23.08.2019

14. https://buldhana.nic.in/en/public-category/colleges/Date : 26.11.2019
15. www.censusindia.2011.com, www.onefivenine.comDate : 13.11.2019
16. वहीं Date : 17.11.2019
17. वहीं Date : 25.10.2019

अध्याय पाँच

मनरेगा लाभार्थियों की स्थिति एवं विविध प्रभाव

(पूर्व - पश्च्यात)

अध्याय पाँच

मनरेगा लाभार्थियों की स्थिति एवं विविध प्रभाव (पूर्व - पश्च्यात)

5.1 प्रस्तावना:

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (या, नरेगा, जिसे बाद में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम", MGNREGA) के रूप में नाम दिया गया है, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसका उद्देश्य 'काम के अधिकार' की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के अधीन पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाना है, जिससे प्रत्येक घर में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने के लिए कम से कम 100 दिन का वेतन प्राप्त कर सकें।

इस अधिनियम का प्रस्ताव प्रथमत: 1991 में पी. व्ही. नरसिन्हा राव की सरकार ने रखा था। इसे अंततः संसद में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में लागू किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर, नरेगा को 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों को कवर करने के लिए तैयार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क़ानून को "दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम" के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। 2014 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक ने इसे "ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण" भीकहा है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में शारीरिक श्रम पर आधारित अकुशल काम करने के लिए कम से कम 100 दिन की गारंटी वाला रोज़गार प्रदान कराना है, जिसमें वयस्क सदस्य मुख्य केंद्र हैं। प्रस्तुत अनुसंधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 का अनुसूचित जातियों पर हुआ सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव-परिणाम प्रस्तुत करता है जो अनुभवजन्य तथ्यों पर केन्द्रित है। अत: इस अध्याय में मनरेगा के अनुसूचित जातियों पर हुए सामाजिक-आर्थिक प्रभाव-परिणाम सम्बंधित क्षेत्र से संकलित –संसाधित तथ्यों को सारणी एवं आरेख के माध्यम से प्रस्तुत कर विस्तृत विवेचन किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय दो खंड़ो में बटा हुआ है। इसमें खंड़ अ: मनरेगा लाभार्थियों की समाजार्थिक स्थिति और खंड़ ब: मनरेगा लाभार्थियों पर विविध प्रभाव (पूर्व - पश्च्यात) शामिल हैं। इसमें कुछ तथ्यों को आकलन योग्य बनाने के लिए सांख्यिकी परीक्षणों का उपयोग भी किया गया है।

5.2 खंड़ अ: मनरेगा लाभार्थियों की समाजार्थिक स्थिति

5.2.1 सामाजिक जानकारी

सामाजिक स्थिति सामाजिक मूल्य का माप है। अधिक विशेष रूप से, यह एक समाज में लोगों, समूहों, और संगठनों के लिए सम्मान, सम्मानग्रहण की गई क्षमता और सम्मान के सापेक्ष स्तर को संदर्भित करता है। कुछ लेखकों ने सामाजिक रूप से मूल्यवान भूमिका या एक व्यक्ति को "स्थिति" (उदाहरण के लिए, लिंग, सामाजिक वर्ग, जातियता, धर्म, अन्य सामाजिक संरचनाएक आपराधिक दोष होने, मानसिक बीमारी होने आदि) के रूप में संदर्भित किया है। 'स्थिति' उन मान्यताओं पर आधारित है जिनके बारे में समाज के सदस्यों का मानना है कि, तुलनात्मक रूप से कम या अधिक सामाजिक मूल्य रखते हैं। परिभाषा के अनुसार, इन मान्यताओं को मोटे तौर पर एक समाज के सदस्यों के बीच साझा किया जाता है। जैसे, लोग संसाधनों, नेतृत्व के पदों और सत्ता के अन्य रूपों को आवंटित करने के लिए स्थिति पदानुक्रम का उपयोग करते हैं। दूसरी और, सामाजिक स्थिति के अध्ययन का महत्व सामाजिक अनुसंधान में अनन्यसाधारण है। क्योंकि, यही से स्वतंत्र चारो का विन्यास होना मुमकिन होता है। प्रस्तुत अनुसंधान मनरेगा के लाभार्थियों पर केन्द्रित है, इसलिए उनकी सामाजिक स्थिति के अध्ययन में उनका लिंग, जाति, परिवार का प्रकार एवं धर्म जैसे चरों को सम्मिलित किया गया है। प्राप्त परिणाम सारणी ४.१ में प्रदर्शित है।

सारणी ४.१ : सामाजिक जानकारी

स्वयं की पहचान (लिंग)			**जाति**		
प्रतिसाद	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**	**प्रतिसाद**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
पुरुष	**273**	**91**	**नव बौद्ध**	**151**	**50.3**
			मातंग	89	29.7
स्त्री	27	9	चमार	30	10
			दोहर	30	10
कुल	**300**	**100**	**कुल**	**300**	**100**

परिवार का प्रकार			धर्म		
प्रतिसाद	आवृत्ति	प्रतिशत	प्रतिसाद	आवृत्ति	प्रतिशत
विभक्त	**207**	**69**	धर्म हिंदू	147	49
विस्तारित	1	0.3	**बौद्ध**	**152**	**50.7**
संयुक्त	92	30.7	मुसलमान	1	0.3
कुल	300	100	**कुल**	**300**	**100**

सारणी ४.१ से स्पष्ट है की, सर्वाधिक ९१.० प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष है जबकि, शेष केवल ९.० प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं है। प्राप्त स्थिति साफ़ पुरुष वर्चस्व को संदर्भित करती है। यह स्थिति यह भी संदर्भित करती है कि मनरेगा में काम करने के लिए अनुसूचित जातियों के महिलाओं का सहभाग अत्यंत कम है। इस स्थिति में महिलाओ को मनरेगा में बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना अनिवार्य दिखाई पड़ता है। वहीं, जब बात जाति की आती है, यह स्पष्ट है की ५०.३ प्रतिशत उत्तरदाता नवबौद्ध है, तत्पश्च्यात एक चौथाई से अधिक २९.७ प्रतिशत उत्तरदाता मातंग जाति से है। शेष २०.० प्रतिशत में से १०.० प्रतिशत क्रमशः चमार और दोहर है। यह स्थिति दर्शाती है कि, मनरेगा में अनुसूचित जातियों में नवबौद्ध की बहुलता है। अचरज की बात यह है कि, प्रस्तुत अनुसंधान महाराष्ट्र में किया गया है। फिर भी महार जाति से कोई भी नहीं पाया गया है। इसका एक कारण यह भी है कि, अधिकांश माहार जाति नवबौद्ध में परिवर्तित हो चुकी है। जब बात परिवार की प्रकृति है, तब यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक ६९.० प्रतिशत उत्तरदाता विभक्त परिवार से है, तत्पश्च्यात ३०.७ प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार से है, और शेष केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाता विस्तृत परिवार से है। यह परिणाम साफ़ दर्शाते है कि, जो ग्रामीण समुदाय पहले संयुक्त परीवार प्रणाली के लिए विख्यात था आज वह विभक्त परिवार प्रणालियों में परिवर्तित हो रहा है। इस स्थिति के लिए कुछ हद तक सरकारी नीतियाँ भी जिमेदार हैं। क्योंकि, सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम का लाभ एक परिवार एक ही बार ले सकता है। इसलिए विभक्त परिवार अधिक निर्मिती होते हुए दिखाई पड़ते हैं ताकि, हर व्यक्ति लाभ ले सके। जब बात धर्म की है, तो यह प्रतीत होता है कि आधे ५०.७ प्रतिशत उत्तरदाता बौद्ध हैं, तत्पश्च्यात तक़रीबन ४९.० प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू है एवं शेष ०.३ प्रतिशत उत्तरदाता मुसलमान है। प्रस्तुत अनुसंधान से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि, डॉ. अम्बेडकर के दलित आंदोलन के प्रभाव से और उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से आज अनुसूचित जातियों में बौद्ध धर्म के अनुयायीयों की बहुलता पायी जाती है।

5.2.2 उम्र:

उम्र को वर्षों की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यक्ति के जन्म से आज तक जितने साल बीते है उतनी उसकी उम्र मानी जाति है। एक बहस जैविक उम्र और मानसिक उम्र की भी है, पर यहा बात जैविक उम्र की है। व्यक्ति की सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़ती, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ उसमें परिपक्वता भी विकसित होती है। इसीलिए हिंदी में कहावत कि है 'उम्र का तकाज़ा है। यह इसलिए है क्योकि, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसे समाज में विभिन्न अनुभवों, प्रसंगों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके चलते एक विशिष्ट परिस्थिति अनुरूप परिपक्वता भी विकसित होती है। व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसकी सोच, पसंद, नापसंद, एवं चीजों की और देखने का नजरिया बदलता जाता है। इसीलिए कोई भी सामाजिक अनुसंधान, जो व्यक्ति केन्द्रित हो, उसमे उत्तरदाताओं की उम्र का अध्ययन किया जाता है। यह सामाजिक अनुसंधान में एक स्वतंत्र चर भी साबित होता है जिसका प्रभाव अन्य चरों पर आसानी से पाया जाता है। यहाँ 'मुक्त' प्रश्न द्वारा उत्तरदाताओं की उम्र संबंधी तथ्य संकलित कर उन्हें तिन श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं। १८ से ३५ वर्ष के उत्तरदाताओं को युवा और ३६ से ५९ वर्ष के उत्तरदाताओं को प्रौढ़ कहा गया है। वहीं, ६० वर्ष से अधिक उम्र के उत्तरदाताओं को वृद्ध कहा गया है। प्राप्त तथ्थ्यों का आकलन होने के लिए उम्र के मध्य एवं मानक विचलन की गणना भी की गई है। प्राप्त तथ्य आरेख ४.१ में प्रदर्शित हैं।

आरेख ४.१: उम्र

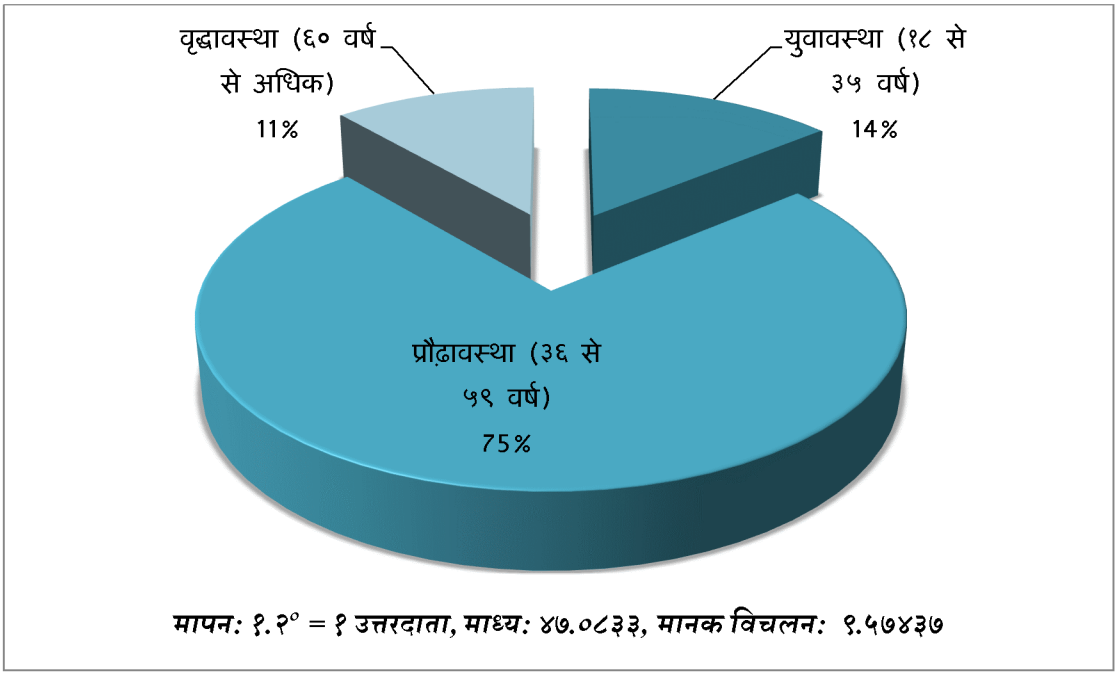

मापन: *१.२° = १ उत्तरदाता,* ***माध्य:*** *४७.०८३३,* ***मानक विचलन:*** *९.५७४३७*

आरेख ४.१ से स्पष्ट है कि, तिन चौथाई (७५.०) प्रतिशत उत्तरदाता प्रौढ़ है। तत्पश्च्यात १४.० प्रतिशत उत्तरदाता युवा हैं एवं शेष केवल ११.० प्रतिशत उत्तरदाता वृद्ध हैं। माध्य एवं मानक विचलन से प्राप्त तथ्य स्पष्ट करते है कि, उत्तरदाताओं की औसतन उम्र ४७.०८३३(±९.५७४३७) वर्ष है जो प्रौढ़ावस्था को इंगित करती है। प्राप्त तथ्य से निष्कर्ष निकलता है कि, मनरेगा में कार्यरत अनुसूचित जाति के मजदूरों में प्रौढ़ावस्था से आनेवाले मजदूर अधिक है। इनका अनुपात प्रत्येक चार के पीछे तिन है। वहीं, प्रत्येक दस उत्तरदाताओं में केवल एक ही उत्तरदाता वृद्ध है। यद्यपि, वृद्धावस्था में मजदूरी करना अपेक्षित भी नहीं है। लेकिन अचरज की बात यह है कि, युवाओ का अनुपात भी कम पाया गया है। इसका एक कारण संभवत: युवा मजदूरी की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहें हैं यह हो सकता है अथवा मनरेगा में मिलने वाली कम मजदूरी से युवा संतुष्ट नहीं हैं, यह भी हो सकता है। जो हो, युवा उत्तरदाताओं से कि गई अनौपचारिक चर्चा से यह पता चलता है कि, यह दोनों कारण एकसाथ प्रभाव ड़ाल रहे हैं। वहीं, शिक्षित युवा गाँव से बाहर निकलकर अपनी आमदनी तलाश रहे हैं।

5.2.3 राशनकार्ड़ का प्रकार:

राशन कार्ड़ भारत में सरकार द्वारा परिवारों को जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसमें राशन कार्ड़ धारक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी प्राप्त दरों में अनाज खरीदने के लिए पात्र होता है। कई भारतीयों के लिए राशन कार्ड़ एक सामान्य पहचान के रूप में भी काम करता है।

(N.F.S.A.)के तहत, भारत में सभी राज्य सरकारों को ऐसे परिवारों की पहचान करनी होतीहै जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिड़ी वाले अनाज खरीदने के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, परिवारों की पहचान मुक्कमल होने पर उन्हें राशन कार्ड़ प्रदान किया जाता है। एन.एफ.एस.ए.के अंतर्गत दो प्रकार के राशन कार्ड़ हैं:-

- प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) राशन कार्ड़ ऐसे परिवारों को जारी किए जाते हैं जो अपनी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड़ों को पूरा करते हैं। इसमें, प्रत्येक प्राथमिकता वाला घर प्रति माह प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार होता है।
- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड़ "गरीब से गरीब" परिवारों को जारी किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक अंत्योदय अन्न योजनाघर प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है।

एन.एफ.एस.ए. लागू होने से पहले, तीन प्रकार के राशन कार्ड़ रहे हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से हैं-

- गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को (एपीएल) राशन कार्ड़ जारी किया जाता है। इसमें परिवारों को 15 किलोग्राम खाद्यान्न (उपलब्धता के आधार पर) प्राप्त होता है।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को (बीपीएल) राशन कार्ड़ जारी किया जाता है। इसमें परिवारों को 25-35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलना प्रस्तावित है।
- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड़ "गरीब से गरीब" परिवारों को जारी किया जाता है। इसमें परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता था।[1]

भारतीय परिपेक्ष में राशन कार्ड़ व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी प्रदर्शित करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति केन्द्रित सामाजिक अनुसंधान में, इसकी उपलब्धता की जाच की जाति है। प्रस्तुत अनुसंधान इसमें अपवाद नही है। यहाँ 'बंद' प्रश्न की सहायता से संबंधित तथ्य संकलन को आरेख ४.२ में प्रदर्शित किया गया है।

आरेख ४.२: राशन कार्ड़ का प्रकार

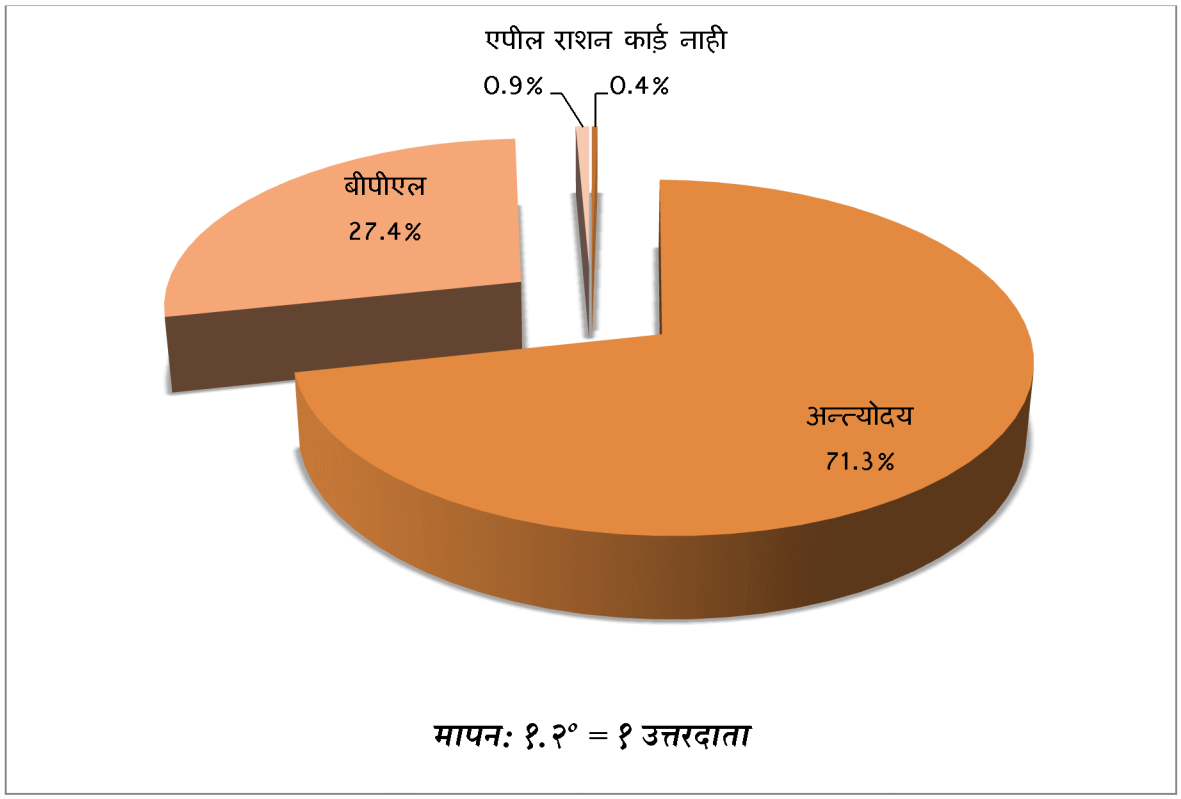

मापन: १.२° = १ उत्तरदाता

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Ration_card_(India)Dated : 28/09/2021

आरेख ४.२ से स्पष्ट है कि तक़रीबन तिन चौथाई ७१.3 प्रतिशत उत्तरदाता अन्त्योदय कार्ड़ धारक है। तत्पश्च्यात एक चौथाई से अधिक २७.४ प्रतिशत उत्तरदाता बीपीएल कार्ड़ धारक है, जबकि, केवल ०.९ प्रतिशत उत्तरदाता एपीएल कार्ड़ धारक है। ०.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कोई भी राशन कार्ड़ उपलब्ध नहीं है। प्राप्त तथ्य साफ़ दर्शाते है कि, लगभग सभी उत्तरदाता अन्त्योदय कार्ड़ धारक है या बीपीएल कार्ड़ धारक हैं। यहाँ उत्तरदाताओं की आर्थिक रूप से पिछड़े होने की स्थिति साफ प्रदर्शित होती है। यह एक सही संकेत भी है। क्योंकि, मनरेगा आर्थिक हाशिये पर खड़े समाज को ही सशक्त करने के लिए क्रियान्वित की गई है। दूसरा पक्ष यह है कि, प्रस्तुत अनुसंधान महाराष्ट्र के ग्रामीण अनुसूचित जातियों पर केन्द्रित है और यह तबका वैसे ही आर्थिक हाशिये पर सदियो से खड़ा है जो आज भी बरकरार है।

5.2.4 वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति, एक व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण संबंध का वर्णन करने वाले अलग-अलग विकल्प होते हैं। विवाहित, एकल, तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता यह सब वैवाहिक स्थिति के उदाहरण हैं। वैवाहिक स्थिति का उपयोग रूपों, महत्वपूर्ण अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों में किया जाता है जो किसी व्यक्ति से विवाहित या एकल होने या पूछने के लिए संकेत करते हैं। वैवाहिक स्थिति का अर्थ यह है कि, किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से उनके अधिकार क्षेत्र से मान्यता प्राप्त है। अगर वे सिविल या कॉमन लॉ मैरिज में हैं, तो किसी व्यक्ति की निर्दिष्ट नागरिक हैसियत भी हो सकती है। कानूनी रूप से अलग हुए व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति तलाकशुदा होती है। ऐसे में,एक सहवास करने वाले जोड़े (जैसे घरेलू साझेदारी में) की वैवाहिक स्थिति परिस्थितियों और अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करती है। यद्यापि,जिन्होंने कभी शादी नहीं की, जो एकल स्थिति में रहते हैं उनके संबंध कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।

नागरिक स्थिति के बारे में प्रश्न मात्रात्मक अनुसंधान के लिए प्रश्नावली पर दिखाई देते हैं, जैसे कि जनगणना के रूप में। किसी व्यक्ति के चिकित्सा इतिहास में, नागरिक स्थिति को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का महत्त्व प्राप्त है और एक सरकार नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से अपने नागरिकों की नागरिक स्थिति को रिकॉर्ड़ करती है। प्रस्तुत अनुसंधान में वैवाहिक स्थिति 'बंद' प्रश्न के माध्यम से जाँची गई है। प्राप्त तथ्य सारणी ४.२ में प्रदर्शित किये गये है।

सारणी ४.२:वैवाहिक स्थिति

प्रतिसाद	आवृत्ति	प्रतिशत
अविवाहित	1	0.3
विवाहित	**272**	**90.7**
विधुर	2	0.7
विधवा	20	6.7
तलाक़शुदा	5	1.7
कुल	**300**	**100**
मद	**माध्य**	**मानक विचलन**
शादी हुई तो बच्चों की संख्या	2.1237	0.82824
कुल लड़को की संख्या	1.4381	0.72724
कुल लड़कियों की संख्या	0.796	0.77839

सारणी ४.२ अनुसार सर्वाधिक ९०.७ प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है, तत्पश्च्यात ६.७ प्रतिशत उत्तरदाता विधवा है, १.७ प्रतिशत उत्तरदाता तलाकशुदा है, ०.७ प्रतिशत उत्तरदाता विधुर है। केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित है। प्राप्त तथ्य साफ़ दर्शाते है कि, उत्तरदाताओं में विवाहित उत्तरदाताओं का वर्चस्व है। वहीं, दूसरी मुख्य बात यह है कि, विधवा उत्तरदाताओं की संख्या नजरअंदाज करने लायक कतई नहीं है। विधवा उत्तरदाता भी मनरेगा से जुड़ रहे हैं जो एक अच्छा संकेत हैयह अवसर उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। वहीं, जब बात विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, विधुर उत्तरदाताओं की है, तो यह भी पाया गया है कि,उत्तरदाताओं को औसतन २.१२३७ (±०.८२८२४) बच्चें है, जिसमे औसतन १.४३८१ (±०.७२७२४) लड़के है और औसतन ०.७९६० (±०.७७८३९) लड़कियाँ है। यह स्थिति असंतुलित लिंग अनुपात की तरफ साफ़ इशारा करती है। इन तथ्यों से निष्कर्ष निकालता है कि, मनारेगा में कार्यरत अनुसूचित जाति के मजदूरों में विवाहित मजदूरों का प्रभुत्व है एवं इनमें असंतुलित लिंग अनुपात मुख्यतः पाया जाता है।

5.2.5 परिवार के सदस्यों की शैक्षिक स्थिति

प्रभावी शिक्षा एक सीखने का अनुभव है।शिक्षा व्यक्ति की सोच और चीजों को करने की क्षमता में एक अंतर्निहित और स्थायी बदलाव लाती है।कई लोगों के पास शिक्षा की सतही अवधारणा है। उनकी दृष्टि में शिक्षा का अर्थ किसी विशेष पाठ्यक्रम को करने या किसी विशेष योग्यता प्राप्त करने के साथ इसकी बराबरी करना है। शिक्षा न सिर्फ योग्यता प्राप्त करनेका जरिया है बल्कि, यह एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना, क्षमता, गुण, दृढ़ विश्वास और भविष्यवाणियों को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने भावी जीवन के लिए सक्षम एवं परिपक्व बनाती है और व्यक्ति को समाज में एक भिन्न दर्जा भी दिलाती है। यह एक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रस्तुत अनुसंधान में उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्यों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। प्राप्त परिणाम सारणी ४.३ में प्रदर्शित है।

सारणी ४.३:परिवार सदस्यों की शैक्षिक स्थिति

परिवार सदस्यों की शैक्षिक स्थिति								
प्रतिसाद	**परिवार का मुखिया?**	**पत्नी**	**बड़ा लड़का**	**बड़ी लड़की**	**माता जी**	**पिता जी**	**भाई**	**बहन**
अशिक्षित	26 -8.7	**79** **-26.3**	34 -11.3	**112** **-37.3**	**284** **-94.7**	**290** **-96.7**	**283** **-94.3**	**292** **-97.3**
पूर्व प्राथमिक	6 -2	24 -8	6 -2	11 -3.7	5 -1.7	6 -2	6 -2	3 -1
प्राथमिक (१ से ४)	35 -11.7	73 -24.3	42 -14	37 -12.3	2 -0.7	3 -1	1 -0.3	1 -0.3
उच्च प्राथमिक (५ से ८)	73 -24.3	74 -24.7	**69** **-23**	71 -23.7	6 -2	1 -0.3	5 -1.7	2 -0.7
माध्यमिक	**90**	45	66	48	3	0	4	1

(९ से १०)	-30	-15	-22	-16	-1	0	-1.3	-0.3
उच्च माध्यमिक (११ से १२)	53 -17.7	5 -1.7	66 -22	18 -6	0 0	0 0	1 -0.3	1 -0.3
स्नातक	16 -5.3	0 0	12 -4	3 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
परास्नातक	1 -0.3	0 0	5 -1.7	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
कुल	300 -100	300 -100	300 -100	300 -100	300 -100	300 -100	300 -100	300 -100

शिक्षित सदस्य		
मद	माध्य	मनाक विचलन
परिवार मे कुल शिक्षित पुरुष की संख्या	1.3533	0.9721
परिवार मे कुल शिक्षित महिला की संख्या	0.9833	0.72443
परिवार मे कुल शिक्षित लड़कियों की संख्या	0.9033	0.83043
परिवार मे कुल शिक्षित लड़कों की संख्या	0.5267	0.62497

सारणी ४.३ से स्पष्ट है कि, ३०.० प्रतिशत परिवार के मुखिया माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। तत्पश्च्यात २४.३ प्रतिशत परिवार के मुखिया उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं। प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि, परिवार के मुखियों में शिक्षा का स्तर मुख्यत: उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक पाया गया है। वहीं, आकड़ो के गहन अवलोकन पर यह भी दिखाई देता है कि, अधिकतर परिवार के मुखिया अशिक्षित से माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित है। वहीं, जब बात पत्नी की है, तो यह पाया गया है कि, एक चौथाई से अधिक २६.३ प्रतिशत पत्नियाँ अशिक्षित हैं। तत्पश्च्यात २४.७ प्रतिशत पत्नियाँ उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है एवं २४.३ प्रतिशत पत्नियाँ प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है। यह स्थिति साफ़ बया करती है कि, अधिकतर पत्नियाँ अशिक्षित से उच्च प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित है।

बड़े लड़कों में २३.० प्रतिशत लड़कें उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है। तत्पश्च्यात २२.० प्रतिशत बड़े लड़कें क्रमशः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित है। यह स्थिति इंगित करती है कि, अधिकतर

बड़े लड़के अशिक्षित से उच्च माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित है। वहीं, बात जब बड़ी लड़कीयों की है, तो ३७.३ प्रतिशत लड़कियाँ अशिक्षित है। तत्पश्च्यात २३.७ प्रतिशत बड़ी लडकियां उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है। यह स्थिति इंगित करती है कि अधिकतर बड़ी लडकियां अशिक्षित से उच्च प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित है। अर्थात, यहाँ भी लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। दुसरी ओर, अधिकतर बड़े लड़के अशिक्षित से उच्च माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित है।

इस प्रकार उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन १.३५३३ (±०.९७२१)शिक्षित पुरुष है, ०.९८३३ (±०.७२४४३) शिक्षित महिला है, ०.९०३३ (±०.८३०४३) शिक्षित लड़कियां है और ०.५२६७ (±०.६२४९७) शिक्षित लड़कें है। यह पूर्ण स्थिति उत्तरदाताओं के शैक्षिक हशियेपन को बयाँ करती है।

प्राप्त परिणामों से यह स्पष्ट है कि, शिक्षा के संबंध में उत्तरदाता हाशिये पर है, अर्थात यह उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, अनुसूचित जाति के मजदुर होने से उनकी स्थिति अधिक हाशिये पर खड़ी मिलती है। यहाँ केवल मनरेगा में प्राप्त होनेवाला सौ दिन का रोजगार ही उनके आर्थिक हाशियेपन को कुछ (सुक्ष्म) हद तक संभालता हुआ दिखाई देता है।

खंड़ ब: मनरेगा लाभार्थियों पर विविध प्रभाव (पूर्व - पश्च्यात)

5.2.6 निवास का प्रकार, स्वामित्व, संरचना एवंसुधार

परंपरागत रूप से, ग्रामीण क्षेत्रो में, मिट्टी और मिट्टी से बने घर गांवों में पैटर्न रहे हैं। बदलते समय के साथ अन्य प्रकार के घर भी दिखाई देते हैं। इसमें,घर का प्रकार और स्वामित्वव्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को इंगित करता है। इसीलिए, किसी भी व्यक्ति केंद्रित सामाजिक अनुसंधान में, उसके निवास संबंधी जानकारी का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है जिससे, उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को समझा जा सके। प्रस्तुत अनुसंधान में इस स्थिति कों समझने का प्रयास किया गया है। निवास संबंधी अध्ययन करने के लिए मनारेगा में कार्य करने से पूर्व एवं पश्च्यात निवास का प्रकार, स्वामित्व, संरचना एवं सुधार का अध्ययन किया गया है। ताकि, पूर्व एवं पश्च्यात की स्थिति में निर्मित अंतर को रेखांकित किया जा सके। यहाँ तालिका ४.४ उत्तरदाताओं के घर के प्रकार और स्वामित्व को दर्शाती है।

सारणी ४.४ से दिखायी देता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व ६४.३ प्रतिशत उत्तरदाता मिट्टी एवं कूड़ें के घर में रहते थे। वहीं, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात इस स्थिति में भरी बदलाव आया है। मनरेगा में काम करने के बाद मिट्टी एवं कूड़ें के घर में रहनेवाले उत्तरदाता केवल ३६.७ प्रतिशत ही बचे हैं। घर के स्वामित्व के संबंध में यह दिखाई पड़ता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व ९७.० प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं के घर में रहते थे एवं १.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं का घर सरकारी घरकुल योजना के तहत बना गया था। वहीं, मनरेगा में कार्य के पश्च्यात स्वयं के घर में ७६.७ प्रतिशत उत्तरदाता रहते हैं और २२.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का घर सरकारी घरकुल योजना के तहत बना है। साथ ही, मनरेगा से जुड़ने के पश्च्यात किराए के घर में रहने वाले उत्तरदाताओं में भी ५० प्रतिशत की गिरावट भी पाई गई है।

घर की संरचना में यह पाया गया की, मनरेगा में कार्य करने से पूर्व सर्वाधिक ८७.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर केवल एक कमरे का था। तदोपरांत १०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का घर दो कमरे का था एवं शेष २.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का घर तिन कमरों का था। वहीं, मनरेगा में कार्य के पश्च्यात ६५.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का हर एक कमरें का और ९.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का घर दो कमरों का है। २४.० प्रतिशत उत्तरदाताओं का घर तिन कमरों का एवं शेष १.४ प्रतिशत में से ०.७ प्रतिशत उत्तार्दाताओं का घर क्रमशःचार और पाँच कमरों का बना हुआ है।

सारणी ४.४ :निवास का प्रकार स्वामित्व एवं संरचना

प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व घर का प्रकार**		**मनरेगा में काम करने के पश्चात घर का प्रकार**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
मिट्टी एवं कूड़े का	**193**	**64.3**	110	36.7
मिट्टी एवं टीन का	78	26	70	23.3
सीमेंट एवं कावेलू का	4	1.3	2	0.7
सीमेंट एवं टीन का	24	8	**113**	**37.7**
सीमेंट और स्लैब का	1	0.3	5	1.7
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व घर का स्वामित्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्चात घर का स्वामित्व**	

	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
स्वयं का	**291**	**97**	**230**	**76.7**
किराए का	4	1.3	2	0.7
रिश्तेदार का	0	0	1	0.3
सरकारी घरकुल योजना का	5	1.7	67	22.3
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व कमरो की संख्या**		**मनरेगा में काम करने के पश्चात कमरो की संख्या**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	**262**	**87.3**	**196**	**65.3**
2	31	10.3	28	9.3
3	7	2.3	72	24
4	0	0	2	0.7
5	0	0	2	0.7
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्चात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
किचन	**15**	**5**	**79**	**26.3**
स्नान गृह	**11**	**3.7**	**71**	**23.7**
शौचालय	**10**	**3.3**	**74**	**24.7**
उपरोक्त सभी	**9**	**3**	**68**	**22.7**

मनरेगा में कार्य करने से पूर्व केवल ५.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में किचन बना हुआ था, ३.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में क्रमशः स्नान गृह और शौचालय बना था एवं ३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में किचन, शौचालय एवं स्नान गृह बने हुए थें। मनरेगा में कार्य करने के बाद २६.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में किचन, २३.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में स्नान गृह, तक़रीबन २४.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में शौचालय एवं २२.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में किचन, शौचालय तथा स्नान गृह बने हुए हैं।

सारणी ४.५ :मानरेगा के कारण घर मे किया गया सुधार

प्रतिसाद	आवृत्ति	प्रतिशत
कोई सुधार नही हुआ है	97	32.3
रसोई घर बनवाया है	103	34.3
स्नान गृह बनवाया है	**117**	**39**
शौचालय बनवाया है	88	29.3
घर मे सुधार न करने का कारण		
प्रतिसाद	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
स्वीकार्य नहीं है	121	40.3
निर्माण सामग्री महंगी है	3	1
निर्माण के लिए जगह की कमी,	7	2.3
अन्य कार्यों की लागत में वृद्धि	5	1.7
अपर्याप्त धन	**164**	**54.7**
कुल	**300**	**100**

मानरेगा के कारण घर मे किये गये सुधार के संबंध में सारणी ४.५ से स्पष्ट है कि, ३९.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नान गृह एवं ३४.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रसोई घर बनवाया है। लगभग ३२.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घर में कोई सुधार नही किया है एवं शेष २९.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शौचालय बनवाया है। जिन उत्तरदाताओं ने घर में कोई सुधार नही किया है ऐसे ५४.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त धन का कारण सामने रखा है।

सारणी ४.४ एवं ४.५ से प्राप्त तथ्य साफ़ इशारा करते है कि, मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात उत्तरदाताओं के घर का स्वरुप, स्वामित्व एवं संरचना में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। मिट्टी के घर सीमेंट के घरों में परिवर्तित हुए हैं, किराए के घर में रहने का प्रमाण आधा हुआ है, तथा घर में कमरों एवं किचन, शौचालय तथा स्नान गृह बनवाने में वृद्धि हुई है। अर्थात, तक़रीबन आधे उत्तरदाताओं ने अपने घर में कुछ न कुछ बदलाव या सुधार किया है। पर शेष आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त धन के चलते घर में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस आधार पर यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि, मनरेगा उसके लाभार्थियों के घर का स्वरुप,

स्वामित्व एवं संरचना में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ आधे लाभार्थियों तक ही सिमित पायां जाता है।

5.2.7 घर मे उपलब्ध सुविधा, उपकरण एवं जानकारी के माध्यम:

घर में उपलब्ध सुविधाएँ, उपकरण एवं जानकारी के माध्यमों से व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि इंगित होती है। इस अध्ययन के उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, घर में उपलब्ध सुविधाओं को एक पैरामीटर के रूप में अपनाया गया है। वहीं, उपकरण में आकर्षण शामिल होता हैं जो आकर्षण और शारीरिक आराम या मूल्य में वृद्धि करता है। उपकरणों की उपलब्धता व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करती है। दूसरी और, जानकारी के माध्यम आज के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषत: यह माध्यम सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रति जागृत होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत अनुसंधान में घर मे उपलब्ध सुविधा, उपकरण एवं जानकारी के माध्यम की उपलब्धता का अध्ययन किया गया है। सारणी ४.६ घर मे उपलब्ध सुविधा एवं उपकरण तथा सारणी ४.७ घर मे उपलब्ध जानकारी के माध्यम दर्शाती है।

सारणी ४.६ से स्पष्ट होता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व केवल ८.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में बिजली उपलब्ध थी। वहीं,मनरेगा में काम करने के पश्चात ३२.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में बिजली उपलब्ध हुई है। अर्थात, यहाँ बिजली के उपयोग में वृद्धि दिखायी देती है। मनरेगा में काम करने से पूर्व केवल ३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में गैस क्नेक्शन उपलब्ध था। वहीं,मनरेगा में काम करने से पश्चात यह प्रतिशत बढ़कर ३६.३ हुआ है। पूर्व स्थिति में केवल १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में मोबाइल उपलब्ध था। वहीं,पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ४२.७ हुआ है। पूर्व स्थिति में केवल १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में सरकारी नल उपलब्ध था। वहीं,पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ४.३ हुआ है। पूर्व स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में हैंड पम्प उपलब्ध था। वहीं,पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २.० हुआ है। मनरेगा में काम करने से पूर्व किसी भी उत्तरदाताओं के घर में दूरध्वनी उपलब्ध नहीं था। वहीं,मनरेगा में काम करने से पश्चात यह प्रतिशत बढ़कर ०.७ हुआ है।

सारणी ४.६ :घर मे उपलब्ध सुविधा एवं उपकरण

प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व घर मे उपलब्ध सुविधाए		मनरेगा में काम करने के पश्चात घर मे उपलब्ध सुविधाए	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
बिजली	**24**	**8**	**98**	**32.7**
गैस क्नेक्शन	**9**	**3**	**109**	**36.3**
मोबाइल	**3**	**1**	**128**	**42.7**
सरकारी नल	3	1	13	4.3
हैंड पम्प	1	0.3	6	2
दूरध्वनी	0	0	2	0.7
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व घर मे उपलब्ध उपकरण**		**मनरेगा में काम करने के पश्चात घर मे उपलब्ध उपकरण**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
सायकल	32	10.7	97	32.3
टेलीविज़न	10	3.3	72	24
गैस सिगड़ी	9	3	93	31
पंखा	7	2.3	50	16.7
दोपहिया वाहन	5	1.7	24	8
विडिओ प्लेयर	1	0.3	1	0.3
फ्रिज	1	0.3	4	1.3
कूलर	1	0.3	3	1
वॉशिंग मशीन	0	0	1	0.3
कम्प्युटर	0	0	56	18.7

सारणी ४.७ :घर मे उपलब्ध जानकारी के माध्यम

प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व घर मे उपलब्ध जानकारी के माध्यम		मनरेगा में काम करने के पश्चात घर मे उपलब्ध जानकारी के माध्यम	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
टेलेविजन समाचार	10	3.3	34	11.3
समाचार पत्र	9	3	40	13.3
पुस्तकालय सुविधा	4	1.3	5	1.7
रेड़ियो	3	1	4	1.3
मोबाइल इंटरनेट सेवा	0	0	34	11.3
मासिक पत्रिका	0	0	42	14

घर में उपलब्ध उपकरणों के संबंध में, मनरेगा में काम करने से पूर्व केवल १०.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में सायकल उपलब्ध थी। वहीं, मनरेगा में काम करने से पश्चात यह प्रतिशत बढ़कर ३२.३ होता है। पूर्व स्थिति में केवल ३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में टेलीविजन उपलब्ध था। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २४.० होता है। पूर्व स्थिति में केवल ३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में गैस सिगड़ी उपलब्ध थी। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ३१.० होता है। पूर्व स्थिति में केवल २.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में पंखा उपलब्ध था। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १६.७ होता है। पूर्व स्थिति में केवल १.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में दोपहिया वाहन उपलब्ध था। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ८.० होता है। पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में विडिओ प्लेयर उपलब्ध था और है। पूर्व स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में फ्रिज उपलब्ध था। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १.३ होता है। पूर्व स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में कूलर उपलब्ध था। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १.० होता है। पूर्व स्थिति में किसी भी उत्तरदाताओं के घर में वॉशिंग मशीन उपलब्ध नहीं थी। वहीं, पश्चात स्थिति में भी यही स्थिति है। पूर्व स्थिति में किसी भी उत्तरदाताओं के घर में कम्प्युटर उपलब्ध नहीं था। वहीं, पश्चात स्थिति में भी यही स्थिति है।

उपलब्ध जानकारी के माध्यम के संदर्भ में यह ज्ञात होता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व केवल ३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में टेलेविजन समाचार उपलब्ध था। वहीं, मनरेगा में काम करने से पश्चात यह प्रतिशत बढ़कर ११.३ हुआ है। पूर्व स्थिति में केवल ३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में समाचार पत्र उपलब्ध था और पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १३.३ हुआ है। पूर्व स्थिति में केवल १.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध थी। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १.७ हुआ है। पूर्व स्थिति में केवल १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में रेडियो उपलब्ध था। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १.३ हुआ है। पूर्व स्थिति में किसी भी उत्तरदाताओं के घर में मोबाइल इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं थी। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ११.३ हुआ है। पूर्व स्थिति में किसी भी मासिक पत्रिका उपलब्ध नहीं थी। वहीं, पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १४.० हुआ है।

सारणी ४.६ एवं ४.७ से प्राप्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि, घर मे उपलब्ध सुविधाओं के सन्दर्भ में, मनरेगा में काम करने से सभी आयामों में उछाल आया है। यह उछाल बिजली, गैस क्नेक्शन एवं मोबाइल में

लाक्षणीय है। अर्थात बिजली, गैस क्नेक्शन एवं मोबाइल यह आज कें जीवन में मुलभुत सुविधाए भी बन चुकी हैं। दूसरी और,घर मे उपलब्ध उपकरणों के संबंध में मनरेगा में काम करने के बाद सभी आयामों में उछाल पाया गया है। यह उछाल सायकल, टेलीविज़न, गैस सिगड़ी, पंखा एवं दोपहिया वाहन आदि में लाक्षणीय है। वैसे भी सायकल, टेलीविज़न, गैस सिगड़ी, पंखा एवं दोपहिया वाहन आदि उपकरणों का सीधा संबंध व्यक्ति के कार्य शक्ति को सरल एवं प्रभावी बनाने से है और वह उत्तरदाताओं की कार्य शक्ति को स्फूर्ति ही प्रदान करता है।

सूचना अथवा जानकारी के संबंध में,मनरेगा में काम करने कें पश्चात सभी आयामों में उछाल आया है। पर यह उछाल टेलेविजन समाचार, समाचार पत्र, मोबाइल इंटरनेट सेवा एवं मासिक पत्रिका आदि में लाक्षणीय है। टेलेविजन समाचार, समाचार पत्र, मोबाइल इंटरनेट सेवा एवं मासिक पत्रिका आज कें जीवन में मुलभुत एवं प्रभावी जानकारी के माध्यम है। अत: ऐसा होना अपेक्षित ही कहाँ जा सकता है।

5.2.8 कृषियोग्य जमीन की उपलब्धता एवं क्रय-विक्रय:

ग्रामीण समुदाय में कृषि कार्यों पर जोर दिया जाता है और कृषि का प्रश्न हमेशा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को तय करने के लिए भूमि के स्वामित्व के सवाल की ओर जाता है। अत:परिवार के आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता की पहचान करने के लिए भूमि का स्वामित्व सहायक है।

दो अलग-अलग तरह की ज़मीनें हैं, जैसे सूखी ज़मीन और गीली ज़मीन या दूसरे शब्दों में सिंचित ज़मीन या गैर-सिंचित ज़मीन। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, भूमि के स्वामित्व पर ड़ेटा एकत्र किया गया है। अर्थात उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मापने के प्रयास के तहत भूमि के स्वामित्व का अध्ययन इनमें शामिल है। तालिका 3.15 भूमि के प्रकार और स्वामित्व का विवरण दिखाती है।

सारणी ४.८ से स्पष्ट होता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.०१०० (±०.१२२२७) एकड़ स्वयं की सिंचाई योग्य खेती थी, जो मनरेगा में काम करने से पश्चात अंशत: बढ़कर औसतन ०.०११७ (±०.११८६५) एकड़ हो गई है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.४६७५ (±०.८९१७) एकड़ स्वयं की गैरे-सिंचित खेती थी जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर ०.४७०८ (±०.९०२०७) एकड़ हो गई। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.०२५ (±०.२५९०३) एकड़ स्वयं की बंजर या उसर खेती थी जो

पश्चात स्थिति में अंशत: कम होकर ०.०२१७ (±०.२५२८०) एकड़ हो गई है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास स्वयं की बाग़ नहीं थी। बाद भी स्थिति में अंशत: बढ़कर औसतन ०.००३३ (±०.५७७४) एकड़ हो गई है।

ठेके से ली गई जमीन के संबंध में, यह पाया गया है कि, पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा ०.००६७ (±०.०८१५१) एकड़ गैर-सिंचित खेती ठेके पर ली गई थी। पश्चात स्थिति में इसमें कोई बदलाव नही हुआ है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा कोई भी बाग़ठेके पर नहीं ली थी। पश्चात स्थिति में यह अंशत: बढ़कर औसतन ०.०८१५१ (±०.०५७७४) एकड़ हो गई है।

सारणी ४.८ :उपलब्ध कृषियोग्य जमीन उपलब्धता एवं उसका क्रय विक्रय

मद	मनरेगा में काम करने से पूर्व घर मे उपलब्ध कृषियोग्य जमीन (कुल एकड़ में)		मनरेगा में काम करने के पश्चात घर मे उपलब्ध कृषियोग्य जमीन (कुल एकड़ में)	
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन
स्वयं की सिंचित खेती	0.01	0.12227	0.0117	0.11865
स्वयं की असिंचित खेती	0.4675	0.8917	0.4708	0.90207
स्वयं की बंजर या उसर खेती	0.025	0.25903	0.0217	0.2528
स्वयं की बाग़	0	0	0.0033	0.05774
ठेके पर ली गई असिंचित खेती	0.0067	0.08151	0.0067	0.0033
ठेके पर लिया गया बाग़	0	0	0.08151	0.05774
मद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व जमीन का क्रय विक्रय**		**मनरेगा में काम करने के पश्चात जमीन का क्रय विक्रय**	
	माध्य	**मानक विचलन**	**माध्य**	**मानक विचलन**
खरीदी हुई कृषि जमीन	0.0167	0.20785	0	0
बेंची हुई कृषि जमीन	0.0033	0.05774	0.005	0.06446
प्रतिसाद				
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
बेची नहीं	299	99.7	295	98.3
प्रति दिन का स्वयं	0	0	1	0.3
कर्ज का भुगतान	0	0	2	0.7
शिक्षा	1	0.3	2	0.7
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**

प्राप्त स्थिति साफ़ बया करती है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व या पश्चात की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदाता खेती के उपलब्धता के संबंध में हाशिए पर हैं। यह स्थिति उत्तरदाता की आर्थिक दुर्बलता भी बया करती है।

सारणी ४.८ पूर्व एवं पश्च्यात जमीन के क्रय-विक्रय की स्थिति को प्रदर्शित करती है। सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१६७ (±०.२०७८५) एकड़ कृषि जमीन खरीदी गई। जबकि, मनरेगा में काम करने के बाद खरीद पूर्णत: बंद हो गई। वहीं, दूसरी और मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००३३ (±०.०५७७४) एकड़ कृषि जमीन बेचीं गई। जबकि मनरेगा में काम करने के बाद यह विक्रय अंशतः बढ़कर ०.००५० (±०.०६४४६) एकड़ हुई हैं।

यह स्थिति बताती है कि, उत्तरदाताओं में कृषि जमीन का क्रय मनरेगा में काम करने से पूर्व अंशत: था। लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद ऐसा नहीं पाया गया। अर्थात मनरेगा में काम करने से पूर्ण उत्तरदाताओं द्वारा जमीन बेची गई है, फिर भले ही उसका क्रय केवल अंशत: बढ़ा हो। साथ ही, यहाँ क्रय-विक्रय का अंतर पूर्व स्थिति में अधिक है। प्रतिदीन का खर्च, कर्ज का भूगतान एवं शिक्षा आदी सभी बिंदू कृषि जमीन के विक्रय का कारण बनकर सामने आते है।

5.2.9 घर मे उपलब्ध पशुधन एवं उसके विक्रय का कारण:

पशुपालन कृषि की शाखा है जो जानवरों से संबंधित होती है। सामान्यत: पशू मांस, फाइबर, दूध, अंडे, या अन्य उत्पादों के लिए पाले जाते हैं, खरीदे और बेचें जाते हैं। इसमें दिन-प्रतिदिन की देखभाल, चयनात्मक प्रजनन और पशुधन की वृद्धि शामिल है। पशुपालन का एक लंबा इतिहास रहा है, जो नवपाषाण क्रांति के साथ शुरू होता है जिसमें, जानवरों को पहले पालतू बनाया गया था। लगभग 13,000 ईसा पूर्व में पहली बार फसलों की खेती की शुरुवात हुई। प्राचीन मिस्र जैसी, शुरुआती सभ्यताओं के समय तक, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर खेतों पर पाले जाते थें जो कृषि क्रांति के पश्च्यात द्वितीय या सहयोगी आय का एक महत्वपूर्ण साधन बने। कृषि अर्थशास्त्र में इसकी एक महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए इसे जानवर के बजाय पशुधन कहा जाता है। अनुसंधान के भौगोलिक क्षेत्र में सामान्यत: उपलब्ध पशुधन को समझने के लिए 'मुक्त' प्रश्न का उपयोग किया गया है और उत्तरदाताओं से तथ्य संकलित किये गए हैं। यहाँ पशुधन को तीन स्तरों पर जाँचा गया है। एक उपलब्धता, दूसरा क्रय एवं तीसरा विक्रय। साथ ही, इन तीनो स्थितियों को मनरेगा में कार्य करने से पूर्व एवं पश्च्यात, ऐसी दोनों

स्थिति में जाँचा गया है। प्राप्त तथ्यों को समझने के लिए पशुधन की उपलब्धता के माध्य एवं मानक विचलन की गणना भी की गई है। सारणी ४.९ उत्तरदाताओं के घर मे उपलब्ध पशुधन को दर्शाती है और आरेख ४.३ पशुधन बेचने का कारण दर्शाती है।

सारणी ४.९ :घर मे उपलब्ध पशुधन

मद	मनरेगा में काम करने से पूर्व घर मे उपलब्ध पशुधन		मनरेगा में काम करने के पश्चात घर मे उपलब्ध पशुधन	
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन
बैल	0.1167	0.53292	0.0767	0.42196
गाय	0.01	0.09966	0.0367	0.27491
भैस	0.03	0.22196	0.02	0.18178
रेडा / हल्या/ भैसा	0.0067	0.11547	0.0067	0.11547
भेड़ / शेली	0.8433	2.17898	1.25	3.46132
बकरी/ बकरा	0.38	1.14015	0.4133	0.99286
मुर्गी/ मुर्गा	0.2633	1.69812	0.9067	3.37975
मद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व घर मे पशुधन क्रय**		**मनरेगा में काम करने के पश्चात घर मे पशुधन क्रय**	
	माध्य	**मानक विचलन**	**माध्य**	**मानक विचलन**
बैल	0.11	0.53434	0.0467	0.30242
गाय	0.01	0.09966	0.01	0.09966
भैस	0.0033	0.05774	0.0033	0.05774
रेडा / हल्या/ भैसा	0.0167	0.20785	0	0
भेड़ / शेली	0.2333	0.73075	0.3933	1.12673
बकरी/ बकरा	0.23	0.92373	0.26	1.0815
मुर्गी/ मुर्गा	0.0733	0.70447	0.4167	1.9031
मद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व घर मे पशुधन विक्रय**		**मनरेगा में काम करने के पश्चात घर मे पशुधन विक्रय**	
	माध्य	**मानक विचलन**	**माध्य**	**मानक विचलन**
बैल	0.01	0.12893	0.0667	0.38651
गाय	0.0033	0.05774	0.0133	0.23094
भैस	0.0033	0.05774	0	0
भेड़ / शेली	0.37	1.12427	0.38	1.13721
बकरी/ बकरा	0.17	0.54964	0.1833	0.70097
मुर्गी/ मुर्गा	0.0167	0.28868	0.0233	0.2373

सारणी ४.९ से स्पष्ट होता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं के पास ०.११६७ (±०.५३२९२) बैल थे। मनरेगा में काम करने के बाद यह प्रतिशत अंशत: कम होकर ०.०७६७ (±०.४२१९६) हो गया है। तत्पश्च्यात, पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.०१०० (±०.०९९६६) गाय थी, जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर ०.०३६७ (±०.२७४९१) हो गई। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास ०.०३०० (±०.२२१९६) भैसें थी। जोपश्चात स्थिति में अंशत: कम होकर ०.०२०० (±०.१८१७८) हो गये है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.८४३३ (±२.१७८९८) भेड़ थे। जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर १.२५०० (±३.४६१३२) हो गये है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास ०.३८०० (±१.१४०१५) बकरी/ बकरा थे जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर ०.४१३३ (±०.९९२८६) हो गये है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.२६३३ (±१.६९८१२) मुर्गी/ मुर्गा थे, जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर ०.९०६७ (±३.३७९७५) हो गये है।

आरेख ४.३ :पशुधन बेचने का कारण

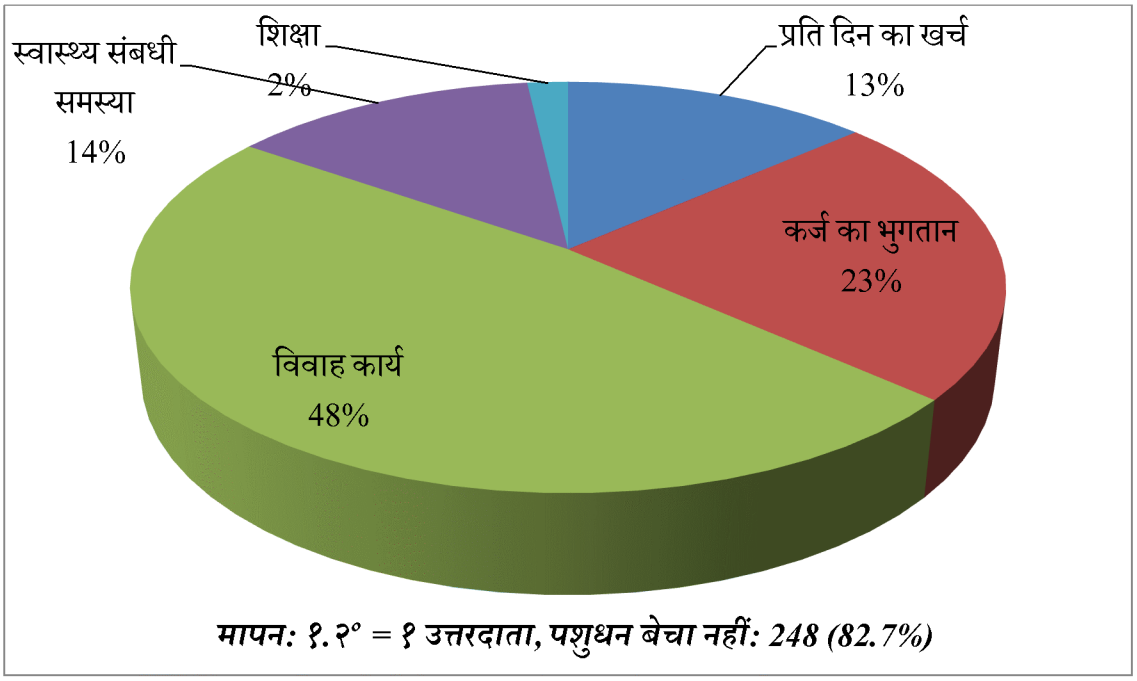

पशुधन क्रय के संबंध में मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.११०० (±०.५३४३४) बैलों का क्रय किया गया, जो मनरेगा में काम करने से पश्चात अंशत: कम होकर ०.०४६७ (±०.३०२४२) हो गया है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थिति में, उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१०० (±०.०९९६६) गायों का क्रय किया गया तथा पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थिति में, उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००३३ (±०.०५७७४) भैसों एवं गायों का क्रय किया गया। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१६७

(±०.२०७८५) भैसें का क्रय किया गया जो पश्चात स्थिति में बिलकुल भी नहीं पाया गया है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.२३३३ (±०.७३०७५) भेड़ों का क्रय किया गया, जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर औसतन ०.३९३३ (±१.१२६७३) हो गया है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.२३०० (±०.९२३७३) बकरी/ बकरों का क्रय किया गया था। जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर औसतन ०.२६०० (±१.०८१५०) हो गया है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०७३३ (±०.७०४४७) मुर्गी/ मुर्गों का क्रय किया गया जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर औसतन ०.४१६७ (±१.९०३१०) हो गया है।

पशुधन विक्रय के संबंध में, यह पाया गया है कि,मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१०० (±०.१२८९३) बैलों का विक्रय किया गया जो मनरेगा में काम करने के पश्चात अंशत: बढ़कर ०.०६६७ (±०.३८६५१) हो गया है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००३३ (±०.०५७७४) गायों का विक्रय किया गया, जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर ०.०१३३ (±०.२३०९४) हो गया है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००३३ (±०.०५७७४) भैसों का विक्रय किया गया था। जब कि,पश्चात स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं पाया गया है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.३७०० (±१.१२४२७) भेड़ों का विक्रय किया गया जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर ०.३८०० (±१.१३७२१) हो गया है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.१७०० (±०.५४९६४) बकरी/ बकरों का विक्रय किया गया जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर औसतन ०.१८३३ (±०.७००९७) हो गया है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१६७ (±०.२८८६८) मुर्गी/ मुर्गों का विक्रय किया गया जो पश्चात स्थिति में अंशत: बढ़कर औसतन ०.०२३३ (±०.२३७३०) हो गया है।

आरेख ४.३ से ज्ञात होता है कि, ४८.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा किये गये पशुधन विक्रय के पीछे विवाह कार्य यह मुख्य कारण रहा है। तत्पश्च्यात २३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कर्ज के भुगतान के लिए, १४.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वास्थ संबंधी समस्याओं के लिए और २.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा शिक्षा हेतु विक्रय किया गया है।

सारणी ४.९ एवं आरेख ४.३ से प्राप्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि, उत्तरदाताओं में पशुधन की उपलब्धता भी उत्तरदाताओं के आर्थिक हशिएपन को ही प्रतिबिंबित करती है। मनरेगा में कार्य करने कें पश्च्यात इसमें अंशतः वृद्धि दिखाती है, पर यह वृद्धि लक्षणीय नहीं है। वहीं, जब बात क्रय की है, तो पूर्व स्थिति में पशुधन

क्रय कमजोर रहा है और मनरेगा में कार्य करने कें पश्च्यात इसमें हलकी उछाल दिखायी देती है। खास करके, बैल, भेड़, बकरी/ बकरा एवं मुर्गी/ मुर्गी। यदयपि, कुछ पहलुओं में कोई बदलाव नहीं पाया गया है। उदाहरण के लिए गाय एवं भैस। दूसरी और, विक्रय के संबंध में, मनरेगा में कार्य के पश्च्यात पशुधन विक्रय में अंशत: उछाल पायी गई है। विशेषत: बैल, गाय, भेड़, बकरी/ बकरा, एवं मुर्गी/ मुर्गा आदि। अत: यह कहा जा सकता है कि, मनरेगा में काम करने के बाद उत्तरदाताओं में पशुधन की उपलब्धता, उनके क्रय-विक्रय में अंशतः उछाल आया है।

5.2.10 व्यक्तिगत जमीन पर लाभ के कार्य

प्रस्तुत अनुसंधान मनरेगा में कार्यरत लाभार्थियों पर केन्द्रित है, जो मुख्यतः अनुसूचित जातियों के लाभार्थी हैं। आज के इस पूंजीवादी दौर में व्यक्ति की जरूरते पैसों पर निर्भर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, व्यक्ति के पास जब पैसा आता है तब वह प्रथमत: स्वयं की अत्यावश्यक जरूरते पूर्ण करता है। उसके बाद यदि कुछ बचता है, तो उसकी बचत करता है अथवा उसका निवेश ऐसे चीजों में करता है जो उसकों कुछ लाभ प्राप्त करा सकें। इस स्थिति को समझते हुए प्रस्तुत अनुसधान में, मनरेगा में कार्य करने की पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थिति में, व्यक्तिगत जमीन पर किये गये कार्यों को जाँचा गया है। लेकिन अचरज की बात यह है कि, मनरेगा में कार्य करने से पूर्व एवं पश्च्यात, ऐसी दोनों स्थितियों में उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्तिगत जमीन पर कोई भी लाभ का कार्य नहीं किया गया है। इस स्थिति में, दो पक्ष दिखाई पड़ते हैं। एक, अधिकाशं उत्तरदाताओं के पास स्वयं की व्यक्तिगत जमीन उपलब्ध नहीं है। दो, यदि व्यक्तिगत जमीन उपलब्ध हो भी, तो उसपर लाभ के कार्य करना उत्तरदाताओं की प्राथमिकता नहीं है,और इसका मुख्य कारण उनका आर्थिक हशियेपन है।

5.2.11 अन्य उद्योग संबंधी जानकारी

अन्य अथवा द्वितीय व्यवसाय वे सभी कार्य हैं जो नियमित रोजगार के अलावा निजी जीवन से संबंधित हैं। इनमें अतिरिक्त काम, असाइनमेंट्स को पूरा करना या एक व्यक्ति के सामान्य रोज़गार के अलावा एक व्यक्तिगत व्यवसाय का संचालन करना शामिल है। अन्य अथवा द्वितीय व्यावसाय कृषि एवं कृषि उपज के सभी भागों (जैसे फसल अवशेष, पशु बाल, हड्डियां, आदि) का उपयोग करने, जीवन को बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण, कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि, और किसानों के लिए अतिरिक्त रोजगार तथा आय पैदा करने में मदद करता है। इसीलिए माहात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त ग्राम विकास की अवधारणा में गृह एवं कुटीर उद्योगों की महत्ता को उजागर किया गया है। इसके लिए भारत साकार द्वारा कई प्रयास भी किये गये है। इसलिए प्रस्तुत अनुसंधान में उत्तरदाताओं में अन्य

उद्योग संबंधी जानकारी का अध्ययन किया गया है। साथ ही, अन्य उद्योग की उपलब्धता मनारेगा में कार्य करने के पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति के अंतर्गत जाँची गई है। सारणी ४.१० उत्तरदाताओं की अन्य उद्योग संबंधी जानकारी दर्शाती है।

सारणी ४.१० :अन्य उद्योग संबंधी जानकारी

प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व परिवार का कृषि के अलावा व्यवसाय का साधन		मनरेगा में काम करने के पश्चात परिवार का कृषि के अलावा व्यवसाय का साधन	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
कोई भी नही	0	0	260	86.7
कृषि मजदूरी	151	50.3	0	0
मुक्त हस्त व्यवसाय	68	22.7	0	0
कृषि	28	9.3	0	0
छोटे दुकानदारी	26	8.7	0	0
अकुशल मजदूर	22	7.3	0	0
ठेकदारी	5	1.7	0	0
बकरी पालन	0	0	33	11
दुग्ध व्यवसाय	0	0	5	1.7
मुर्गीपालन	0	0	2	0.7
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**

प्रतिसाद	कृषि मे आपको मानरेगा के कारण वित्तीय सहायता		परिवार मे किसी का लघु उद्योग		मनरेगा द्वारा लघु उद्योग हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	5	1.7	40	13.3	34	11.3
नहीं	295	98.3	260	86.7	266	88.7
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**	**300**	**100**

अन्य सम्बंधित ब्यौरा

मद	माध्य	मानक विचलन
सरकारी नौकरी मे काम करने वाले परिवार की सदस्य संख्या	0.04	0.19629
प्रायवेट नौकरी मे काम करने वाले परिवार की सदस्य संख्या	0.0867	0.28182
परिवार की रोजगार प्राप्त सदस्य संख्या	0.4067	0.83883
परिवार की बेरोजगार सदस्य संख्या	0.3533	0.72819

सारणी ४.१० साफ़ दर्शाती है कि, मनरेगा में कार्य करने से पूर्व ५०.३ प्रतिशत उत्तरदाता कृषि के अलावा खेतीहर मजदूरी करते थे, जो मनरेगा में कार्य के पश्च्यात पूर्णतः बंद होती दिखाई देती है। तत्पश्च्यात पूर्व स्थिति में २२.७ प्रतिशत उत्तरदाता मुक्त हस्तव्यवसाय से संबंधित थे, जो पश्च्यात स्थिति में पूर्णतः बंद दिखाई देता है। पूर्व स्थिति में ९.३ प्रतिशत उत्तरदाता कृषि से ही संबंधित थे, जो पश्च्यात स्थिति में पूर्णतः बंद दिखाई देता है। पूर्व स्थिति में ८.७ प्रतिशत उत्तरदाता छोटे दुकानदारी में संलग्न थे, जो पश्च्यात स्थिति में पूर्णतः बंद दिखाई देता है। पूर्व स्थिति में ७.३ प्रतिशत उत्तरदाता अकुशल मजदूर थे, पश्च्यात स्थिति में वह पूर्णतः बंद दिखाई देता है। पूर्व स्थिति में १.७ प्रतिशत उत्तरदाता ठेकदारी व्यवसाय से संबंधित थे, जो पश्च्यात स्थिति में पूर्णतः बंद दिखाई देता है। दूसरी और बकरी पालन जैसे पूरक व्यवसाय, जो पूर्व स्थिति में उपलब्ध नहीं थे, पश्च्यात स्थिति में बढ़कर ११.० प्रतिशत उत्तरदाताओं में पाए गाएँ हैं। दुग्ध व्यवसाय जो पूर्व स्थिति में उपलब्ध नहीं थे, पश्च्यात स्थिति में वह बढ़कर १.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं में पाए गाये हैं। मुर्गीपालन पूर्व स्थिति में उपलब्ध नहीं था। पश्च्यात स्थिति में वह बढ़कर ०.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं में पाया गया है। पूर्व स्थिति में ऐसा कोई नहीं है, जिसके पास कृषि के अलावा कोई अन्य व्यवसाय उपलब्ध हो। लेकिन पश्च्यात स्थिति में इसमें भरी उछाल होते हुए यह सर्वाधिक ८६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं में पाया गया है।

दूसरी और, लगभग सभी ९८.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानाना है कि, कृषि के संबंध में मानरेगा के कारण कोई वित्तीय सहायता नहीं हुई है। सर्वाधिक ८६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में किसी के पास लघु उद्योग नहीं पाया गया है। वहीं, ८८.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं कों मनरेगा द्वारा लघु उद्योग हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। नौकरी से संबंधित जानकारी बताती है कि, उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.०४ (±०.१९६२९) सरकारी नौकरी मे काम करने वाले,०.०८६७ (±०.२८१८२) प्रायवेट नौकरी, ०.४०६७ (±०.८३८८३) रोजगार प्राप्त और ०.३५३३ (±०.७२८१९) बेरोजगार सदस्य हैं।

सारणी ४.१० से प्राप्त तथ्यों के अनुसार मनरेगा में कार्य करने से पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय की उपलब्धता कमजोर पायी गई है। उदाहरन के लिए कृषि मजदूरी, मुक्त हस्तव्यवसाय, कृषि, छोटी दुकानदारी, अकुशल मजदूर एवं ठेकदारी मनरेगा में कार्य करनेसे पूर्व यह सभी किसी न किसी प्रमाण में उपलब्ध थे जो पश्च्यात स्थिति में पूर्णत: बंद हुए है। वही, बकरी पालन, दुग्ध व्यवसाय एवं मुर्गीपालन जैसे व्यवसाय पूर्व स्थिति में बिलकुल भी उपलब्ध नहीं रहे है। यद्यपि, पश्च्यात स्थिति में वह किसी न किसी प्रमाण में पाए गये हैं। अचरज की बात यह है कि, मनरेगा में कार्य करने से पूर्व ऐसा कोई नहीं था जिसके

पास कोई न कोई पूरक व्यवसाय उपलब्ध न हों। यद्यपि, यह स्थिति पश्च्यात में पुर्णतः बदलकर अत्यधिक उत्तरदाताओं में पाई गयी हैं। इसका मुख्य कारण मनरेगा को ही पूरक व्यवसाय के तौर पर उत्तरदाताओं द्वारा अपनाना हो सकता है अथवा मनरेगा में कार्य करने के बाद पूरक व्यवसाय की जरुरत ही न पड़ी हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि, अनुसंधान के अंतर्गत परिवार में किसी का लघु उद्योग नहीं पाया गया है। मनरेगा द्वारा लघु उद्योग हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न होने का अर्थ यह है कि, उत्तरदाताओं की नजर में मनरेगा पूरक व्यवसाय निर्माण करणे में अपना योगदान देने में असफल है। साथ ही, उत्तरदाताओं के परिवार में सरकारी नौकरी तथा प्रायवेट नौकरी मे काम करने वाले एवं परिवार के रोजगार प्राप्त सदस्यों की औसतन संख्या नगण्य है। यद्यपि, उत्तरदाताओं के परिवारों में बेरोजगारों की संख्या नगण्य से कुछ ऊँपर है।

5.2.12 आर्थिक स्थिति एवं बदलाव

आर्थिक विकास भले ही परिपूर्ण विकास न हो, लेकिन, वर्तमान समाज में व्यक्ति की सारी जरूरतें अर्थ पर निर्भर हो चुकी है। इसीलिए, आज के इस दौर में हर चीज पैसो से मापी जाने लगी है। यह बात सही या गलत की नहीं है। लेकिन यही वास्तविकता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आना अनिवार्य है। अधिकतर सरकारी योजनाएँ भी इसी पर केन्द्रित हैं और मनरेगा इसका एक भाग है। इसी आधार पर उत्तरदाताओं की मनरेगा में कार्य करने से पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति में प्रतिव्यती आय की गणना की गई है।

प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या के आकार से विभाजित राष्ट्रीय आय है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग अक्सर किसी क्षेत्र की औसत आय को मापने और विभिन्न आबादी के धन की तुलना करने के लिए किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग अक्सर देश के जीवन स्तर को मापने के लिए भी किया जाता है। इसे सामान्यत: यूरो या संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह उपयोगी भी है। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और जनसंख्या अनुमान गणना योग्य है और एक उपयोगी उत्पादन करता है। इससे देश के विकास का पता लगाने में मदद मिलती है। यह किसी देश के मानव विकास सूचकांक की गणना करने के तीन उपायों में से एक है जिसे 'औसत आय' कहा जाता है।

प्रस्तुत अनुसंधान में प्रतिव्यक्ति आय उत्तरदाताओं के परिवार तक सिमित है। प्रतिव्यक्ति आय की गणना कें लिए सर्व प्रथम उत्तरदाताओं की कुल पारिवारिक मासिक आय एवं कुल पारिवारिक सदस्य ज्ञात किये गए हैं तथा कुल पारिवारिक मासिक आय को कुल पारिवारिक सदस्य की संख्या से भाग दिया गया है और प्राप्त उत्तर कों प्रतिव्यक्ति आय माना गया है। प्राप्त तथ्य सरल बनाने कें लिए तथ्यों के माध्य एवं मानक विचलन की भी गणना की गई जिसे सारणी ४.११ में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी ४.११ :आर्थिक स्थिति एवं बदलाव

मद	**माध्य**	**मानक विचलन**
मनरेगा में काम करने से पूर्व प्रति व्यक्ति मासिक आय	2236.1667	1014.25474
मनरेगा में काम पश्चात प्रति व्यक्ति मासिक आय	2634.4	1361.25482
मानरेगा मे काम करने से परिवार के मासिक आय मे होने वाली बढ़त		
प्रतिसाद	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
हाँ	**157**	**52.3**
नहीं	143	47.7
कुल	300	100

सारणी ४.११ से ज्ञात होता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्वऔसतन प्रति व्यक्ति मासिक आय २२३६.१६६७ (±१०१४.२५४७४) रुपये थी, जो मनरेगा में काम कें पश्चात, २६३४.४ (±१३६१.२५४८२) रुपये हो गई है। यह वृद्धि भलेही अधिक न हों, पर नजरअंदाज करनेवाली तो कतई नहीं है। वहीं, जब उत्तरदाताओं के मान्यता की है, तो ५२.३ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात उनके मासिक आय में वृद्धि हुई है। दूसरी और, ऐसा कोईं भी नहीं पाया गया है जो यह कहता हो कि, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात उसके मासिक आय में कमी हुई हों। अत: प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि, मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात उत्तरदाताओं के मासिक आय में अंशतः बढ़ोतरी हुई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि, मनरेगा उत्तरदाताओं की मासिक आय बढ़ाने में सफल रही है।

5.2.13 परिवार का पोषण घटक

एक जीव का भोजन या आहार वह होता है जिसे वह खाता है। यह खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और तालमेल से काफी हद तक निर्धारित होता है। मनुष्यों के लिए, एक स्वस्थ आहार में, भोजन और भंड़ारण विधियों की तैयारी शामिल होती है जो ऑक्सीकरण, गर्मी या लीचिंग से पोषक तत्वों को संरक्षित करते हैं और यह खाद्य जनित बीमारियों के जोखिम को कम करता है। मानव पोषक तत्वों के सात प्रमुख वर्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, खनिज, प्रोटीन, विटामिन और पानी हैं। पोषक तत्वों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (छोटी मात्रा में आवश्यक) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मनुष्यों में, एक अस्वास्थ्यकर आहार से अंधापन, एनीमिया, स्कर्वी, प्रीटरम जर्म, स्टिलबर्थ और क्रेटिनिज्म जैसी कमी से संबंधित रोग हो सकते हैं अथवा पोषक तत्वों की अधिकता से स्वास्थ्य के लिए खतरा भी पैदा हो सकती है। जैसे कि, मोटापा,मेटाबोलिक सिंड्रोम, हृदय रोग, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी आम पुरानी प्रणालीगत बीमारियाँ इसमें शामिल है। जो हो, कुपोषण जैसी स्थितियाँ इसमें शामिल होने से यह चर्चा पोषण के महत्त्व को इंगित करती है।

प्रस्तुत अनुसंधान में उत्तरदाताओं द्वारा मनरेगा में जुड़ने से पूर्व एवं पश्च्यात, ऐसी दोनों स्थितियों में, उनके पोषण का अध्ययन किया गया है और इसमें प्रतिदिन के खानें में सम्मिलित प्रमुख अनाज, सब्जी, दुग्धजन्य घटक एवं मांसाहार आदि शामिल हैं। साथ ही, इसमें उत्तरदाताओं के अभिमत के अनुसार मनरेगा में काम करने के पश्चात रोज के आहार के पोषण तत्व मे वृद्धि का भी अध्ययन किया गया है। प्राप्त परिणाम सारणी ४.१२ में प्रदर्शित है।

सारणी ४.१२ से स्पष्ट है कि, मनरेगा में कार्य करने से पूर्व एवं पश्च्यात ऐसी दोनों स्थिति में सर्वाधिक ९४.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा गेहू का प्रमुख अनाज के तौर पर सेवन किया गया है। साथ ही, प्रमुख दाल कें सेवन में पूर्व स्थिति में तुअर (५२.० प्रतिशत) एवं मुंग (३९.३ प्रतिशत) का उपभोग पाया गया है, जो पश्च्यात स्थिति में लगभग वैसा ही है।

सारणी ४.१२ : परिवार का पोषण घटक

प्रतिसाद	पूर्व रोज का प्रमुख अनाज		पश्च्यात रोज का प्रमुख अनाज	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
जवार	7	2.3	4	1.3
गेहू	**283**	**94.3**	**283**	**94.3**
चावल	10	3.3	13	4.3
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**
प्रतिसाद	पूर्व रोज की प्रमुख दाल		पश्चात रोज की प्रमुख दाल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
तुअर	**156**	**52**	**162**	**54**
मूंग	118	39.3	113	37.7
उड़द	20	6.7	19	6.3
चना	6	2	6	2
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**
प्रतिसाद	पूर्व रोज की प्रमुख सब्जी		पश्चात रोज की प्रमुख सब्जी	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
आलू	105	35	108	36
बैगन	**156**	**52**	**155**	**51.7**
फूल गोभी	19	6.3	18	6
पत्ता गोभी	7	2.3	6	2
मेथी	4	1.3	4	1.3
पालक	3	1	3	1
गवार फल्ली	2	0.7	2	0.7
वाल फल्ली	4	1.3	4	1.3
कुल	300	100	300	100
प्रतिसाद	पूर्व रोज के प्रमुख दुग्धजन्य घटक		पश्चात रोज के प्रमुख दुग्धजन्य घटक	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
केवक दूध	**277**	**92.3**	**273**	**91**
दही	16	5.3	20	6.7
मट्ठा	7	2.3	7	2.3
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**
प्रतिसाद	पूर्व रोज का प्रमुख मांसाहार		पश्चात रोज का प्रमुख मांसाहार	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
शाकाहारी	23	7.7	24	8
अंडा	**217**	**72.3**	**166**	**55.3**
मटन	31	10.3	43	14.3
मछली	11	3.7	8	2.7
चिकन	18	6	59	19.7
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**

मनरेगा में काम करने के पश्चात रोज के आहार के पोषण तत्व मे बढ़ोत्तरी		
प्रतिसाद	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	118	39.3
नहीं	**182**	**60.7**
कुल	**300**	**100**

दुसरी ओर, मनरेगा में कार्य करने से पूर्व बैगन (५२.० प्रतिशत) एवं आलू (३५.० प्रतिशत) यह सब्जियाँ सर्वाधिक उपयोग में लाई गई है। वहीं, पश्च्यात स्थिति में इनका सेवन जस की तस ही पाया गया है। जैसे, बैगन (५१.७ प्रतिशत) एवं आलू (३६.० प्रतिशत)। प्रमुख दुग्धजन्य घटक की बात की जाय, तो पूर्व स्थिति में केवल दूध (९२.३ प्रतिशत) का उपयोग पाया गया है जो पश्च्यात स्थिति में अंशत: घट कर ९१.० प्रतिशत हो गया है। फिर भी, पूर्व हो या पश्च्यात, दोनों स्थिति में केवल दूध का सेवन लोकप्रिय है। जब बात मांसाहार की है, तब यह पाया जाता है कि, पूर्व स्थिति में ७२.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अंड़े का सेवन किया गया है। पश्च्यात स्थिति में यह घटकर ५५.३ प्रतिशत हो गया है। पर इस घटाव के साथ मटन का सेवन १४.३ प्रतिशत (पहले १०.३ प्रतिशत) एवं चिकन का सेवन १९.७ प्रतिशत हो गया (पहले ६.० प्रतिशत) है। लेकिन ६०.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा में काम करने के पश्चात रोज के आहार के पोषण तत्व मे बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जबकि, शेष ३९.३ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा में काम करने के पश्चात रोज के आहार से मिलनेवाले पोषण तत्व मे वृद्धि हुई है।

प्राप्त परिणामों से प्रतीत होता है कि, मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात यदि, मांसाहार को हटा दिया जाए, तो पोषण तत्व में कोई भी बदलाव नहीं पाया गया है। यद्यपि पूर्व स्थिति में अंड़े का सेवन लोकप्रिय रहा है। लेकिन पश्चात स्थिति में मटन एवं चिकन के सेवन में बढ़ोतरी हुई है। प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाता मनरेगा में कार्यरत मजदुर हैं। मजदुरी यह एक शारीरिक श्रम आधारित कार्य है जिसमे पोषण की भूमिका अनन्यसाधारण है। इसलिए श्रम के लिए आवश्यक उर्जा को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा मांसाहार का सेवन करना आम बात है। लेकिन, मांसाहार के सिवा अन्य पोषण में कोई भी बदलाब न होने से सभी उत्तरदाता पोषण के मामले में हाशिएँ पर हैं।

5.2.14 परिवार की स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी जानकारी

स्वास्थ्य का अर्थ समय के साथ विकसित हुआ है जो शरीर की कार्य करने की क्षमता के विषय पर केंद्रित है। स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार "शारीरिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंड़ता की विशेषता वाली स्थिति में; व्यक्तिगत रूप से मूल्यवान परिवार, कार्य और सामुदायिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता जिसमें शारीरिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तनाव से निपटने की क्षमता शामिल है" वह स्वास्थ की परिभाषा हो सकती है।

लाखों लोग राष्ट्रीय कार्यबल और अर्थव्यवस्था में आवश्यक योगदान प्रदान करते हैं। इस बात के व्यापक प्रमाण हैं कि, जब वे अपने कार्य पर निकलते हैं, तो अधिकांश बड़े श्रमिक युवा एवं स्वस्थ होते हैं। हालाँकि, श्रमिकों की स्वास्थ्य कमजोरियाँ कार्य के दौरान सामने आ सकती हैं और जिन परिस्थितियों में वे कार्य करते हैं, वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, शोषण, गरीबी और काम करने की स्थिति, भेदभाव आदि कुछ पहलू हैं जो प्रभाव ड़ाल सकते हैं। अत: श्रमिकों का स्वास्थ्य यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महत्व को समझते हुए प्रस्तुत अनुसंधान में उत्तरदाताओं के परिवार की स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी जानकारी का अध्ययन किया गया है। इसमें परिवार के सदस्य की बीमारी, परिवार के मुखिया की बीमारी, उपचार का स्थान, स्वयं एवं परिवार के सदस्यों केउपचार की अनदेखी करना एवं उनके कारणों की जाँच करना आदि घटक सम्मिलित हैं। इससे संबंधित प्राप्त परिणाम सारणी ४.१३ एवं ४.१४ में प्रदर्शित है।

सारणी ४.१३ से प्रतीत होता है कि, मनरेगा में कार्य करने से पूर्व की स्थिति में ५७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में कोई बीमारी नहीं रही है। मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात ५०.३ प्रतिशत उत्तरदाता भी ऐसा ही मानते है। इसके अलावा, जिन उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य बीमार रहे हैं, उनमें पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति में,बुखार, सर्दी/खांसी, एवं शारीरिक कष्ट आदि बीमारिया पाई गई है। यद्यपि,किसी सदस्य की सर्जरी, घुटने में दर्द, कंधे का दर्द एवं मधुमेह आदि बिमारियों में पश्च्यात स्थिति में भारी उछाल भी दिखाई देता है। अत: प्राप्त परिणाम यहाँ खतरे के तरफ इशारा करते है। क्योंकि, मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात सर्जरी, घुटने में दर्द, कंधेका दर्द एवं मधुमेह आदि बिमारियों मेंवृद्धि हुई है।

शोध के अंतर्गत यह देखा गया है कि, परिवार के मुखिया की बीमारी का कारण भारी काम करना है और लगभग ५४.३ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा ही मानते हैं। अर्थात, यह सिद्ध है कि, भारी काम उत्तरदाताओं के स्वास्थ को नुकसान पहुँचा रहा है। इस संबंध में मनरेगा में काम करने से पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थिति में, उत्तरदाताओं द्वारा अपने उपचार के लिए सरकारी दवाखाने का उपयोग सर्वाधिक रूप में किया गया है।

सारणी ४.१३ :परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी

परिवार के सदस्य की बीमारी	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
कोई बीमार नहीं है	**173**	**57.7**	**151**	**50.3**
बुखार	44	14.7	43	14.3
सर्दी/खांसी	44	14.7	42	14
किसी सदस्य की सर्जरी	37	12.3	66	22
शारीरिक कष्ट	32	10.7	33	11
छाती मे दर्द	21	7	26	8.7
घूटने में दर्द	19	6.3	53	17.7
कंधे का दर्द	19	6.3	47	15.7
दमा	14	4.7	17	5.7
सिर दर्द	9	3	11	3.7
परिवार मुखिया की सर्जरी	8	2.7	20	6.7
मधुमेह	7	2.3	27	9
अंधापन	7	2.3	7	2.3
रीढ़ की हड्डी मे दर्द	6	2	26	8.7
रक्त चाप	5	1.7	13	4.3
त्वचा रोग	3	1	10	3.3
दर्घटना विकलांग	3	1	4	1.3
दिल की बीमारी	2	0.7	9	3
किडनी स्टोन	2	0.7	3	1
मतिमंद	2	0.7	3	1
लकवा /अर्धांग्वायू	2	0.7	3	1
गर्दन में दर्द	1	0.3	17	5.7
गूंगापन	1	0.3	0	0

परिवार के मुखिया की बीमारी का कारण भारी काम करना		
प्रतिसाद	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
हाँ	**163**	**54.3**
नहीं	137	45.7
कुल	**300**	**100**

उपचार का स्थान	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
सरकारी दवाखाना	**290**	**96.7**	**297**	**99**
गाँव की दवा	10	3.3	3	1
कुल	300	100	300	100

सारणी ४.१४ :परिवार की उपचार संबंधी जानकारी

प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व स्वयं एवं परिवार के सदस्य का उपचार कभी बंद या अनदेखा करना		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात स्वयं एवं परिवार के सदस्य का उपचार कभी बंद या अनदेखा करना	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	**173**	**57.7**	106	35.3
नहीं	127	42.3	**194**	**64.7**
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व उपचार बंद करने का कारण**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात उपचार बंद करने का कारण**	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
लागू नही होता	127	42.3	194	64.7
पैसों की कमी	169	56.3	105	35
चिकित्सा सुविधा की कमी	3	1	1	0.3
समय का अभाव	1	0.3	0	0
कुल	300	100	300	100

सारणी ४.१४ से प्रतीत होता है कि, मनरेगा में कार्य से पूर्व स्थिति में ५७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं एवं परिवार के सदस्य का उपचार कभी बंद या अनदेखा किया गया है। जबकि, पश्च्यात स्थिति में ६४.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं एवं परिवार के सदस्य का उपचार कभी बंद या अनदेखा नहीं किया गया है। पूर्व में जिन उत्तरदाताओं द्वारा उपचार बंद किया गया है उनमें, ५६.३ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल है और इस अनदेखी का कारण उन्होंने पैसे भी कमी बताया है। वही पश्च्यात स्थिति में ऐसा करनेवाले ३५.० प्रतिशत उत्तरदाता हैं। अर्थात, लगभग २१.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा उपचार बंद कर देना या उसकी अनदेखी करना छोड़ दिया है जो एक अच्छा संकेत है। किसी भी उपचार को बंद करना अथवा अनदेखा करना स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है और ऐसे बर्ताव में मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात गिरावट पाई गयी है। अर्थात, पश्च्यात स्थिति में उत्तरदाता स्वास्थ्य को लेकर सजग नजर आत हैं।

सारणी ४.१३ एवं ४.१४ से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात परिवार में कोई सदस्य बीमार नहीं रहा हैं। यदयपि, परिवार के किसी सदस्य की सर्जरी, घुटने में दर्द, कंधें का दर्द एवं मधुमेह आदि बिमारीयों में वृद्धि हुई है। यह परिणाम खतरे के तरफ इशारा करतें है। साथ ही, यह सिद्ध है कि, भारी काम उत्तरदाताओं के स्वास्थ को प्रभावित करता है। स्वास्थ सेवाओं के संबंध में, सरकारी दवाखाने का उपयोग सर्वाधिक पाया गया है। क्योंकि, सरकारी दवाखाने की उपलब्धता भी है एवं वह किफायती भी है। बाद की स्थिति में उपचार की निरंतरता सकारात्मक संकेत प्रदान करती है। सब जानते है कि, किसी भी उपचार का बंद करना यां उसे अनदेखा करना स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है। लेकिन मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात इसमें गिरावट पाई गयी है। अर्थात पश्च्यात स्थिति में उत्तरदाता सेहत को लेकर जागरूक दिखायी देते हैं।

5.2.14 स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता

स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का बीमा कवरेज है जो आमतौर पर बीमाधारक द्वारा किए गए चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, पर्चे की दवा और कभी-कभी स्वयं के लिए भुगतान करता है। अर्थात, स्वास्थ्य बीमा बीमारी या चोट से होने वाले नुकसान के लिए बीमा-धारक को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

भारत में, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रावधान राज्यों के अनुसार बदलता रहाहै। अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रमुख हैं, लेकिन अपर्याप्त संसाधनों और प्रबंधन के कारण, बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय बीमा विनियामक, विकास प्राधिकरण और भारतीय सामान्य निगम पूरी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल अभियान चलाता है। 2018 में, विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदीकेयर नामक एक नया स्वास्थ्य बीमा शुरू करने की घोषणा की है और सरकार का दावा है कि, नई प्रणाली 500 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी।[2] अलग अलग राज्य में सरकार द्वारा यह स्वास्थ्य बीमा अलग अलग नाम से किफायती दरों पर या निशुल्क मुहैया कराया जाता है। प्रस्तुत अनुसंधान महाराष्ट्र में किया गया है जहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जैसे स्वास्थ संबंधी योजनाए लागू है। आज की इस बढ़ती महंगाई में स्वास्थ बीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसकी उपलब्धता किसी भी व्यक्ति के पास अनिवार्य है। प्रस्तुत अनुसंधान में भी इसे जाँचने का प्रयास किया गया है। प्राप्त परिणाम आरेख ४.४ में प्रदर्शित है।

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance#India Date : 20/11/2020

आरेख ४.४ :स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता

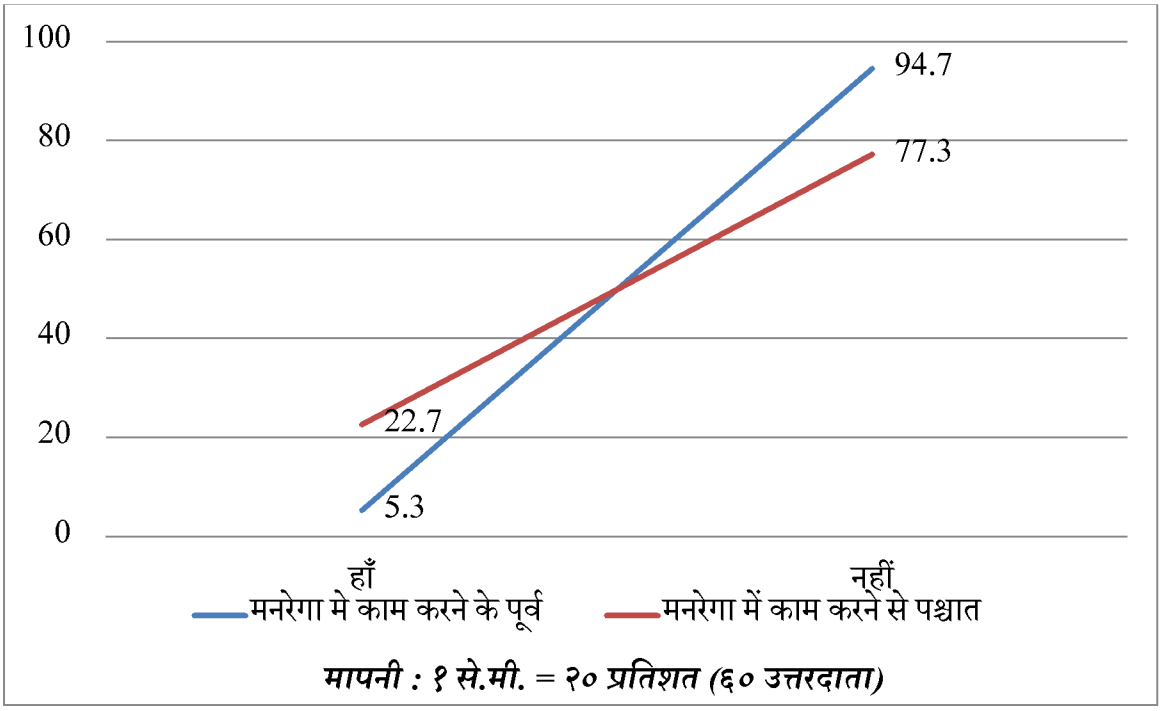

आरेख ४.४ से प्रतीत होता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व स्थिति में केवल ५.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्वास्थ बीमा उपलब्ध था। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर २२.७ प्रतिशत हो गया है। अत: यह प्रतित होता है कि, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात उत्तरदाताओं में स्वास्थ बीमा की उपलब्धता में भारी वृद्धि हुई है। यह एक सकारात्मक संकेत है। क्योंकि, स्वास्थ बीमा की उपलब्धता उत्तरदाताओं में आकस्मिक स्वास्थ खर्चे को कम करने में सहयोग करती है। यद्यपि, मोटे तौर पर यह भी सामाने आता है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व हों या पश्च्यात, दोनों स्थितियाँ में उत्तरदाताओं के पास स्वास्थ बीमा की उपलब्धता बहुत कम है और यह एक ख़तरा स्वयं उत्तरदाताओं के लिए बना हुआ है। क्योंकि, अधिकांश उत्तरदाताओं को आकस्मिक स्वास्थ खर्चे के वक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य बीमा योजना, मेडिक्लेम पॉलिसी या स्वास्थ्य नीति सभी का अर्थ एक ही है। यह सभी आपके वित्त को चिकित्सीय खर्चों से बचाने की अवधारणा का उल्लेख करते हैं।स्वास्थ्य बीमा योजना प्राप्त होने से हम अभूतपूर्व चिकित्सा लागतों से बच सकते हैं और भविष्य में इसके साथ कुछ बेहतर करने के लिए अपनी बचत को बनाए रख सकते हैं। जो लोग स्वास्थ्य बीमा योजना के बिना रह रहे हैं, उनके लिए यह गंभीर जोखिम है। क्योंकि, इसमें चिकित्सा व्यय खुले रहते हैं और हम सभी संभावित वित्तीय जोखिमों के संपर्क में रहते हैं। हम अपेक्षाकृत फिट हो सकते हैं और पहले से मौजूद कोई बीमारी हम में नही हो सकती। लेकिन, बीमारी होने या किसी

आकस्मिक स्थिति का शिकार होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसी परिस्थितियाँ पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और पल भर में हमारी आजीवन की बचत को आसानी से खत्म कर सकती हैं। वर्तमान समय में चिकित्सा विज्ञान में हो रही प्रगति के कारण कम समय में बिमारियों का इलाज हो रहा है। लेकिन, उपचार की लागत बहुत अधिक है। अत: स्वास्थ्य बीमा आपकी बचत में बाधा ड़ाले बिना बेहतर चिकित्सा प्रदान करने का तरीका है। यह न केवल आपके चिकित्सा खर्चों के लिए भुगतान करता है, बल्कि इससे आगे भी बहुत कुछ करता है। इसलिए उत्तरदाताओं में स्वास्थ्य बीमा की जागरूकता एवं चेतना निर्माण करना अनिवार्य है।

5.2.16 बच्चों की शैक्षिक जानकारी

शिक्षा सीखने की सुविधा, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। शैक्षिक विधियों में शिक्षण, प्रशिक्षण, कहानी, चर्चा और निर्देशित अनुसंधान शामिल हैं। शिक्षा अक्सर शिक्षकों के मार्गदर्शन में होती है हालांकि शिक्षार्थी स्वयं को शिक्षित भी कर सकते हैं। शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक परिप्रेक्ष में हो सकती है। किसी भी अनुभव का शिक्षापर एक प्रारंभिक प्रभाव पड़ता है, जो किसी के विचार, अनुभव या कार्य हो सकते हैं जिन्हें शैक्षिक माना जा सकता है। औपचारिक शिक्षा को आमतौर पर प्रीस्कूल, प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, या प्रशिक्षुता जैसे औपचारिक चरणों में विभाजित किया जाता है। कुछ देशों (जिसमे भारत सम्मिलित है) में और संयुक्त राष्ट्र द्वारा शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है। अधिकांश क्षेत्रों में, शिक्षा एक निश्चित उम्र तक अनिवार्य है। शिक्षा सुधार के लिए विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक पहल कि गई है जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देती है।

शिक्षा के कारण सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने में मदद मिलती है जो व्यक्ति की सफलता में योगदान देते है। व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि और समुदाय में सुधार करना शिक्षा का लक्ष्य होता है। इसके अलावा, शिक्षा मानव व्यक्तित्व, विचारों को विकसित करती है, दूसरों के साथ व्यवहार करती है और लोगों को जीवन के अनुभवों के लिए तैयार करती है। प्रस्तुत अनुसंधान में उत्तरदाताओं की शैक्षिक जानकारी जैसे- शिक्षित सदस्यों की संख्या, शिक्षा का स्थान, शिक्षित संस्था का प्रकार, शिक्षा का भाषिक माध्यम, छात्रवृत्ति, स्कूल ड्रापआउट आदि पहलुओं को प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि स्तरों पर मनरेगा में काम करने के पूर्व और पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में जाँचा गया है। प्राप्त परिणाम सारणी ४.१५ से ४.२२ में प्रदर्शित है।

5.2.17.1 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक

सारणी ४.१५ के अनुसार मनरेगा में काम करने से पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.९ (±८९०३) स्कूल जाने वाले लड़कें और औसतन ०.४४३३ (±६५९४७) स्कूल जाने वाले लड़कियां थी। जबकि, मनरेगा में काम करने की पश्च्यात स्थिति में इसमें अंशतः वृद्धि होकर औसतन १.१३३३ (±८५५१८) स्कूल जाने वाले लड़कें और औसतन ०.५७६७ (६८२४) स्कूल जाने वाली लड़कियां शामिल हैं। पाठशाला के स्थान के संबंध में, पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९१.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों ने उनके स्वयं के गाँव की पाठशाला में शिक्षार्जन किया है। जबकि, पश्च्यात स्थिति में इसमें गिरावट आयी है और स्वयं के गाँव की पाठशाला में शिक्षार्जन करनेवाले छात्र-छात्राओं में ७३.६ प्रतिशत ही रह गए हैं। लेकिन, पश्च्यात स्थिति में इस गिरावट के साथ पास के गाँव की पाठशाला में शिक्षार्जन करनेवालो में इजाफा दिखाई देता है। पूर्व स्थिति में यह केवल ८.० प्रतिशत थें और पश्च्यात में यह २५.२ प्रतिशत हो गए है। दूसरी और, अचरज की बात यह भी पायी गई की, मनरेगा में कार्य करने से पहले सरकारी पाठशाला में शिक्षार्जन करनेवाले सर्वाधिक ९४.५ एवं निजी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने वाले केवल ५.५ प्रतिशत छात्र शामिल थें। इसमें भारी बदलाव होकर सरकारी पाठशाला में शिक्षार्जन करने वाले घटकर ६०.७ प्रतिशत एवं निजी पाठशाला में शिक्षार्जन करने वालो में वृद्धि हो कर २०.० प्रतिशत गये है।

दूसरी और, जब बात शिक्षा के माध्यम की है, तो पूर्व एवं पश्च्यात ऐसी दोनों स्थिति में लगभग सभी (पूर्व ९९.५ प्रतिशत एवं पश्च्यात ९९.२ प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बच्चें मराठी माध्यम में शिक्षार्जन कर रहे हैं। यह स्थिति लाजमीय भी है। प्रस्तुत अनुसंधान ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण किया गया है और महाराष्ट्र कें ग्रामीण क्षेत्रों में

सारणी ४.१५ :बच्चों की शैक्षिक जानकारी (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक)

मद	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	माध्य	मनाक विचलन	माध्य	मनाक विचलन
स्कूल जाने वाले लड़को की संख्या	0.9	0.8903	1.1333	0.85518
स्कूल जाने वाले लड़कियों की संख्या	0.4433	0.65947	0.5767	0.6824
स्कूल का स्थान	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
स्वयं के गाँव का स्कल	**183**	**91**	**178**	**73.6**
पास के गाँव का स्कूल	16	8	61	25.2
तालुका का स्कूल	2	1	3	1.2
कुल	**201**	**100**	**242**	**100**

स्कुल का प्रकार	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
सरकारी स्कूल	**190**	**94.5**	**182**	**60.7**
निजी स्कूल	11	5.5	60	20
कुल	**201**	**100**	**242**	**100**
स्कुल का माध्यम	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
मराठी	**200**	**99.5**	**240**	**99.2**
सेमी इंग्लिश	1	0.5	2	0.8
कुल	**201**	**100**	**242**	**100**
स्कूल का स्वयं	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
स्कूल की फीस	181	93	232	95.9
नई किताबें	21	10.4	47	19.4
स्कूल की ड्रेस	14	4.7	39	16.1
जूते	6	2	24	9.9
स्कूल बस किराया	5	1.7	15	6.2
ऑटो रिक्शा किराया	3	1.5	15	6.2
एस. टी .पास	5	2.5	16	6.6
ट्यूशन का स्वयं	3	1.5	13	5.4
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कुल में जानेवाले बच्चे नहीं है	99	33	58	19.3

सामान्यत: मराठी माध्यम की पाठशालाओं की उपलब्धता सर्वाधिक है। दूसरी और, जब बात पाठशाला के खर्च की है, तो मनरेगा में कार्य करने से पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं का खर्च स्कूल फ़ीस पर हुआ है। पश्च्यात स्थिति में बढ़कर ९५.९ प्रतिशत हो गया है। साथ ही, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात स्थिति में तक़रीबन सभी सम्बंधित पहलुओं में वृध्ही दिखाई देती है। जैसे की, नई किताबें (पूर्व १०.४ प्रतिशत एवं पश्च्यात १९.४ प्रतिशत), स्कूल की ड्रेस (पूर्व ४.७ प्रतिशत एवं पश्च्यात १६.१ प्रतिशत), जूतें (पूर्व २.० प्रतिशत एवं पश्च्यात ९.९ प्रतिशत), स्कूल बस किराया (पूर्व १.७ प्रतिशत एवं पश्च्यात ६.२ प्रतिशत), ऑटो

रिक्शा किराया (पूर्व १.५ प्रतिशत एवं पश्च्यात ६.२ प्रतिशत), बसपास (पूर्व २.५ प्रतिशत एवं पश्च्यात ६.६ प्रतिशत), एवं ट्यूशन का स्वयं (पूर्व १.५ प्रतिशत एवं पश्च्यात ५.४ प्रतिशत) इसमें शामिल है।

सारणी ४.१६ :बच्चों को प्राप्त छात्रवृत्ति, स्कूल ड्रापआउट और प्रभाव (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक)

बच्चों को प्राप्त छात्रवृत्ति	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	81	40.3	101	41.7
नहीं	**120**	**59.7**	**141**	**58.3**
कुल	**201**	**100**	**242**	**100**
स्कूल ड्रापआउट	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	20	6.7	22	9.1
नहीं	**181**	**60.3**	**220**	**90.9**
कुल	**201**	**67**	**242**	**100**
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कुल में जानेवाले बच्चे नहीं है	99	33	58	19.3
मानरेगा योजना द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में होने वाला परिणाम				
प्रतिसाद		**आवृत्ति**		**प्रतिशत**
बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता		**111**		**45.9**
कोई परिणाम नही हुआ		61		25.2
अधिक कोई परिणाम नही हुआ		56		23.1
बता नही सकते है		13		5.4
शिक्षा की सहायक सामग्री , किताब पेन पेंसिल		1		0.4
कुल		**242**		**100**

सारणी ४.१६ दर्शाती है कि, पूर्व स्थिति में ४०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त थी। पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः बढ़कर ४१.७ प्रतिशत हो गई है। अचरज की बात यह भी है कि, मनरेगा में काम करने के पूर्व स्थिति में ६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों में स्कूल ड्रापआउट पाया गया है। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर ९.१ हो गया है। इसे अपने आप में एक नकारात्मक संकेत मना जा सकता है।मानरेगा योजना द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में होने वाले परिणामों के संबंध में, ४५.९ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा के कारण बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई है, २५.२ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा के कारण कोई परिणाम नही हुआ है और तक़रीबन उतनेही २३.१ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है

कि,मनरेगा के कारण अधिक कोई परिणाम नहीं हुआ है और उनका अनुपात अधिक है। लेकिन यहाँ मनरेगा के कारण बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई है ऐसा मानने वालों की संख्या को नकारा नही जा सकता।

सारणी ४.१५ एवं ४.१६ के अनुसार मनरेगा से जुड़ने के बाद, चाहे लड़का हो यां लड़की, दोनों के स्कूल जाने के औसत में वृद्धि हुई है। दूसरी और,पूर्व स्थिति में जो बच्चे उनके स्वयं के गाँव की पाठशाला में शिक्षार्जन करते थे, पश्च्यात स्थिति में इसमें गिरावट आयी है। पश्च्यात स्थिति में,इस गिरावट के बाद भी पास के गाँव की पाठशाला में शिक्षार्जन करनेवालो में वृद्धि दिखायी देती है। अर्थात, यहाँ सरकारी पाठशाला में जाकर पढ़ने के बजाय निजि स्कुलों में जाकर पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा के माध्यम के संबंध में, पूर्व एवं पश्च्यात ऐसी दोनों स्थिति में तक़रीबन सभी उत्तरदाताओं के बच्चें मराठी माध्यम में शिक्षार्जन कर रहे हैं। यह स्थिति लाजमीय भी है। क्योंकि, प्रस्तुत अनुसंधान ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण किया गया है और महाराष्ट्र कें ग्रामीण क्षेत्र में मराठी माध्यम की पाठशालाओं की उपलब्धता सर्वाधिक है। दूसरी और, जब बात पाठशाला के खर्च की है, तो मनरेगा में काम करने के पश्च्यात स्थिति में तक़रीबन सभी सम्बंधित पहलुओं में वृद्धी दिखाई देती है। जैसे की स्कूल की फीस, नई किताबें, स्कूल की ड्रेस, जूते, स्कूल बस किराया, ऑटो रिक्शा किराया, बस पास, एवं ट्यूशन का खर्च । यह सब तथ्य साफ़ इशारा करते है कि, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात शिक्षा(प्राथमिक से उच्च प्राथमिक) पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। लेकिन छात्रवृत्ति और स्कूल ड्रॉपआउट पर मनरेगा का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। दूसरी और, यह भी पाया जाता है कि, मानरेगा योजना द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदाताओं को मुख्यतः बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई है।

5.2.17.2 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक

सारणी ४.१७ के अनुसार मनरेगा में कार्य करने से पहले औसतन ०.०९६७ (±०.३२८१५) माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले लड़के एवं औसतन ०.०३६७ लड़कियाँ थी। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर औसतन ०.३६ (±०.५५८०७) लड़के एवं औसतन ०.१३ (±०.३५६१७) लड़कियाँ हो गई है। अर्थात, मनरेगा के पश्च्यात की स्थिति में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा में पढ़नेवाले लड़के और लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिसे मनरेगा का प्रभाव माना जा सकता है। दूसरी और, लिंग विभेदीकरण दोनों स्थिति में बरकरार है। स्कूल के स्थान के संबंध में, पूर्व स्थिति में ४३.३ प्रतिशत उत्तरदाता के बच्चे स्वयं के गाँव के स्कूल में एवं ३६.७ प्रतिशत उत्तरदाता के बच्चे पास के गाँव के स्कूल में शिक्षार्जन कर रहे थें। २०.० प्रतिशत

उत्तरदाताओं के बच्चें तहसील के स्कूल में शिक्षार्जन कर रहे थें। यह स्थिति पश्च्यात में बदलकर स्वय के गाँव में ३२.२ प्रतिशत, पास के गाँव के स्कूल में ५७.८ प्रतिशत एवं तहसील के स्कूल में १०.० प्रतिशत हो गई है। इससे स्पष्ट है कि, पश्चात स्थिति में पास के गाँव की स्कूल में पढ़नेवाले बच्चो में अधिक वृद्धि हूई है।

मनरेगा में कार्य करने के पूर्व ७६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों ने निजी स्कूल में शिक्षार्जन किया है। पश्च्यात स्थिति में इसमें ८५.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिक्षा के माध्यम के संबंध में, पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चें मराठी भाषा में शिक्षार्जन कर रहे थें। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर ८८.९ प्रतिशत हो गया है एवं सेमी इंग्लिश में पढनेवाले ६.७ से ७.८ हो गए है। पूर्व स्थिति में इंग्लिश माध्यम में शिक्षार्जन करनेवाले कोई भी शामिल नहीं था। बाद में यह बढ़कर ३.३ हो गए हैं। मनरेगा में जुड़ने कें पश्च्यात निजी स्कूल एवं इंग्लिश माध्यम में पढ़नेवालों में वृद्धि हुई है। अत: इस बदलाव को भी मनरेगा का प्रभाव माना जा सकता है।

सारणी ४.१७ :बच्चों की शैक्षिक जानकारी (माध्यमिक से उच्च माध्यमिक)

मद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	माध्य	**मनाक विचलन**	**माध्य**	**मनाक विचलन**
स्कूल जाने वाले लड़को की संख्या	0.0967	0.32815	0.36	0.55807
स्कूल जाने वाले लड़कियों की संख्या	0.0367	0.20525	0.13	0.35617
स्कूल का स्थान	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
स्वयं के गाँव का स्कूल	**13**	**43.3**	29	32.2
पास के गाँव का स्कूल	11	36.7	**52**	**57.8**
तालुका का स्कूल	6	20	9	10
कुल	**30**	**100**	**90**	**100**
स्कुल का प्रकार	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
सरकारी स्कूल	7	23.3	13	14.4
निजी स्कूल	**23**	**76.7**	**77**	**85.6**
कुल	**30**	**100**	**90**	**100**

स्कुल का माध्यम	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
मराठी	**28**	**93.3**	**80**	**88.9**
सेमी इंग्लिश	2	6.7	7	7.8
इंग्लिश			3	3.3
कुल	**30**	**100**	**90**	**100**
स्कूल का स्वयं	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
स्कूल की फीस	6	20	77	85.6
नई किताबें	8	26.7	23	25.6
स्कूल की ड्रेस	7	23.3	18	20
जूते	4	13.3	12	13.3
स्कूल बस किराया	3	10	11	12.2
ऑटो रिक्शा किराया	3	10	10	11.1
एस. टी .पास	6	20	19	21.1
ट्यूशन का स्वयं	3	10	9	10
रूम भाड़ा	3	10	7	7.8
मेस	4	13.3	7	7.8
माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्कुल जानेवाला कोई नहीं	270	90	210	70

स्कूल के खर्चे के संबंध में, पूर्व स्थिति में २०.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्कूल की फीस पर खर्च हुआ है। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर ८५.६ प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि अपेक्षित भी है। क्योंकि, निजी स्कूल में पढ़नेवालों की संख्या में पश्च्यात स्थिति में वृद्धि हुई है। पूर्व स्थिति में २६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा नई किताबों के ऊपर खर्च किया गया है। पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः घटकर २५.६ प्रतिशत हो गया है। पूर्व स्थिति में २३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्कूल की ड्रेस पर खर्च किया गया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर २०.० प्रतिशत हो गया है। पूर्व एवं पश्च्यात ऐसी दोनों स्थिति में १३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जूतों पर खर्च किया है। पूर्व स्थिति में स्कूल के किराये पर १०.० प्रतिशत, ऑटो रिक्शा किराये पर १०.० प्रतिशत एवं बस पास पर २०.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खर्च किया है। पश्च्यात स्थिति में स्कूल बस पर १२.२ प्रतिशत, ऑटो

रिक्शा किराये पर ११.१ प्रतिशत एवं बसपासपर२१.१ प्रतिशत खर्च किया गया है जो वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

सारणी ४.१८ :बच्चों को प्राप्त छात्रवृत्ति, स्कूल ड्रापआउट और प्रभाव (माध्यमिक से उच्च माध्यमिक)

बच्चों को प्राप्त छात्रवृत्ति	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	5	16.7	**63**	**70**
नहीं	**25**	**83.3**	27	30
कुल	**30**	**100**	**90**	**100**
स्कूल ड्रापआउट	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
हाँ	5	16.66	3	3.33
नहीं	**25**	**83.33**	**87**	**96.66**
कुल	**30**	**100**	**90**	**100**
मानरेगा योजना माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा में होने वाला परिणाम				
प्रतिसाद		**आवृत्ति**	**प्रतिशत**	
बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता		**29**	**32.2**	
अधिक कोई परिणाम नही हुआ		26	28.9	
कोई परिणाम नही हुआ		13	14.4	
शिक्षा की सहायक सामग्री , किताब पेन पेंसिल		4	4.4	
बता नही सकते है		3	3.3	
ट्यूशन क्लास		1	1.1	

यह वृद्धि स्वाभाविक भी है। क्योंकि, पश्च्यात स्थिति में गाँव की स्कूल में पढ़नेवालों में गिरावट होकर बाहरी स्कूल में पढ़नेवालों में वृद्धि हुई है। ट्यूशन का खर्च पूर्व और पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में (१०.० प्रतिशत) समान ही पाया गया हैं। पूर्व स्थिति में रूम भाड़ा देने वालों में १०.० प्रतिशत उत्तरदाता एवं मेस का खर्च देनेवाले १३.३ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल है और पश्च्यात स्थिति में दोनों ७.८ प्रतिशत हो गए है।

सारणी ४.१८ साफ़ दर्शाती है कि, पूर्व स्थिति में ८३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को कोई छात्रवृत्ति नहीं थी। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह स्थिति बदलकर छात्रवृत्ति प्राप्त करनेवाले ७०.० प्रतिशत हो

गए हैं, जो एक सकारात्मक परिस्थिति मानी जा सकती है। अचरज की बात यह है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व सर्वाधिक ८३.३३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में स्कूल ड्रापआउट रहा है और बाद की स्थिति में यह लगभग ९६.६६ प्रतिशत हो गया हैं। इसका मुख्य कारण यह माना जा सकता है कि, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक आने पर व्यक्ति १८ साल का हो जाता है एवं इस उम्र में आने के बाद व्यक्ति अपना रोजगार स्वयं ढूंडने लगता है। इसकी पुष्टि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय समता सर्वेक्षण (64, 2007 - जून, 2008) के आंकड़ों पर आधारित शिक्षा में भागीदारी और परिणाम प्रतिवेदन के आधार पर होती है। दुसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद शिक्षा का प्रमाण काफी घट रहा है जिसे सारणी ४.१९ में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी ४.१९ : शिक्षा के स्तर से जनसंख्या का प्रतिशत वितरण (महाराष्ट्र सरकार, २००८)[3]

शिक्षा का स्तर	ग्रामीण			शहरी			राज्य		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
साक्षर नहीं, बिना औपचारिक शिक्षा के साक्षर	26.9	42.9	34.7	15.9	25	20.1	22.4	35.9	28.9
शिक्षा	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4
प्राथमिक से नीचे	12.4	11.4	11.9	10.6	10.4	10.5	11.7	11	11.4
प्राथमिक	17.2	16.6	16.9	13.1	14.3	13.6	15.5	15.7	15.6
उच्च प्राथमिक	22.2	17	19.6	21.5	18.8	20.2	21.9	17.7	19.9
माध्यमिक	10.9	7	9	14.3	12.7	13.5	12.3	9.2	10.8
उच्च माध्यमिक	6.1	3.1	4.6	9.4	7.9	8.7	7.4	5	6.3
डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	**0.8**	**0.4**	**0.6**	2.3	0.8	1.6	1.4	0.5	1
स्नातक	**2.5**	**1**	**1.8**	9.6	8	8.9	5.4	3.8	4.6
परास्नातक	**0.5**	**0.2**	**0.4**	3.1	1.9	2.6	1.6	0.9	1.3
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

[3]महाराष्ट्र सरकार (२००८): राष्ट्रीय समता सर्वेक्षण (64, 2007 - जून, 2008) के 64 वें क्रमांक के मुख्य नमूने पर आधारित आंकड़ों पर आधारित शिक्षा में भागीदारी और परिणाम प्रतिवेदन, मुंबई: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, प्रथम वॉल्यूम, पृष्ठ 4, https://mahades.maharashtra.gov.in/files/report/Nss_64_25.2_Vol_1.pdf

मानरेगा योजना के माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा परहोने वाले परिणामों पर लगभग ३२.२ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा के चलते बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई और ४.४ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, शिक्षा की सहायक सामग्री, जैसे-किताब, पेन, पेंसिल की उपलब्धता हुई है।

१.१ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ट्यूशन क्लास की फ़ीस की उपलब्धता हुई है। दूसरी और, २८.९ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अधिक कोई परिणाम नही हुआ है। १४.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कोई परिणाम नही हुआ है तथा ३.३ प्रतिशत उत्तरदाता कुछ बता नही पाएं हैं।

सारणी ४.१७, ४.१८ और ४.१९ में प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, मनरेगा के पश्च्यात स्थिति में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा में पढ़नेवाले लड़के एवं लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह एक अच्छा संकेत है एवं मनरेगा का प्रभाव भी मना जा सकता है। दूसरी और, लिंग विभेदीकरण दोनों स्थिति में बरकरार पाया गया है।स्वयं के गाँव के स्कूल में पढ़ने के बजाय बाहर के गाँव के स्कूल में पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए पश्चात स्थिति में पास के गाँव के स्कूल में पढ़नेवाले बच्चो में अधिक वृद्धि हुई।

दूसरी और, मराठी माध्यम में शिक्षार्जन कम होकर अंग्रेजी माध्यम एवं निजी स्कूल में शिक्षार्जन करने का प्रचालन पश्च्यात स्थिति में पाया गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि, पश्चात स्थिति में स्कूल की फ़ीस भरने के प्रमाण में वृद्धि हुई है जो स्वाभाविक भी है। साथ ही, पश्च्यात स्थिति में यातायात पर भी खर्चा बढ़ा है। छात्रवृत्ति प्राप्त करनेवालों का प्रमाण अत्यधिक बढ़ा है। अचरज की बात यह है कि, पश्चात स्थिति में, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर होनेवाले शिक्षार्जन में स्कूल ड्रापआउट बढ़ा है। स्कुल ड्रॉपआऊट के मुख्य कारणों में शिक्षा से संबंधित अरूची के बजाय हमें उन आर्थिक कारणों को समझना चाहिए जो व्यक्ति की शैक्षणिक इच्छा में बाधा उत्पन्न करते हैं। अत: यहाँ पैसों की कमी स्कुल ड्रॉप आऊट का मूख्य कारण है जो व्यक्ति को शिक्षा से वंचित करता है।

सारणी ४.२० :बच्चों की शैक्षिक जानकारी (उच्च शिक्षा)

मद	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	माध्य	मनाक विचलन	माध्य	मनाक विचलन
कॉलेज जाने वाले लड़के	0.0267	0.16138	0.0767	0.29052
कॉलेज जाने वाली लड़किया	0.01	0.09966	0.01	0.09966
विश्वविद्यालय जाने वाले लड़के	0.0033	0.05774	0.01	0.09966
विश्वविद्यालय जाने वाली लड़किया	0.0067	0.08151	0.0067	0.08151
शैक्षिक स्तर एवं क्षेत्र (लडके)	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	माध्य	**मनाक विचलन**	**माध्य**	**मनाक विचलन**
बी.ए.	0	0	0.5833	0.51493
बी.कॉम.	1	0	0.9167	0.28868
बीएस.सी.	1	0	0.75	0.45227
बीएससी. कृषि.	1	0	0.9167	0.28868
एम. ए.	1	0	0.9167	0.28868
एम. कॉम.	1	0	1	0
एम.एससी.	1	0	1	0
डी. एड.	1	0	0.8333	0.38925
बी. एड.	1	0	1	0
एम. एड.	1	0	1	0
एम. फिल.	1	0	1	0
पीएच. डी.	1	0	1	0
शैक्षिक स्तर एवं क्षेत्र (लडकियां)	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	माध्य	**मनाक विचलन**	**माध्य**	**मनाक विचलन**
बी. ए.	0	0	0.3333	0.57735
बी. कॉम.	1	0	1	0
बी.एससी.	1	0	1	0
बी.एससी. कृषि.	1	0	1	0
एम. ए.	1	0	1	0
एम. कॉम.	1	0	1	0
एम.एससी.	1	0	1	0
डी. एड.	1	0	1	0
बी. एड.	1	0	1	0
एम. एड.	1	0	1	0
एम. फिल.	1	0	1	0
पीएच. डी.	1	0	0.6667	0.57735

सारणी ४.२१ :स्कूल का स्थान, स्वयं , बच्चों को प्राप्त छात्रवृत्ति, स्कूल ड्रापआउट और प्रभाव

(उच्च शिक्षा)

शिक्षा का स्थान	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
तहसील स्तर	**9**	**90**	**19**	**86.4**
जिला स्तर	1	10	1	4.5
दूसरा जिले का कॉलेज	0	0	2	9.1
कुल	**10**	**100**	**22**	**100**
शिक्षा का स्वयं	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
उच्च शिक्षा का स्वयं	10	100	16	72.7
किराए की रूम	0	0	5	22.7
उपरोक्त सभी	0	0	1	4.5
कुल	10	100	22	100
लागू नही होता	290	96.7	278	92.7
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व बीच से उच्च शिक्षा छोड़ना**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात बीच से उच्च शिक्षा शुरू करना**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
हाँ	2	20	2	9.1
नहीं	**8**	**80**	**20**	**90.9**
कुल	**10**	**100**	**22**	**100**
लागू नही होता	290	96.7	278	92.7

मानरेगा योजना द्वारा एवं उच्च शिक्षा में होने वाला परिणाम

प्रतिसाद	आवृत्ति	प्रतिशत
बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता	6	27.3
अधिक कोई परिणाम नही हुआ	5	22.7
कोई परिणाम नही हुआ	3	13.6
बता नही सकते है	1	4.5
किराए की रूम	1	4.5
लागू नही होता	278	92.7

5.2.17.3 उच्च शिक्षा

सारणी ४.२० प्रदर्शित करती है कि, मनरेगा में काम करने से पूर्व स्थिति में औसतन ०.०२६७ (±०.१६१३८) कॉलेज जाने वाले लड़के और औसतन ०.०१ (±०.०९९६६) लड़कियाँ रही हैं। पश्च्यात स्थिति में, औसतन ०.०७६७ (±०.२९०५२) कॉलेज जाने वाले लड़के और औसतन ०.०१ (±०.०९९६६) लड़कियाँ रही हैं। जब बात विश्वविद्यालय में शिक्षार्जन की है, तो पूर्व स्थिति में केवल ०.००३३ (±०.०५७७४) विश्वविद्यालय जाने वाले लड़के एवं औसतन ०.००६७ (±०.०८१५१) विश्वविद्यालय जाने वाली लड़कियाँ रही हैं। बाद की स्थिति में औसतन ०.०१ (±०.०९९६६) विश्वविद्यालय जाने वाले लड़के एवं ०.००६७ (±०.०८१५१) विश्वविद्यालय जाने वाली लड़कियाँ है। प्राप्त तथ्य साफ़ इशारा कर रहे है कि, पश्च्यात स्थिति में उच्च शिक्षा में नामांकन तो बढ़ा है, पर सूक्ष्म अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि, यह नामांकन केवल लड़को का ही है और लड़कियों की स्थिति जस की तस है। अर्थात, मनरेगा का प्रभाव उच्च शिक्षा के नामांकन में तो है पर इसमें लिंग विभेदीकरण भी शामिल है। जिस घर में एक लड़का एक लड़की है वहाँ सामान्यत: लड़के को अधिक पढ़ाया जाता है, जो प्राप्त तथ्यों से भी प्रतीत होता है।

उच्च शिक्षा के संबंध में, मनरेगा में काम करने की पूर्व स्थिति में बी. ए. करनेवाला न कोई लड़का है और ना ही कोई लड़की रही हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में, बी.ए. के औसतन ०.५८३३ (±०.५१४९३) छात्र एवं औसतन ०.३३३ (±०.५७७३५) छात्राएँ पाई गयी है। पूर्व स्थिति में बी.कॉम. में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गये है, जो पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.९१६७ (±०.२८८६८) छात्रा एवं औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ हो गयी हैं। पूर्व स्थिति में बीएस.सी.में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी है जो पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.७५ (±०.४५२२७) छात्र एवं औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ हो गई है। पूर्व स्थिति में बीएस.सी. कृषि में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी है। वह पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.९१६७ (±०.२८८६८) छात्र एवं औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ हो गयी है। पूर्व स्थिति में एम. ए. में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी है जो पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.९१६७ (±०.२८८६८) छात्रा एवं औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ हो गयी है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में एम. कॉम. में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में एम.एससी. कें औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी है। पूर्व एवं

पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में डी. एड. कें औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी है जबकि, पूर्व स्थिति मेंऔसतन १.० (±०.०) छात्र पाए गए जो, पश्च्यात स्थित में घटकर ०.८३३३ (±०.३८९२५) छात्र हो गए है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में बी. एड. के औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पायी गई है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में एम. एड. कें औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पायी गई है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में एम. फिल. के औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पायी गई है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में पीएच. डी. कें औसतन १.० (±०.०) छात्र पाए गये है जबकि, पूर्व स्थिति में औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ थी जो घटकर ०.६६६७ (±०.५७७३५) छात्राएँ हो गयी है। प्राप्त तथ्य साफ़ बया करते है कि बी. ए., बी. कॉम., बी.एससी., बी.एससी कृषि, एम. ए.,डी. एड. आदि पाठ्यक्रमों में पश्च्यात स्थिति में बदलाव हुआ है और यह बदलाव केवल लड़को में पाया गया है। यह स्थिति शैक्षिक आधार पर लिंग विभेदीकरण की पुष्टि करती है।

शिक्षा के स्थान में (सारणी ४.२१) यह पाया जाता है कि, पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९०.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चें तहसील स्तर पर एवं शेष १०.० प्रतिशत ज़िला स्तर पर शिक्षार्जन कर रहे है। पश्च्यात स्थिति में यह बदलकर ८६.४ तहसील स्तर पर, ४.५ प्रतिशत जिला स्तर पर एवं शेष ९.१ प्रतिशत दुसरे जिले के कॉलेज में शिक्षार्जन करने लगे है। यह स्थिति साफ़ दर्शाती है कि, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात उत्तरदाताओं के बच्चें उच्च शिक्षा हेतु दुसरे जिले के कॉलेज तक पहुँच गये है जो पूर्व स्थिति में केवल जिले के कॉलेज तक ही सिमित थें। दूसरी और पूर्व स्थिति में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा केवल शिक्षापर ही खर्च किया जाता था। जबकि, पश्च्यात स्थिति में ७२.७ प्रतिशत उच्च शिक्षा पर, २२.७ किराए की रूम एवं ४.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा उच्च शिक्षा के साथ-साथ किराए की रूम अदि पर भी खर्चा किया जा रहा है। अर्थात, पश्च्यात स्थिति में उत्तरदाता अपने बच्चों के उच्च शिक्षा का खर्चा कुछ हद तक तो संभाल पा रहे हैं। साथ ही, पूर्व परिस्थिति में जिन दो अभ्यर्थियों ने शिक्षा बिच में छोड़ दी थी उन दोनों अभ्यर्थियों ने पश्च्यात स्थिति में फिर से शिक्षार्जन शुरू कर दिया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि, मनरेगा का प्रभाव उच्च शिक्षा में स्कूल ड्रापआउट कम करने में सहायक साबीत हो रहा है। लेकिन केवल २७.३ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा में काम करने से बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई है। वहीं, ४.५ प्रतिशत उत्तरदाता किराए की रूम पर खर्चा कर पाए है। ४.५ प्रतिशत उत्तरदाता इस सन्दर्भ में कुछ बता नहीं पाए है। २२.७ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, अधिक कोई परिणाम नही हुआ है और १३.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा के किसी भी परिणाम से इन्कार किया है।

सारणी ४.२० एवं ४.२१ से प्राप्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि, पश्च्यात स्थिति में उच्च शिक्षा में नामांकन तो बढ़ा है, पर सूक्ष्म अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि, यह नामांकन केवल लड़को का ही है, लड़कियों की स्थिति जस की तस है। यद्यपि, पूर्व स्थिति में जो बच्चें जिले के कॉलेज तक सीमित रहे है, वह मनरेगा में काम करने के पश्च्यात उच्च शिक्षा हेतू दुसरे जिले के कॉलेज तक पहुँच गए हैं। पश्च्यात स्थिति में, उत्तरदाताओं द्वारा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्चा कुछ हद तक संभाला है। साथ ही, मनरेगा का प्रभाव उच्च शिक्षा में स्कूल ड्रापआउट को कम करने में मदतगार साबीत हो रहा है। अत: यह कहा जा सकता है कि, मनरेगा का प्रभाव लाभार्थियों के बच्चों की उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में सकारात्मक रहा है।

5.2.17.4 व्यवसायिक शिक्षा

सारणी ४.२२ के अनुसार पूर्व स्थिति में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं के लड़के(२) आय.टी.आय. कर रहे थे। जबकि, पश्च्यात स्थिति में आय. टी. आय. करनेवाले बढ़े है। साथ ही इसमें पोलिटेकनिक ((१) ११.१) करनेवाले भी सम्मिलित हो गए हैं। जबकि, पूर्व स्थिति में (१) शत प्रतिशत उत्तरदाताओं की लड़कियाँ आय. टी. आय. नहीं कर रही थी। यह प्राप्त परिणाम साफ़ दर्शाते है कि, मनरेगा में काम करने के बाद व्यावसायिक शिक्षा में पंजीकरण तो बढ़ा है, पर यह भी लिंग विभेदीकरण की जंजीरों के साथ बढ़ा है। शिक्षा के स्थान के संदर्भ में, पूर्व स्थिति में (१००.० प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बच्चें तहसील स्तर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थें। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह स्थिति परिवर्तित होने से ८८.९ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चें तहसील स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा का ग्रहण कर रहे है तथा शेष ११.१ प्रतिशत शिक्षा ग्रहण हेतू ज़िला स्तर तक पहुँच गये है। यह स्थिति साफ़ करती है कि, पश्च्यात स्थिति उत्तरदाताओं के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा हेतू जिला स्तर तक पोहोचाने में कामयाब हुई है।

शिक्षा के खर्च के संबंध में, पूर्व में केवल तिन ही उत्तरदाताओं द्वारा शिक्षा का खर्च किया गया है। जबकि, पश्च्यात स्थिति में, ८ उत्तरदाताओं में से ८८.९ प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा का खर्च एवं शेष ११.१ प्रतिशत उत्तरदाता मेस का खर्चा भी उठा पा रहे है। यह स्थिति सकारात्मक स्थिति को इंगित करती है। साथ ही, व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में पूर्व स्थिति में ऐसा कोई भी नहीं है, जिसने बिच में शिक्षा छोड़ दी हों,और उसके कारण पश्च्यात स्थिति में फिर से शिक्षा शुरू करने की कोई स्थिति पैदा हुई हो।

सारणी ४.२२ :बच्चों की व्यावसायिक शिक्षासंबंधी जानकारी

लड़कों की व्यावसायिक शिक्षा	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
आय टी आय	3	100	8	88.9
पोलिटेकनिक	0	0	1	11.1
कुल	**3**	**100**	**9**	**100**
लागू नही होता	297	99	291	97
लड़कियों की व्यावसायिक शिक्षा	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
आय टी आय	1	100	0	0
कुल	**1**	**100**	**0**	**0**
लागू नही होता	299	99.7	300	100
शिक्षा का स्थान	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
तालुका स्तर	3	100	8	88.9
जिला स्तर	0	0	1	11.1
कुल	**3**	**100**	**9**	**100**
लागू नही होता	297	99	291	97
शिक्षा का स्वयं	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
शिक्षा का स्वयं	3	100	8	88.9
मेस का स्वयं	0	0	1	11.1
कुल	**3**	**100**	**9**	**100**
लागू नही होता	297	99	291	97

व्यावसायिक शिक्षा से ड्रापआउट

प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व बीच से व्यावसायिक शिक्षा छोड़ना		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात बीच से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करना	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
नहीं	**300**	**100**	**300**	**100**

मनरेगा योजना के पश्चात व्यावसायिक शिक्षापर होने वाला परिणाम

प्रतिसाद	आवृत्ति	प्रतिशत
व्यवसयिक शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता	5	55.6
मेस की सुविधा	1	11.1
अधिक कोई परिणाम नही हुआ	2	22.2
कोई परिणाम नही हुआ	1	11.1

५५.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि, व्यवसयिक शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई है। ११.१ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात मेस की सुविधा वह ले पाए हैं। २२.२ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अधिक कोई परिणाम नही हुआ है। जबकि, ११.१ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कोई भी परिणाम नही हुआ है। प्राप्त परिणाम स्पष्ट करते है कि, मनरेगा के चलते व्यावसायिक शिक्षा पर परिणाम हुआ है।

5.2.18 नौकरी की स्थिति

नौकरी, रोजगार, काम या व्यवसाय, समाज में एक व्यक्ति की भूमिका है। अधिक विशेष रूप से, एक नौकरी एक प्रकार की गतिविधि है, जो नियमित रूप से और अक्सर भुगतान के बदले में प्रदर्शित की जाति है। व्यक्ति अपने क्षमताओं के आधार पर नौकरी करता है। खैर, नौकरी की उपलब्धता भी अपने आप में एक सवाल है। नौकरी अर्थार्जन का एक सुधारित माध्यम माना जाता है। क्योंकि, इसमें मासिक प्राप्ति भी होती है। प्रस्तुत अनुसंधान की जरूरतों के अनुसार मनरेगा में कम करने से पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति में उत्तरदाताओं के परिवार में कोई नौकरी करता है या नहीं यह उजागर करने की कोशिश की गई है। प्राप्त परिणाम सारणी ४.२३ में प्रदर्शित है।

सारणी ४.२३ :नौकरी की स्थिति

कोई सदस्य का बाहर नौकरी करना	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पति	153	51	136	45.3
पत्नी	7	2.3	8	2.7
पति पत्नी दोनों	63	21	47	15.7
पति पत्नी बच्चे	39	13	46	15.3
परिवार के सभी सदस्य	38	12.7	63	21
कुल	**300**	**100**	**300**	**100**

सारणी ४.२३ दर्शाती है कि, पूर्व स्थिति में ५१.० प्रतिशत, २१.० प्रतिशत पति और पत्नी दोनों, १३.० प्रतिशत पति-पत्नी एवं बच्चें,१२.७ प्रतिशत परिवार के सभी सदस्य तथा २.३ प्रतिशत पत्नियाँ बाहर नौकरी करती रही है। जबकि, बाद की स्थिति में ४५.३ प्रतिशत पति, २१.० प्रतिशत परिवार के सभी सदस्य१५.७ पति

और पत्नी दोनों, १५.३ प्रतिशत पति एवं पत्नी तथा बच्चें और केवल २.७ प्रतिशत पत्नियाँ बाहर नौकरी करती है।

यह तथ्य बताते है कि, पश्च्यात स्थिति में बाहर नौकरी करने की स्थिति में कोई भी बदलाब नहीं हुआ है। यद्यपि, विभिन्न सदस्यों के प्रमाण में बदलाव आया है। लेकिन, सभी उत्तरदाताओं के परिवार में कोई न कोई पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में बहार नौकरी कर रहें है। इस से निष्कर्ष निकालता है कि, अपने गाँव से बाहर जाकर रोजगार या नौकरी प्राप्त करने की स्थिति कों रोकने में मनरेगा असफल रही हैं।

5.2.19 मौसमी प्रवसन

प्रवासी श्रमिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने देश के भीतर या बाहर काम करने के लिए प्रवसन करता है। प्रवासी श्रमिक, आमतौर पर, उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं, जिसमें वे काम करते हैं। फिर भी, श्रम प्रवास को रोजगार के उद्देश्य के लिए अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों के पलायन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रवसन स्थायी, अस्थायी या मौसमी हो सकता है और वह कई कारणों से होता है। इन कारणों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारण शामिल हैं।

प्रस्तुत अनुसंधान में उत्तरदाता अनुसूचित जाति से है जो मनरेगा से जुड़े हैं। अर्थात यह वर्ग प्रखर श्रमिक है और इनमें प्रवसन का प्रचालन भी पाया जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि, मनारेगा के कारण प्रवसन पर क्या प्रभाव हुआ है? यहाँ मौसमी प्रवसन के विभिन्न आयामों को समझा और पहचाना गया है। इसमें, मौसमी प्रवसन का कारण, व्यक्तिगत या पारिवारिक कारण, प्रवसन के समय घर पर कौन रहता है, प्रवसन की आवृत्ति, अवधि, प्रवृत्त घटक, प्रवसन न करने का कारण एवं आर्थिक स्थिति, प्रवसन माध्यम, स्थान चयन, मानरेगा योजना के बावजूद प्रवसन का कारण आदि कारकों को सम्मिलित किया गया है। इन सभी आयामों को मनरेगा में काम करने से पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थिति में जाना गया है एवं सम्बंधित तथ्य संकलित कर उसे सारणी ४.२४, ४.२५, ४.२६, एवं ४.२७ में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी ४.२४ : मौसमी प्रवसन का कारण

मौसमी प्रवसन का कारण				
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
मजदूरी कम मिलना	141	73.4	144	74.2
रोजगार की अनुपलब्धता	138	71.9	140	72.2
खेती के लिए जमीन की अनुपलब्धता	47	24.5	56	28.9
कर्ज़ का बोझ	29	15.1	36	18.6
कठिन शाररिक श्रम	24	12.5	30	15.5
अधिक समय का काम	19	9.9	14	7.2
फसल का न होना / अकाल	16	8.3	15	7.7
बंजर जमीन	15	7.8	7	3.6
मौसमी प्रवसन का का व्यक्तिगत या पारिवारिक कारण				
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
घर का स्वयं	166	86.5	173	89.2
कर्ज़ का बोझ	53	27.6	58	29.9
विवाह का खर्च	38	19.8	50	25.8
शिक्षा का स्वयं	28	14.6	55	28.4
घर बनवाया	15	7.8	22	11.3
जमीन खरीदी	9	4.7	15	7.7
प्रवसन के समय घर पर कौन रहता है				
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
वृद्ध माता पिता	**130**	**67.7**	**137**	**70.6**
छोटे बच्चे	60	31.3	51	26.3
वृद्ध माता-पिता एवं बहन	2	1	6	3.1
कुल	**192**	**100**	**194**	**100**
लागू नही होता	108	36	106	35.3

सारणी ४.२४ दर्शाती है कि, पूर्व स्थिति में ७३.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं का प्रवसन कम मजदूरी मिलने के कारण हुआ है। पश्च्यात स्थिति में, यह प्रतिशत बढ़त्तर ७४.२ हो जाता है। पूर्व स्थिति में, ७१.९ प्रतिशत उत्तरदाता रोजगार न मिलने कारण प्रवसन करते थें। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ७२.२ प्रतिशत हुआ है। खेती के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण २४.५ प्रतिशत प्रवासन हुआ है। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर २८.९ प्रतिशत हुआ है। पूर्व स्थिति में कर्ज़ के बोझ के कारण १५.१ प्रतिशत प्रवसन हुआ है जो बाद में बढ़कर १८.६ प्रतिशत हुआ है। पूर्व में, कठिन शारीरिक श्रम के कारण १२.५ प्रतिशत और बाद में बढ़कर १५.५ प्रतिशत, पूर्व में अधिक समय काम करने के कारण ९.९ प्रतिशत और पश्च्यात स्थिति में ७.२ प्रतिशत प्रवसन हुआ है। फसल का न होना और अकाल के चलते पूर्व स्थिति में ८.३ प्रतिशत और पश्च्यात स्थिति में ७.७ प्रतिशत प्रवसन हुआ है। बंजर जमीन के चलते पूर्व स्थिति में ७.८ प्रतिशत और बाद में ३.६ प्रतिशत प्रवसन हुआ है। प्राप्त तथ्य साफ़ दर्शाते है कि, यदि अधिक समय का काम, फसल का न होना, अकाल एवं बंजर जमीन जैसे कारणों से होनेवाले प्रवसन को छोड़ दिया जाएँ, तो बाकि अन्य कारण जैसे कि,मजदूरी कम मिलना, रोजगार की कमी, खेती के लिए जमीन का उपलब्ध न होना, कर्ज़ का बोझ, कठिन शारीरिक श्रम जैसे कारणों से होनेवाले प्रवसन में मनरेगा में काम करने के पश्च्यात भी वृद्धि हुई है।

व्यक्तिगत कारणों के अंतर्गत घर के खर्च को पूरा करने के लिए पूर्व स्थिति में ८६.५ प्रतिशत और बाद की स्थिति में ८९.२ प्रतिशत प्रवसन हुआ है। कर्ज़ कें बोझ के कारण पूर्व स्थिति में २७.६ प्रतिशत और बाद की स्थिति में २९.९ प्रतिशत, विवाह के कारण पूर्व स्थिति में १९.८ प्रतिशत और बाद की स्थिति में २५.८ प्रतिशत,शिक्षा कें कारण पूर्व स्थिति में १४.६ प्रतिशत और बाद की स्थिति में २८.४ प्रतिशत, घर बनवाने कें कारण पूर्व स्थिति में ७.८ प्रतिशत और बाद की स्थिति में ११.३ प्रतिशत, जमीन खरीदी के चलते पूर्व स्थिति में ४.७ प्रतिशत और बाद की स्थिति में ७.७ प्रतिशत प्रवासन हुआ है। प्राप्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि, घर का खर्च, कर्ज़ का बोझ, विवाह का खर्च, शिक्षा का खर्च, घर बनवाना, जमीन खरीदना आदि प्रवसन के व्यक्तिगत कारण है, जिसमे घर का खर्च यह मुख्यतः प्रवसन का प्रेरक पाया गया है। अचरज की बात यह भी है कि, इन सारे कारणों में मनरेगा में काम करने के पश्च्यात भी वृद्धि पाई गई है।

सामान्यत: मौसमी प्रवसन के समय परिवार का कोइ-न-कोई सदस्य घर पर रहता है। अध्ययन से यह पता चलता है कि, पूर्व स्थिति में ६७.७ प्रतिशत उत्तरदाता के यहाँ उनके वृद्ध माता-पिता घर पर रहते हैं, तत्पश्च्यात ३१.३ प्रतिशत उत्तरदाता के घर में छोटे बच्चें एवं शेष १.० प्रतिशत उत्तरदाता के घर में वृद्धमाता-पिता तथा बहन घर पर रहते हैं। पश्च्यात स्थिति में सर्वाधिक ७०.६ प्रतिशत उत्तरदाता के यहाँ उनके वृद्ध माता-पिता घर पर रहते है, तत्पश्च्यात २६.३ प्रतिशत उत्तरदाता के घर में छोटे बच्चें तथा शेष ३.१ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में वृद्धमाता-पिता एवं बहन रहते हैं। प्राप्त परिणाम साफ़ दर्शाते है कि सामान्यत: प्रवसन के समय अधिकतर वृद्ध माता- पिता, छोटेबच्चें, वृद्धमाता-पिता एवं बहन घर में रहते है। निष्कर्ष यह है कि, पूर्व हो या पश्चात, इन दोनों स्थितियों में वृद्ध माता-पिताओं में घर पर रूकने का प्रचलन पाया गया है।

सारणी ४.२५ :प्रवसन की आवृत्ति, अवधि, प्रवृत्त घटक,प्रवसन करने का कारण एवं आर्थिक स्थिति

मद	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	माध्य	मनाकविचलन	माध्य	मनाक विचलन
पिछले 10 साल मे किया गया प्रवसन	3.9323	1.34226	4.0361	1.36717
प्रवसन मे बाहर रहने का अवधि (माह में)	2.9844	0.71247	2.8866	0.83791
प्रवसन के प्रवृत्त घटक				
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
प्रवसन का कोई विकल्प नही था	**182**	**94.8**	**177**	**91.2**
प्रवसन के अलावा जीवनयापन कठिन था	10	5.2	17	8.8
कुल	**192**	**100**	**194**	**100**
लागू नही होता	108	36	106	35.3
प्रवसन न करनेका का कारण				
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
स्वयं रोजगार की उपलब्धता	90	83.3	92	86.8
गाँव मे काम मिल गया	15	13.9	10	9.4
दूसरे गाँव मे काम मिल गया	3	2.8	4	3.8

कुल	108	100	106	100
लागू नही होता	192	64	194	64.7

आर्थिक स्थिति				
प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अच्छी थी	2	1	3	1.5
गरीब थी	29	15.1	34	17.5
बहुत गरीब थी	160	83.3	156	80.4
बता नही सकते	1	0.5	1	0.5
कुल	**192**	**100**	**194**	**100**
लागू नही होता	108	36	106	35.3

सारणी ४.२५ के अनुसार मनरेगा में काम करने से पूर्व स्थिति में, पिछले दस सालों में औसतन ३.९३२३ (±१.३४२२६) बार मौसमी प्रवसन किया गया हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह बारंबारता बढ़कर ४.०३६१ (±१.३६७१७) हो गई है। यह स्थिति साफ़ करती है कि, मनरेगा में कम करने के बाद प्रवासन की बारंबारता बढ़ी है। दूसरी और, प्रवसन की अवधि की बात की जाए, तो यह पाया जाता है कि, पूर्व स्थिति में प्रवसन में बाहर रहने की अवधि औसतन २.९८४४ (±०.७१२४७) माह है। जबकि, पश्च्यात स्थिति में, यह औसतन २.८८६६ (±०.८३७९१) माह हो जाती है। प्राप्त परिणाम इंगित करते है कि, पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में प्रवसन के समय बाहर रहने के अवधी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ हैं।

प्रवसन को प्रेरित करने वाले कारकों में, पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९४.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास प्रवसन का कोई विकल्प न होना है। इसलिए, उनको प्रवसन का मार्ग अपनाना पड़ा है। जबकि, शेष केवल ५.२ प्रतिशत उत्तरदाताओं कों प्रवसन के अलावा जीवनयापन करना कठिन होने से उनके द्वारा प्रवसन किया गया है। पश्च्यात स्थिति में, इसमें अंशतः बदलाव पाया गया है। यद्यपि, ९१.२ प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास प्रवसन का कोई विकल्प नही हैं। शेष ८.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार जीवनयापन कठिन होने से उन्होंने प्रवसन किया है। यह प्राप्त परिणाम साफ़ इंगित करते है कि, प्रवसन को प्रवृत्त करनेवाले कारकों में प्रवसन का कोई विकल्प न होना यह कारक सर्वाधिक हावी है। फिर चाहे वह मनरेगा में काम करने की पूर्व स्थिति हो या काम करने के बाद की स्थिति हो।

पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ८३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं रोजगार की उपलब्धता के कारण प्रवसन नहीं किया गया है। तत्पश्च्यात १३.९ प्रतिशत उत्तरदाताओं को गाँव मे काम मिलने कारण एवं शेष २.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं को दुसरे गाँव मे काम मिलनेके कारण प्रवसन नहीं किया गया है। पश्च्यात स्थिति में, सर्वाधिक ८६.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं रोजगार की उपलब्धता के कारण प्रवसन नहीं किया गया है। तत्पश्च्यात ९.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं को गाँव मे काम मिलने से एवं शेष ३.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं को दुसरे गाँव मे काम मिलने से प्रवसन नहीं हुआ है। अत: यह स्थिति इंगित करती है कि, मुख्यत: स्वयं के गाँव में स्वय-रोजगार की उपलब्धता के कारण उत्तरदाताओं ने प्रवसन नहीं किया है। साथ ही, स्व तथा अन्य आसपास के गाँवों में मिलने वाले रोजगार के कारण आंशिक रूप से प्रवसन नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि, यदि स्वयं रोजगार की उपलब्धता हों, तो मौसमी प्रवसन को रोक जा सकता है। क्योंकि, जिन उत्तरदाताओं द्वारा प्रवसन नहीं किया गया हैं, उनमे स्वयं रोजगार की उपलब्धता का प्रमाण सर्वाधिक पाया गया हैं।

प्रवसन और आर्थिक स्थिति की बात की जाय, तो मनरेगा में काम करने की पूर्व की स्थिति में, प्रवसन न करने के कारण सर्वाधिक ८३.३ प्रतिशत उत्तरदाता बहुत ही गरीब रहें है, तत्पश्च्यात १५.१ प्रतिशत उत्तरदाता गरीब होने के साथ १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी रही हैं। जबकि, शेष ०.५ प्रतिशत उत्तरदाता इस संदर्भ में कुछ भी बता नहीं पाएँ हैं। मनरेगा में काम करने की पश्च्यात स्थिति में, प्रवसन न करने के कारण सर्वधिक ८०.४ प्रतिशत उत्तरदाता बहुत ही गरीब रहे हैं। तत्पश्च्यात १७.५ प्रतिशत और १.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी रही हैं। जबकि, शेष ०.५ प्रतिशत उत्तरदाता इस संदर्भ में कुछ बता नहीं पाएं हैं। प्राप्त तथ्य साफ़ दर्शाते है कि, मनारेगा में काम करने के पश्च्यात प्रवसन के कारण उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति में अंशतः सुधार हुआ है। पर यह सुधार काफी सूक्ष्म हैं, लेकिन है जरुर।

सारणी ४.२६ से स्पष्ट होता है कि, पूर्व स्थिति में ४६.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं ही प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ५५.२ प्रतिशत हो गया है। जबकि, पूर्व स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्रवसन करनेवालों में २९.२ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर २२.२ प्रतिशत हुआ है। पूर्व स्थिति में स्वय या ठेकेदार अथवा दोनों के द्वारा प्रवसन करनेवालों में २४.५ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं। पश्च्यात स्थिति में, यह प्रतिशत घटकर २२.७ प्रतिशत हो गया है। प्राप्त तथ्य साफ़ दर्शाते है कि, मनरेगा में काम करने के बाद उत्तरदाताओं में स्वयं ही प्रवसन करने के प्रचलन में वृद्धि हुई है।

प्रवसन के स्थान के संबंध में, पूर्व स्थिति में पूना में प्रवसन करनेवालों में ३५.४ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह बढ़कर ३६.६ प्रतिशत हो गए हैं। पूर्व स्थिति में मुंबई में प्रवसन करनेवालों में २८.१ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में वह घटकर २६.३ प्रतिशत हो गए हैं। नासिक में प्रवसन करनेवालों में २०.८ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में वह बढ़कर २१.६ प्रतिशत हो गए हैं। पूर्व स्थिति में, औरंगाबाद में प्रवसन करनेवालों में १४.६ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में वह घटकर १३.९ प्रतिशत हो गए हैं। पूर्व स्थिति में नागपुर में प्रवसन करनेवालों में ०.५ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह बढ़कर १.० प्रतिशत हो गए हैं। पूर्व और पश्च्यात इन दोनों स्थिति में सूरत में प्रवसन करनेवालों में ०.५ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं। प्राप्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि, उत्तरदाता पूना, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपुर एवं सूरत आदि जगहों पर मौसमी प्रवसन करते हैं और पूर्व तथा पश्च्यात स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन दिखायी नहीं देता।

सारणी ४.२६ :प्रवसन माध्यम, स्थान एवं चयन

प्रवसन का माध्यम				
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
स्वयं	89	46.4	107	55.2
ठेकेदार	56	29.2	43	22.2
स्वयं / ठेकदार	47	24.5	44	22.7
कुल	**192**	**100**	**194**	**100**
प्रवसन का स्थान				
प्रतिसाद	**मनरेगा में काम करने से पूर्व**		**मनरेगा में काम करने के पश्च्यात**	
	आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
पुना	68	35.4	71	36.6
मुंबई	54	28.1	51	26.3
नाशिक	40	20.8	42	21.6
औरंगाबाद	28	14.6	27	13.9
नागपुर	1	0.5	2	1
सूरत	1	0.5	1	0.5
कुल	**192**	**100**	**194**	**100**

प्रवसन का स्थान चयन करने का कारण				
प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अधिक मजदूरी मिलना	95	49.5	94	48.5
रिश्तेदार से संपर्क	40	20.8	38	19.6
काम की उपलब्धता	39	20.3	41	21.1
दवाखाने की सुविधा	16	8.3	17	8.8
कार्यस्थल पर उत्तम सुविधा	2	1	4	2.1
कुल	**192**	**100**	**194**	**100**
लागू नही होता	108	36	106	35.3

सारणी ४.२७ :मानरेगा योजना के बावजूद प्रवसन का कारण एवं रोकथाम के लिए सुझाए उपाय

मानरेगा योजना के बावजूद प्रवसन का कारण		
प्रतिसाद	आवृत्ति	प्रतिशत
मजदूरी कम मिलना	194	100
सही से ध्यान नही देना	194	100
दूसरे जगह मजदूरी का अच्छा विकल्प होना	194	100
समय पर रोजगार भत्ता नही मिलना	193	99.5
कम्प्युटर मे नाम एवं जॉब कार्ड़ नंबर नही मिलना	193	99.5
देरी से स्थानिक निर्णय आना	193	99.5
बनाई गयी संपत्ति का उपयोग नही होना	193	99.5
जॉब कार्ड़ बनने मे देरी होना	193	99.5
अर्जी देने के बाद भी काम नही मिलना	192	99
मजदूरी के पैसे बैंक खाते में जमा नही होना	192	99
उपरोक्त सभी	193	99.5
प्रवसन रोकथाम के लिए उपाय		
प्रतिसाद	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
15 दिन के भीतर काम की प्रदान करना	194	100
रोजगार भत्ता जल्दी मिलना	194	100
मजदूरी/वेतन का बढ़ना	194	100
मानरेगा योजना जल्दी लागू करना	194	100
मजदूरी के पैसे खाते मे जमा होना	193	99.5

जॉब कार्ड़ जल्दी मिलना	193	99.5
मजदूरी एवं अन्य ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना	193	99.5
मानरेगा के निर्णय मे शामिल करना	193	99.5

प्रवसन के स्थान के चयन के संदर्भ में, पूर्व स्थिति में, अधिक मजदूरी मिलने के चलते प्रवसन के स्थान को निश्चित करने में ४९.५ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ४८.५ प्रतिशत हो गये हैं। पूर्व स्थिति में रिश्तेदार से संपर्क के आधार पर प्रवसन के स्थान को तय में २०.८ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः घटकर १९.६ प्रतिशत हुआ है। पूर्व स्थिति में काम की उपलब्धता के आधार पर प्रवसन के स्थान को तय करने में २०.३ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः बढ़कर २१.१ प्रतिशत हुए हैं। पूर्व स्थिति में दवाखानों की सुविधा के आधार पर प्रवसन के स्थान को तय करने में ८.३ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः बढ़कर ८.८ प्रतिशत हुए हैं। पूर्व स्थिति में कार्यस्थल पर उत्तम सुविधा के आधार पर प्रवसन के स्थान को तय करने में १.० प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः बढ़कर २.१ प्रतिशत हुए है। प्राप्त तथ्य साफ़ इशारा करते है कि, प्रवसन के स्थान के चयन में अधिक मजदूरी मिलना, रिश्तेदार से संपर्क, काम की उपलब्धता, दवाखाने की सुविधा, एवं कार्यस्थल पर उत्तम सुविधा जैसे कारण सम्मिलित हैं। लेकिन पूर्व और पश्च्यात इन स्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

सारणी ४.२७ से प्रदर्शित होता है कि, मानरेगा योजना के बावजूद प्रवसन के कारणों में वेतन/ मजदूरी कम मिलना (१००.० प्रतिशत), सही से ध्यान नही देना (१००.० प्रतिशत), दूसरी जगह पर मजदूरी के अच्छे विकल्प का होना (१००.० प्रतिशत), समय पर रोजगार भत्ता न मिलना (९९.५ प्रतिशत), कम्प्युटर मे नाम एवं जॉब कार्ड़ नंबर का न मिलना (९९.५ प्रतिशत), देरी से स्थानिक निर्णय आना (९९.५ प्रतिशत), बनाई गयी संपत्ति का उपयोग नही होना (९९.५ प्रतिशत). जॉब कार्ड़ बनने मे देरी (९९.५ प्रतिशत), अर्जी देने के बाद भी काम न मिलना (९९.५ प्रतिशत) एवं बैंक में मजदूरी के पैसे जमा नही होना (९९.५ प्रतिशत) यह सभी कारण शामिल हैं। इन सभी कारणों की तीव्रता अत्यधिक दिखाई देती है। इस संबंध में यदि मनरेगा में बदलाव किये जाएँ, तो मनरेगा के कारण प्रवसन को रोका जा सकता है।

मनरेगा द्वारा प्रवसन को रोकने के लिए उत्तरदाताओं से उपाय संबंधी सुझाओं को भी संकलित किया गया है। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि, 15 दिन के भीतर काम प्रदान करना (१००.० प्रतिशत) रोजगार भत्ता जल्दी मिलना (१००.० प्रतिशत) मजदूरी के पैसों मे वृद्धि (१००.० प्रतिशत) मनरेगा योजना जल्दी लागू करना (१००.० प्रतिशत) मजदूरी के पैसे खाते मे जमा होना (९९.५ प्रतिशत) जॉब कार्ड़ जल्दी मिलना (९९.५ प्रतिशत) मजदूरी एवं अन्य ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना (९९.५ प्रतिशत) एवं मनरेगा के निर्णय मे शामिल करना (९९.५ प्रतिशत) अदि सुझाव उत्तरदाताओं द्वारा प्रेषित किए गए हैं। यह सारे सुझाव व्यावहारिक भी है। इन सुझावों को अपनाकर मनरेगा को संशोधित किया जा सकता है और मनरेगा को प्रवसन को रोकाने में अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

5.2.20 गाँव स्तर पर सामाजिक सहभागिता

सामाजिक भागीदारी को सामाजिक गतिविधियों में एक व्यक्ति की भागीदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। सहभागिता समुदाय में दूसरों के साथ सहसंबंध प्रदान करती हैं। यह सक्रिय रूप से उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य के एक निर्धारक का महत्वपूर्ण आयाम भी है। सामाजिक संबंध मनुष्य की सामाजिक पूंजी भी होते है। व्यक्ति की सामाजिक सहभागिता उसके मानसिक स्वास्थ्य से भी सीधे संबंधित है। सामाजिक भागीदारी सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित होती है, जिसे तीन व्यापक आयामों द्वारा परिभाषित किया गया है: पारस्परिक संबंध (जैसे सामाजिक समर्थन और सामाजिक नेटवर्क), सामाजिक असमानता (जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति और आय असमानता, नस्लीय भेदभाव) और पड़ोस एवं सामुदायिक विशेषताएँ जैसे- सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक पूंजी, पड़ोस के कारक)। प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाता अनुसूचित जाति से है एवं श्रमिक वर्ग से हैं। इसलिए इनकी सामाजिक सहभागिता का अध्ययन करना अनिवार्य बनता है। प्रस्तुत अनुसंधान में गाँव स्तर पर उत्तरदाताओं के मनरेगा में काम करने के पूर्व एवं पश्च्यात स्थिती में सामाजिक सहभागिता का अध्ययन किया गया है। सारणी ४.२८ गाँव स्तर में उत्तरदाताओं की सामाजिक सहभागिता प्रदर्शित करती है।

सारणी ४.२८ :गाँव स्तर मे सामाजिक सहभागिता

प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
सार्वजनिक उत्सव	299	99.7	296	98.7
शादी समारोह	299	99.7	296	98.7
जन्मदिन समरोह	297	99	294	98
मय्यत / शोक सभा में मौजूदगी	299	99.7	298	99.3
महान व्यक्तियो के जन्मदिन एवं पुण्य तिथि सम्बन्धी कार्यक्रम में सहभाग	299	99.7	299	99.7
गाँव के नाटक मे होने वाली सहभागिता	299	99.7	299	99.7
खेल कार्यक्रम	298	99.3	298	99.3
कसरत कार्यक्रम	296	98.7	295	98.3
पुस्तकालय	295	98.3	292	97.3

सारणी ४.२८ दर्शाती है कि, पूर्व स्थिति में सार्वजनिक उत्सव में तक़रीबन सभी ९९.७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः घटकर ९८.७ प्रतिशत हो गये हैं। तदोपरांत पूर्व स्थिति में शादी समारोह में सभी ९९.७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९८.७ प्रतिशत हो गये हैं। पूर्व स्थिति में जन्मदिन समारोह में ९९.० प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९८.० प्रतिशत हो गये है। पूर्व स्थिति में मय्यत / शोक सभा की उपस्थिति में तक़रीबन सभी ९९.७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी हुए हैं। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९९.३ प्रतिशत हो गये हैं। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थिति में,महान व्यक्तियो के जन्मदिन एवं पुण्य तिथि सम्बन्धी कार्यक्रमों में ९९.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सहभागिता रही हैं। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में खेल कार्यक्रम की सहभागीता ९९.३ प्रतिशत रही है। पूर्व स्थिति में कसरत कार्यक्रम में तक़रीबन सभी ९८.७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहें हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९८.३ प्रतिशत हुए हैं। पूर्व स्थिति में पुस्तकालय का उपयोग करने में तक़रीबन सभी ९९.३ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९७.३ प्रतिशत हो गये हैं। प्राप्त तथ्य साफ़ दर्शाते है कि, गाँव स्तर में उत्तरदाताओं की सामाजिक सहभागिता मनरेगा में काम करने से पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थिति में कोइ विशेष बदलाव नहीं पाया गया है।

इस आधार पर यह भी स्पष्ट है कि, मनरेगा का गाँव स्तर में उत्तरदाताओं की सामाजिक सहभागिता पर कोई प्रभाव नहीं है, और अगर है भी तो उसका प्रतिशत नगण्य है।

5.2.21 गाँव स्तर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता

वर्ग सदस्यता और धार्मिक संबद्धता के बीच एक करीबी रिश्ता है। धार्मिक भागीदारी सामाजिक गतिशीलता की सांस्कृतिक सीढ़ी के रूप में कार्य करती है। धर्म एवं संस्कृति नैतिक ढ़ाँचा बनाने में मदद करते हैं और दैनिक जीवन में मूल्यों के लिए एक नियामक भी है। यह विशेष दृष्टिकोण व्यक्ति के चरित्र निर्माण में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, धर्म एवं संस्कृति समाजीकरण की एक संस्था के रूप में कार्य करते है। इस प्रकार, धर्म एवं संस्कृति सहानुभूति, सम्मान और सद्भाव जैसे मूल्यों के निर्माण में सहायक है। धर्म एवं संस्कृति लोगों को विश्वास करने के लिए रास्ता प्रदान करती है, उनमें संरचना की भावना प्रदान करती है और आमतौर पर समान विश्वासों के साथ जुड़ने के लिए लोगों को एक समूह प्रदान करती है। यह पहलू मानसिक स्वास्थ्य पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव ड़ाल सकते हैं। विभिन्न अनुसंधानों से यहपता चलता है कि, धार्मिकता आत्महत्या की दर, शराब और नशीली दवाओं के उपयोग को कम करती है। धार्मिक एवं संस्कृतिक सहभागिता का व्यक्ति के जीवन में अनन्यसाधारण महत्त्व है। इसी महत्व समझते हुए प्रस्तुत अनुसंधान में उत्तरदाताओं की गाँव स्तर पर धार्मिक एवं संस्कृतिक सहभागिता का अध्ययन किया गया है। सारणी ४.२९ उत्तरदाताओं की गाँव स्तर पर धार्मिक एवं संस्कृतिक सहभागिता दर्शाती है।

सारणी ४.२९ :गाँव स्तर मे धार्मिक एवं संकृतिक सहभागिता

प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
दशहरा	297	99	297	99
भंडारा	293	97.7	293	97.7
खेल कार्यक्रम	293	97.7	295	98.3
नाटक / तमशा कार्यक्रम	293	97.7	295	98.3
पोला	293	97.7	293	97.7
भगवत कथा	293	97.7	292	97.3
कीर्तन	292	97.3	289	96.3
पोथी पुराण	291	97	290	96.7

दीपावली	291	97	289	96.3
मकर संक्रांत	291	97	293	97.7
गुड़ीपड़वा	291	97	292	97.3
जात्रा भंडारा	294	98	292	97.3

सारणी ४.२९ से प्रतीत होता है कि, पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थिति में तक़रीबन सभी ९९.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा दशहरा में सहभागिता है। तदोपरांत पूर्व स्थिति में ९८.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जत्रा-यात्रा, भंड़ारा में सहभागिता रही है और पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९७.३ प्रतिशत हो गई है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा भंड़ारा में सहभागिता की गई है। पूर्व स्थिति में ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा खेल कार्यक्रम में सहभागिता की गई है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः बढ़कर ९८.३ प्रतिशत हो गई है। पूर्व स्थिति में ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा नाटक / तमशा कार्यक्रम में सहभागिता की गई है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः बढ़कर ९८.३ प्रतिशत हो गई है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा पोला में सहभागिता की गई है। पूर्व स्थिति में ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा भगवत कथा में सहभागिता की गई है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९७.३ प्रतिशत हो गई है। पूर्व स्थिति में ९७.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कीर्तन में सहभागिता की गई है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९६.३ प्रतिशत हो गई है। पूर्व स्थिति में ९७.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा पोथी पुराण में सहभागिता रही है। जो पश्च्यात स्थिति में अंशतः घटकर ९६.७ प्रतिशत हो गई है। पूर्व स्थिति में ९७.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा दीपावली में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर ९६.३ प्रतिशत हो गई है। पूर्व स्थिति में ९७.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा मकर संक्रांती में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः बढ़कर ९७.७ प्रतिशत हो गई है। पूर्व स्थिति में ९७.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा गुड़ीपाड़वा में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः बढ़कर ९७.३ प्रतिशत हो गई है। प्राप्त परिणाम साफ़ दर्शाते है कि, गाँव स्तर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता के संबंध में, मनरेगा में काम करने से पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितिओं में कोई विशेष बदलाव नहीं

पाया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि, मनरेगा का गाँव स्तर पर धार्मिक एवं संस्कृतिक सहभागिता पर कोई प्रभाव नहीं है और अगर है भी, तो उसका प्रतिशत नगण्य है।

5.2.22 गाँव स्तर पर राजनीतिक सहभागिता

'राजनीतिक सहभागिता' शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। यह न केवल वोट के अधिकार से संबंधित है, बल्कि इसमें भाग लेने से भीसंबंधित है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना, आदि तत्व शामिल है। राजनीति वह तरीका है जिससे समूहों में रहने वाले लोग निर्णय लेते हैं। राजनीति लोगों के बीच समझौते करने के बारे में है ताकि, वे जनजातियों, शहरों या देशों जैसे समूहों में एक साथ रह सकें। बड़े समूहों, जैसे देशों में, कुछ लोग अपना बहुत समय ऐसे समझौते करने में लगा सकते हैं। आज के इस दौर में सहभागी निर्णय प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है और यह महत्वपूर्ण भी है। अत: प्रस्तुत अनुसंधान में उत्तरदाताओं द्वारा गाँव स्तर मे राजनीतिक सहभागिता का ध्यान किया गया है। सारणी ४.३० उत्तरदाताओं की गाँव स्तर पर की राजनीतिक सहभागिता दर्शाती है।

सारणी ४.३०:गाँव स्तर मे राजनीतिक सहभागिता

प्रतिसाद	मनरेगा में काम करने से पूर्व		मनरेगा में काम करने के पश्च्यात	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
कोई सहभागिता नही	290	96.7	294	98
ग्राम पंचायत में सक्रिय भागीदारी	10	3.3	5	1.7
राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्यता	1	0.3	1	0.3
उपसरपंच	0	0	1	0.3
सरपंच	0	0	0	0

सारणी ४.३० दर्शाती है कि, पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं की गाँव स्तर में राजनीतिक जीवन में कोई सहभागिता नहीं रही है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः बढ़कर ९८.० प्रतिशत हो गई। तदोपरांत पूर्व स्थिति में ग्राम पंचायत की सक्रिय भागीदारी में केवल ३.३ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में वह घटकर १.७ प्रतिशत हो गये है। पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में राजनीतिक दल की सक्रिय सदस्यता केवल ०.३ प्रतिशत ही रही हैं। जबकि, पूर्व स्थिति में, कोई भी उप-सरपंच नहीं रहा है।

पश्च्यात स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाता अर्थात, एक उत्तरदाता उप-सरपंच बन पाया है। साथ ही, पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में कोई भी सरपंच नहीं बन पाया है। अत: प्राप्त परिणाम साफ़ तौर पर उत्तरदाताओं की राजनीतिक हशियेपन को प्रदर्शित करते है। यह भी स्पष्ट है कि, मनरेगा के पश्च्यात की स्थिति में उत्तरदाताओं में इस संबंध में कोई विशेष बदलाव नहीं पाया गया है। अत: यह स्पष्ट होता है कि गाँव स्तर पर उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता को लेकर मनरेगा का कोई प्रभाव नहीं है। यदि है भी, तो उसका प्रतिशत नगण्य है।

5.2.23 अध्ययन से प्राप्त संक्षिप्त प्रभाव-परिणाम

5.2.23.1 खंड अ: मनरेगा लाभार्थियों की समाजार्थिक स्थिति

- सर्वाधिक ९१.० प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष है।
- आधे ५०.३ प्रतिशत उत्तरदाता नवबौद्ध है।
- सर्वाधिक ६९.० प्रतिशत उत्तरदाता विभक्त परिवार पद्धति से है।
- ५०.७ प्रतिशत उत्तरदाता बौद्ध हैं।
- उत्तरदाताओं की औसतन उम्र ४७.०८३३(±९.५७४३७) वर्ष है। जो, प्रौढ़ावस्था को इंगित करती है।
- तक़रीबन तिन चौथाई ७१.3 प्रतिशत उत्तरदाता अन्त्योदय कार्ड़ धारक है।
- सर्वाधिक ९०.७ प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है।
- उत्तरदाताओं को औसतन २.१२३७ (±०.८२८२४) बच्चें है।
- औसतन १.४३८१ (±०.७२७२४) लड़के है।
- औसतन ०.७९६० (±०.७७८३९) लड़कियाँ है।
- ३०.० प्रतिशत परिवार के मुखिया माध्यमिक स्तर तक शिक्षित है।
- २६.३ प्रतिशत पत्नियाँ अशिक्षित है।
- २३.० प्रतिशत बड़े लड़कें उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है।
- ३७.३ प्रतिशत बड़ी लड़कियाँ अशिक्षित है।
- उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन १.३५३३ (±०.९७२१)शिक्षित पुरुष है।
- उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.९८३३ (±०.७२४४३) शिक्षित महिलाएँहै।
- उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.९०३३ (±०.८३०४३) शिक्षित लड़कियां है।

- उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.५२६७ (±०.६२४९७) शिक्षित लड़कें है।

5.2.23.2 खंड ब: मनरेगा लाभार्थियों पर विविध प्रभाव (पूर्व - पश्च्यात)

- मनरेगा में काम करने से पूर्व ६४.३ प्रतिशत उत्तरदाता मिट्टी एवं कूड़ें के घर में रहे हैं। वहीं, पश्च्यात स्थिति में केवल ३६.७ प्रतिशत ही मिट्टी एवं कूड़े के घर में रहते हैं।
- मनरेगा में काम करने से पहले ९७.० प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं के घर में रहते थे जबकि पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत कम हो गया है, जो ७६.७ प्रतिशत है।
- मनरेगा में कार्य से पूर्व सर्वाधिक ८७.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर केवल एक कमरे का था। जबकि पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर ६५.३ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में केवल ५.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में किचन बना हुआ था। पश्च्यात स्थिति में इसमें २६.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पूर्व स्थिति ३.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में स्नान गृहबना हुआ था। पश्च्यात स्थिति में इसमें २३.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पूर्व स्थिति ३.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में शौचालयबना हुआ था।पश्च्यात स्थिति में इसमें २४.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पूर्व स्थिति में ३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में किचन, शौचालय एवं स्नान गृह बने हुए थें। पश्च्यात स्थिति मेंइसमें २२.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- घर में सुधार के अंतर्गत ३९.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नान गृह बनवाया हैं।
- ५४.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त धन कें चलते घर मे कोईसुधार नही किया है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व केवल ८.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में बिजली उपलब्ध थी। मनरेगा में काम करने से पश्चातइसमें ३२.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व केवल ३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में गैस कनेक्शन उपलब्ध था।मनरेगा में काम करने थे पश्चात इसमें ३६.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पूर्व स्थिति में केवल १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में मोबाइल उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ४२.७ हुआ है।

- पूर्व स्थिति में केवल १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में सरकारी नल उपलब्ध रहा है। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ४.३ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में हैंड पम्प उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २.० हुआ है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व किसी भी उत्तरदाताओं के घर में दूरध्वनी उपलब्ध नहीं था। वहीं, मनरेगा में काम करने से पश्चात यह प्रतिशत बढ़कर ०.७ हुआ है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व केवल १०.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में सायकल उपलब्ध थी। मनरेगा में काम करने के पश्चात प्रतिशत बढ़कर ३२.३ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल ३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में टेलीविजन उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २४.० हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल ३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में गैस सिगड़ी उपलब्ध थी। पश्चात स्थिति में प्रतिशत बढ़कर ३१.० हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल २.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में पंखा उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १६.७ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल १.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में दोपहिया वाहन उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत ८.० हुआ है।
- पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में विडिओ प्लेयर उपलब्ध था।
- पूर्व स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में फ्रिज उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में प्रतिशत बढ़कर १.३ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में कूलर उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १.० हुआ है।
- पूर्व स्थिति में किसी भी उत्तरदाताओं के घर में वॉशिंग मशीन उपलब्ध नहीं थीं। पश्चात स्थिति में प्रतिशत बढ़कर ०.३ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में किसी भी उत्तरदाताओं के घर में कम्प्युटर उपलब्ध नहीं था। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १८.७ हुआ है।

- मनरेगा में काम करने से पूर्व केवल ३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में टेलेविजन समाचार उपलब्ध था। मनरेगा में काम करने केपश्चात प्रतिशत बढ़कर ११.३ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल ३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में समाचार पत्र उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में प्रतिशत बढ़कर १३.३ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल १.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध थी। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १.७ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में केवल १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में रेडियो उपलब्ध था। पश्चात स्थिति में प्रतिशत बढ़कर १.३ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में किसीभी उत्तरदाताओं के घर में मोबाइल इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं थी। पश्चात स्थिति में प्रतिशत बढ़कर ११.३ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में किसी भी उत्तरदाताओं के घर में मासिक पत्रिका उपलब्ध नहीं थी। पश्चात स्थिति में प्रतिशत बढ़कर १४.० हुआ है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.०१०० (±०.१२२२७) एकड़ स्वयं की सिंचाई यूक्त जमीन थी। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत अंशत: बढ़कर औसतन ०.०११७ (±०.११८६५) एकड़ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.४६७५ (±०.८९१७) एकड़ स्वयं की गैर-सिंचाई वाली जमीन थी। पश्चात स्थिति में यह अंशत: बढ़कर औसतन ०.४७०८ (±०.९०२०७) एकड़ हो गई है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.०२५ (±०.२५९०३) एकड़ स्वयं की बंजर या उसर खेती थी। पश्चात स्थिति में यह अंशत: कम होकर औसतन ०.०२१७ (±०.२५२८०) एकड़ हो गई है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास स्वयं की बाग़ नहीं थी। पश्चात स्थिति में यह अंशत: बढ़कर औसतन ०.००३३ (±०.५७७४) एकड़ हो गई है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००६७ (±०.०८१५१) एकड़ गैर-सिंचाई युक्त जमीन ठेके पर ली थी। पश्चात स्थिति में इसमें कोई बदलाव न होकर औसतन ०.००६७ (±०.००३३) एकड़ बरक़रार रही है।

- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं ने कोई बाग़ठेके पर नही लिया गया था। पश्चात स्थिति में इसमें औसतन ०.०८१५१ (±०.०५७७४) बढ़ोत्तर हो गई है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१६७ (±०.२०७८५) एकड़ कृषि जमीन खरीदी गई थी। मनरेगा में काम करने के पश्चात खरीद पूर्णत: बंद हो गई है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००३३ (±०.०५७७४) एकड़ कृषि जमीन बेचीं गई थी। मनरेगा में काम करने के पश्चात बिक्री अंशतः बढ़कर औसतन ०.००५० (±०.०६४४६) एकड़ हो गई है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.११६७ (±०.५३२९२) बैल थें। मनरेगा में काम करने के पश्चात वह अंशत: कम होकर औसतन ०.०७६७ (±०.४२१९६) हो गए है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.०१०० (±०.०९९६६) गाय थी। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.०३६७ (±०.२७४९१) हो गई हैं।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.०३०० (±०.२२१९६) भैंस थी। पश्चात स्थिति में वह अंशत: कम होकर औसतन ०.०२०० (±०.१८१७८) हो गई हैं।
- पूर्व स्थिति में एवं पश्च्यात स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.००६७ (±०.११५४७) भैसे थें।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.८४३३ (±२.१७८९८) भेंड़ थी। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन १.२५०० (±३.४६१३२) हो गई है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.३८०० (±१.१४०१५) बकरी/ बकरा थें। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.४१३३ (±०.९९२८६) हो गई हैं।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास औसतन ०.२६३३ (±१.६९८१२) मुर्गी/ मुर्गा थें पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.९०६७ (±३.३७९७५) हो गई है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.११०० (±०.५३४३४) बैलों का क्रय किया गया। मनरेगा में काम करने से पश्चात यह प्रतिशत अंशत: कम होकर औसतन ०.०४६७ (±०.३०२४२) हो गया है।
- पूर्व एवं पश्च्यात ऐसी दोनों स्थितियों में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१०० (±०.०९९६६) गायों का क्रय किया गया था।

- पूर्व एवं पश्च्यात ऐसी दोनों स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००३३ (±०.०५७७४) भैसों एवं गायों का क्रय किया गया है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१६७ (±०.२०७८५) भैसें का क्रय किया गया था। पश्चात स्थिति में वह बिलकुल भी नहीं पाया गया है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.२३३३ (±०.७३०७५) भेड़ों का क्रय किया गया था। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.३९३३ (±१.१२६७३) हो गया है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.२३०० (±०.९२३७३) बकरी/ बकरों का क्रय किया गया पश्चात स्थिति में यह अंशत: बढ़कर औसतन ०.२६०० (±१.०८१५०) हो गया है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०७३३ (±०.७०४४७) मुर्गी/ मुर्गों का क्रय किया गया था। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.४१६७ (±१.९०३१०) हो गया है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१०० (±०.१२८९३) बैलों की बिक्री की गई थी। मनरेगा में काम करने से पश्चात वह प्रतिशत अंशत: बढ़कर औसतन ०.०६६७ (±०.३८६५१) हो गयी है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००३३ (±०.०५७७४) गायों की बिक्री की थी। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.०१३३ (±०.२३०९४) हो गयी है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.००३३ (±०.०५७७४) भैसों की बिक्री की गई थी। पश्चात स्थिति में वैसा बिल्किल भी नहीं पाया गया है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.३७०० (±१.१२४२७) भेड़ों की बिक्री की गई थी। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.३८०० (±१.१३७२१) हो गयी है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.१७०० (±०.५४९६४) बकरी/ बकरों की बिक्री की गई थी। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.१८३३ (±०.७००९७) हो गयी है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा औसतन ०.०१६७ (±०.२८८६८) मुर्गी/ मुर्गों की बिक्री की थी। पश्चात स्थिति में वह अंशत: बढ़कर औसतन ०.०२३३ (±०.२३७३०) हो गई है।
- ४८.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा पशुधन की बिक्री के पीछे विवाह कार्य यह मुख्य कारण रहा है।

- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों ही स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्तिगत जमीन पर कोई भी लाभ का कार्य नहीं किया गया है।
- मनरेगा में कार्य करने के पूर्व ५०.३ प्रतिशत उत्तरदाता कृषि के अलावा कृषि मजदूरी में कार्यरत थें। मनरेगा में कार्य के पश्च्यात वह पूर्णतः बंद दिखाई देता है।
- पूर्व स्थिति में २२.७ प्रतिशत उत्तरदाता मुक्त हस्तव्यवसाय से संलग्न थें। पश्च्यात स्थिति में यह पूर्णतः बंद दिखाई देता है।
- पूर्व स्थिति में २२.७ प्रतिशत उत्तरदाता मुक्त हस्तव्यवसाय से संलग्न थें, पश्च्यात स्थिति में यह पूर्णतः बंद दिखाई देता है।
- पूर्व स्थिति में ९.३ प्रतिशत उत्तरदाता कृषि में संलग्न थें। पश्च्यात स्थिति में यह पूर्णतः बंद दिखाई देता है।
- पूर्व स्थिति में ८.७ प्रतिशत उत्तरदाता छोटी दुकरदरी से संलग्न थें। पश्च्यात स्थिति में यह पूर्णतः बंद दिखाई देता है।
- पूर्व स्थिति में ७.३ प्रतिशत उत्तरदाता अकुशल मजदूरी से संलग्न थे। पश्च्यात स्थिति में यह पूर्णतः बंद दिखाई देता है।
- पूर्व स्थिति में १.७ प्रतिशत उत्तरदाता ठेकेदारी व्यवसाय से संलग्न थें। पश्च्यात स्थिति में यह पूर्णतः बंद दिखाई देता है।
- बकरी पालन जैसे पूरक व्यवसाय, जो पूर्व स्थिति में उपलब्ध नहीं थें, प्रतिशत पश्च्यात स्थिति में वह बढ़कर ११.० प्रतिशत उत्तरदाताओं में पाए गाएँ हैं।
- दुग्ध व्यवसाय पूर्व स्थिति में उपलब्ध नहीं था। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर १.७ प्रतिशत हो गया है।
- मुर्गी पालन पूर्व स्थिति में उपलब्ध नहीं था। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर ०.७ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में उत्तरदाताओं के पास कृषि के अलावा कोई अन्य व्यवसाय उपलब्ध नहीं था। पश्च्यात स्थिति में इसमें भरी उछाल होते हुए यह सर्वाधिक ८६.७ प्रतिशत पाया गया है।
- सभी ९८.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कृषि के संबंध में मानरेगा के कारण कोई वित्तीय सहायता नहीं हुई हैं।
- सर्वाधिक ८६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार मे किसी का लघु उद्योग नहीं है।
- ८८.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं कों मनरेगा द्वारा लघु उद्योग हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

- उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.०४ (±०.१९६२९) सरकारी नौकरी मे काम करने वाले सदस्य है।
- उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.०८६७ (±०.२८१८२) निजी सेवा में काम करने वालें सदस्य है।
- उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.४०६७ (±०.८३८८३) रोजगार प्राप्त सदस्य है।
- उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.३५३३ (±०.७२८१९) बेरोजगार सदस्य है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व औसतन प्रति व्यक्ति मासिक आय २२३६.१६६७ (±१०१४.२५४७४) रुपये पाई गई है। मनरेगा में काम कें पश्चात वह बढ़कर २६३४.४ (±१३६१.२५४८२) रुपये हो गई है।
- ५२.३ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा में काम करने के पश्च्यात उनके मासिक आय में बढ़ोतरी हुई है।
- सर्वाधिक ९४.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा प्रमुख अनाज के तौर पर गेहू का सेवन किया जा रहा है।
- पूर्व स्थिति में तुअर (५२.० प्रतिशत) एवं मुंग (३९.३ प्रतिशत) का उपभोग पाया गया है। पश्च्यात स्थिति में इस प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- मनरेगा में कार्य करने से पूर्व बैगन (५२.० प्रतिशत) एवं आलू (३५.० प्रतिशत) यह सब्जियाँ सर्वाधिक उपयोग में लायी जाति थी। पश्च्यात स्थिति में भी यह औसत वैसा ही है।
- पूर्व स्थिति में दूध (९२.३ प्रतिशत) का उपयोग किया गया हैं। पश्च्यात स्थिति में यह अंशत: घटकर ९१.० प्रतिशत हो गाया है।
- पूर्व स्थिति में ७२.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अंड़े का सेवन किया गया है। पश्च्यात स्थिति में यह घटकर ५५.३ प्रतिशत हो गया है।
- पश्चात स्थिति में मटन का सेवन १४.३ प्रतिशत किया गया है (जो पहले १०.३ प्रतिशत था) एवं चिकन का सेवन १९.७ प्रतिशत किया गया है।
- तक़रीबन ६०.७ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा में काम करने के पश्चात रोज के आहार के पोषण तत्वों मे बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
- मनरेगा में कार्य करने से पूर्व थी स्थिति में ५७.७ प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार में कोई बीमारी नहीं थी। मनरेगा में कार्य करने के पश्च्यात यह स्थिति घटकर ५०.३ प्रतिशत हो गयी है।
- ५४.३ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि, परिवार के मुखिया की बीमारी का कारण भारी काम करना है।

- मनरेगा में कार्य करने से पूर्व की स्थिति में ५७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं एवं परिवार के सदस्य का उपचार कभी बंद या अनदेखा नहीं किया गया था। पश्च्यात स्थिति में ६४.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं एवं परिवार के सदस्य का उपचार कभी बंद या अनदेखा नहीं किया गया है।
- पूर्व स्थिति में ५६.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पैसे की कमी के कारण उपचार बंद करने की बात कहीं है। बाद की स्थिति में यह प्रतिशत घटकर ३५.० हुआ है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व स्थिति में केवल ५.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्वास्थ बीमा था। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़ाकर २२.७ प्रतिशत हो गया है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व की स्थिति में उत्तरदाताओं के परिवार में औसतन ०.९ (±८९०३) स्कूल जाने वाले लड़कें एवं औसतन ०.४४३३ (±६५९४७) स्कूल जाने वाली लड़कियां थी। मनरेगा में काम करने के बाद इसमें अंशतः वृद्धि होकर औसतन १.१३३३ (±८५५१८) स्कूल जाने वाले लड़कें एवं औसतन ०.५७६७ (६८२४) स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या हो गई है।
- पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९१.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे उनके स्वयं के गाँव की पाठशाला में शिक्षार्जन करते थें। पश्च्यात स्थिति में इसमें गिरावट आयी है और स्वयं के गाँव की पाठशाला में शिक्षार्जनलगभग ७३.६ प्रतिशत ही रह गए है।
- पास के गाँव की पाठशाला में शिक्षार्जन करनेवालो में वृद्धि दिखाई देती है। इसमें पूर्व स्थिति में केवल ८.० प्रतिशत बच्चें शामिल थें। पश्च्यात में उनकी संख्या २५.२ प्रतिशत हो गयी है।
- मनरेगा में कार्य करने से पहले सरकारी पाठशाला में शिक्षार्जन करनेवाले सर्वाधिक ९४.५ प्रतिशत एवं निजी पाठशाला में शिक्षा अर्जित करने वाले केवल ५.५ प्रतिशत थे। बाद की स्थिति में इसमें, भारी बदलाव होकर सरकारी पाठशाला में जानेवाले बच्चों का प्रतिशत घटकर ६०.७ प्रतिशत हो गया है एवं निजी पाठशाला वालो में वृद्धि होकर उनका प्रतिशत २०.० प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों ही स्थिति में तक़रीबन सभी (पूर्व ९९.५ प्रतिशत एवं पश्च्यात ९९.२ प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बच्चे मराठी माध्यम में शिक्षार्जन कर रहे हैं।
- पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९३.० प्रतिशत उत्तरदाताओं का खर्च स्कूल फ़ीस पर होता था। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर ९५.९ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व में नई किताबों का खर्च १०.४ प्रतिशत एवं पश्च्यात में १९.४ प्रतिशत है।

- पूर्व में स्कूल की ड्रेस का खर्च ४.७ प्रतिशत एवं पश्च्यात में १६.१ प्रतिशत है।
- पूर्व में जूतों का खर्च २.० प्रतिशत एवं पश्च्यात में ९.९ प्रतिशत है।
- पूर्व में स्कूल बस किरायें का खर्च १.७ प्रतिशत एवं पश्च्यात में ६.२ प्रतिशत है।
- पूर्व में ऑटो रिक्शा किरायें का खर्च १.५ प्रतिशत एवं पश्च्यात में ६.२ प्रतिशत है।
- पूर्व में बसपास का खर्च २.५ प्रतिशत एवं पश्च्यात में ६.६ प्रतिशत है।
- पूर्व में ट्यूशन का खर्च १.५ प्रतिशत एवं पश्च्यात में ५.४ प्रतिशत है।
- पूर्व स्थिति में ४०.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती थी। पश्च्यात स्थिति में उसमें ४१.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पूर्व स्थिति में ६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों में स्कूल ड्रापआउट पाया गया था। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर ९.१ हो गया है।
- ४५.९ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा के चलते बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई है।
- मनरेगा में कार्य करने से पहले औसतन ०.०९६७ (±०.३२८१५) माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले लड़के थे और औसतन ०.०३६७ लडकियाँ थी। पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर औसतन ०.३६ (±०.५५८०७) लड़के एवं औसतन ०.१३ (±०.३५६१७)लड़कियाँ हो गई है।
- पूर्व स्थिति में ४३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे उनके स्वयं के गाँव के स्कूल में शिक्षार्जन करते थे और ३६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चें पास के गाँव के स्कूल में शिक्षार्जन करते थें।
- पूर्व में २०.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चें तहसील के स्कूल में शिक्षार्जन करते थे और बाद में स्वयं के गाँव में पढ़नेवालों की संख्या ३२.२ प्रतिशत हो गई है।
- पश्च्यात स्थिति में पास के गाँव के स्कूल में ५७.८ प्रतिशत एवं तहसील के स्कूल में १०.० प्रतिशत शिक्षार्जन करनेवाले बच्चे हैं।
- मनरेगा में कार्य करने से पूर्व ७६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों ने निजी स्कूल में शिक्षार्जन किया है। पश्च्यात स्थिति में इसमें वृद्धि होकर यह प्रतिशत ८५.६ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों ने मराठी भाषा में शिक्षार्जन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह घटकर ८८.९ प्रतिशत हो गए है।

- पश्च्यात स्थिति में सेमी इंग्लिश में पढ़नेवाले बच्चों का प्रतिशत ६.७ से बढ़कर ७.८ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में इंग्लिश माध्यम में शिक्षार्जन करनेवाले कोई नहीं थे। बाद में यह प्रतिशत बढ़कर ३.३ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में २०.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्कूल की फीस पर खर्च किया गया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ८५.६ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में २६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा नई किताबों के ऊपर खर्च किया गया है। पश्च्यात स्थिति में वह अंशतः घटकर २५.६ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में २३.३ प्रतिशत उत्तरदाता स्कूल की ड्रेस पर खर्च किया गया है। पश्च्यात स्थिति में यह घटकर २०.० प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में १३.३ प्रतिशत उत्तरदाता जूतों पर खर्च कर रहे हैं।
- पूर्व स्थिति में स्कूल के किराए पर १०.० प्रतिशत, ऑटो रिक्शा किराये पर १०.० प्रतिशत, एवं बस पास पर २०.० प्रतिशत उत्तरदाता खर्च करते थे। पश्च्यात स्थिति में इसमें वृद्धि हूई है। स्कूल बस किराया १२.२ प्रतिशत, ऑटो रिक्शा किराया ११.१ प्रतिशत एवं बसपास २१.१ प्रतिशत हो गया है।
- ट्यूशन का खर्च पूर्व और पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में (१०.० प्रतिशत) समान ही पाया गया हैं।
- पूर्व स्थिति में रूम भाड़ा देने वालों में १०.० प्रतिशत उत्तरदाता एवं मेस खर्च देनेवाले में १३.३ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में दोनों ७.८ प्रतिशत में शामिल हैं।
- पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ८३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। पश्च्यात स्थिति में यह स्थिति बदलकर छात्रवृत्ति प्राप्त करनेवाले ७०.० प्रतिशत हो गए है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व सर्वाधिक ८३.३३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में स्कूल ड्रापआउट रहा हैं। पश्च्यात स्थिति में इसमें वृद्धि होकर वह ९६.६६ प्रतिशत हो गए गया है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व की स्थिति में औसतन ०.०२६७ (±०.१६१३८) कॉलेज जाने वाले लड़कें, औसतन ०.०१ (±०.०९९६६) लड़कियाँ थी। जबकि पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.०७६७ (±०.२९०५२) कॉलेज जाने वाले लड़के और औसतन ०.०१ (±०.०९९६६) लड़कियाँ हैं।
- पूर्व स्थिति में केवल ०.००३३ (±०.०५७७४) विश्वविद्यालय जाने वाले लड़के एवं औसतन ०.००६७ (±०.०८१५१)विश्वविद्यालय जाने वाली लड़कियाँ थी। पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.०१

(±०.०९९६६) विश्वविद्यालय जाने वाले लड़के एवं ०.००६७ (±०.०८१५१)विश्वविद्यालय जाने वाली लड़कियाँ है।

- मनरेगा में कार्य के पूर्व स्थिति में बी. ए. करनेवाला न कोई लड़का था ओर ना ही कोई लड़की थी। पश्च्यात स्थिति में बी.ए. करनेवाले औसतन ०.५८३३ (±०.५१४९३) छात्र एवं औसतन ०.३३३ (±०.५७७३५) छात्राएँ पाई गयी है।
- पूर्व स्थिति में बी. कॉम. में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ थी। पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.९१६७ (±०.२८८६८) छात्रऔर औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ हैं।
- पूर्व स्थिति में बी.एसी. में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ भी। पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.७५ (±०.४५२२७) छात्र एवं औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ है।
- पूर्व स्थिति में बी.एस.सी. कृषि में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ थी। पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.९१६७ (±०.२८८६८) छात्र और औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ है।
- पूर्व स्थिति में एम. ए. में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ थी। पश्च्यात स्थिति में औसतन ०.९१६७ (±०.२८८६८) छात्र एवं औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ है।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में एम. कॉम. में औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी हैं।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में एम.एससी. कें औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी हैं।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में डी. एड. कें औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गयी है। जबकि, पूर्व स्थिति मेंऔसतन १.० (±०.०) छात्र पाए गए हैं। पश्च्यात स्थित में यह घटकर ०.८३३३ (±०.३८९२५) छात्र हो गए है।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में बी. एड. के औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गई हैं।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में एम. एड. कें औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गई हैं।

- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में एम. फिल. के औसतन १.० (±०.०) छात्र एवं १.० (±०.०) छात्राएँ पाई गई हैं।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में पीएच. डी. के औसतन १.० (±०.०) छात्र है। जबकि पूर्व स्थिति में औसतन १.० (±०.०) छात्राएँ थी, जो घटकर ०.६६६७ (±०.५७७३५) छात्राएँ हो गयी हैं।
- पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९०.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे तहसील के स्तर पर एवं शेष १०.० प्रतिशत ज़िला स्तर पर शिक्षार्जन कर रहे थें। पश्च्यात स्थिति में बदलाव होकर ८६.४ तहसील के स्तर पर, ४.५ प्रतिशत जिला स्तर पर एवं शेष ९.१ प्रतिशत दुसरे जिले के कॉलेज में शिक्षार्जन करने लगे हैं।
- पूर्व स्थिति में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा उच्चशिक्षापर कोई खर्च नहीं किया गया है। पश्च्यात स्थिति में ७२.७ प्रतिशत उच्च शिक्षा पर, २२.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा किराए की रूम एवं ४.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा उच्चशिक्षापर खर्चा किया जा रहा है।
- २७.३ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि,मनरेगा में कम करने से बच्चों के शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई है।
- पूर्व स्थिति में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं के लड़के(२) आय. टी. आय. नहीं कर रहे थे। पश्च्यात स्थिति में आय. टी. आय. करनेवाले बढ़े ((८) ८८.९) है।
- पूर्वस्थिति में (१००.० प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बच्चें तहसील के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जबकि, पश्च्यात में यह स्थिति परिवर्तित होकर ८८.९ प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चें तहसील के स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं एवं शेष ११.१ प्रतिशत शिक्षा ग्रहण हेतू ज़िला स्तर तक पहुँच गये हैं।
- पूर्व स्थिति में केवल तिन ही उत्तरदाता शिक्षा का खर्च कर पा रहे थें। जबकि, पश्च्यात स्थिति में ८ उत्तरदाताओं में से ८८.९ प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा का खर्च एवं शेष ११.१ प्रतिशत उत्तरदाता मेस का खर्चा भी उठा रहे हैं।
- ५५.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि, व्यवसयिक शिक्षा हेतु पैसों की उपलब्धता हुई है।
- पूर्व स्थिति में ५१.० प्रतिशत पति बाहर नौकरी करते थें। जबकि, पश्च्यात स्थिति में ४५.३ प्रतिशत पति बाहर नौकरी कर रहे हैं।

- पूर्व स्थिति में २१.० प्रतिशत पति एवं पत्नी दोनों बाहर नौकरी करते थें। जबकि पश्च्यात स्थिति में १५.७ पति एवं पत्नी बाहर नौकरी करते है।
- पूर्व स्थिति में १३.० प्रतिशत पति एवं पत्नी के बच्चे बाहर नौकरी करते थे। जबकि पश्च्यात स्थिति में १५.३ प्रतिशत पति-पत्नी के बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं।
- पूर्व स्थिति में १२.७ परिवार के सभी सदस्य बाहर नौकरी करते थे। पश्च्यात स्थिति में २१.० प्रतिशत परिवार के सभी सदस्य बाहर नौकरी कर रहे हैं।
- पूर्व स्थिति में ७३.४ प्रतिशत उत्तरदाता मजदूरी कम मिलने के कारण प्रवासन करते थे।पश्च्यात स्थिति में इसमें ७४.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पूर्व स्थिति में ७१.९ प्रतिशत उत्तरदाता रोजगार न मिलने के कारण प्रवसन करते थे। पश्च्यात स्थिति में इसमें भी ७२.२ प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- पूर्व स्थिति में २४.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २८.९ हो गया है।
- पूर्व में १५.१ प्रतिशत उत्तरदाता कर्ज के बोझ के कारण प्रवसन में शामिल थें। पश्चात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २८.९ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में कठिन शारीरिक श्रम के कारण १२.५ प्रतिशत उत्तरदाता प्रवसन में शामिल रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में वह १५.५ प्रतिशत हो गए है।
- पूर्व में अधिक समय के काम के कारण ९.९ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत ७.२ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में फसल का न होना और अकाल के चलते ८.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में ७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। अर्थात यहाँ प्रवसन का प्रतिशत घटता हुआ दिखाई देता है।
- पूर्व स्थिति में बंजर जमीन के कारण ७.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत ३.६ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में घर के खर्च के कारण ८६.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत ८९.२ से बढ़ा है।

- पूर्व स्थिति में कर्ज़ के बोझके कारण २७.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २९.९ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में विवाह के खर्च के कारण १९.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २५.८ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में शिक्षा के खर्च के कारण १४.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर २८.४ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में घर बनवाने के खर्च के कारण ७.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ११.३ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में जमीन खरीदी के चलते ४.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ७.७ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ६७.७ प्रतिशत उत्तरदाता के वृद्ध माता-पिता घर पर रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में सर्वाधिक ७०.६ प्रतिशत उत्तरदाता के यहाँ वृद्ध माता-पिता घर पर रहते है।
- पूर्व स्थिति में ३१.३ प्रतिशत उत्तरदाता उत्तरदाताओं ने प्रवसन के समय अपने बच्चों को घर पर रखा है। बाद में यह संख्या घटकर २६.३ प्रतिशत हो गयी है।
- पूर्व स्थिति में प्रवसन के समय १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में वृद्धमाता-पिता तथाबहन रहते हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत ३.१ हो गया है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व की स्थिति में, पिछले दस सालों में औसतन ३.९३२३ (±१.३४२२६) बार मौसमी प्रवसन किया गया है। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह बारंबारता बढ़कर ४.०३६१ (±१.३६७१७) हो गई है।
- पूर्व स्थिति में प्रवसन में बाहर रहने की अवधि औसतन २.९८४४ (±०.७१२४७) माह है, जबकि पश्च्यात स्थिति में यह औसतन २.८८६६ (±०.८३७९१) माह हो गई है।
- पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९४.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास प्रवसन का कोई विकल्प नही था। इसलिए उन्हें प्रवसन का मार्ग अपनाना पड़ा। जबकि पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत ९१.२ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ५.२ प्रतिशत उत्तरदाताओं कों प्रवसन के अलावा जीवन-यापन करना कठिन रहा है। इसलिए उनके द्वारा प्रवसन किया गया है। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत ८.८ से बढ़ा है।

- पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ८३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं रोजगार की उपलब्धता के कारण प्रवसन नहीं किया गया है। जबकि, पश्च्यात स्थिति में ८६.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है।
- पूर्व स्थिति में १३.९ प्रतिशत उत्तरदाताओं को गाँव में ही काम मिला है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर ९.४ हुआ है।
- पूर्व स्थिति में २.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं को दुसरे गाँव मे काम मिला है। पश्च्यात स्थिति में इसमें ३.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- मनरेगा में काम करने से पूर्व की स्थिति में प्रवसन के चलते सर्वाधिक ८३.३ प्रतिशत उत्तरदाता बहुत ही गरीब रहे है। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह घटकर ८०.४ प्रतिशत गये है।
- पूर्व स्थिति १७.५ प्रतिशत उत्तरदाता गरीब थे। जबकि, पश्च्यात स्थिति में १५.१ प्रतिशत उत्तरदाता गरीब है।
- पूर्व स्थिति में १.० प्रतिशत उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। जबकि, पश्च्यात स्थिति में इसमें, १.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पूर्व में, ४६.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं ही प्रवसन किया गया है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रमाण बढ़कर ५५.२ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्रवसन करनेवालों में २९.२ प्रतिशत उत्तरदाता रहे है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर २२.२ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में स्वंय या ठेकेदार, दोनों के द्वारा प्रवसन करनेवालों में २४.५ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह घटकर २२.७ हो गये है।
- पूर्व स्थिति में पूना में प्रवसन करनेवालों में ३५.४ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर ३६.६ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में मुंबई में प्रवसन करनेवालों में २८.१ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर २६.३ हो गया है।
- नासिक में प्रवसन करनेवालों में २०.८ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह बढ़कर २१.६ प्रतिशत हो गये है।

- पूर्व स्थिति में औरंगाबाद में प्रवसन करनेवालों में १४.६ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर १३.९ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में नागपुर में प्रवसन करनेवालों में ०.५ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत बढ़कर १.० हो गया है।
- पूर्व और पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में सुरत में प्रवसन करनेवालों में ०.५ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल है।
- पूर्व स्थिति में अधिक मजदूरी मिलने के कारण प्रवसन का स्थान निश्चित करने में ४९.५ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ४८.५ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में रिश्तेदार से संपर्क के आधार पर प्रवसन का स्थान निश्चित करने में २०.८ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः घटकर १९.६ प्रतिशत हो गये हैं।
- पूर्व स्थिति में काम की उपलब्धता के आधार पर प्रवसन का स्थान निश्चित करने में २०.३ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः बढ़कर २१.१ प्रतिशत हो गये है।
- पूर्व स्थिति में दवाखाने की सुविधा के आधार पर प्रवसन को निश्चित करने में ८.३ प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः बढ़कर ८.८ प्रतिशत हो गये है।
- पूर्व स्थिति में कार्यस्थल पर उत्तम सुविधा का आधार पर प्रवसन के निश्चित करने में १.० प्रतिशत उत्तरदाता शामिल थे। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह अंशतः बढ़कर २.१ प्रतिशत हो गये हैं।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन के कारणों में वेतन/ मजदूरी कम मिलने का प्रतिशत (१००.०० प्रतिशत) है।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन केकारणों में सही से ध्यान नही देने का प्रतिशत (१००.०० प्रतिशत) है।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन केकारणों में दूसरी जगह पर मजदूरी का अच्छा विकल्प होने का प्रतिशत (१००.०० प्रतिशत) है।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन के कारणों में समय पर रोजगार भत्ता नही मिलने का प्रतिशत (९९.५) है।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन केकारणों में कम्प्युटर में नाम एवं जॉब कार्ड़ का नंबर नही मिलने का प्रतिशत (९९.५) है।

- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन के कारणों में देरी से स्थानिक निर्णय आने का प्रतिशत (९९.५) है।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन के कारणों में बनाई गयी संपत्ति का उपयोग नही होने का प्रतिशत (९९.५) है।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन का कारणों में जॉब कार्ड़ बनने मे देरी का प्रतिशत (९९.५) है।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन के कारणों मेंअर्जी देने के बाद भी काम नही मिलने प्रतिशत (९९.५) है।
- मनरेगा योजना के बावजूद प्रवसन के कारणों मेंमजदूरी के पैसे बैंक में जमा नही होने का प्रतिशत (९९.५) है।
- पूर्व स्थिति में सार्वजनिक उत्सव में तक़रीबन सभी ९९.७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९८.७ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में शादी समारोह में तक़रीबन सभी ९९.७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९८.७ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में जन्मदिन समारोह में तक़रीबन सभी ९९.० प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९८.० हो गया है।
- पूर्व स्थिति में मय्यत / शोक सभा की उपस्थिति में ९९.७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९९.३ हो गया है।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितिओं में महान व्यक्तियो के जन्मदिन एवं पुण्य तिथि सम्बन्धी कार्यक्रम में ९९.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सहभागिता रही है।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितिओं में खेल कार्यक्रम में ९९.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सहभागिता रही है।
- पूर्व स्थिति में कसरत कार्यक्रम में तक़रीबन सभी ९८.७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९८.३ हो गया है।
- पूर्व स्थिति में पुस्तकालय उपयोग में तक़रीबन सभी ९९.३ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहे हैं। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९७.३ हो गया है।

- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितिओं में सभी ९९.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा दशहरा में सहभागिता की गई हैं।
- पूर्व स्थिति में ९८.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जात्रा-भंडारा में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में प्रतिशत अंशतः घटकर ९७.३ हो गया है।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितिओं में सभी ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा भंडारा में सहभागिता की गई हैं।
- पूर्व स्थिति में, ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वाराखेल कार्यक्रम में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति यह में प्रतिशत अंशतः बढ़कर ९८.३ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारानाटक/तमशा कार्यक्रम में सहभागिता रही हैं। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः बढ़कर ९८.३ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितिओं में सभी, ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा पोला में सहभागिता रही है।
- पूर्व स्थिति में ९७.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वाराभगवत कथा में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९७.३ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ९७.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वाराकीर्तन में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९६.३ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ९७.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा पोथी पुराण में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९६.७ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ९७.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा दीपावली में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः घटकर ९६.३ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ९७.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा मकर संक्रांती में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः बढ़कर ९७.७ प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व स्थिति में ९७.० प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा गुड़ीपाड़वा में सहभागिता रही है। पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत अंशतः बढ़कर ९७.३ प्रतिशत हो गया है।

- ❖ पूर्व स्थिति में सर्वाधिक ९६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं की गाँव स्तर के राजनीतिक जीवन में कोई सहभागिता नहीं रही है। पश्च्यात स्थिति में यह सहभागिता अंशतः बढ़कर ९८.० प्रतिशत हो गया है।
- ❖ पूर्व स्थिति में ग्राम पंचायत में सक्रिय भागीदारी में केवल ३.३ प्रतिशत उत्तरदाता ही शामिल थे। जबकि, पश्च्यात स्थिति में यह प्रतिशत घटकर १.७ प्रतिशत हुआ है।
- ❖ पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में राजनीतिक दल की सक्रिय सदस्यता केवल ०.३ प्रतिशत ही रही है।
- ❖ पूर्व स्थिति में कोई भी उप-सरपंच नहीं बना है। लेकिन पश्च्यात स्थिति में केवल ०.३ प्रतिशत उत्तरदाता अर्थात एक उत्तरदाता उप सरपंच बन पाया है।
- ❖ पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में कोई भी सरपंच नहीं बना है।

संदर्भ :

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ration_card_(India)Dated : 28/09/2021
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance#India Date : 20/11/2020
3. महाराष्ट्र सरकार (२००८): राष्ट्रीय समता सर्वेक्षण (64, 2007 - जून, 2008) के 64 वें क्रमांक के मुख्य नमूने पर आधारित आंकड़ों पर आधारित शिक्षा में भागीदारी और परिणाम प्रतिवेदन, मुंबई: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, प्रथम वॉल्यूम, पृष्ट 4, https://mahades.maharashtra.gov.in/files/report/Nss_64_25.2_Vol_1.pdf

अध्याय छः

निष्कर्ष

अध्याय छः

निष्कर्ष

पंचवर्षीय योजना का प्रतिमान अपनाने के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढ़ाँचे में सुधार लाने, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, पलायन को रोकने और खाद्य सुरक्षा के साथ आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिश की है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपने प्रयासों और पर्याप्त संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसे कई कार्यक्रम और योजनाओं का निर्माण किया है जो गरीबी का उन्मूलन कर सकें। इसमें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट अर्थात मनरेगा एक विशिष्ट एवं अभूतपूर्व योजना है। इस योजना का जन्म ही गरीबी उन्मूलन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए हुआ है। गरीबों के लिए अल्पकालिक उत्पादक रोजगार का निर्माण करते हुए श्रम आधारित गहन विकास को बढ़ावा देना इसकी प्रक्रिया में शामिल है। अतः देश के प्रत्येक व्यक्ती अथवा परिवार को अकुशल श्रम पर आधारित सौ दिनों की मजदूरी/रोजगार की गारंटी देना इसका अहम लक्ष है। इसलिए मनरेगा को एक समुदाय उन्मुख और मांग से संचालिक होने वाली योजना कहाँ जाता है। उसमें इस बात की पुष्टि शामिल है कि, व्यक्ती की गरीमा को हानि पहुँचाएं बिना, उसे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी अर्जित करने का अवसर प्रदान कर जीवन-यापन से संबंधित उसके कार्य को 'अधिकार' के रूप स्थापित करना है। इसमें स्वयं भारत सरकार के कंधों पर यह वैधानिक दायित्व सौपा गया है कि, वह देश के प्रत्येक घर में रोजगार प्रदान करें। यदि ऐसा करने में वह असमर्थ है, तो संबंधित व्यक्ती को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करें। इस प्रकार भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए आजीविका की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को सक्षम बनाना है।

यह सच है कि, मनरेगा ग्रामीण इलाकों में बसे गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दिलाती है। अर्थात, सैद्धांतिक दृष्टि से उसकी अवधारणा में 'काम के अधिकार' को यथार्थ धरातल पर कार्यान्वित करने की मन्शा शामिल है। इसलिए मनरेगा के संबंध में यह देखना लाजमी हो जाता है कि, जो बात उसकी सैद्धांतिकी में कहीं गई है उसका व्यवहारिक कार्यान्वय कहाँ तक हो पाया है और जो व्यवहारिक कार्यान्वय है उसने सैद्धांतिक आदर्श को कहाँ तक हासिल किया है? अतः इसे जाँचने के लिए शोध-अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इस संबंध में हमारे सामने ऐसे कई शोध-अनुसंधान और प्रविधियों के उदाहरण है जिनमें अपने समय, क्षेत्र और

परिस्थितियों के अनुसार मनरेगा के विभिन्न विषयों को आधार बनाकर उसकी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सफलता-असफलता को रेखांकित किया गया है। प्रस्तुत अनुसंधान के लिए ऐसे अनुसंधानों के निष्कर्ष मार्गदर्शक दृष्टि के रूप में निश्चित ही लाभदायक हैं और ऐसी सभी आवश्यक दृष्टियों को यहाँ ग्रहण भी किया गया है। इसलिए, यह शोध भी इसी कड़ी में अपना योगदान देने की बात करता है जिसमें, एक सीमित समय, स्थान और परिस्थितियों के भीतर रहते हुए मनरेगा के प्रभाव को जाँचने की कोशिश की गई है। इसके लिए स्वयं जिस महाराष्ट्र राज्य में मनरेगा की नीव बोई गई उसके ही दो महत्वपूर्ण लेकिन, औद्योगिक दृष्टि से उपेक्षित ऐसे वाशिम और बुलड़ाणा जिले के तीस चयनित गाँवों के तीन सौ उत्तरदाताओं को अनुसंधान में शामिल किया गया है। यह उत्तरदाता मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के अकुशल श्रमिक है जिनकी आजीविका का साधन खेतीहर मजदूरी तथा अकुशल शारीरिक श्रम है। अतः शोध में यह देखने का प्रयास किया गया है कि, वाशिम और बुलड़ाणा जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले इन अनुसूचित जातियों के श्रमिकों पर मनरेगा में काम करने से पहले और काम करने के बाद कौन से सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव हुएँ हैं और उनके कारण संबंधित उत्तरदाताओं के जीवन में गुणात्मक रूप से किस प्रकार के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिवर्तन आये हैं। इस प्रकार, यहाँ मनरेगा से पूर्व और पश्च्यात की स्थितियों को जाँचने के लिए तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है और प्राप्त परिणामों को वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत कर अपनी क्षमता के अनुसार निदान प्रदान करने की कोशिश की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि, संबंधित अनुसंधान के अंतर्गत मनरेगा के पूर्व एवं पश्च्यात प्रभावों की तुलना ही हमें यह बताने में सक्षम कर सकती है कि, चयनित अनुसंधान क्षेत्र में मनरेगा का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक कार्यान्वयन कहाँ तक सफल हो पाया है और वहाँ'काम के अधिकार' की वास्तविक स्थिति क्या है। अंत में, संबंधित अनुसंधान में अपने ओर से किया गया एक प्रयास है जिसके निष्कर्षों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है।

6.1 उत्तरदाताओं की वर्तमान रूपरेखा का अवलोकन

किसी भी योजना की सफलता उसके प्रभावी कार्यान्वयन निर्भर करती है। लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन तभी संभव होता है, जब उस योजना के संबंध में बड़े पैमाने पर जागरूकता का निर्माण किया गया हो। जहाँ तक बात मनरेगा से संबंधित जागरूकता की है, तो यह सभी जानते है कि, मनरेगा की नीव पहले महाराष्ट्र राज्य में ही पडी थी। महाराष्ट्र में इसे 'रोहयो' अर्थात 'रोजगार हमी योजना' के नाम से जाना जाता है और प्रस्तुत अनुसंधान

के उत्तरदाता इस बात से परिचित भी है। इसलिए मनरेगा से संबंधित जागरूकता को लेकर यहाँ कोई समस्या नहीं है।

जो हो, अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त तथ्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से पहले यदि हम वर्तमान स्थिति का अवलोकन करें, तो यह दिखायी देता है कि, वाशिम और बुलड़ाणा जिले के जिन तहसीलों के गाँवों को अध्ययन के लिए चुना गया है वहाँ अत्याधिक पुरूष ही इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं और महिलाओं की भागीदारी अत्यंत कम है। प्रतिशत के आधार पर स्पष्ट किया जाय, तो मनरेगा में 91 प्रतिशत पुरूष और केवल 9 प्रतिशत महिलाएँ शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि, प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर पुरूष ही इस योजना के लाभार्थी है और मनरेगा के माध्यम से अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करने के मामले में महिलाएँ अभी भी वंचित ही है। ऐसा होने के संभवतः दो कारण हो सकते हैं। पहले कारण के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र सीमित होने से महिलाओं की संख्या कम दिखायी दे सकती है अथवा कठोर शारीरिक श्रम के कारण महिलाएँ मनरेगा में काम करने की अनिच्छुक हो। लेकिन इन कारणों को यहाँ केवल एक अनुमान के तौर पर लिया गया है। वास्तविक स्थिति के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि, श्रमिकों में महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग अभी भी मनरेगा में अपनी सहभागिता दर्ज करने से दूर है और वह अपने हिस्से की अतिरिक्त आय भी खो रहा है। यह बात मनरेगा के नकारात्मक प्रवाव की ओर इशारा करती है और यह मांग करती है कि, मनरेगा जैसी योजना में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए न केवल उन्हें प्रौत्साहित करना आवश्यक है बल्कि, जागरूकता का अभियान भी चलाना आवश्यक है।

दूसरी ओर, मनरेगा में कार्यरत अनुसूचित जातियों में नवबौद्धों की भागिदारी 50 प्रतिशत है और वह अन्य अनुसूचित जातियों के मुकाबले अधिक है। इसके बाद मांतग जाति 29.7 प्रतिशत, चमार जाति 20 प्रतिशत और दोहर जाति 10 प्रतिशत के रूप में अपना योगदान दे रही है। यदि धर्म के आधार पर इसे स्पष्ट किया जाय, तो 50.7 प्रतिशत बौद्ध, 49 प्रतिशत हिंदू और 0.3 प्रतिशत मुसलमान अनुसूचित जातियाँ मनरेगा में भागिदारी निभा रही हैं। मनरेगा में श्रमिक के तौर पर कार्यरत जातियों के यह आँकड़े संबंधित क्षेत्र के मजदूर वर्ग की ओर संकेत करते हैं जिनकी आजीविका कठिन श्रम पर निर्भर है। भूमिहिन, अकुशल श्रमिक और खेतीहर मजदूरों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। यद्यपि, यह बताना आवश्यक है कि, महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की संख्या 59 है और वह ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में असमान रूप से बिखरी हुई हैं। इसमें कुछ जातियाँ अपनी जातिगत व्यावसाय से

जुड़ी है और कुछ जातियों ने अपने जातिगत व्यावसाय के साथ नये रोजगार के साधनों को अपनाया है। विशेष्त: नवबौद्धों ने बहुत पहले ही महार जाति से प्राप्त होने वाले सभी व्यावसाय और कार्यों को छोड़ दिया है और यही बात कुछ हद तक मातंग, चमार, दोहर जातीयों में दिखाई देती है। फिर भी, कुछ जातियाँ आज भी अपने जातिगत व्यावसाय से जुड़ी हुई है जो उनके रोजगार का साधन है। जो हो, प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की उपरोक्त चार जातियाँ सघण रूप से निवास करती है इसलिए मनरेगा का प्रभाव जाँचते समय इन्हीं जातियों के उत्तरदाताओं से लिया गया प्रतिदर्श महत्वपूर्ण रहा है।

अनुसंधांन में चुने गये उत्तरदाताओं में विभक्त परिवार के सदस्यों की संख्या (69 प्रतिशत) सबसे अधिक है। इसके बाद संयुक्त परिवार (30.7 प्रतिशत) और विस्तृत परिवार (0.3 प्रतिशत) की संख्या आती है। इससे यह प्रतित होता है कि, दोनों जिले के ग्रामीण इलाकों में संयुक्त एवं विस्तृत परिवार की अवधारणा नष्ट होणे के कगार पर है। इसमें, अतीत के लिए लालायित होने की जरूरत नहीं है। क्योकि, व्यक्तिवादी समय में संभवतः ऐसा हो सकता है। लेकिन गौर से देखा जाय, तो विभक्त परिवार का निर्माण होने के पीछे सरकारी नीतियाँ है जो परिवार के बजाय व्यक्ति को लाभान्वित करती है और इसका लाभ हर कोई लेना चाहता है। वैसे भी, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से हर किसी के पालन-पोषण पर ठिक से ध्यान नहीं दिया जा सकता। वहीं, यदि परिवार विभक्त हो जाएँ, तो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी निजि जरूरतों को पूर्ण कर सकता है और व्यक्तिगत तौर पर अतिरिक्त आय भी कमा सकता है। संभवतः इसी वजह से अनुसंधान क्षेत्र में विभक्त परिवारों की संख्या अधिक दिखायी देती है जिसे मनरेगा का प्रभाव माना जा सकता है। क्योकि, मनरेगा भी एक सरकारी कार्यक्रम है जो व्यक्ति को कम से कम सौ दिन के रोजगार की गारंटी देती ही है। जो हो, प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में मनरेगा कामयाब नहीं हुई है। उनकी भागिदारी केवल 14 प्रतिशत है और 75 प्रतिशत प्रौढ़ उत्तरदाता मनरेगा के श्रमिक है। इससे यह चित्र उभरकर आता है कि, मनरेगा जैसी योजना में युवा ऊर्जा का इस्तेमाल अभी ठिक से नहीं हुआ है। लेकिन इस स्थिति को हम इतनी आसानी से स्पष्ट नहीं कर सकते। इसके दूसरे पक्ष को भी समझना आवश्यक है। अतः यह हो सकता है कि, अनुसंधान क्षेत्र के युवा उत्तरदाता मनरेगा से संतुष्ट न हो। उनके अनुसार उन्हें अत्यंत कम मजदूरी पर काम करना पड़ता हो (वर्तमान समय में महाराष्ट्र में मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी का दर 203/- रूपये है) और उतने ही समय काम करने पर निजि क्षेत्र में अधिक मजदूरी मिलती हो अथवा कठिन श्रम करने के लिए इच्छुक न हो। यहाँ कारण चाहे जो हो, इस से यह बात स्पष्ट होती है कि, ग्रामीण युवा अधिक मजदूरी की इच्छा रखता है और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता है।

अतः इस संबंध में क्या किया जा सकता है यह एक अन्य शोध की दरकार रखता है। लेकिन, जहाँ तक बात प्रौढ़ श्रमिकों की है, बढ़ती हुई उम्र, अकुशलता, परिवार की जिम्मेदारी के बाद भी मनरेगा में मिलने वाला सौ दिन का नियमित वेतन उनकी आजीविका से संबंधित न्यूनतम आय को सुनिश्चित करता है और इसकी वजह से वह मनरेगा में अपनी भागिदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि, इन प्रौढ़ उत्तरदाताओं की गरीबी कुछ हुई हो। इनमें लगभग 71 प्रतिशत उत्तरदाता अन्त्योदय कार्ड धारक, 27.4 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले है, 90 प्रतिशत विवाहित, 6.7 प्रतिशत विधवा, 1.7 प्रतिशत तलाकशुदा और 0.3 प्रतिशत विधुर शामिल है। अर्थात, इन सभी उत्तरदाताओं की आय स्थिर नहीं है और वह अपने परिवार की आजीविका के लिए केवल और केवल मनरेगा जैसी योजना पर निर्भर है। इन प्रोढ़ उत्तरदाताओं में अधिकतर परिवार के मुखियाँ, फिर चाहे वह पुरूष हो या महिला, इन सब की शिक्षा अधिकतम माध्यमिक स्तर तक हुई है। उनके परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा का स्तर भी कोई विशेष छाप नहीं छोड़ता (अध्याय चार, तालिका संख्या 4.3)। अर्थात, उनके पास न तो प्रभावि शिक्षा है और न ही कोई कौशल है। इस प्रकार यह सभी आँकड़े न केवल उत्तरदाताओं के शिक्षा से संबंधित हाशिएँ की स्थिति को उजागर करते है बल्कि, यह सवाल भी खड़ा करते है कि, इतनी बड़ी संख्या को मनरेगा किस प्रकार गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालने में कामयाब होगी?

6.2 मनरेगा के सामाजिक प्रभाव की तुलना - पूर्व एवं पश्च्यात

सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन में संबंधित योजना के कारण अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाओं में किस प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का विकास हुआ है और सामाजिक जीवन में वह कहाँ तक पहुँच पाएँ हैं यह देखा जाता है। इसमें निवास, निवासी सुविधाएँ, पोषण, स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे कारकों को शामिल किया जाता है। प्रस्तुत अनुसंधान में इसी आधार पर सामाजिक प्रभाव का आकलन किया गया है। इस संबंध में, अनुसंधान के समय प्राथमिक स्त्रोंतों से प्राप्त आँकड़ो को निम्म प्रकार से देखा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से मिट्टी, मिट्टी और घास, मिट्टी और पत्थर से बने घर अक्सर दिखायी देते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा अपनायी गई नीतियों के माध्यम से या कहें कि, वैश्विकरण की नीतियों के माध्यम से जिस प्रकार की जीवन शैली विकसित हुई है उसका असर गाँवों पर भी दिखायी देता है। जनमाध्यमों के प्रभाव को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अतः अब गाँव के लोग भी शहरों की तरह के घर बनवाने विश्वास कर रहे हैं। इसका प्रमाण महाराष्ट्र में हुए शहरीकरण के प्रतिशत से साफ स्पष्ट होता है। 2011 में हुई

जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का 45.23 प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है और इसका असर राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी दिखायी देता है। जो हो, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं पर मनरेगा में कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद किस प्रकार का प्रभाव रहा है इसका प्रमाण उनके वर्तमान निवास व्यवस्था से समझा जा सकता है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार मनरेगा में काम करने से पहले 64.3 प्रतिशत उत्तरदाता मिट्टी और कुड़े के घरों में रहते थे। वहीं, आज केवल 36.7 प्रतिशत उत्तरदाता ही मिट्टी और कुड़े के घरों में निवास कर रहे हैं। अर्थात, मनरेगा मे काम करने के बाद लगभग 27.6 प्रतिशत उत्तरदाता मिट्टी और कुड़े के घर से मुक्त हो चुकें है। सीमेंट एवं टीन से बने घरों में रहने वालों की संख्या 37.7 प्रतिशत, सीमेंट और स्लैब से बने घरों में रहने वालों की संख्या 1.7 प्रतिशत, सरकारी घरों में रहने वालों की संख्या 22.3 प्रतिशत हो चुकी है। घर के साथ एक अतिरिक्त कमरा बनवाने वाले 65.3 प्रतिशत, दो कमरेवाले 9.3 प्रतिशत, तीन कमरों वाले 24 प्रतिशत और चार कमरेवालों 0.7 प्रतिशत हो चुकें है। इसी प्रकार घर, घर के साथ अतिरिक्त कमरा और किचन (26.3 प्रतिशत), स्नानगृह (23.7 प्रतिशत), शौचालय (24.7 प्रतिशत) बनवाने वालों की संख्या में भी अत्याधिक उछाल आया हैं। मनरेगा में काम करने के बाद लगभग 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घर में कुछ न कुछ सुधार तो किया ही है। यद्यपि, अभी भी, 30.35 प्रतिशत घर मिट्टी और कुड़े से बने है, घर आदी के संबंध में 32.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई सुधार नहीं किया है और इनमें से 54.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऐसा करने के पीछे अपर्याप्त धन का कारण सामने रखा है (अध्याय चार, तालिका संख्या 4.4 एवं 4.5)।

दूसरी ओर, 32.7 प्रतिशत लोगों के घरों में बीजली (पहले 8.0 प्रतिशत), 36.3 प्रतिशत गैस कनेक्शन (पहले 3.0 प्रतिशत), 42.7 प्रतिशत मोबाईल (पहले 1.0 प्रतिशत), 4.3 प्रतिशत नल (पहले 8.0 प्रतिशत), 2.0 प्रतिशत हैन्ड़ पम्प (पहले 0.3 प्रतिशत), 0.7 प्रतिशत दूरध्वनी (पहले 0.0 प्रतिशत), 32.3 प्रतिशत साईकिल (पहले 10.7 प्रतिशत), 24.0 प्रतिशत टेलीविजन (पहले 3.3 प्रतिशत), 16.7 प्रतिशत पंखा (पहले 2.3 प्रतिशत), 8.0 प्रतिशत दोपहीया वाहन (पहले 1.7 प्रतिशत) आदी उपलब्ध हुए हैं। जानकारी के स्त्रोतों के संबंध में, टेलीजिन समाचार, समाचारपत्र, घर में उपलब्ध पुस्तक, पत्रिकाएँ, रेड़ियो, इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है। यहाँ जो बात स्पष्ट उभरकर आती है वह यह है कि, व्यक्ति शहरी हो या ग्रामीण, सूचना और मनोरंजन को प्राप्त करने की ललक उसमें समान रूप से विद्यमान है। और दूसरी आत यह है कि, अब ग्रामीण व्यक्ति भी नये जमाने की प्रत्येक अद्यतन प्रौद्योगिकी को इस्तमाल करने की मन्शा रखता है और शहरी लोगों की तरह उसके प्रयोग में भी वह

माहिर हो रहा है। अतः जानकारी के माध्यम तथा इतर बातों में जो वृद्धि हुई है उसे अध्याय चार की तालिका संख्या 4.6 तथा 4.7 के माध्यम से देखा जा सकता है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि, मनरेगा में कार्य करने के बाद घर का स्वरूप, स्वामित्व, संरचना, घर में उपलब्ध सुविधा, उपकरण और जानकारी के माध्यमों में वृद्धि हुई है। ऐसा होना लाजमी भी है। क्योकि, इन चीजों के बगैर कोई नहीं रह सकता। गाँव हो या शहर, भौतिक चीजों के मामले में सभी की जरूरतें समान हो चुकी है। लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद आवास से लेकर घर की जरूरू चीजों में होने वाली यह वृद्धि निश्चित ही मनरेगा के सकारात्मक पक्ष को उजागर करती है। इस व्यापक बदलाव के लिए सरकारी नीतियों के साथ-साथ मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव को माना जाना चाहिए। जो हो, वास्तविकता यह है कि, धूप, वर्षा, सर्दी इन प्राकृतिक स्थितियों के बाद किसी प्रकार की प्रासंगिक आपदा से रक्षण करने के लिए और पोषण के लिए आवश्यक श्रम करने के बाद जीव को आराम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी भी श्रमिक अथवा मजदूर को प्राकृतिक स्थितियों, प्रासंगिक आपदाओं से बचने के लिए तथा प्रतिदिन के कठोर शारीरिक श्रम के बाद पुनः अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आराम की आवश्यकता होती है और स्वयं का घर इसके लिए सबसे बेहतर स्थान होता है। घर में जितनी अधिक सुविधाएँ होती है, श्रमिक और उसका परिवार स्वस्थ नागरीक होने की दिशा में अग्रेसर होता है। प्रस्तुत अध्ययन के उत्तरदाता ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब और समाज-व्यवस्था में सबसे उपेक्षित मजदूर जिन्हें जीवन-यापन के लिए हर रोज कठिण श्रम करना पड़ता है। ऐसे में, एक ठिक-ठाक और आराम करने योग्य घर, पंखा, टेलीविजन अथवा मोबाईल के वह हकदार है। इन भौतिक जरूरतों को पूरा करने के बाद और अपने पास-पड़ौंस के हालात समझने के बाद हल्का-फुल्का मनोरंजन व्यक्ती को मानसिक आनंद प्रदान करता है। अतः शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तित्व आराम करने के बाद ही दूसरें दिन के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा, मिट्टी और कुड़े आदि से बने घरों और सुविधाओं के अभाव में व्यक्ति और उसके परिवार को कई शारीरिक बिमारीयाँ, आकस्मिक मृत्यु के साथ-साथ मानसिक अस्वस्थता सामना करना पड़ सकता है जो किसी भी तरह से स्वस्थ नागरिक को निर्माण नहीं कर सकते। इस संबंध में मनरेगा के कारण उनके निवासी सुविधाओं में हुआ परिवर्तन निश्चित ही प्रशंसनिय है।

भोजन अथवा पोषण वह इंधनहै जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए और कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह मनुष्य ही है जिसने अपनी भोजन-पोषण की जरूरत को पूर्ण करने के लिए कृषि, खेत-

खलीयान, वनस्पति, मांस, फल-पौधों को खोजा और इन सब का बारंबार उपयोग करने के लिए नये-नये औजारों, तकनीकों और प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। कहने का अर्थ यह है कि, विभिन्न प्रकार का अनाज और सब्जीयाँ मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है जो उसे प्रतिदिन के कार्यों के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन-पोषण को लेकर जहाँ तक अनुसंधान का प्रष्न है, मनरेगा में काम करने से पूर्व और पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में उत्तरदाताओं के द्वारा प्रमुख अनाज के तौर पर गेहू (94.3 प्रतिशत), तुअर (52.0 प्रतिशत) और मुंग दाल (39.3 प्रतिशत) का उपयोग किया गया है। अर्थात पश्च्यात स्थिति में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। यद्यपि, पहले इस क्षेत्र में ज्वार प्रमुख अनाज रहा है। लेकिन आज यहाँ ज्वार के स्थान पर गेहू, चावल का सेवन किया जाता है। इसका कारण यह है कि, अनुसंधान क्षेत्र में ज्वार का उत्पादन घटा है, गेहू का उत्पाद बढ़ा तो नहीं है, लेकिन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में वह कम दाम में आसानी से मिल जाता है। दूसरी ओर तुअर, मुंग जैसी दाले यहाँ भरपूर मात्रा में उत्पादित होती है और गाँव में बहुत कम दामों पर मिलती है। इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा गेहू, तुअर और मुंग दाल का सेवन किया जाना कोई विशेष बात नहीं है और मनरेगा से संबंधित पूर्व-पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में समान रूप से उनका सेवन होता है। इसी प्रकार बैगन (52 प्रतिशत), आलू (35.0 प्रतिशत) जैसी सब्जीयों उपयोग भी पूर्व-पश्च्यात स्थितियों में समान है। जाहिर सी बात है, गेहू, दाल-चावल जैसे वसा और ऊर्जा से भरे अनाज को छोड़ दिया जा तो, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं द्वारा बैगन और आलू जैसी कम ऊर्जावान सब्जीयों का उपयोग भोजन के तौर किया जा रहा है और मनरेगा में काम करने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं। यहाँ दूध का इस्तेमाल (91.0 प्रतिशत) केवल सुबह या शाम की चाय बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों के लिए आवश्यक पोषक आहार से वह पूर्णतः गायब है। इसी प्रकार दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे दही, घी या मठ्ठा भोजन का हिस्सा ही नहीं है। मनरेगा में काम करने से पहले उत्तरदाताओं द्वारा अंड़ो का 72.3 प्रतिशत, मटन का 10.3 प्रतिशत और चिकन का 6.0 प्रतिशत उपभोग किया गया है। वहीं, पश्चात स्थिति में अड़ों का सेवन कम होकर 55.3 प्रतिशत हुआ है। अर्थात, मनरेगा में काम करने से पहले उत्तरदाताओं की खुराक में अंड़े प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किये गये है और यह प्रचलन भोजन-पोषण के संबंध में उनकी बिकट आर्थिक स्थिति को इंगित करता है। लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद यह स्थिति बदलती हुई दिखायी देती है। यह सच है कि, पश्च्यात स्थिति में अड़ों का सेवन कम हुआ है, फिर भी, उसके स्थान पर मटन का 14.3 प्रतिशत और चिकन का 19.7 प्रतिशत सेवन किया जा रहा है जो अड़ों के साथ-साथ सब्जीयों से मिलने वाली ऊर्जा की कमी को दूर कर रहा है। ऐसा होते हुए भी, 60.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा में काम करने के बाद भी उनके पोषण में

वृद्धि नहीं हुई है और 39.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार हुई है। लेकिन प्राप्त आँकड़े यह संकेत देते है कि, मनरेगा में काम करने बाद भी यदि भोजन से मांसाहार को हटा दिया जाय, तो पोशन में कोई भी बदलाव नहीं आया है (तालिका संख्या 4.12)। ध्यान देने की बात यह है कि, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाता अकुशल श्रमिक है और उनकी मजदूरी कठिन श्रम पर निर्भर करती है। इसलिए, मनरेगा में काम करने के बाद जो अतिरिक्त आय उन्हें प्राप्त होती है उसका उपयोग वह ऊर्जा के लिए आवश्यक मांसाहार के लिए करते है और वह आवश्यक भी है। लेकिन मनरेगा की पश्च्यात स्थिति में भी मांसाहार का उपभोग उतना कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसे में, अपर्याप्त मांसाहार तथा अन्य पोषक तत्वों की कमी भोजन और पोषण के मामले में उन्हें हाशिएँ पर ढ़केलती है जिसे मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव ही माना जा सकता है।

मनरेगा में काम करने से पहले 57.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में कोई भी बिमार नहीं था। लेकिन बाद में यह संख्या 50.3 प्रतिशत हो गई है। अर्थात, मनरेगा में काम करने के बाद लगभग 7.0 प्रतिशत लोग बिमार रहे हैं। मनरेगा की पूर्व एवं पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में, उत्तरदाताओं के परिवार में सर्दी, खासी, शारीरिक कष्ट से निर्मित व्याधीयों को देखा गया है। विशेषत: किसी प्रकार की सर्जरी, घूटने का दर्द, कंधे का दर्द, मधूमेह आदी बिमारीयों में वृद्धि हुई है (तालिका संख्या 4.13)। दरअसल, मनरेगा में कार्यरत अनुसंधान क्षेत्र के महिला और पुरूष उत्तरदाता अधिकतर प्रौढ़ है। इसलिए बढ़ती उम्र और कठोर शारीरिक श्रम के कारण उनमें उपरोक्त बिमारीयाँ दिखायी देती है, जो किसी भी तरह से घातक है। विशेषत: 54.3 प्रतिशत परिवार के प्रमुख भारी काम करने से परेशान है। अन्ततः किसी भी व्यक्ति का शरीर प्राकृतिक रूप से अत्यन्त नाजूक होता है। ऐसे में ढ़लती हुई उम्र के साथ भारी काम करने से वह बिमार पड़ सकता है और यही बात हमें अनुसंधान क्षेत्र में दिखायी पड़ती है। दूसरी ओर, रोजगार की कमी, कम मजदूरी और पारिवारीक परेशानीयों की वजह से व्यक्ती अपनी बिमारीयों की ओर ध्यान नहीं दे पाता। इसी वजह से, मनरेगा में काम करने से पहले से 57.7 प्रतिशत उत्तरदाओं ने अपनी बिमारीयों का इलाज नहीं किया है या उसकी अनदेखी की है। लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद इसमें से लगभग 27.0 प्रतिशत लोगों ने अपनी बिमारी को गंभीरता से लेते हुए इलाज पर ध्यान दिया है। वह सरकारी दवाखाने का जमकर उपयोग कर रहे हैं और अब उनमें से 22.7 प्रतिशत लोगों के पास स्वास्थ बीमा है जो स्वास्थ के मामले में मनरेगा की सफलता और सकारात्मकता का द्योतक है।

हम पहले देख चुकें है कि, अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाताओं के शिक्षा का स्तर सामान्यतः माध्यमिक स्तर तक का है। लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में उनका क्या रवैया रहा है यह देखना महत्वपूर्ण है। इसमें, प्राप्त आँकड़ों के अनुसार मनरेगा से पूर्व जो छात्र-छात्राएँ प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अर्जित कर रहें थे उनमें मनरेगा में काम करने के बाद अंशात्मक वृद्धि हुई है। छात्र अब अपने गाँव के अलावा पास के गाँव में जाकर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। पहले सरकारी स्कुल में 94.5 प्रतिशत और निजि स्कुल में 5.5 प्रतिशत बच्चें पढ़ते थें। लेकिन अब 60.7 प्रतिशत सरकारी स्कुल में पढ़ रहे हैं। अर्थात, 35.0 प्रतिशत बच्चों ने निजि स्कुल में प्रवेश लिया है। इसलिए अब 20.0 प्रतिशत बच्चें निजि स्कुल में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं (तालिका संख्या 4.15)। इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक शिक्षा के संबंध में मनरेगा का सकारात्मक प्रभाव रहा है। क्योकि, मनरेगा से मिलने वाले अतिरिक्त वेतन के कारण लोग बेहतर शिक्षा की आस में अपने बच्चों का दाखिला निजि स्कुल में कर रहे हैं। इसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की ललक दिखायी देती है और मनरेगा के कारण उनकी यह इच्छा पूरी होती हुई दिखायी देती है। यहाँ बता देना आवश्यक है कि, महाराष्ट्र में पंचायत समीति और जिला परिषद के माध्यम से संचालित होनेवाली प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अत्यन्त खराब है। दूसरी ओर, संपूर्ण राज्य में निजि स्कुलों को जाल पसरा हुआ है जो अंग्रेजी माध्यम के द्वारा बेहतर शिक्षा की गारंटी देने का आश्वासन देती है। इसलिए ग्रामीण जनता अपने बच्चों को निजि स्कुलों में भेजने के लिए प्रेरित हो जाती है। स्कुल की फिस के साथ नयी किताबे, स्कुल ड्रेस, जुते, बस और ऑटो का कीराया, टयुशन का खर्च आदी सहने की क्षमता कुछ हद तक उन्हें मनरेगा के कारण मिली है। लेकिन इसी स्तर पर स्कुल ड्रॉपआउट भी दिखायी देता है (तालिका संख्या 4.16)। 45.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा के कारण प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की शिक्षा के पैसों की उपलब्धता हुई है, तो 48.3 प्रतिशत के अनुसार पैसों की उपलब्धता नहीं हुई है। जो हो, इसे मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव ही कहाँ जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मनरेगा का सकारात्मक प्रभाव दिखायी देता है। क्योकि, मनरेगा में काम करने के बाद उत्तरदाताओं के बच्चें तहसील और जिले के स्थान पर शिक्षा अर्जित करने के लिए जा रहे हैं और मराठी माध्यम के बजाय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। स्कुल फिस के साथ अन्य खर्चों को सहने की क्षमता उनमें दिखायी देती है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर आठवी या नौवी कक्षा तक आते-आते स्कुल ड्रॉपआउट बढ़ जाता है जो मनरेगा के नकारात्मक पहलू को उजागर करता है (तालिका संख्या 4.17 एवं 4.18)। स्कुल ड्रॉपआउट के मुख्य कारणों में शिक्षा से संबंधित अरूचि के बजाय हमें उन आर्थिक कारणों को समझना चाहिए

जो व्यक्ति की शिक्षा ग्रहण करने की इच्छओं में बाधा ड़ालते है। अतः यहाँ पैसों की कमी स्कुल ड्रॉपआउट का मुख्य कारण है जो ग्रामीण गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है।

उच्च शिक्षा के संबंध में, मनरेगा में काम करने से पहले तहसील और जिले के स्थान पर पढ़नेवाली की संख्या अधिक दिखायी देती है और बाद में यह संख्या कम हो जाती है। यद्यपि, दूसरे जिले में जाकर पढ़नेवाले बढ़े है। पूर्व स्थिति में उत्तरदाता केवल उच्च शिक्षा की पढाई पर ही खर्च कर सकते थे। लेकिन, पश्च्यात स्थिति में शिक्षा के साथ किराये की रूम पर भी खर्च बढ़ा है। अर्थात, पश्च्यात स्थिति में उत्तरदाता अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च संभाल पा रहे है। कॉलेज से संबंधित ड्रॉपआउट भी कम होता दिखायी देता है। कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ी है और सभी शाखाओं के स्नातक छात्रों की संख्या का प्रतिशत अंशात्मक ही सही, लेकिन बढ़ा है। लोग अपने बच्चों को आई.टी.आई. और पॉलिटेक्नीक जैसी व्यावसायिक शिक्षा देने में अग्रेसर नजर आ रहे हैं। लगभग 27.3 प्रतिशत लोगों का कहना है कि, मनरेगा के कारण उच्च शिक्षा के लिए पैसा उपलब्ध हुआ है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि, अनुसंधान क्षेत्र के लोगों में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की जबरदस्त इच्छा है और वह इसे पूरा कर रहे हैं जो मनरेगा सकारामक प्रभाव होने के साथ उत्तरदाताओं की शिक्षा से संबंधित चेतना को उजागर करता है (तालिका संख्या 4.20 एवं 4.22)। लेकिन, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग विभेदीकरण बरकरार है। यहाँ शिक्षा के संबंध में लड़कियों के बजाय लड़कों पर अधिक ध्यान दिया गया है जो अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाताओं की सीमित सोच को सामने रखती है। संभवतः इसका कारण पैसों की कमी, अन्य प्रकार की कोई दिक्कते आदी हो सकता है। लेकिन इस दिशा में मनरेगा में काम करने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है जो मनरेगा के नकारात्म प्रभाव को दर्शाती है।

6.3 मनरेगा के आर्थिक प्रभाव की तुलना - पूर्व एवं पश्च्यात

किसी भी क्षेत्र में संचालित योजनाओं के विकास की दिशाओं का मूल्यांकन उसके आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन नहीं हो सकता। अतः संबंधित योजना के कारण अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाओं में किस प्रकार की आर्थिक स्थितियों का निर्माण हुआ है और अपने आर्थिक जीवन में वह कहाँ तक पहुँच पाएँ हैं यह देखना आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत अनुसंधान में मनरेगा के आर्थिक प्रभावों को जानने के लिए उत्तरदाताओं की आजीविका के लिए उपलब्ध कृषि योग्य जमीन, पूरक व्यावसाय, अन्य छोटे-मोटे कारोबार, रोजगार से संबंधित

नौकरी और प्रवसन जैसे कारकों को शामिल किया गया है। इस संबंध में, अनुसंधान के समय प्राथमिक स्त्रोंतों से प्राप्त आँकड़ो को निम्म प्रकार से देखा जा सकता ह।

मनरेगा में काम करने से पूर्व संबंधित उत्तरदाओं में, मनरेगा में काम करने से पहले सिंचाई युक्त जमीन (0.10 एकड़), गैर-सिंचाई युक्त जमीन (0.47 एकड़), बंजर जमीन (0.25 एकड़), बाग (0.00 एकड़) और ठेके पर ली गई (0.67 एकड़) जमीन रही है। लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद सिंचाई युक्त जमीन (0.11 एकड़), गैर-सिंचाई युक्त जमीन (0.47 एकड़), बंजर जमीन (0.21 एकड़), बाग (0.0033 एकड़) और ठेके पर ली गई (0.67 एकड़) जमीन है। प्राप्त ऑकडो से यह स्पष्ट होता है कि, मनरेगा में करने पहले या बाद में संपूर्ण उत्तरदाता कृषि की उपलब्धता के संबंध में हाशिएँ पर है। क्योकि, कृषि की उपलब्धता के संबंध में जो ऑकड़ें प्राप्त हुए है वह इतने सुक्ष्म है कि, उन्हें न गीना जाना ही बेहतर है। इसलिए प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाताओं के पास अपनी आजीविका के लिए जो जमीन उपलब्ध है उस पर मनरेगा का कोई प्रभाव नहीं है। अतः इसे मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव ही कहाँ जा सकता है। दूसरी ओर, मनरेगा में काम करने से पूर्व जो कुछ भी जमीन उत्तरदाताओं के पास रही है, वह मनरेगा मे काम करने के बाद बेची गई है। इसके पीछे प्रतिदिन का खर्च, कर्ज का भूगतान, शिक्षा आदी पर किये जानेवाले खर्च से संबंधित कारण शामिल है (तालिका संख्या 4.08)। अतः जमीन के क्रय-विक्रय के मामले में भी मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव ही रहा है। घर में उपलब्ध पशुधन को लेकर भी मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव है। क्योकि, मनरेगा में काम करने के बाद पशुधन क्रय के संबंध में जो वृद्धि दिखायी देती है, वह कोई विशेष लक्षणीय नहीं है। अर्थात, भेड़, बकरी या मुर्गा-मूर्गी आदी पशुओं की खरीद उत्तरदाताओं की आर्थिक सुस्थिति को दर्शाती हो ऐसा नहीं है। इन सभी पशुओं को पालने के लिए उन्हें खर्च उठाना पड़ता है और पशुओं की खरीद कोई विशेष मात्रा में की गई हो ऐसा नहीं है। खरीदे गये पशुओं की संख्या बहुत कम है। इस अर्थ में, उत्तरदाताओं में पशुधन की उपलब्धता उनकी बूरी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। इसलिए पशुधन की उपलब्धता और क्रय-विक्रय के मामले में मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव रहा है। जो हो, कृषिऔर पशुधन के अलावा उत्तरदाताओं के अन्य उद्योग से संबंधित आँकड़े मनरेगा के सकारात्मक परिणाम की ओर इशारा करते है। क्योकि, मनरेगा में काम करने से पहले कृषि में (9.3 प्रतिशत), खेतीहर मजूदर में (50.3 प्रतिशत), मुक्त हस्त व्यावसाय में (22.7 प्रतिशत), छोटी दूकानदारी में (8.7 प्रतिशत), अकुशल मजदूरी में (7.3 प्रतिशत) और ठेकेदारी में (1.7 प्रतिशत) उत्तरदाता काम करते थे। लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद इनमें से सभी उत्तरदाओं ने उपरोक्त सभी कार्यों को छोड़ दिया है। वहीं, बकरी पालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन जैसे पूरक व्यावसायों की उपलब्धता

भी उनमें दिखायी देती है। अर्थात, संबंधित अनुसंधान के उत्तरदाताओं को गारंटी के रूप में मिलने वाला सौ दिन का रोजगार एक बेहतर विकल्प साबीत हुआ है। यद्यपि, इस रोजगार का आकार बहुत ही छोटा है। लेकिन इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय पूरक व्यावसाय में निवेष करने के लिए अवसर प्रदान करती है (तालिका संख्या 4.10)। दूसरी ओर, पश्च्यात स्थिति में 52.3 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, मनरेगा के कारण उकी आय भी बढी़ है। जो आय पहले 2236.16/-रूपये थी, वह बाद में 2634.40/-रूपये हो गई है। अर्थात, इसमें 1361.25/-रूपये की वृद्धि हुई है जो मनरेगा के प्रभाव को स्पष्ट करती है। यद्यपि, परिवार के सभी सदस्य जो कही न नहीं कोई छोटी-मोटी नौकरी करते हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, लगभग 98.3 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि, कृषि के लिए आवश्यक वित्त की कोई सहायता मनरेगा के कारण नहीं हुई है। ऐसे ही, 88.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार किसी भी प्रकार के लघू उद्योग के लिए मनरेगा का कोई लाभ नहीं हुआ है जिसे मनरेगा का नकारात्मक प्रभाव कहाँ जा सकता है।

मनरेगा के प्रमुख उद्देश्यों में ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर होनेवाले प्रवसन को रोखकर स्थानित स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्रदान करना रहा है। लेकिन प्रस्तुत अनुसंधान में यह उद्देश्य उतना सफल होता हुआ दिखायी नहीं देता। कम मजदूरी, रोजगार का अभाव, कृषि के लिए जमिन का उपलब्ध न होना, कर्ज का बोझ, कठिन श्रम आदी कारणों की वजह से पश्च्यात स्थिति में भी प्रवसन बढ़ा है। प्रतिदिन का खर्च, विवाह, शिक्षा, घर की मरम्मत, जमीन की खरीदारी यह सभी कारण प्रवसन के लिए उत्तरदाताओं को प्रेरित करते है (तालिका संख्या 4.24)। इससे यह स्पष्ट होता है कि, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं में तेजी से विकसित हो रही जीवन शैली को छुने की महत्वाकांक्षा है और इसके लिए वह प्रवसन के माध्यम से अधिक आय कमाने के लिए उत्सुक है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है और यही बात यहाँ दिखायी देती है। अतः प्रवसन के संबंध में उत्तरदाताओं का यह रवैया व्यक्तिगत तौर पर ठिक हो सकता है। लेकिन मनरेगा के संबंध में यह ठिक नहीं है। क्योकि, मनरेगा में काम करने के बाद भी 91.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रवसन किया है। अर्थात, स्थानिक स्तर पर उनके पास रोजगार और रोजगार से निर्मित होनेवाली अतिरिक्त आय को प्राप्त करने का कोई विकल्प न होने से यह प्रवसन हुआ है। मनरेगा की यह बहुत बड़ी विफलता है जो उसके नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। इसमें केवल एक सकारात्मक बात यह है कि, पश्च्यात स्थिति में प्रवसन की अवधी कम हुई है। दूसरी ओर यह भी दिखायी देता है कि, मनरेगा से प्राप्त होनेवाले रोजगार के कारण और पास के गाँव या तहसील में मिलने वाले रोजगार के कारण 86.8 प्रतिशत लोगों ने प्रवसन नहीं किया है। लेकिन इनमें

80.4 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है जो मनरेगा के बाद प्रवसन करने पर भी गरीब ही रहे है। अर्थात, मनरेगा में काम करने के बाद और प्रवसन करने के बाद भी उनकी गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें जो कुछ सुधार दिखायी देता है वह अत्यन्त सुक्ष्म है। इसलिए पश्च्यात स्थिति में 55.2 प्रतिशत प्रवसन हुआ है। कम मजदूरी, रोजगार भत्ते का अभाव, कम्प्यूटर में नाम एवं जॉबकार्ड नंबर नहीं मिलना, देरी से स्थानिक निर्णय आना, बनाई गई संपत्ती का उपयोग न होना, अर्जी देने के बाद भी काम का न मिलना, मजदूरी के बैंक जमा न होना आदी सभी कारणों से यह प्रवसन हुआ है। यह प्रवसन क्रमषः पूणे, मुंबई, नासिक, औरंगावाद और नागपूर की ओर हुआ है। अधिक मजदूरी मिलना, रिश्तेदारों से संपर्क, दवाखाने की सुविधा, काम की उपलब्धता, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधा आदी बातों को ध्यान में रखकर उत्तरदाता प्रवसन करते है। प्रसवन करते समय उत्तरदाता स्वयं अथवा ठेकेदार के साथ प्रवसन करते हैं और इस अवधी में वृद्ध माता-पीता, छोटे बच्चें, बहन आदी घर पर रहते है (तालिका संख्या 4.25 एवं 4.26)। जो हो, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं में मनरेगा में काम करने से पहले और बाद की स्थितियों में प्रवसन को लेकर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए उत्तरदाताओं ने 15 दिनों के भीतर काम प्रदान कराना, रोजगार भत्ता जल्दी देना, मनरेगा के वेतन में वृद्धि कराना, समय पर बैंक में मजदूरी जमा कराना आदी उपयों को सुझाया है (तालिका संख्या 4.27)। दूसरी ओर, सामाजिक, धार्मिक और राजनीति सहभागिता पूर्व और पश्च्यात इन दोनों स्थितियों में समान है। अधिकतर उत्तरदाता राजनीतिक सहभागिता से दूर ही है। इसलिए ग्रामपंचयात की सदस्यता, स्थानिक राजनीतिक पक्ष की सदस्यता आदी में कम सहभागिता है और बाद की स्थिति में केवल एक व्यक्ति उप-सरपंच बन पाया है। विशेष बात यह है कि, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं की स्वयं की कृषि योग्य जमीन पर मनरेगा का कोई भी काम नहीं हुआ है। यह काम क्यो नहीं हुआ है इस संबंध में शोध होना अत्यंत आवश्यक है। जो हो, कुलमिलाकर प्रवसन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीति सहभागिता को लेकर मनरेगा का कोई खास प्रभाव नहीं है।

अन्त में, मनरेगा के कुल सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की ओर देखा जाय तो, प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं में मनरेगा के कारण जो अतिरिक्त आय हुई है उसके कारण वह अपने लिए घर से संबंधित सुख-सुविधाओं पर खर्च करने में सक्षम हुए हैं। स्वास्थ को लेकर भी उनमें जागरूकता बढ़ी है। इसलिए अधिकतर उत्तरदाताओं के पास स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हुआ है। प्राथमिक, माध्यमिक और कुछ अंश तक उच्च शिक्षा से संबंधित जरूरतों को वह पूरा कर रहे है। व्यक्ति केंद्रित योजना के कारण जो विभक्त परिवार निर्माण हुए है उनमें प्रत्येक व्यक्ती को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वह स्थानिक स्तर पर पूरक व्यावसाय को संचालिक कर रहे है।

रोजगार और अतिरिक्त आय की तलाश में जो प्रवसन उनके द्वारा होता रहा है, मनरेगा के कारण उसकी अवधी में कमी आयी है। लेकिन जहाँ तक मनरेगा के नकारात्मक प्रभावों की बात है, इसमें अभी भी महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। उनके प्रतिदिन के भोजन में पोषण की मात्र अत्यन्त कम है और संभवतः इसी वजह से स्वास्थ को लेकर उनकी चिंताएँ जैस को तैस है। माध्यमिक स्तर पर बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ा है। उच्च शिक्षा में ही मनरेगा का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है और शिक्षा के सभी स्तर पर लिंग विभेदीकरण की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। दूसरी ओर, स्वयं उत्तरदाता और उसके परिवार के अन्य सदस्यों में कुशल श्रमिक निर्माण करने में मनरेगा को सफलता नहीं मिली है। क्योकि, स्थानिक युवा अभी भी मनरेगा में कार्य करने से हिचकिचाते है। आजीविका के लिए आवश्यक कृषि की उपलब्धता और पशुधन की संख्या, उसका क्रय-विक्रय मनरेगा में काम करने के बाद भी बहुत कम है। कृषि तथा लघू उद्योग के लिए आवश्यक वित्त की सहायता देने में भी मनरेगा असफल नजर आती है। इसलिए मनरेगा की पूर्व एवं पश्च्यात स्थिति में समान रूप से प्रवसन हो रहा है। अर्थात स्थानिक रूप से मनरेगा में उपलब्ध होने वाला रोजगार और प्रवसन से प्राप्त होनेवाली अतिरिक्त कमाई उनकी गरीबी को कम करने में कारगर सिद्ध नहीं हुई है। अतः अनुसंधान क्षेत्र में 'काम का अधिकार' बहुत ही गहराई तक कार्यान्वित करना आवश्यक है। क्योकि, प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र के उत्तरदाताओं में गरीबी कुचक्र वर्तमान समय में भी विद्यमान है और मनरेगा उसे दूर करने में अभी कामयाब नहीं हुई है। अर्थात, उत्तरदाताओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर अभी ऊँपर उठना बाकी है। इसके लिए मनरेगा के संबंध में लोगों को शिक्षित करना, आजीविका के साथ स्वयं की संपत्ति निर्माण करने के लिए उन्होंने जागरूकता लाना, कार्यदिनों के साथ वेतन में वृद्धि करना और उसकी सही जानकारी देने के साथ महिलाओं की भागिदारी को अधिकाधिक वृद्धित करना आवश्यक है। इसमें, कुछ सुझाव स्वयं अनुसंधान से संबंधित उत्तरदाताओं से भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें जॉबकार्ड से लेकर ग्रामपंचायत की निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने से संबंधित सुधार का जिक्र होने के साथ, स्थानिक प्रशासन द्वारा अधिकाधिक जवाबदेही निभाने की माँग भी शमिल है जो उन्हें मनरेगा के द्वारा संवैधानिक दायरे के भीतर रहते हुए एक नागरिक के रूप में प्राप्त हो सकें।

संदर्भग्रंथ सूची

संदर्भग्रंथ सूची

हिन्दी पूस्तक

1. ज्याँ द्रेज़ (संपादक), कमलनयन चौबे (सह-संपादक) : भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष, वाणी प्रकाशन, 2017
2. ज्याँ द्रेज़/ अमर्त्यसेन : भारत और उसके विरोधाभास, अनुवादक – अशोक कुमार, राजकल पेपर बैक्स, जुलाई 2018
3. ज्याँ द्रेज़, अनुवादक – चंदन श्रीवास्तव : झोलावाला अर्थशास्त्र – भारत में सामाजिक विकास की रीति – नीति, वाणी प्रकाशन, 2020
4. रीतिका खेड़ानंदिनी नायक - महिला मजदूर और राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में धारणाएँ, भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष, सम्पादक: ज्यां द्रेज, सह-सम्पादक: कमलनयन चौबे, वाणी प्रकाशन और इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, 2017
5. सुरिन्दर एस. जोधका (संपादक), कमलनयन चौबे (सह-संपादक) : भारतीय ग्राम श्रृंखल - 2, वाणी प्रकाशन, 1 जनवरी, 2019

मराठी पुस्तक

सुखदेव थोरात – दलित निरंतर विषमता आणि दरिद्रता, सुगावा प्रकाशन, पुणे, मार्च2012

अंग्रेजी पुस्तक

1. Dreze. J. and R. Khera, - The Battle for Employment Guarantee. In R. Khera a (Ed.), the Battle for Employment Guarantee New Delhi: Oxford University Press. 2011
2. G. Satyanarayana (2005) – Rural Development and Poverty Alleviation in India: Policies And Programmes – Gaurav Book Centre, Delhi.
3. Khera Reetika – "The Battle for Employment Guarantee", Oxford University Press, 2011
4. Majumder, R. C, The History & Culture of the Indian People, Bharatiya Vidya Bhavan, 1974, Bombay

5. Shiva Kant Singh (2002) – Rural Development And Programmes- Northern Book Centre, New Delhi
6. S. R. Singh - National Rural Employment Guarantee Act NREGA : Issues And Challenges, APH Publishing Corporation, New Delhi, 2013
7. Trivedi B.R.- Encyclopedia of NREGA and PanchayatiRaj-Neha Publishers &Distributors, Jaipur, 2011

आलेख

1. Aruna Kanchi, Divya Pandey, Maithreyi Krishnaraj – "Does EGS Require Restructuring For Poverty Alleviation And Gender Equality? I Concept, Design and Delivery System", (Special Articles) Economic and Political Weekly, Vol. 39, Issue No. 16, 17/04/2004
2. Bagchees S. - "Employment Guarantee Scheme in Maharashtra" Economic and Political Weekly, Vol. 19 No. 37, 15/09/1984
3. Chandrasekhar. C. P. and Jayati Ghosh, (2011), "Public Works and wages in Rural India", http://www.macroscan.org.
4. Dantawala, M.L. "GaribiHatao-Strategy and Options" Economic and political Weekly, Vol. XX, No. 1 I, March (I985)
5. Datar, C. – Failure of National Rural Employment Guarantee Scheme in Maharashtra. Economic and Political Weekly, 3454-3457. 2007
6. Deepak Shah- Implementation of NREGA in Maharashtra : Experiences, Challenges and Ways Forward, Gokhale Institute of Politics and Economics, 05 January 2012, https://mpra.ub.unimuenchen.de/39270/1/MPRA_paper_39270. pdf
7. Dheeraj R. P. –A CRITICAL ANALYSIS OF THE MAHATAMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT (MGNREGA) Global Journal of Interdisciplinary Social Science (published by Global institute for Research and Education), Nov-Dec, 2017, https://www.longdom,org
8. Garg Nidhi and H. R. Yadav - "Socio-Economic Conditions of MGNREGA Workes in District Rewari-The MGNREGA', Research, Analysis and Evaluation, Vol.-Issue- 8 May 2010

9. Garje, R. R. –Indian Economic Reforms: Evaluation of NREGS in Nanded and Hingoli Districts of Marathwada Region in maharastra State. Variorum, Multi Disciplinary E-Research Journal, 1 (4), 2011
10. Ghosh, J. - Equity And Inclusion Through Public Expenditure: The Potential Of the NREGA. Progoti, 2009.
11. Haorei Well and Anandaraj Kumar. P.- "Impact of MGNRGEA scheme of rural women empowerment", Journal of extension and Research, Vol-X11, no.2, GRI, Jap. 2010
12. Harisha. B. G,, Nagaraj. N. Chandrakantha, M.G. Shrikantha Murthya. P. S., Chengappac. P. G. and Basavaraj. G. - "Impacts and Implications of MGNREGA on Labour Supply and Income Generation For Agriculture in Central Dry Zone of Karnataka" Agricultural Economics Research, Review Vol. 24 (Conference Number) 2011
13. Indira Hirway - Providing Employment Guarantee in India: Some Critical Issues, Economic and Political Weekly, Vol. 39, No. 48m 27 Nov, 2004
14. Jacob Noomi- "The Impact of NREGA on Rural – Urban Migrative : Field Survey of Villupuram District, Tamilnadu." CSS Working Paper. 2008
15. Jean Dreze - Employment as a Social Responsibility, The Hindu, 22/11/2004, "Employment Guarantee Act; Promise and Demise", Kurukshetra, Vol. 45, No. 5, May, 2005, "Employment Gurantee or Slave Labour", The Hindu, Madurai-19/09/ 2019
16. K. Kareemulla, P. Ramasundaram, Shalander Kumar and C. A. Rama Rao – Impact of National of National Rural Employment Guarantee Scheme in India of Rural Poverty And Food Security- Current Agricultural Research Jouranal. http://www.agriculturejournal.org/volume1number1, 2014
17. Kajale Jayanti, Shraff Sangita- "Empolyment and Asset Creation Under MNREGA in Maharashtra: Reality & Lessons", Indian Journal of Agricultural Economics, Jully, 2011
18. Kalarani Rengasamy and B. Sasi Kumar – State Level Performance of MGNREGA in India : A Comparative Study – International Multidisciplinary Research Journal 2011
19. Khera Reetika and Nandini Nayak, - "Economic and Political" Weekly, 24 October, Vol. XLIV, No. 43, 2009

20. Kievetskroon Pretoria, Amelita king and Lourdes Kathleen Santos – Reducing Unemployment and Poverty – International Experiences and Proposals for the Expanded Public Works Programme". Conference Report, September, International Labour organization South Africa 2008 http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication_1113789. Pdf
21. Kumar, Jitendra & Singh Atvir. "Role of Panchayati Raj Institution in the Implementatioan of MNREGA In Haryana", the Horizon-Journal of Social Science, Vol 3, No. 2, July, 2012
22. MGNREGA: Revised wage rates in Maharashtra still lower than other states- Indian express, 21/03/2017, https://indianexpress.com/article/
23. Negi Baldev Singh (2012), "An Assessment of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Implementation In Himachal Pradesh with Special Reference to Chamba District", Journal of Asian Research Consortium, Vol-2. Issue 2
24. Patidar Bhurelal & Gupta Dinesh- "MNREGA Issues & Challenges", Golden Research Thoughts, Vol 2, Issue 3/09/2012
25. Pattnaik. B. K. - "National Rural Employment Guarantee Scheme : Some preliminary finding from hoshiarpur District". Kurushetra, April 2009.
26. Raghbendra Jha, Sambit Bhattacharyya Raghav Gaiha and Shylashri Shankar - Capture of anti-poverty programs: An analysis of the National Rural Employment Guarantee Program in India- Journal of Asian Economics, 2009, Vol. 20, Issue 4.
27. Reynolds And Sunder-Maharashtra Employment Gurantee - A Programme to Emulate? Economic and Political Weekly, Vo. XII, July 16, 1977.
28. Rudra N. Mishra et al, Impact of National Rural Employment Guarantee Scheme in India on Rural Poverty and Food Security, Scheme in India on Rural Poverty and Food Security, 2014, Undertaken among beneficiaries of 20 Villages of Dungarpur District of Rajasthan, 5(1), International Journal of Scientific and Research Publication, 2015
29. S. Mahendra Dev - India's (Maharashtra) Employment Guarantee Scheme:Lessons From Long http://citeseerx.ist.psu.edu. 2005
30. Sainath, P. - "Thirty –Four Months with no income", The Hindu, 01/09/ 2009
31. Shylashri Shankar, Raghav Gaiha and Rachbendra Jha- "Information and Corruption: The National Rural Employment Guarantee Scheme in India", ASARC Working Paper from Austialian National University, Australia South Asia Research Centre. 2010,

"Information, Access and Targeting: The National Rural Employment Guarantee Scheme in India", Oxford Development Studies Vol. 39 issue 1, 2011

32. T. Sivasakthi Devi, R. Balasubramanian And B. Ganesh Kumar- "Employment, Income And Lobour Supply Decision of Rural Hourseholds: An Economic Analysis of MGNREGS in Tamil Nadur", Agricultural Economisc Research Revies Vol.24, 2011
33. Usha Rani Ahuja, Dushayant Tyagi, Sonia Chauhan and Khyali Ram Chaudhari- "Impact of MGNREGA on Rural Employment and Migration: A Study in Agriculturally backward and Agriculturally –advanced Districts of Haryana" Agricultural Economics Research Review Vol. 24, 2011
34. पागे, वि.एस. - रोजगार हमी योजने मागील भुमिका, लोकराज्य, माहिती व जनसंपर्क संचलनालय, मुंबई, दिसंबर,1975
35. प्रो. सुखदेव थोराट - रोजगार हमी – वचनपूर्तीपासून दूरच, लोकसत्ता, दिनांक – 16/11/2018

सरकारी/गैर-सरकारी एवं संस्थात्मक रिपोर्ट

1. Planning Commission: IV Five Year Plan,1969-74 Government of India, Delhi, 1970
2. Government of India, Report of the Committee on Unemployment DHE and T, Ministry of Labour and Rehabilitation Vol I, New Delhi, 1973
3. Social Policy in india Development Jayati Ghosh (Prepared for the UNRISD Project on Social Policy In a Development Context, November 2002. https;//www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/7EE225555155DC1256C77003CFAED/$file/ghoslong.pdf)

समाचारपत्र एवं पत्रिकाएँ

The Hindu 22/11/2004, 01/09/ 2009

Indian express 21/03/ 2017

लोकसत्ता 16/11/2018

लोकराज्य, दिसंबर 1975

अंग्रेजी पत्रिकाएँ

Agricultural Economics Research ReviewVol. 24, 2011

Current Agricultural Research Jouranal, 2014

Economic and Political Weekly

1) Vo. XII, July 16, 1977
2) Vol. 19 No. 37, 15/09/1984
3) Vol. XX, No. 1 I, March (I985)
4) Vol. 39, Issue No. 16, 17/04/2004
5) Vol. 39, No. 48m 27 Nov, 2004
6) 3454-3457. 2007
7) Vol. XLIV, No. 43, 2009

Global Journal of Interdisciplinary Social Science, Nov-Dec, 2017

Golden Research Thoughts, Vol 2, Issue 3, September, 2012

Journal of Asian Economics, 2009, Vol. 20, Issue 4.

Journal of Asian Research Consortium, Vol-2. Issue 2

Journal of extension and Research, Vol-X11, 2010

Horizon-Journal of Social Science, Vol 3, No. 2, July, 2012

Indian Journal of Agricultural Economics, Jully, 2011

International Journal of Scientific and Research Publication, 2015

Kurushetra, April 2009

Economic and Political Weekly

Oxford Development Studies, Vol. 39 issue 1, 2011

Progoti, 2009

Variorum, Multi Disciplinary E-Research Journal, 1 (4), 2011

Analysis and Evaluation, Vol.-Issue- 8 May 2010

वेब साईट

1. http://nregasp2.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state-code=18&state-name=MAHARASHTRA
2. India In Figures 2018 http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication-reports/India-in-figures-2018-rev.pdf
3. http://nregasp2.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state-code=18&state-name=MAHARASHTRA
4. https://www.livemint.com/news/india/indian-experts
5. http:nrega.nic.in/netnrega/home.aspx and Ministry of rural development, government of India
6. https://www.researchgate.net/publication/259451490
7. http://new.resurgentindia.org/indian-economy-at-the-time-0f-the-first-five-year-plan-1951/
8. http://mospi.nic.in/sites/default/files/Statistical-year-bookindiachapters/Five%20Year%20Plan%20writeup-O.Pdf
9. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/planrel/fiveyr/9th/voll/vlc2-1.htm
10. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/aboutus/committee/wrkgrp12/wg-emp-planing.pdf
11. https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/unicef_rpt/DistrictLeveltables.pdf
12. https://www.census2011.co.in/census/district/340-washim.html
13. http;//socialjustice.ni/UserView/index?mid=76663
14. http://trti.maharashtra.gov.in/index.php/en/divisonwise-total-tribal-population
15. https://www.censusindia.co.in/district/washim-district-maharashtra-502
16. https://www.censusindia.co.in/district/washim-district-maharastra
17. www.censusindian.co.in/census/subdistrict/mangrulpirtaluka-washim-maharashtra-3996
18. https://www.indcareer.com/find/all-colleges-in-washim
19. www.censusindia.2011.com
20. www.onefivenine.com
21. https://www.census2011.co.in/census/district/338-buldana.html
22. http://socialjustice.nic.in/UserView/index?mid=76663
23. https://trti.maharashtra.gov.in/index.php/en/divisionwise-total-population.
24. https://www.census2011.co.in/census/district/338-buldana.html
25. https://www.censusindian.co.in/subdistrict/lonar-taluka-buldana-maharashtra-3987ECONOMIC SURVEY OF MAHARASHTRA 2011-12
26. https://mahades.maharashtra.gov.in/files/publication/esm_2011-12_eng.pdf.
27. https://buldhana.nic.in/en/public-category/colleges/
28. https://en.wikipedia.org/wiki/Ration_card_(India)
29. https://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance#India
30. https://mahades.maharashtra.gov.in/files/report/Nss_64_25.2_Vol_1.pdf